राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08]   चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तेरहवां दिवस   [संख्या: 08

मंगलवार,
7 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्न काल। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

चित्तौड़गढ़ में जर्जर पेयजल पाइप लाइन को बदलने का कार्य

164. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं कितनी लागत की कहां-कहां पर क्रियान्वित की जा रही हैं ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से घोसुण्डा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के तहत शहर में पेयजल पाइप लाइन बिछाई गई है? यदि हां, तो उक्त पाइप लाइन किस संस्था के माध्यम से व कब बिछाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पाइप लाइन वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में होने के कारण इसमें बार-बार सुराख हो जाते हैं, जिससे आमजन को मुहैया कराने वाला पेयजल सड़कों पर व्यर्थ बह जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पेयजल लाइन को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 8 ग्रामों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 एवं 2016-17 की अवधि में स्वीकृत तीन पेयजल योजनाओं में से एक योजना का कार्य प्रगति

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पर है तथा शेष दो योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जी हां। चित्तौड़गढ़ शहर में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) के द्वितीय चरण में स्वीकृत जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाइप लाइनें बिछाने एवं जोड़ने के कार्य सहित समस्त कार्य अनुबंधक फर्म मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2011 से 2016 तक की अवधि में पूर्ण कराया गया ।

(3) जी नहीं। उक्त स्वीकृत योजना में बिछाई गई पाइप लाइनें वर्तमान में सही अवस्था में कार्यरत हैं तथा इन पाइप लाइनों से शहर की आबादी को लगातार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । उक्त योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं बरती गई है ।

(4) जी नहीं। उपरोक्तानुसार ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि 2011 में जो पाइप लाइन चालू हुई और 2013 में उस पाइप लाइन को पूरा करना था और कुल 14 जोन में पानी पहुंचाना था, अभी दो जोन में पानी पहुंचा है, 12 जोन में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं शहर के जो 12 जोन बाकी हैं, पूरे शहर में पानी की वास्तव में त्रासदी है, पानी की काफी कमी है, मीडिया में भी काफी बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि शहर में पानी नहीं आ रहा है, 2013 तक उसको पूरा करना था, 2017 तक भी शहर के 12 जोन में पानी नहीं पहुंचा है। कब तक वह पानी पहुंच जायेगा? हमारे घोसुण्डा का जो पानी है, घोसुण्डा मेरे विधान सभा क्षेत्र में है वहां आस पास पीने के पानी की काफी दिक्कत है। 11 पंचायतें तो हैं चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की और 6 पंचायतें हैं भदेसर की। चित्तौड़गढ़ की है बडोदिया, धनेतकलां, घोसुण्डा, कस्मोड, नारेला, नेताओल, ओड़ून, पांडोली, ओलाडा, सतपुरा, तोमड्या और भदेसर की है कन्नौल, सुखवाडा, देसीकलां, भदेसर, बालोंड़ी। इन पंचायतों में पानी देने की आप कब तक योजना बनायेंगे और शहर का पानी आप कब तक विधिवत पहुंचा देंगे, आप समय बतायें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही बात है चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस योजना के बारे में बताया कि 2011 में स्वीकृत हुई थी। घोसुण्डा से चित्तौड़गढ़ शहर को पानी पिलाने के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

लिये 2011 में यह योजना शुरू की गई थी, परंतु 2011 के बाद में वहां राइजिंग लाइन डालने में, नेशनल हाई वे की अनुमति लेने में, रेलवे क्रासिंग की एनओसी लेने में, वन विभाग की एनओसी लेने में और इंडियन ऑयल की एनओसी लेने में काफी समय लग गया, इस कारण इसमें थोडा विलंब हुआ और 2013 में इसको पूरा करना था, परंतु इसको 24.10.2016 को पूरा किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि इसमें 44 किलो मीटर राइजिंग लाइन डाल दी गई है, 51 किलो मीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी डाल दी गई है। जो भी एसआर है, पम्पिंग हाउस है, पम्पिंग मशीन है, सारा काम पूरा हो गया है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं जैसा आप बता रहे हो कि लीकेज है, वाकई में कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सीवरेज लाइन का काम करने के कारण थोडा डिस्टर्ब हुआ और यह जो मेन राइजिंग लाइन है, इसमें 9 लीकेज हुये थे और जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें 57 लीकेज हुए हैं, उन सबको ठीक करवा दिया गया है और दो जोन पीएचईडी को हैंड ओवर हो गये हैं, 12 जोन अभी हैंड ओवर हुए नहीं है। हालांकि मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि यह 2 से 4 का जो प्रश्न है वह यूडीएच के अधीन आता है, चूंकि यह पेयजल से संबंधित है क्योंकि यूडीएच ने अभी हमें हैंड ओवर नहीं किया फिर भी चूंकि पीएचईडी से संबंधित है, पानी का मामला है, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 15 अप्रैल के पहले पहले मैं इसको दुरुस्त करवा कर 120 लीटर प्रति दिन प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिये, पानी दिलाने की व्यवस्था करूंगा, इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दूंगा।

दूसरा आपने पूछा कि हमारे चित्तौड़गढ़ के 11 पंचायतों के 65 गांव, मेरा निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ 11 पंचायतों के 65 गांव और भदेसर पंचायत समिति के 6 पंचायतों के 45 गांव, इनके प्रस्ताव तैयार करने के लिये मैं अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा और तकनीकी स्वीकृति होने के बाद जो भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे उसके आधार पर आगे विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका तो वास्तव में मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया और 15 अप्रैल तक पानी चालू करने के लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है जनता जल योजना चित्तौड़गढ़ में काफी पंचायतों में है। किरण माहेश्वरी जी ने हमारे चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनता जल की काफी योजनाएं दीं, पर जो पुरानी जनता जल योजना है उनकी पाइप लाइन काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहां नये गौरव

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

पथ भी बनाये गये हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने इतने गौरव पथ दे दिये और इतना बड़ा काम हुआ है, उसके माध्यम से भी वह पाइप लाइनें खतम हुई हैं, जो भी जनता जल योजना की पाइप लाइनें हैं उन पाइप लाइनों को आल ओवर चेंज करने की सरकार की क्या मंशा है ? दूसरा, जनता जल योजना के जो बिल हैं वह पंचायतों के थ्रू जमा हो रहे हैं, आप देखोगे कि काफी मात्रा में वह पंचायतें जमा नहीं करा पाईं और वह कनेक्शन कट गये हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आने वाले गर्मी के दिनों में पेयजल की काफी दिक्कत रहेगी और जनता जल योजना के जो जो पैसे बाकी हैं वह पीएचईडी के थ्रू वापस जमा हों और जो पाइप लाइनें हैं उनको भी चेंज करवाया जाए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह जनता जल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी के अधीन आता है, माननीय सदस्य मैं निवेदन कर दूं कि पूरे राजस्थान में 6523 जनता जल की योजनाएं चल रही हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि पिछले साल में 139 करोड़ रुपये जनता जल स्कीमों को सुदृढ़ीकरण करने के लिये और इस साल 100 करोड़ रुपये जनता जल योजना को सुदृढ़ीकरण करने के लिये दिये हैं। जो जो स्कीमें आईं उनका सुदृढ़ीकरण करने के लिये हमने व्यवस्था की है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे गौरव पथ बन रहे हैं उससे टूट जाये, तो हमने यह भी निर्देश दे दिये हैं कि जो विभाग रोड बनाये या कोई भी कार्यवाही करे और वह तोड़ता है तो वही विभाग उसको ठीक करायेगा, यह हमारी लायबिलिटी नहीं है, हमारी लायबिलिटी सिर्फ इतनी है हमारी पाइप लाइन हम खोदते हैं और टूट फूट होती है तो हम ठीक करवाते हैं।

जहां तक इन्होंने बिलों के बारे में कहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं जनता जल के जो पुराने बिल बकाया हैं, उन पुराने बिलों का भुगतान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के थ्रू ड्यू हैं, वह कर देंगे, नये सिरे से अभी केबिनेट ने डिसाइड किया कि जो नये बिल हैं वह राज्य वित्त आयोग के मद में से डाइरेक्ट पैसा काट कर उनके बिलों का भुगतान पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री निर्मल कुमावत, देखिए यह चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, इधर-उधर नहीं होंगे आप।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ स्पेसिफिक दो ही बात पूछना चाहूंगा कि पीएचईडी विभाग जहां शहरी क्षेत्र में स्कीम बनाता है, पाइप लाइन डाली, पाइप लाइन बदलने का यह चित्तौड़गढ़ का प्रश्न था, विभाग का ऐसा

(श्री निर्मल कुमावत)

कौनसा पैमाना है, नियम है कि विभाग अपने स्तर पर भी कभी रिव्यू करता है कि कौनसी पाइप लाइनें जर्जर हो गई, उसकी लाइफ कितनी है या फिर कभी शिकायत आती है या मीडिया की कोई बात आती है तभी हम उसको बदलते हैं, अपने स्तर पर विभाग का कोई सिस्टम है जो अपने आप काम करता है पुरानी पाइप लाइनों को बदलने का, केवल इतनी सी बात बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समय पर हम रिव्यू करते हैं और जो 30-35 साल पुरानी पाइप लाइनें हो गईं, उनके लिये जो प्रस्ताव आयेंगे उन पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़, पूरक प्रश्न दो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था उसमें लिखा हुआ है “A separate detail proposal for solving the drinking water problem of Rs. 5 lakhs of Rawarda P of Panchayat Samiti Begun will be prepared and sanctioned.”

श्री अध्यक्ष: नहीं, ये रिलेवेंट नहीं है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): इसी से है। मेरा निवेदन सुन लें। कोई बात नहीं जवाब नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन तो कर दूं।

श्री अध्यक्ष: अलग से निवेदन कर देना।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): वो विवाद वाला नहीं है। लफड़े वाला अलग है। यह सैकण्ड है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल , श्री मंगलराम।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, यह लफड़े वाला नहीं है। मेरी एक मिनट सुन लें केवल।

श्री अध्यक्ष: नहीं विराजिए। आप जवाब इनसे ले लेना।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): भले ही मंत्री महोदय जवाब नहीं दे, कोई बात नहीं। मेरा एक निवेदन है। मेरा एक निवेदन तो सुन लें अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलराम।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): जो मोदी जी ने मन की बात की, वह मैनाल जल प्रपात वेगों में है और जो राणवदा का पंचायत है, वहां साढ़े छह करोड़ की ...

श्री अध्यक्ष: नहीं। जवाब देने की जरूरत नहीं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय देना चाह रहे हैं तो क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। नहीं। जवाब देने की जरूरत नहीं। रिलेवेंट नहीं है। बैठिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): इसी में है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं बैठिए आप। आप मिल लेना अलग से।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ये जवाब देना चाह रहे हैं तो आप देने दो। प्लीज मेहरबानी करके जवाब तो दिला दीजिए। ये दे देंगे जवाब।

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलराम।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं। आप जवाब देने दें।

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं देने दूंगा। इर्रिलेवेंट सवाल है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ये देना चाह रहे हैं। सही में। पूछ लो भले ही।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा, पूरक प्रश्न के लिए, नहीं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं। आप क्या पूछना चाहेंगे? अगला सवाल। ज्ञानचन्द पारख नहीं हैं। ज्ञानचन्द पारख।

प्रश्न संख्या 165

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

रणधीर सिंह भीण्डर।

वल्लभनगर में संचालित डाक बंगले

166. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में विभाग के कितने डाक बंगले हैं ? उक्त डाक बंगले कब-कब बनाये गये एवं सरकार द्वारा उनके रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मेनार में रियासत काल में बने डाक बंगले को हैरिटेज श्रेणी में मानकर सरकार उक्त बंगले के संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन गैस्ट हाऊस हैं। वल्लभनगर गैस्ट हाऊस का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्माण 1986 में, भीण्डर गैस्ट हाऊस का निर्माण 1976 में हुआ था तथा विश्राम गृह मेनार रियासत कालीन इमारत है।

गैस्ट हाऊस भीण्डर एवं वल्लभनगर के सामान्य एवं दैनिक रखरखाव के अतिरिक्त हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मेनार में रियासत कालीन डाक बंगले को हैरिटेज केटेगरी में सम्मिलित करने के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसे संरक्षण प्रदान किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेनार एक रियासतकालीन डाक बँगला है। यह मेनार जो है, वह आप भी जानते हो कि मेनारिया ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति का स्थान है और महाराणा अमर सिंह के समय इन्होंने मुगल चौकी पर मेनारिया समाज ने कब्जा किया और जमराबीच आज भी वहां पर जोर शोर से मनाते हैं। उसके पीछे एक तालाब है, जिसमें बर्ड वाचिंग सेन्टर भी है और देशी-विदेशी पर्यटक वहां पर आते रहते हैं। इसलिए इसको मेरे खयाल से अगर सरकार रिपेयर कराए, क्योंकि यह रियासतकालीन है और यह गिर जायेगा। ऐसी स्थिति में है कि यह गिर जायेगा तो इस पर सरकार को कुछ रिपेयरिंग करनी चाहिए और उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह करवाकर सरकार कोई राशि उपलब्ध करवाए, जिससे कि उसको ठीक किया जाए।

दूसरा, भीण्डर में काफी आवागमन रहता है और धरियावद, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ तक के लोग, मंदसौर तक के लोग वहां पर ठहरते हैं और कमरों की व्यवस्था कम है तो वहां पर और दो कमरों के लिए व्यवस्था हो। वल्लभनगर का जो गैस्ट हाउस है, उसकी छत बिल्कुल खराब हो चुकी है। छज्जे भी गिर चुके हैं और फर्श भी नीचे दब गई है। इनको अगर समय-समय पर आप लोग ठीक नहीं करोगे तो यह बिल्कुल खराब होकर उजड़ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने तीनों गैस्ट हाउस की, डाक बंगलों की बात कही है। उनके मेंटेनेंस की बात की है तो वहां से हमारे अधिकारियों से प्रस्ताव लेकर उस पर जितना आबंटन करना होगा, हम कर देंगे और जहां तक मेनार का

(श्री युनुस खान)

सवाल है उसमें अभी क्या हो सकता है, उस पर भी परीक्षण करवाकर शीघ्र निर्णय ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे आप ?

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मेनार के डाक बंगले के लिए वैसे ही ज्यादा तकमीना नहीं है। पन्द्रह लाख रुपए सरकार के लिए कुछ नहीं है। पन्द्रह लाख रुपए मंत्री महोदय स्वीकृत कर दें तो वह बिल्कुल रिपेयर हो जायेगा। बाउंड्री वॉल भी बन जाएगी। मेरे खयाल से बहुत ज्यादा राशि नहीं है। तो इसके लिए आप यहां ही हां कर दो, आप क्या तकमीना बनाओगे ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। कभी-कभी बिना तकमीने के आप घोषणा कर दिया करो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं पूछ रहा हूं लक्ष्मणगढ़ वाले सदस्य क्या कह रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य ने वोट भी दिया है। अब तो दे दो पन्द्रह लाख रुपए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखिए वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और रहे हैं। आप भी रहे हैं सर। ऐसी क्या बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ तो माननीय विधायकों से और कुछ हम, हम मिलकर दोनों 50-50 करके इसका पुनरुद्धार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। श्री बनवारीलाल सिंघल। अगला सवाल।

अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक में संचालक मण्डल द्वारा अनियमितता

167. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर में संचालित अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक में संचालक मण्डल द्वारा खाता धारकों की राशि को खुर्द-बुर्द किये जाने का प्रकरण उजागर हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खाताधारकों की जमा राशि सुरक्षित रूप से भुगतान करवाने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में उक्त बैंक की बैंकिंग कार्यवाही स्थगित है ? यदि हां, तो

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
क्या सरकार उक्त बैंक को सुचारु रूप से संचालित करवाने की स्थिति में लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) जी हां। अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के वर्तमान संचालक मंडल द्वारा बैंकिंग नियमों के विपरीत जाकर अनियमित ऋण वितरण एवं अन्य गबनकारी प्रकरण किया जाना प्रकाश में आये हैं। इनके विरुद्ध एफ.आई.आर. नम्बर 1472/2016 धारा 420,120-बी आई.पी.सी व 66 आई.टी. एक्ट में दर्ज हुई है।

अनियमितताओं के लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिये विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत जांच की जा रही है। (आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अ)

(2) खाताधारकों की जमा राशि का सुरक्षित रूप से भुगतान करवाने हेतु अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के 8296 खाताधारकों की 25,77,97,000.00 (पच्चीस करोड़ सतहत्तर लाख सत्यानवे हजार) राशि, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारण्टी निगम मुम्बई द्वारा बीमित है। (संलग्न परिशिष्ट स)

उल्लेखनीय है कि अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की राजकीय हिस्सा राशि नहीं होने के कारण सरकार के स्तर से न तो बैंक में सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है और न ही किसी राजकीय अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(3) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा आर्य नगर अलवर, रोड नं: 2 के पत्र क्रमांक बीआर/सीएम/32 दिनांक 04.02.2017 (संलग्न परिशिष्ट द) के अनुसार अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा 3.66 करोड़ के अधिविकर्ष किये जाने एवं लगातार गबन व अनियमितताओं के प्रकरण के कारण क्लियरिंग हाउस से लेनदेन निलम्बित है। बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना पूरक प्रश्न पूछने से पहले, सबसे पहले तो विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बैंक में जैसे ही गबन की सूचना मिली, नोटबंदी के तुरन्त बाद यह संचालक मण्डल रुपए यहां से निकाल कर ले जा रहा था। सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इनको पकड़वाया। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

क्योंकि यह गरीब लोगों का पैसा है। ऐसे-ऐसे गरीब लोग जिनका पूरा पेंशन का पैसा इस बैंक में जमा हो गया, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना जितनी जल्दी आवश्यक था, सरकार ने उतनी जल्दी कार्यवाही की। इसके लिए मंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, विभाग को धन्यवाद। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने प्रश्न के खंड - 2 में बताया 'खाताधारकों की जमा राशि का सुरक्षित रूप से भुगतान करवाने हेतु अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के 8296 खाताधारकों की 25,77,97,000.00 (पच्चीस करोड सतहत्तर लाख सत्यानवे हजार) राशि, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारण्टी निगम मुम्बई द्वारा बीमित है' इसमें आपने परिशिष्ट भी लगाया है। माननीय मंत्री जी इस पूरक प्रश्न संख्या एक में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब यह 8296 खाता धारकों की राशि बीमित है, तो इसका मतलब है कि ये सारे खाते धारक बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज असुरक्षा का माहौल है। आप यह बता दें कि इस बीमा कम्पनी से या यह जो संचालक मण्डल था, जो धोखाधड़ी करके पब्लिक का पैसा उठाकर ले गया, इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके, उनसे पैसा वसूल करके, या बीमा कम्पनी से, जिससे भी आप दिलाना चाहें, इन खाता धारकों को भुगतान कब तक दिला देंगे, पूरक प्रश्न संख्या एक। दूसरा भी हाथों हाथ पूछ लूं या दुबारा पूछ लूं। इसका जवाब दे दो फिर पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह ठीक रहेगा।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक है, इसमें सहकारी विभाग का कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं है। सोसायटी एक्ट के तहत इनका गठन तो होता है, लेकिन इनको रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और उन्हीं के दिशा-निर्देशों पर ये अपने बैंकिंग कार्य करते हैं, लेकिन ज्यों ही इस प्रकरण की विभाग को जानकारी हुई। विभाग ने पहले तो प्राथमिक जांच करवाई और उस जांच के बाद अभी वर्तमान में धारा 55 के तहत जांच चल रही है। मैं माननीय सदस्य आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस महीने के अंत तक हम धारा 55 की विस्तृत जांच कर लेंगे और जांच में कुछ देरी का यह कारण रहा है कि अभी एस.ओ.जी. और विभिन्न एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, तो रिकार्ड कुछ उनके पास में भी है। रिकार्ड को जल्दी से लेकर इसकी जांच कर लेंगे और जांच के बाद मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से डिपोजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन के द्वारा इनका पच्चीस करोड़ सतहत्तर लाख सत्यानवे हजार रुपए बीमित है। 8296 खाताधारकों की जो राशि बीमित है और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमने वहां पर प्रशासक लगा भी दिया था, उनका पूरा

(श्री अजय सिंह)

कार्य पूर्ण होने पर, लेकिन उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन होने से हमें हमारे प्रशासक का आदेश वापस लेना पड़ा ।

हमने आरबीआई को भी धारा 62 (3) के तहत लिखा है कि जल्दी से हमें रजिस्ट्रार को अधिकृत करें कि इसमें हम प्रशासक लगाएं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हमारे विभाग का कोई अधिकारी, वहां पर प्रशासक जैसे ही लगाएंगे उसके बाद राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 99,100 के तहत हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। धारा 101 के तहत अवार्ड बिफोर अटेचमेंट का भी प्रावधान है, उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी दोषी अधिकारी हो उस बैंक के, चाहे कोई भी लोग हों, उनकी सम्पत्ति को भी अटैच करें और जनता की राशि है उसको दिलवाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने इतना विस्तृत जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष: बस, तो विराजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इस विस्तृत जवाब में यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा असमंजस का माहौल है, लोग रोजाना सुबह जाकर बैंक की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। उनको यह भरोसा नहीं हो रहा, इस बात पर भरोसा है कि सरकार ने तुरंत कार्यवाही की है, लेकिन अब वह यह आश्वासन चाहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इस बीमित बीमा कम्पनी के माध्यम से या उन संचालक मण्डल के फर्जी कार्य करने वाले लोगों से तुरंत भुगतान करा देंगे, सरकार इसको आश्वस्त कर दे।

दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है, जैसा आपने अभी कहा है कि हम इस प्रकार का नियमों में एम डी लगाने की, इस प्रकार के बैंक आते हैं, खोलते हैं, इस बैंक ने रिक्शों के माध्यम से,गाड़ियों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार किया कि हम पुरानी करेंसी को जमा कर रहे हैं। उस पुरानी करेंसी को जमा करके, उसके बदले में नई करेंसी प्राप्त करके उसका फ्रॉड करके भागे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के, केवल यही बैंक नहीं, इस प्रकार के जितने भी को-ऑपरेटिव नाम का यूज करने वाले बैंक हैं, क्योंकि को-ऑपरेटिव जहां उपयोग होता है वहां राज्य सरकार का नाम बदनाम होता है। अलवर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक इन्होंने नाम रखा। इसी प्रकार के नाम के जितने भी बैंक है या जो भी को-ऑपरेटिव सैक्टर में बैंक काम कर रहे हैं, आप तो यह बताइये कि क्या उन सब बैंको में राज्य सरकार की ओर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

से एम डी नियुक्त करके प्रशासक के रूप में काम उनके हाथ में देने का विचार रखते हैं क्या, ताकि भविष्य में इस प्रकार के फ्रॉड होने से राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई बचे।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना बिलकुल ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के अरबन को-ऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ पर वित्तीय अनियमितता की काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निश्चित रूप से जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई में हेरा-फेरी किए जाने की भी समस्याएं सामने आई है। अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। हमारे अभी जो नियम है उसके तहत आडिट भी वह बैंक स्वयं अपने पैनल से स्वयं चिह्नित करके कराता है लेकिन हमने इसको बदलाव किया है। अब हमने यह प्रावधान किया है कि रजिस्ट्रार अपने स्तर से भी इसका निरीक्षण कर सकता है, आडिट करा सकता है। हम इसको भी देख रहे हैं। जिस तरह से घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं कि क्यों न विभाग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी वहां पर नियुक्त किया जा सके, क्यों न तीन राजकीय प्रतिनिधि सरकार के ऐसे बैंकों में नियुक्त किए जा सकें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम विधि विभाग से इसका परीक्षण करवा लें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह के सरकारी अधिकारी की, को-ऑपरेटिव विभाग के अधिकारी की वहां पर नियुक्ति की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की वित्तीय अनियमितता की घटना नहीं हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह, पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि बैंक संचालक मण्डल की हम जांच कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज हुई है, एसओजी उसकी जांच कर रही है। एक तो यह रातों-रात जो संचालक मण्डल बदल गया, क्या इसकी जांच कर रहे हैं, कब तक इस जांच को पूरी करके, जिन्होंने यह गड़बड़ की है इसका और जो पुलिस ने राशि जब्त की है, आपने जवाब में उसको खोला नहीं, एफआईआर नम्बर तो बताया, जो प्रेस और अख़बार में छपा था कि 01 करोड़ 33 लाख रुपये पुलिस ने इन अपराधियों से जब्त किए थे, जबकि बैंक से ज्यादा राशि विथड्रा हुई है। बैंक से विथड्रा की गई राशि और पुलिस द्वारा जब्त की गई राशि में अंतर है क्या, है तो वह राशि किसके पास है, अपराधियों के पास है या किसी से सांठ गांठ करके उसको खुर्द-बुर्द किया गया है ? इसका माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी विस्तृत जांच चल रही है। एसओजी भी अभी जांच कर रहा है। विभाग की भी धारा 55 के तहत जांच चल रही है लेकिन एसओजी का जो रिकार्ड हमने न्यायालय से प्राप्त किया है, उसके अनुसार इस प्रकार लगभग 15 करोड़ राशि का गबनकारी कृत्य किया गया, जो प्रथम दृष्टया हमारे रिकार्ड से हमें प्राप्त हुआ।

माननीय सदस्य ने कहा कि रातों-रात बोर्ड चेंज कर लिया गया। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बिलकुल सही है कि इन्होंने सहवरण कर लिए सदस्य जो कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 की धारा 32 (3) व बैंक के पंजीकृत उप नियम संख्या 33 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज्यों ही उनका कार्यकाल पूरा हो गया था हमने हमारे विभाग की तरफ से वहां के भूमि विकास बैंक के सचिव को प्रशासक नियुक्त कर दिया लेकिन कोर्ट के यथा स्थिति आदेश के कारण से हमने महाधिवक्ता से पूछकर, उनकी राय लेकर वापिस हमारा प्रशासक लग गया था उसके आदेश को विथड्रा कर लिया। अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आरबीआई से। माननीय उच्च न्यायालय से भी कि जल्दी से जल्दी प्रशासक लगे और जो भी राशि खुर्द-बुर्द हुई है उसको किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है उसका प्रयास करेंगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, अंतर नहीं बताया। आप कह रहे हो 15 करोड़, और 1 करोड़ 33 लाख में बहुत अंतर है, तो उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, यह बताएं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, अभी पूरी जांच आ जाए, हमारी जांच भी इस महीने के अंत तक आएगी, धारा 55 में विस्तृत जांच हो जाएगी, अभी एसओजी भी जांच कर रहा है, अभी प्रक्रियाधीन है, अभी जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, रामलाल शर्मा। यह अलवर है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हां, मैं अलवर से ही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो संचालक मण्डल के सदस्य हैं, वर्तमान में उनके नाम से जो सम्पति है, जब तक आपकी जांच कम्प्लीट होगी, जांच कम्प्लीट होने से पहले वह अपनी सम्पत्ति को बेचकर चले जाएंगे फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जो इसके सदस्य हैं, जिनका पैसा जमा है उनको फिर कहां से आप पैसे लौटाओगे। क्या जांच चले उस दौरान जो संचालक मण्डल के सदस्य थे, उनकी चल-अचल सम्पत्ति है, चाहे बैंक खातों के अंदर हो, चाहे अचल सम्पत्ति हो, उनको भी सीज करने का विचार रखते हैं?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी,मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा ज्यों ही हमारा प्रशासक लग जाएगा, अवार्ड बिफोर अटैचमेंट का

(श्री अजय सिंह)

प्रावधान भी है। प्रशासक लगने के बाद पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस तरह से जो भी प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाएंगे उनकी सम्पत्ति को अटैच किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न, श्री मंगलराम।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मेरा नाम है न ?

श्री अध्यक्ष: नो, नो, मंगलराम जी।

अगला पूरक प्रश्न, तीसरा पूरक प्रश्न, श्री फूलचंद भिण्ड़ा।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): अलवर को-ऑपरेटिव बैंक....

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर को-ऑपरेटिव बैंक में...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के एक्ट के माध्यम से कोई न कोई स्वीकृति के आधार पर जो संस्थाएं बनती हैं चाहे वित्तीय संस्थाएं बनें या अन्य संस्थाएं बनें, उनके कठोर नियंत्रण के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं को-ऑपरेटिव के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर बन गई हैं, जो फ्रॉड ही फ्रॉड करती हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका सुझाव आ गया । सुझाव आ गया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इस कारण से उनके खिलाफ कार्यवाही करने का क्या इरादा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष: सुझाव आ गया, जनरल है। अगला सवाल, श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप अलवर की बात ही नहीं सुन रहे हो। अलवर की बात तो सुनो।

श्री अध्यक्ष: उनकी सुन रहा हूं मैं, मंत्री जी की। मंत्री जी की सुन रहा हूं।

चम्बल दायीं मुख्य नहर की माइनरों के सीपेज रोकने की योजना

168. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल दायीं मुख्य नहर से निकलने वाले माइनरों से पानी सीपेज हो रहा है ? यदि हां, तो कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त पानी को लिफ्ट कर पुन: टेल क्षेत्र में पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (डा. रामप्रताप): (1) जी हां। यह सही है कि चम्बल की दायीं मुख्य नहर से निकलने वाली माइनरों के कच्ची होने एवं फ्लड इर्रिगेशन के कारण सीपेज हो रहा है। नहरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण के कार्य करवाने के पश्चात् नहरवार सीपेज मात्रा का आकलन कराया जाना संभव हो सकेगा ।

(2) सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की नहरों के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण कार्य प्रगतिरत है। नहरों से सीपेज की मात्रा का आकलन करवाया जाकर व्यर्थ बह रहे पानी को पुन: उपयोग में लेने हेतु लिफ्ट योजनाओं की सम्भावनाओं पर गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जा सकना संभव होगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है चम्बल की दायीं मुख्य नहर से निकलने वाली माइनरों के कच्ची होने एवं फ्लड इर्रिगेशन के कारण सीपेज हो रहा है। एक तरफ तो राज्य की माननीय मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन का एक महत्वाकांक्षी अभियान चला रही है और दूसरी तरफ गांधी सागर से निकलने वाली कोटा बैराज की आरएमसी, एलएमसी है, विभागीय अनुमान के अनुसार 35 प्रतिशत पानी सीपेज में जा रहा है। यह अपने आप में इतना पानी कि राज्य की सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से कम नहीं है। अगर इसका सदुपयोग हो जाए तो कोटा और बूंदी जिले का एक प्रतिशत हिस्सा भी असिंचित नहीं बचेगा। इसके सीपेज के कारण कोटा में टेल क्षेत्र का व्यक्ति रोज आंदोलन करता है। मंत्री महोदय, मैं दो सवाल आपसे जानना चाहता हूं, इस अनुमान के बाद आप लोगों ने प्रयास किए, नहरों को पक्की करने का 1274 करोड़ पैसा मंजूर हो गया, 400 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद वह काम इतना घटिया क्वालिटी का हुआ कि एक प्रतिशत सीपेज जहां काम हुआ वहां भी नहीं रुक पाया है, पहले तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह काम लटके हुए एक साल हो गया, दुबारा री टेंडरिंग के बारे में क्या कर रहे हैं। और पानी जो बह कर जा रहा है उसको लिफ्ट सिंचाई योजना से, जब तक नहरों का पक्का काम न हो, छोटी-छोटी लिफ्ट से वापस माइनर्स में डाल कर उसके उपयोग के बारे में आपकी क्या योजना है, मुझे इसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही फरमाया है कि अभी लॉसेज बहुत हैं। 1960 में जब चम्बल से सिंचाई शुरू हुई तो उसके बाद में 1967 में वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञों ने इसकी स्टडी करके सी.ए.डी. से 1974 में काम शुरू करवाया। सी.ए.डी. में उन्होंने अराउण्ड द् कैनाल्स और माइनर्स, इनके साथ-साथ सीपेज के ड्रेन्स बनाये।

(डा. रामप्रताप)

साथ में जो काश्तकार सिंचाई करते थे, उनके पानी को भी ड्रेन आउट करने का प्रावधान किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना करने के बाद में इन सारे सीपेज का जो लॉस था, उसका जो आउटफाल रखा, वह नालों में ही रख दिया। वे नाले नदी के अन्दर जाकर मिलते हैं। मेरे ख्याल से, उस वक्त में ही यह कमी रखी गई, अन्यथा, यह पानी बिलकुल सही है, क्वालिटी वाइज भी सही है। इसका दुबारा उपयोग हो सकता है। इसके लिये कई एलीमेंट्स हैं, जो पानी टेल को नहीं जाता उसके लिये सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो रेगुलेशन ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास 50 बीघा जमीन है तो आप अपनी 50 बीघा जमीन लगा करके मेरे को देंगे, तो मैं 50 बीघा पानी लगाऊंगा तो मैं रात के टाइम में क्यों परेशान होऊं। रात को मैं पानी छोड़ देता हूं। सारा का सारा वह पानी नदी-नालों में जाता है। सीपेज व इर्रिगेशन का कम्पोनेंट जो रात के टाइम में बचता है, वह सारा मिला करके आपने 35 प्रतिशत कहा है, मैं तो यह मानता हूं कि शायद 35 प्रतिशत से ज्यादा ही वेस्ट जा रहा होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब हैड का किसान पहले लगाएगा, फिर आगे-आगे चलकर उनकी बारी आएगी, अब वह, हमारे गांव में कहावत है कि कोढ़ में खाज का काम और हो गया। इस बार हैड के किसानों ने लहसुन की बुआई और कर दी। तो जो तीन पिलाई हम देते हैं गेहूं के लिये, वह आठ मांग रहा है। माननीय सदस्य सही फरमा रहे हैं कि टेल के किसान को तीसरा पानी अभी तक नहीं मिला है। इन तमाम कारणों के लिये हमारे पास में एक ही एवेन्यु बचता है कि जो हमारा पानी बह करके नदी में जा रहा है, इसको लिफ्ट करके वापस माइनर्स में या कैनाल्स में डाल करके इसको यूज करें, टेल एण्ड के पार्ट को सेव करने के लिये। यह आपने सही फरमाया। लेकिन इसमें जो एलीमेंट सबसे बड़ा है, वह यह है कि इसमें वित्तीय संसाधन की उपलब्धता को देखा जायेगा और इसको प्रायोरिटी पर रखा जायेगा। क्योंकि आपने जैसा कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का कहना है, नहीं, यह तो पूरे राजस्थान का मसला है, मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन अभियान, उसको भी यह स्ट्रेंथन करता है।

बाकी आपने टेण्डर के लिये कहा है। मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि अभी क्लोजर पीरियड में काम होंगे। क्लोजर पीरियड के अन्दर अपने को थोड़ा सा टाइम मिलता है। मैंने चीफ इंजीनियर कोटा को निर्देशित किया है कि वह सारे अपने कागजात ले करके मेरे सामने यहां बैठ कर सात दिन में टेंडरिंग की प्रोसेस को पूरा करें जिससे कि हम इसको एक्सपीडाइट करके जल्दी से जल्दी करवा सकें।

बाकी का, क्वालिटीवाइज जो आपने फरमाया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी

(डा. रामप्रताप)

खुद वहां गया था। क्वालिटी भी पूअर थी और कुछ उसमें गड़बड़ यह थी कि सॉइल स्ट्रक्चर है, ब्लैक कॉटन साइल होने की वजह से वह फूलती है, फूलती है तो लाइनिंग जल्दी डैमेज हो जाती है। उसके लिये हमने सी.एन.एस. का प्रावधान किया है, जिससे कि वह डैमेज नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट, साहब।

श्री अध्यक्ष: प्रताप सिंहजी बैठिये। पूरक प्रश्न नम्बर दो। ...(व्यवधान)... नहीं, उनको पूरक प्रश्न करने दो। उनका अधिकार है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, आपने सारे विषय पर जो बताया, मैं संतुष्ट हूं। पर इसके कारण शहर की कॉलोनियों में भी पानी भर जाता है। कई बार आपसे व्यक्तिगत भी यह बात हुई है। उसकी रोकथाम के लिये क्या प्रयास करेंगे?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): देखिये, जब कैनाल्स डैमेज्ड हैं, सीपेज लो से ज्यादा है तो उसको अपन जब कण्ट्रोल करेंगे तो वह भी सुधरेगा उसके साथ।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री प्रतापसिंहजी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वाटर लॉगिंग की वजह से, यह दायीं और बायीं मुख्य नहर से वाटर लॉगिंग हो रही है, उससे किसानों की कितनी जमीन खराब हो गई है, यह बताने का कष्ट करें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): वाटर लॉगिंग की जमीन है वह 1967 में ही खराब हो गई थी। उसका ट्रीटमेंट करने के लिये वर्ल्ड बैंक की टीम, विशेषज्ञों की टीम आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्टडी करके ही तो यह ड्रेन्स बनाये थे, तो वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान करने के लिये बनाये थे, लेकिन उनका जो आउटफाल रखा, वह पानी वेस्ट जा रहा है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा सवाल है कि किसानों की कितने एकड़ जमीन, बीघा जमीन वाटर लॉगिंग की वजह से खराब हो चुकी है। कृपया वह आंकड़ा बताने का कष्ट करें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं कि वाटर लॉगिंग की वजह से जो जमीन खराब हुई थी, उसी के लिये ड्रेन्स बने थे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): कितनी एकड़ जमीन खराब हुई ?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह तो वेग है। उस टाइम की बात है जब ड्रेन्स नहीं बने थे तो उस वजह से वाटर लॉगिंग हुआ था। अब ड्रेन्स बनाये हैं और ड्रेन्स बनने के बाद में अब जब हम इसका सुधार कर रहे हैं तो कहीं पर अगर ड्रेन्स टूटे हुए हैं या किसानों ने भी तोड़ दिये हैं तो वह इंडिविजुअल मेरे पास फीगर नहीं है। मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चम्बल की दायीं और बायीं नहरों में जो 1274 नहरों के साथ-साथ में पैसे स्वीकृत हुए थे, उसमें 10 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया है। आप स्वयं कोटा आये थे। आपने वहां के भ्रष्ट अधिकारियों को भी वहां से हटा दिया था। निश्चित रूप से आज वहां पर कई अधिकारियों के, कई कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। उनकी मॉनीटरिंग के अभाव में टेल के किसानों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। किसानों की फसल सूख रही है। निश्चित रूप से इसमें कार्य करने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको वहां पद-स्थापित किया जाये। चम्बल का रकबा बहुत अधिक होने के कारण नहरों में सिंचाई के लिये और पानी भी नहीं मिल पाता, किसान को परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। कृपया मंत्रीजी बताएं, इसको कैसे दूर करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहरों में पानी की कमी नहीं है। जैसा, माननीय सदस्य ने बताया कि 35 प्रतिशत तो लॉसेज में दे रहे हैं। अगर उसकी भी हम सेविंग करेंगे तो पानी तो बहुत है। मुख्य मुद्दा यह है कि जो पानी बह करके नदी में जा रहा है, उसको हम किस तरीके से यूज करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उसका कारण यह है कि क्षमता से कम पानी छोड़ रहे हैं। वह रीटेंडरिंग करवा कर उनको जब तक पक्का नहीं कराएंगे, यह सीपेज तो बढ़ता ही जाएगा और मूल क्षमता में भी नहरें नहीं चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, बैठिये। जवाब आ रहा था, बीच में नहीं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं कि कैनाल के कच्चे होने की वजह से कैनाल के पानी की वेलोसिटी मेन्टेन नहीं होती। जब वह स्लो होगी तो नेचुरली उसमें वीड्स भी पैदा होंगे, उसका जो सेक्शन है, वह भी बड़ा होगा, बड़ा होने से और ज्यादा स्लो होगा। तो यह तमाम बातें क्लब हो करके हैं। अगर इससे भी ज्यादा अगर आप पूछना चाहो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा तंत्र जर्जर हालत में है। अभी मैंने पांच साल का रिकार्ड मांगा है कि

(डा. रामप्रताप)

रेगुलेशन के लिये जो टेण्डर्स किये गये थे, या इसकी सिल्ट सफाई के टेण्डर्स किये गये थे, मेरे चीफ इंजीनियर को मैंने आज ही कहा है कि मुझे ला करके दिखाएं। क्योंकि मेरे को सूचना यह मिली है कि टेण्डर ही 50-50, 60-60 प्रतिशत बिलो जा रहे हैं। जो आदमी 60 या 70 प्रतिशत बिलो देगा वह मेरे को क्या काम करके देगा। तो यह सारा नेचुरली टोन-अप करने का है और माननीय सदस्यों की चिंताएं हैं, वह वाजिब हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, संदीप शर्मा, अपना प्रश्न पूरा कीजिये। ...(व्यवधान)... नहीं बाद में, हीरालालजी नागर, इसके बाद आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): रिक्त पदों की भर्ती के लिये मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था, कब तक भर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): पदों के लिये पदोन्नति से भरने का पूछा है आपने?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): खाली पड़े हैं साहब, जे.ईएन., ए.ईएन.।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): खाली तो राजस्थान में बहुत पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 1988 के बाद में हमने जे.ईएंस. को ही नहीं लिया, J.En. is the backbone of the Department, not only in this P.H.E.D., P.W.D. अब आप 1988 के बाद में एक ही आदमी भर्ती नहीं करो तो सिस्टम तो अपने आप में कोलेप्स होगा ही।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपने ए.पी.ओ. कर दिया उस आदमी को।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अब ए.पी.ओ. तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जो काम नहीं करेगा, वह तो वहां बैठा है या यहां बैठा है, उसमें फर्क क्या है। उसकी पूर्ति करने के लिये मेरे पास में अधिकारियों की कमी है। जोड़-तोड़ करके काम चल रहा है। अभी डी.पी.सी. होगी, उसमें जो आएंगे, उनको लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पुनर्निर्माण के संवेदक को कार्य करने हेतु कितनी राशि के निर्माण कार्यों के कार्यादेश दिये गये थे तथा कितना प्रतिशत कार्य समय पर पूर्ण हुआ? यदि कार्य में देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं तथा संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या जो पुनर्निर्माण के किये गये कार्य हैं, वह गुणवत्ता से नहीं किये गये? यदि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का

(श्री हीरालाल नागर)

उपयोग करके घटिया निर्माण किया गया है तो विभाग ने क्या कार्यवाही की? विवरण से सदन को अवगत कराएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए अब जवाब आ जाएगा।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): एक छोटा-सा और है। क्या मंत्री महोदय, डी.पी.आर. जो बनी थी, इसकी मूल योजना की, डी.पी.आर. बनाने वाली कंसल्टेंट फर्म के द्वारा जो नहरी तंत्र की काली मिट्टी है, ब्लेक कॉटन सॉइल, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, क्या सी.सी. लाइनिंग कार्य में दरारें आने से जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्या डी.पी.आर. बनाने वाली फर्म ने काली मिट्टी का परीक्षण करके तदनुसार ही सी.एन.एस. का उपयोग करने हेतु क्या सुझाव दिया था? तो फिर संवेदक के द्वारा वह सुझाव पर क्यों नहीं अमल किया गया और उसमें जो दरारें आने से निर्माण कार्य के महीने-डेढ़ महीने बाद ही दरारें आकर वह गिर चुका है तो ऐसी स्थिति में डी.पी.आर. बनाने वाली फर्म ने भी क्या डी.पी.आर. गलत तरीके से बनाई? क्या उसके विरुद्ध भी जांच करवाकर कार्यवाही करने का मंत्री महोदय विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बहुत हो गया। जल्दी कीजिए, बहुत हो गया।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): छोटा-सा है। मंत्री महोदय, चम्बल के सिंचित क्षेत्र में कोटा के आस-पास लगभग चार हजार हैक्टेयर क्षेत्र जो हमारा नगरीय क्षेत्र है और उससे डी-कमांड हो चुका है, वहां पर कॉलोनियां बस चुकी हैं। उन कॉलोनियों के बसने से जो हमारा डी-कमांड क्षेत्र है, उसके विरुद्ध जो हमारी पुरानी लिफ्ट योजनाएं थीं, जो हमारी मूल परियोजना में है, क्या उस डी-कमांड की जगह नया सिंचित क्षेत्र, नहरी तंत्र जोड़ने के लिए लिफ्ट बनाकर और वह चार हजार हैक्टेयर क्षेत्र की जगह नया क्षेत्र जोड़ने का विचार माननीय मंत्री महोदय रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर कॉलोनियां बस गईं और डी-कमांड हो गया, वह हमारी सेविंग है। निश्चित तौर पर बचा हुआ एरिया है, उसको कमांड करेंगे। जहां तक ठेकेदार का सवाल है तो मेरे ख्याल से काफी कुछ तो मैंने तुड़वा दिया था और अगर कोई फिर भी बाकी बचा है तो माननीय सदस्य मुझे बता दें और डी.पी.आर. को मैं पूरी स्टडी करके अगर उसने फॉलो नहीं किया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। अगला प्रश्न- श्री रमेश। जवाब आ गया, जवाब आ गया, माननीय सदस्य। जांच करवाएंगे, यह बहुत विस्तृत जवाब है, विराजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): प्रश्न संख्या-169.

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): बोल दिया न, साहब, प्रश्न संख्या-169

श्री अध्यक्ष: अच्छा, मैंने सुना नहीं था इसलिए।

प्रदेश में निरस्त खानों की पुन: बहाली की कार्यवाही

169. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खान घोटाले के बाद निरस्त की गई खानों में से कुछ खानों को सरकार द्वारा बहाल करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय खान विभाग में सही रूप से पैरवी नहीं करने के कारण खान आबंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय खान विभाग में रखे गये पक्ष का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय खान विभाग के निर्णय का विधिक परीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो कब एवं इसके क्या निष्कर्ष रहे व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त में से एक कम्पनी की खान को ई नीलामी में नीलाम किया जा चुका है ? यदि हां, तो प्रकरण के विचाराधीन होने पर भी ई नीलामी में खान नीलाम करने का निर्णय किस स्तर पर एवं क्यों लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) जी नहीं। शासन पत्र दिनांक 17.10.2015 के क्रम में दिनांक 01.11.2014 से 12.1.2015 तक की अवधि में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु जारी मंशा पत्र व पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृतियां जो निरस्त की गई हैं, में से किसी भी मंशा पत्र/स्वीकृति को पुन: बहाल नहीं किया गया है ।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा रिवीजनरी अथॉरिटी, भारत सरकार के समक्ष सभी रिवीजन का परिपूर्ण व सुसंगत जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं राज्य सरकार की ओर से खान विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया है ।

(3) जी हां। रिवीजनरी अथॉरिटी, भारत सरकार के निर्णय का विधिक परीक्षण एटॉर्नी जनरल ऑफ इण्डिया से दिनांक 7.1.2017 को एवं महाधिवक्ता, राजस्थान से दिनांक 9.1.2017 को कराया गया। राज्य सरकार द्वारा मंशा पत्र बहाल नहीं करने का निर्णय लिया गया।

(राज्य मंत्री, खान)

(4) जी नहीं। किसी भी कम्पनी के पक्ष में जारी मंशा पत्र के क्षेत्र को नीलाम नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जो मंत्री ने जवाब दिया है, वह अधूरा है। आपके केन्द्रीय खान मंत्रालय में क्या पक्ष रखा गया, इसकी जानकारी आपने नहीं दी क्योंकि इस सदन को, सदन इस जानकारी से अनभिज्ञ रहेगा और किन तथ्यों को प्रस्तुत करने पर केन्दीय खान मंत्रालय ने खान आबंटन बहाल करने का निर्णय दिया था ? आपका उत्तर अपूर्ण है इसके अभाव में प्रश्न पूछने का सार जो है समाप्त हो जाता है। फिर भी मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि आप पूरक प्रश्न करें।

केन्द्रीय खान विभाग ने किस आधार पर खान आबंटन बहाल किया एवं क्या यह सही है कि खनिज निदेशालय द्वारा खान बहाली का प्रस्ताव विधिक परीक्षण करने से पहले ही सरकार को भेज दिया गया था ? यह मेरा पहला सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30.10.2014 को केन्द्र द्वारा गाइडलाइन आई जिसमें पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया। 16.11.2014 एम.डी.आर. एक्ट का ड्राफ्ट आया, जिसमें ई-ऑक्शन से सुझाव मांगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 12.01.2015 को नया एम.डी.आर. एक्ट लागू हो गया जिसमें मेजर मिनरल्स की खान का आबंटन नीलामी से होगा, ऐसे आदेश केन्द्र द्वारा दिये गये। इस समय के बीच में 740 आबंटन किये गये। इसी बीच में शिकायतें भी आईं और ए.सी.बी. की कार्यवाही हुई। इस कार्यवाही के अंदर जब सरकार को यह लगा कि इस ढाई महीने में जो आबंटन हुए हैं, इसमें गड़बड़ हो सकती है तो सरकार ने 5 अक्टूबर को एक आठ मैम्बर की हाई पावर कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन एम.डी.आर. एम.एस. के एम.डी. थे, जिसके अंदर चार ए.डी.एम. थे और यह कमेटी ने सरकार को 16 अक्टूबर को रिपोर्ट दी जिसमें आबंटन में गड़बड़ियों की रिपोर्ट आई। सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए इस अवधि में 740, जितने भी आबंटन हुए थे, उनको रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद यह गवर्नर साहब के माध्यम से, इस सारे प्रकरण को लोकायुक्त के पास भेज दिया और लोकायुक्त जो है, अब इसकी जांच कर रहा है। एक भी, 740 में से खान जो है, कोई भी हमने आबंटन बहाल नहीं किया।

जहां तक यह कहना है कि कार्यवाही नहीं हुई, ...(व्यवधान).... एक मिनट सुन

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

लीजिए। जहां तक यह है कि कार्यवाही नहीं हुई तो हर तारीख पर हमारे अधिकारी जो हैं, वह हर तारीख पर जाते रहे हैं। वंडर सीमेंट की 3 तारीखें पड़ीं। 29.12.2015 को, 7.6.2016 को, 18.6.2016, हमारा अतिरिक्त निदेशक, खान जो इसके अंदर एपियर हुआ। इमामी सीमेंट की पांच तारीखें पड़ीं। लाफार्ज की 29.03.2016, 28.06.2016, 30.8.2016, 20.09.2016, 23.12.2016, हर तारीख पर हमारा जो प्रभारी अधिकारी था, उसने जाकर सरकार का पक्ष रखा लेकिन क्योंकि यह अपील थी और अपील में न्यायालय में केन्द्र सरकार ने यह आदेश दे दिया कि राज्य सरकार इसको पुनर्विचार करे और हमारे जो आबंटन थे, इनके रद्द कर दिये लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक भी उस आबंटन को, जो हमारे रद्द किये थे, उसको बहाल नहीं किया है। पूर्ण रूप से हमने उसकी पैरवी की है और हमारा यह अब भी इरादा है कि जो 740 हमने कैंसिल किये हैं, वैसे तो यह हमारी जो डेट थी वह 11.01.2017, उसके बाद स्वयं ही यह निरस्त हो गये। हम एक भी खान इसमें या कोई ब्लाक बहाल नहीं करेंगे और आगे हम ई-ऑक्शन से करेंगे, पूर्ण पारदर्शिता से करेंगे और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो हम सरकार को लाकर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): यह प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। मैंने पूछा कि केन्द्रीय खान विभाग ने किस आधार पर खान आबंटन बहाल किया ? दूसरा मेरा यह था कि खनिज निदेशालय द्वारा खान बहाली का जो प्रस्ताव था, विधिक परीक्षण करने से पहले ही सरकार को भेज दिया गया तो क्या कोई इन्होंने जो पक्ष रखा, इसके बारे में इस उत्तर में जानकारी नहीं है तो मंत्री पहले तो यह बतायें कि अपना राज्य सरकार ने क्या पक्ष रखा ?

दूसरा, विधिक परीक्षण से पहले ही राज्य सरकार ने क्यों भेजा? यह दो क्वेश्चन का पहले जवाब दो। अभी जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके प्रश्न में भी कहा है कि हमने एटॉर्नी जनरल से, ए.जी. से और लोकायुक्त से, सबसे विधिक परीक्षण भी करवाया है और राय भी ली है लेकिन राय जो भी आई, हमने यह निर्णय कर लिया कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। हमने किसी को भी बहाल नहीं किया। यह केन्द्र सरकार का, वह न्यायालय है। वह एक कोर्ट है। ....(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): ऐसा पूछ रहा हूं कि आपने क्या पक्ष रखा राज्य सरकार की

(श्री रमेश)

तरफ से, उसका जवाब दो कि क्या पक्ष रखा ? इस उत्तर में आपने जवाब नहीं दिया है। विधिक क्या पक्ष रखा है, पहले यह बतायें और विधिक परीक्षण का बताएं आप। दोनों चीजें पूछ रहा हूं। ....(व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): कोर्ट के अंदर हमने अपना पक्ष रखा है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब तो आने दीजिए, वह जवाब दे रहे हैं। बीच में इंटरवीन मत कीजिए। ....(व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हमने अपना पक्ष रखा है और केन्द्र सरकार के न्यायालय ने जो भी हमारा आबंटन था, उसको बहाल करते हुए पुनर्विचार के लिये भेजा है। यह तो केन्द्र सरकार का फैसला है। हमने तो अपना पक्ष रखा है। किन-किन तरीकों पर रखा है, वह भी हमने बता दिया।

श्री रमेश (सपोटरा): आपका पक्ष बताएं कि क्या पक्ष रखा है आपने, यह पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। आप बताएं तो सही।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। ..(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): आपने अपने उत्तर में नहीं बताया कि राज्य सरकार ने क्या पक्ष रखा है। यह पक्ष तो बताओ आप मुझे पहले कि आपने क्या पक्ष रखा है। ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात को पूछना चाहते हैं, वह सारा प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में सरकार ने क्या दिया, उसका जवाब क्या दें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हाई कोर्ट में और ए.सी.बी. में है, किसी बात का जवाब दोगे कि नहीं। किसी बात का जवाब देगी कि नहीं सरकार। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): खानों का आबंटन हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने घोटाले कर लिये। सबको कह रहे हैं मामला कोर्ट में है। किसी को कह रहे हैं लोकायुक्त में है, किसी को कह रहे हैं ए.सी.बी. में है। कुछ तो जवाब देओ। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसको दबाना चाहते हो आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह पूछना चाहते हैं (व्यवधान)...

(श्री मदन राठौड़)

यह कैसे बता सकते हैं कि क्या पक्ष रखा। क्या पक्ष रखा, यह आप पूछ रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): हाई कोर्ट के हवाले से आप सरकार को बचा रहे हो। इतना बड़ा घोटाला हो गया उसको आप बचाना चाह रहे हो। मंत्रीजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ..(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: इनके लिखने की आवश्यकता नहीं। अंकित नहीं हो। अगला पूरक प्रश्न, श्री शुभकरण चौधरी। अगला पूरक प्रश्न। ...(व्यवधान)... आपके हिसाब से नहीं आयेगा जवाब। नोट करने की जरूरत नहीं है। बिलकुल नोट करने की जरूरत नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। क्या मजाक है। तीन-तीन बार डिस्टर्ब कर रहे हो मंत्री महोदय को। जवाब आ रहा है न। आपके हिसाब से जवाब नहीं आयेगा। जवाब वह देंगे जो सुनना पड़ेगा और उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। श्री शुभकरण चौधरी, पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): एक मिनट मैं बताता हूं, बैठो आप। यह जो गरीबों की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब देने की जरूरत नहीं, शुभकरण चौधरी जो सवाल करेंगे, उसी का जवाब दीजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नोट करने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं किया जाए। अंकित नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, आप बैठ जाइये। नहीं आयेगा जब। जब तक मेरी बिना इजाजत के बोलोगे, नहीं आएगा। एक भी शब्द किसी का अंकित नहीं होगा, यह सुन लो। मेरी इजाजत के कुछ नहीं बोल सकते। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप हल्ला

(श्री अध्यक्ष)

करिये। इनको हल्ला करने दो। डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह अपने आपको बड़ा होशियार समझते हैं। हावी हो रहे हैं। करने दो इनको हल्ला। अंकित नहीं होगा। ....(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। नो, नो, नो अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कह दिया, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं इसलिये। मेरा आदेश है इसलिये अंकित नहीं होगा। बैठ जाइये। ....(व्यवधान)... एक शब्द भी अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। गलत उत्तर को तो ठीक करने के तरीके हैं। इस तरह आप नहीं कर सकते। बैठ जाइये।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में प्रवेश एवं भारी शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। ...(भारी व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, 2011 में आपकी सरकार के समय अशोक सिंघवी और हिन्दुस्तान जिंक के दो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आयी। उस समय के मुख्य मंत्री ने इस मामले को दबाया और इस कारण से उनको संरक्षण दिया। यह भ्रष्टाचार की जड़ है और इनके समय से ही भ्रष्टाचार खान

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

विभाग में शुरू हुआ। अगर 2011 में जो रिपोर्ट आयी थी उसको उस समय मुख्य मंत्री नहीं दबाते तो यह खान के अंदर घोटाला होता ही नहीं। यह कांग्रेस सरकार इसकी जननी है। 2011 के अंदर जो रिपोर्ट हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की आयी थी जिसके अंदर 3.87 मिलियन टन रॉक फास्फेट को जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया था, माननीय गहलोत जी ने उसको दबाया था। गहलोत जी के समय में इन अधिकारियों को बचाया, क्योंकि उसमें पंकज गहलोत था, उसमें सिंघवी था। उनको आपने शैल्टर दिया और उस समय से ही यह भ्रष्टाचार शुरू हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): वर्ष 2011 में 3.87 मिलियन टन रॉक फास्फेट का घोटाला आपके समय में हुआ और वहां से ही भ्रष्टाचार शुरू हुआ।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000 (भारी व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गहलोत जी के समय 3.87 मिलियन टन रॉक फास्फेट के अवैध निर्गम के लिये मुकद्मा करने के आदेश दिये। उस समय के मुख्य मंत्री ने इस बात को दबाया और यहां से ही भ्रष्टाचार शुरू हुआ। ...(व्यवधान) .... यह अपने पाप छिपाने के लिये हो-हल्ला कर रहे हैं। 2011 यह आपके पापों को बता रहा है कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2011 का जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो आपने दबाया, उसके कारण से 2011 में 3.87 मिलियन टन रॉक फास्फेट का जो अवैध निर्गम हुआ, जिसको आपके मुख्य मंत्री ने दबाया, जिसके कारण आज आप हो-हल्ला कर रहे हो। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्षजी, 2011 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 3.87 मिलियन टन रॉक फास्फेट का जो घोटाला हुआ, वह उस समय के मुख्य मंत्री ने दबाया। वही से यह भ्रष्टाचार शुरू हुआ। हमें जब यह पता लगा तो सारी 740 माइंस रद्द की हैं। हम एक भी बहाल नहीं करेंगे। हम आगे जो भी आबंटन होगा, वह ई-नीलामी से करेंगे और गहलोत जी की तरह हम शैल्टर नहीं देंगे। हम किसी भी कीमत पर कोई भी ओपन नीलामी नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(12:00 बजे)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू विद्युत कनेक्शन योजना अत्यधिक महंगी एवं अव्यावहारिक होने से किसानों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से जस्टिस फॉर छाबड़ा द्वारा शराब बंदी के लिए किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर का विद्युत वितरण एवं वसूली कार्य निजी कम्पनी को देने से आम नागरिकों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में।
4. श्री रमेश, सदस्य की ओर से डेयरी विभाग में निरन्तर चल रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री भजन लाल जाटव, सदस्य की ओर से भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखने के सम्बन्ध में।
6. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय झुंझुनूं को राजधानी से तथा अन्य शहरों से जोड़ने वाली सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में।
8. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित अवैध विद्युत कनेक्शनों से राज्य सरकार को हो रही हानि को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री भजन लाल जाटव, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्रीमती शकुन्तला रावत एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में पेयजल व्यवस्था सुधार हेतु फिल्टर प्लांट, इन्टेक वैल लगवाने एवं पाइप लाइनों का कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में।
2. श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में पेयजल की समस्या को दूर कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, मिसिंग लिंक व एप्रोच सड़कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।
4. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक कस्बे को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल आसावरा माताजी में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से जिला गंगानगर में जगह-जगह से क्षतिग्रस्त गंग नहर की मरम्मत करवा कर किसानों को राहत दिलाने के सम्बन्ध में।
7. श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता शहर के राजकीय चिकित्सालय में 40 बैड से 100 बैड कराये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की पीपलू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को चारा परिवहन अनुदान का भुगतान करने के सम्बन्ध में।
9. श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की छापी मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य बाँध एवं नहरी तंत्र की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।
11. श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के राजेश पायलट पी.जी. कॉलेज विज्ञान व हिन्दी विषयों का सरकारीकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

12. श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित अलनिया बाँध व नहरों का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 50 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1.	श्रीमती अंजू देवी धानका	ऊर्जा विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से विद्युत उपकरणों की कथित रूप से चोरी होने के सम्बन्ध में।
2.	श्री विजय बंसल	भरतपुर स्थित सी.एफ.सी.डी (cily flood control drain) से अतिक्रमण हटा कर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री पब्बाराम	तहसील बाप, जिला जोधपुर में कब्जा काश्त कर रहे किसानों को भूमि आबंटन/नियमन करने के सम्बन्ध में।
4.	श्री शंकर सिंह	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों तथा शिक्षकों को डी.पी.सी. में वरिष्ठता का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

श्री भजन लाल जाटव।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। यह बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप भी बैठिये। अंकित नहीं हो। मैंने भजन लाल जी को पुकारा है। कुछ लोग पहली बार बोलते हैं, आज भजन लाल जी कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के हैं, पहली बार बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... बैठ जाइये।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। आप क्या कहना चाहते हो?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष: क्या पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है ? क्या इन्फोर्मेशन है ?

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। श्री रमेश का एक भी शब्द अंकित नहीं हो। हां, आप बोलो। श्री रमेश का एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

हां बोलिये, आप बोलिये। केवल आपका अंकित हो। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हां बोलिये, बोलिये।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का सबसे कम समय लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए आपको इजाजत दे रहा हूं।

सूचना

दलित बालिका की हत्या

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): इजाजत दी है आपने, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी विराजमान हैं। तीन दिन पहले एक तीन साल की दलित लड़की, बच्ची है, उसका रेप हुआ और मर्डर हुआ। धन्यवाद भी देता हूं एक तरफ क्योंकि वो आज अरेस्ट भी हो गया, उसका खास रिश्तेदार निकला।

लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन इतनी डेटिरियोरेट हो गयी है और खास तौर से यह दलित उत्पीड़न और रेप केसेज, यह राजस्थान पूरे भारत में तीसरे नम्बर पर आता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपने इन्फोर्मेशन दे दी, बहस नहीं। इन्फोर्मेशन तो जितनी आपने दी, उतनी है लेकिन यह बहस का मुद्दा नहीं है। श्री भजन लाल। नहीं, बहस का मुद्दा नहीं है। श्री भजन लाल। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): असली बात तो, साहब, मेरी बात तो सुन लें। मैं यह नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात, मेरी पूरी बात तो हो जाने दें।

श्री अध्यक्ष: लॉ एण्ड ऑर्डर का डिस्कशन करने लग गये आप। यह कैसे अलाऊ किया जा सकता है? ...(व्यवधान)...

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इसका प्रिवेन्शन क्या है ? इसके प्रिवेन्शन के लिए क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल जाटव (वैर): मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। तीन साल की मासूम दलित बच्ची के साथ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): यू.पी. नम्बर एक पर है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया वो निश्चित रूप से छोटी बच्चियों के साथ जो रेप के केसेज हुए वो शर्मनाक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पर मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं कि राजस्थान का एक भी केस ऐसा बता दो जिसमें हमने अभियुक्त को पकड़ कर के बार में नहीं डाला। जो काम पुलिस का है वो पुलिस ने बहुत मुस्तैदी के साथ किया है। घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन घटना करने वाला एक भी अभियुक्त, अब तक जितनी घटनाएं हुईं, वो बाहर हों तो बता दें। जो पुलिस को काम करना है ...

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): इसमें मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपकी तारीफ कर रहा हूं और आपके विभाग की तारीफ कर रहा हूं, पुलिस की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं इसका प्रिवेन्शन क्या हो रहा है ? प्रिवेन्शन के क्या मेजर्स हैं ? यह जो We are listed on number 3 in the country. U.P. is number 1 in the country. उनकी तीन गुना ज्यादा आबादी है हम से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि आप और हम, सब मिल कर के, ऐसा है कि जब इसकी बहस होगी न तब मैं आपको बता दूंगा कि क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान आपके समय कहां था और आज कहां है। मैं उस दिन स्पष्ट कर दूंगा।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): वो जवाब के अलावा और है क्या जवाब?

श्री अध्यक्ष: श्री भजन लाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भरतपुर मेडिकल कालेज का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रखा जाना

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब पिछड़ा आयोग का बिल आया उसमें बहुत सारी बातें बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में सत्ता पक्ष और हम लोग विपक्ष, सभी ने बाबा साहेब के बारे में बहुत सारी बातें बतायीं परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि देश की आजादी में सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।

(श्री भजन लाल जाटव)

चाहे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हों और चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों। मैं कहना चाहूँगा कि देश की प्रक्रिया चलाने हेतु जब देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ तो संविधान की जरूरत पड़ी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक महान संविधान दिया। उस संविधान के तहत हम सब लोग, जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, चुनकर आते हैं। इस विधान सभा में जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनके लिए संविधान से बड़ा कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, विदेश में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब के नाम से रख दिया गया। आज वह कोलंबिया का विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम से है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भरतपुर में अभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। भरतपुर संभाग में 20 विधान सभा सीटें हैं, उनमें 6 रिजर्व हैं। भरतपुर लोकसभा सीट रिजर्व है। धौलपुर, करौली रिजर्व हैं। जो मेडिकल कॉलेज भरतपुर संभाग में निर्मित हो रहा है, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं और हम सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, उसको हम सभी मिल कर इस बात की घोषणा करें कि उस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर किया जाए। जिससे कि उनको सच्ची श्रद्धाँजलि मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जितने मेडिकल कॉलेज इस राजस्थान के अंदर हैं, पूर्व में भी उनके नाम पर खोले गए हैं। मंत्री जी, आज ही इसके लिए घोषणा करें कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड करेंगे आप?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, भरतपुर मेडिकल कॉलेज जब शुरू होगा तो आम सहमति और आम राय से, सबसे राय-मशविरा करके नाम रखने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

झुंझुनूं की सड़कों का नवीनीकरण

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत मुझे जो इजाजत दी है, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। झुंझुनूं जिला मुख्यालय, राजधानी से स्टेट हाई वे संख्या 8 से जुड़ा हुआ है। झुंझुनूं में बोलचाल की भाषा में इस सड़क को जो झुंझुनूं शहर के पास से गुजरती है, 3 नंबर रोड कहते हैं। इसकी हालत

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

अत्यधिक खराब है। यह ना केवल झुंझुनूं को राजधानी से जोड़ती है, बल्कि बीकानेर, चूरू, सुजानगढ़ आदि से भी जो ट्रैफिक दिल्ली को जाता है, वह इसी रोड से होकर जाता है। जिले के दूसरे भागों से भी जो लोग जिला मुख्यालय पर आते हैं, वह इसी सड़क का उपयोग करते हैं। यह सड़क मोटरेबल हालत में नहीं रही है। इस पर बहुत गड्ढे हैं और पैदल भी आप इस पर नहीं चल सकते क्योंकि बहुत धूल उड़ती है। यही हालत इस सड़क की बग्गड़ में से जो होकर गुजरती है, वहां है। यही हालत खुड़ाना के पास से होकर गुजरती है, वहां पर है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं झुंझुनूं को जो चूरू से स्टेट हाई वे जोड़ता है, जो मोतीलाल कॉलेज से लेकर के पीपली चौक तक अत्यधिक खराब हालत में है। मंत्री जी ने स्वयं भी इसको देखा है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस सड़क का अविलंब नवीनीकरण कराएं जिससे झुंझुनूं जिले के लोगों को राजधानी से आवागमन में सहूलियत मिल सके। दिल्ली जाने के लिए सहूलियत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड कर रहे हैं क्या मंत्री महोदय, सड़क के बारे में ? हां, मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस सड़क का जिक्र किया है, वह आरयूआईडीपी का कार्य होने के कारण से वास्तव में बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। शहर के बीचों-बीच यह निकलती है। राज्य सरकार ने अब फैसला किया है कि इसका नवीनीकरण हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इतना सख्ती से, जोर से नाम लेकर बोला, श्रीमती शकुन्तला रावत, अब तो मैं नियमों में बोल रही हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के द्वारा बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जो रिक्त पद हैं, उनको भरने के क्रम में निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें महिला चिकित्सक किसी भी स्थान पर नहीं हैं और शिशु चिकित्सक भी। इस कारण से हमें या तो कोटपूतली, बहरोड़, अलवर या विराट नगर जाना पड़ता है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देशित करें कि 3 वर्ष हो गये, बार-बार यह मांग उठाई जाती है, लेकिन एक महिला चिकित्सक नहीं दे पा रहे हैं। क्या यह स्थिति है ? जब भी कोई प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं कि वित्तीय साधन होंगे तो करेंगे। जब ऐसा गोलमोल जवाब दिया जाता है तो आज आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे कि क्या महिला चिकित्सक या शिशु चिकित्सकों के जितने खाली पद हैं, उनको भरने का श्रम करेंगे ? पूरे विधान सभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं। बड़ी सीएचसी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है विधान सभा क्षेत्र की, तो क्या महिला चिकित्सक आप लगाएंगे?

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अलवर का ईएसआई मेडिकल कॉलेज बंद है तो क्या खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? क्या उसको बंद ही रखेंगे सरकार रहेगी तब तक ? आप जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने जिस प्रकार से वर्णन किया तो ऐसा लगता है कि वहां बहुत पद खाली हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके यहां 3 तो सामुदायिक केन्द्र हैं, बानसूर, नारायणपुर और रामपुर। आपके यहां 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, नीमूचाना, हरसौरा, गुंता,हाजीपुर, कराणा, बिलाली और हमीरपुर। इसमें टोटल 26 पद डॉक्टरों के स्वीकृत हैं और उनमें से 25 पदों पर डॉक्टर लगे हुए हैं। केवल 1 पद खाली है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): महिला चिकित्सक की बात कर रही हूं। जच्चा और बच्चा दोनों की डैथ हो जाती है। कोई भी बात हो तो विवरण गिनाना शुरू कर देंगे विधान सभा में। विवरण किसने पूछा है? मैं महिला चिकित्सक की बात कर रही हूं। इतनी दूर जाने पर जच्चा और बच्चा की मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि परिवहन की सुविधा हो, परिवहन की सुविधा भी नहीं है। हमसे 5-5 लाख रुपये भी बस स्टैंड के लिए ले लिए गये और यह कहा गया कि आपके वहां रोडवेज चलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कोई सुविधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं महिला चिकित्सक के बारे में पूछना चाहती हूं, ना कि पूरी डिटेल पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब आ रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो एक पद स्त्री रोग विशेषज्ञ का है, वह एक महीने के अंदर-अंदर लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। कृपया समय का ध्यान रखें।

प्रदेश में अवैध विद्युत कनेक्शन से हानि

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने किसानों का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर मुझे स्थगन प्रस्ताव, नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज खींवसर, नागौर, ओसियां, लोहावट और भोपालगढ़ सहित प्रदेश के अंदर 37 वृत्तों में करीब 1 लाख 50 हजार से अधिक ट्यूबवैल व नलकूप बिना वैध कनेक्शनों के संचालित हैं। राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के आदेश से 2004 में डार्क जोन लागू हुआ। उसके बाद 2009 में डार्क जोन लागू हुआ।

अध्यक्ष महोदय, यह घोषित डार्क जोन से पहले खोदे गए नलकूप हैं। जो 2004 से पहले किसानों ने खोद लिए। 2009 से पहले खोद लिए। लेकिन बाद में जब वह किसान कनेक्शन लेने गया तो उसकी फाइल बिजली विभाग ने इसलिए जमा नहीं की कि आपके यहां तो डार्क जोन लागू हो गया। किसान ने कहा कि मेरा कुआँ तो 2004 से पहले खोदा हुआ है। जब हाई कोर्ट ने लागू किया उससे पहले का है, तो कहा कि रेवेन्यू का सर्टिफिकेट लेकर के आओ। आरआई, पटवारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए किसान जब जाता था तो उससे 1 लाख, 2 लाख रुपए पटवारी लेते थे।

बहुत बड़ा भ्रष्टाचार माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हुआ। किसान चूंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए किसान उस समय पैसा देकर कनेक्शन कराने की स्थिति में नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में भी 2013 दिसम्बर से लेकर 2014 फरवरी तक बहुत बड़ा आंदोलन चला, कलेक्ट्रेट पर महा पड़ाव चला, सरकार ने वहां आश्वस्त किया कि हम कमेटी बनाकर किसान का खुद का एफेडेविट लेकर सरकार इसमें 2004 से पूर्व खुदे हुए जो भी ट्यूबवैल हैं उन पर कनेक्शन जारी करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि अकेले मेरे क्षेत्र के अंदर वह ट्यूबवैल जो बंद पड़े हैं अगर सरकार किसान का एफिडेविट लेकर कनेक्शन जारी करती है तो सरकार को अकेले खींवसर क्षेत्र से 500 करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त मिलेगा और 300 करोड़ रुपए सालाना अगर वह कनेक्शन आप नियमित, सामान्य श्रेणी में लेकर नियमित कर देते हैं तो 300 करोड़ रुपए, सालाना अगर 6 घंटे बिजली देते हैं तो अलग से सरकार को राजस्व मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब हर जगह फायदा दे रही है, उद्योग को फायदा दे रही है, एमनेस्टी योजना चलाते हो, शराब के ठेकेदारों को फायदे दिये, कई लोगों को फायदे दिये तो किसान को इतना सा फायदा आप दे दें। सरकार बड़ा मन रखकर इस राजस्थान के किसान की जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

स्थिति है, आप देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऋण और बिजली से तंग आकर कई किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं तो अन्नदाता को कैसे बचाया जा सके, इस राजस्थान को कैसे बचाया जा सके, सरकार को रेवेन्यू भी मिले और किसान का भला हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार किसानों के स्वयं के प्रमाण पत्र पर अगर कनेक्शन को नियमित करे और शिफ्टिंग प्रकरण में रजिस्ट्री कर 2 साल पुराना होने का नियम स्थायी तौर पर हटा दे तो निश्चित रूप से खींवसर सहित पूरे राजस्थान के किसानों का भला होगा। आपके एक लाख या पचास हजार से ज्यादा अवैध कनेक्शन चल रहे हैं पूरे राजस्थान में, आप यह मत सोचना कि खाली खींवसर में ही, क्योंकि बिजली अधिकारियों ने सामान दे दिया था किसानों को, उन्होंने ठगी करके किसानों को कह दिया आप तो चालू कर दो, हम सब संभाल लेंगे, गलत बिल भी दे दिए, यह पूरे राजस्थान के अंदर एक लाख, पचास हजार चल रहे हैं, अगर एक लाख, पचास हजार को अगर आप सामान्य श्रेणी में नियमित करते हैं तो दस हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू आपको अतिरिक्त मिलेगा, सिक्योरिटी राशि मिलेगी, दूसरा इसके अंदर छह घंटे बिजली यदि प्रतिदिन देंगे तो 800 करोड़ रुपए का पूरे राजस्थान से हमको अतिरिक्त आय इन अवैध ट्यूबवैल का आपने जो नाम दिया है, कह रहे हैं कि बिजली चोरी कर रहे हैं, अवैध ट्यूबवैल चल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस मामले में संरक्षण भी चाहूंगा कि सरकार राजस्थान के किसान का भला करे और घोषणा पत्र के अंदर एक बात आपने कही थी कि सिविल लाइबिलिटी को खत्म करेंगे, जो भी शीटें हमने भरी हैं दुगुनी-तिगुनी रेट से उनको भी आप वापस लेंगे। एक बार साढ़े तीन साल में आपने जो भी कार्यवाही किसानों की शीटें भरकर, उनको तंग करने के लिए किया, परेशान किया, उन पर मुकदमे किए, उनको वापस लेने की घोषणा भी करें। राजस्थान के किसानों के ट्यूबवैल के अंदर अवैध के नाम से जो चला रखा है, उसके दस रुपए के स्टाम्प पर, जैसे हम एमएलए, एमपी का फार्म भरते हैं तो खुद के एफिडेविट पर हम खुद अपनी सम्पत्ति की घोषणा करते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो तहसील के अंदर खुद का एफिडेविट लगता है तो किसान पर भरोसा सरकार को करना चाहिए, किसान का एफिडेविट लेकर कि आपका ट्यूबवैल कब का है, किसान कह देता है कि मेरा 2004 से पहले का है तो आप उसको विशेष उसके अंदर लेकर मान्यता दें, सामान्य श्रेणी के कनेक्शन जारी करें क्योंकि आपके अभी जो कनेक्शन चल रहे हैं वह आपके फरवरी,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

2010 के कनेक्शन दे रहे हो, 2017 चल रहा है। इसके लिए आप कोई विशेष योजना बजट के अंदर करें और सरकार जब रिप्लाई दे तो इसके अंदर आएँ और राजस्थान के किसान का भला करें। ...(व्यवधान)... खींवसर के अलावा पूरे राजस्थान का बता दिया मैंने एक लाख, पचास हजार। वह झालावाड़ में भी चल रहे हैं और धौलपुर में भी चल रहे हैं और आपके यहां भी चल रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। मैं तो पूरे राजस्थान के किसान का भला करने की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको राजस्व प्राप्ति होगी, आप कह रहे हैं कि बिजली कम्पनियां घाटे में जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करें, आप पर्याप्त समय ले चुके हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार आश्वस्त करे कि किसान को कनेक्शन देंगे, बिजली चोरी भी रुक जाएगी, किसान का भला हो जाएगा और 2018 में आप चुनाव में जाएंगे तो किसान आपकी वाहवाही करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम किया। कुछ तो ऐसा काम कर दो कि जिस काम का वोट मांग सकें।

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बोल लिए, आप पर्याप्त बोल लिए। ...(व्यवधान)...प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में चन्द्रभान चोर योजना चली थी, विद्युत योजना तो वह लाइन पकड़ लो न आप भी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय था जिसमें डार्क जोन के अंदर विद्युत कनेक्शन बंद किए थे, उस क्षेत्र के अंदर जिन किसानों ने अवैध कनेक्शन कर लिए उनको नियमित करने की मांग कर रहे हैं।

(12.25 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13 लाख कनेक्शन किसानों के राजस्थान के अंदर दिसम्बर, 2015 तक की रिपोर्ट के अनुसार आज अगर टी एण्ड डी लोस सरकार आई थी तब 26 प्रतिशत था और आज टी एण्ड डी लोस मुख्य मंत्री विद्युत सुधार योजना के अंतर्गत कम होता होता 22.6 परसेंट आया है। अच्छा तो यह होता कि माननीय सदस्य यह कहते कि किस प्रकार विद्युत की चोरी रुके। डार्क जोन में माननीय उच्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा इस कारण से कनेक्शन नहीं मिले और हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं कि हम यह कहें कि इतने विद्युत कनेक्शन अवैध चल रहे हैं, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक यूनिट का जब टी एण्ड डी लोस होता है जिसमें चोरी का कम्पोनेंट भी है तो एक यूनिट पर एक रुपये अड़तालीस पैसे सरकार को हानि होती है। पिछली सरकार ने जिस प्रकार का काम किया, आज भी विद्युत कम्पनियां 77 हजार 453 करोड़ रुपए की हानि में है, मुख्य मंत्री विद्युत सुधार योजना के अंतर्गत धीरे-धीरे हम इस टी एंड डी लोसेज को कम करना चाहते हैं। इसलिए हाल फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंदर अवैध कनेक्शनों का नियमितीकरण करने की सरकार को कोई कार्यवाही करनी हो। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय मंत्रीजी, मैं यह कह रहा था कि डार्क जोन जो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश से डार्क जोन है, मैं यह कह रहा हूं कि डार्क जोन से पहले जो ट्यूबवैल खुद गए उनका सर्टिफिकेट उसको रेवेन्यू ऑफिसर से लेना पड़ेगा या आरआई देगा, पटवारी देगा, आपका कुआं खुदा हुआ है तो वह आरआई, पटवारी, किसान से दो लाख रुपए, तीन लाख रुपए, पांच लाख रुपए किसान से इस बात के ले रहा है कि आपका कुआं, ट्यूबवैल 2004 से पहले का खुदा हुआ है। इसके अंदर आप मेरी बात को समझे नहीं, मैं यह कहता हूं कि किसान के स्वयं के एफिडेविट पर आप आज घोषणा करें कि अगर 2004 से पहले का खुदा हुआ है, तो उनको डार्क जोन में नहीं मानते तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी नहीं होगी और सरकार किसानों के हित के अंदर है, यह चाहते हैं। इस मामले में तो कर ही सकते हैं, हम यूं थोड़े ही कह रहे हैं कि डार्क जोन के अंदर करो, किसानों का नागौर के अंदर जब महा पड़ाव किया था हमने तो सरकार आई, हमसे वार्ता की और कहा कि कमेटियां बनाकर कैम्प लगाएंगे और किसानों के कनेक्शन नियमित करेंगे। वह तो आपका ही भला हो रहा है इसमें तो आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा, हम यह करेंगे कि किसान का एफिडेविट लेकर आप इसके अंदर घोषणा करें, यह मेरा था मैन, आप समझे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जो इसको रिव्यू करती है और कोई ऐसा मामला आएगा तो जिला कलेक्टर को निर्देश करेंगे, अपनी कमेटी के आधार पर वह अपनी कार्यवाही करे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत, श्री संदीप शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा शहर में पेयजल व्यवस्था में सुधार

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विगत दस वर्षों में कोटा शहर का तेजी से विस्तार होने से आबादी लगातार बढ़ रही है। साथ ही कोटा शहर शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित होने के कारण यहां बड़ी संख्या में हॉस्टल और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हुआ है जिससे पेयजल की खपत काफी बढ़ रही है। करीब 6 लाख स्थानीय नागरिकों के अतिरिक्त करीब 1.5 लाख कोचिंग विद्यार्थी इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। इसे देखते हुए नए कोटा शहर के लिए एक नए फिल्टर प्लांट एवं इनटेक वैल के निर्माण की आवश्यकता है। फिल्टर प्लांट नहीं होने से नए कोटा शहर की कई कॉलोनियों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कोटा शहर के आर.के. पुरम, श्रीनाथपुरम, बोम्बे योजना, राजीव गांधी नगर, सुभाष नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित कॉलोनियों को अकेलगढ़ फिल्टर प्लांट से केवल 10-15 एमएलडी पानी उपलब्ध करवाया जाता है जबकि इन कॉलोनियों में 32 एमएलडी पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है। इस कारण उपभोक्ताओं को सुबह शाम निश्चित समयावधि में ही पानी उपलब्ध करवाया जाता है जो पर्याप्त नहीं है जिसको देखते हुए जलापूर्ति का समय बढ़ाने एवं निर्बाध एवं शुद्धजलापूर्ति हेतु एक नए फिल्टर प्लांट व इंटेक वैल का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा सैक्टर, 4, 5, 6, 7, बालाकुंड, महावीर नगर कम्पीटिशन योजना, रंग विहार, अम्बेडकर कॉलोनी, महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 1, 2, 3 में काफी कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है।

उक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति करने के लिए 2500 किलोलीटर क्षमता का एक ओएचएसआर वर्ष 2003 में निर्मित हो गया था, लेकिन उक्त वितरण क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से पानी की खपत बढ़ जाने से जलापूर्ति काफी कम दबाव से हो रही है जिससे आमजन को दैनिक उपभोग के बराबर भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

जल वितरण में आ रही उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु वितरण उपखंड प्रथम की टीचर्स कॉलोनी चौकी में स्थित ओ.एच.एस.आर. के समीप 1 सीडब्ल्यूआर का पम्प हाउस का निर्माण एवं पम्प सैट की स्थापना किया जाना आवश्यक है। जन

(श्री संदीप शर्मा)

स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वितरण उपखंड प्रथम, कोटा द्वारा उक्त 1 सीडब्ल्यूआर का पम्प हाउस का निर्माण एवं पम्प सैट की स्थापना के प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं जिसकी अनुमानित लागत 60.90 लाख रुपये है। कोटा शहर के दादाबाड़ी, शास्त्री नगर, बसंत विहार, विज्ञान नगर, हनुमान बस्ती, महावीर नगर विस्तार योजना में पानी की पाइप लाइन वर्षों पहले बिछायी गयी है जो काफी पुरानी हो जाने के कारण जीण-शीर्ण हो गयी है जिसको देखते हुए पिछले बजट सत्र में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी ने कोटा शहर में पेयजल की नई पाइप लाइनों के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे, लेकिन 1 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक पाइप लाइन डालने का कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है। विभाग के अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण निविदा प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है।

मेरा आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन है कि कोटा शहरवासियों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 1 नये फिल्टर प्लांट इंटेक वैल की स्थापना की जाय, कोटा दक्षिण की टीचर्स कालोनी चौकी में स्थित ओएचएसआर के समीप 1 सीडब्ल्यूआर का पम्प हाउस का निर्माण एवं पम्प सैट की स्थापना हेतु बजट स्वीकृत किया जाय व पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में पाइप लाइनों के लिए जो 5 करोड़ स्वीकृत हुए हैं उसका कार्य अतिशीघ्र आरम्भ किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर। मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि पहले भी आसन की तरफ से यह निवेदन किया जा चुका है कि 250 शब्दों से ज्यादा 295 में नहीं आने चाहिए। अब मैं निर्देश दे रहा हूं कि अगर इस प्रकार का कोई ज्यादा आता है तो उसको आप लैप्स कर दें।

देवली-उनियारा की उप तहसील नासिरदा में फ्लोराइड पेयजल समस्या

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि देवली उनियारा विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील क्षेत्र नासिरदा में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण स्थानीय लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीने की वजह से गठियाबाय, हड्डियों से संबंधित रोग, कूबड़ापन एवं असमय बुढ़ापा आदि रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं एवं इनकी असमय मृत्यु हो रही है। राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों की मांग पर मई, 2015 में बघेरा, बडला, डाबरकलां क्षेत्रीय पेयजल योजना को स्वीकृत कर नम्बर 2015 में ठेकेदार को कार्य आदेश जारी

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

किया गया था एवं टेंडर की शर्त के अनुसार दिसम्बर, 2016 तक एक वर्ष में अवधि में ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य पूर्ण करना था। लेकिन एक वर्ष की अवधि से भी ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद इस योजना का लगभग 40 प्रतिशत से भी कम कार्य हुआ है जिसके कारण क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरे द्वारा पूर्व में भी विधान सभा में इस बाबत मुद्दा उठाया गया था।

अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उक्त योजना से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर पेयजल की उक्त गंभीर समस्या का निराकरण करवाया जाय जिससे गर्मी के मौसम से पूर्व क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। साथ ही इस कार्य में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन (अनुपस्थित) Is he present today from the very beginning? श्री निर्मल कुमावत।

सांभरलेक को जिले का दर्जा

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सांभरलेक कस्बे को जिला बनाने की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है और समय-समय पर जनता ने आंदोलन करके अथवा ज्ञापन देकर अपनी आवाज सरकार में उच्च स्तर तक भी पहुँचाई है।

सांभर और फुलेरा दो कस्बे बिलकुल समीप में लगते हैं जिनकी आबादी भी पर्याप्त है। सांभर जो कि उपखण्ड मुख्यालय है, वहां पर वर्तमान में उप खण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय एवं अन्य सारे कार्यालय विद्यमान हैं। वर्तमान में जयपुर जिले की किशनगढ़-रेनवाल तहसील, दूदू तहसील, सीकर जिले की दांतारामगढ़ तहसील, नागौर जिले की नावां (कुचामन) एवं सांभरलेक तहसील के अनेक गांव एवं कस्बे ऐसे हैं जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी 60 से 100 किलोमीटर तक है। यदि इन तहसीलों और अन्य आस-पास के क्षेत्र को मिलाकर सांभरलेक को जिला बनाया जाता है तो इन तहसीलों के निवासियों को काफी सुविधा मिलेगी।

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अभिभाषक संघ दूदू, नागरिक विकास परिषद सांभरलेक, जागरूक विकास समिति सांभरलेक, अभिभाषक संघ सांभरलेक, वाल्मीकि समाज सांभरलेक, नगरपालिका सांभरलेक, सांसद जयपुर ग्रामीण एवं अन्य संघों व

(श्री निर्मल कुमावत)

जन-प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर सरकार को ज्ञापन भी दिये हैं।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सांभरलेक को जिला बनाने की कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी के आसावरी माताजी में पुलिस चौकी की स्थापना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल आसावरी माताजी पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में पुलिस चौकी की स्थापना के संबंध में विशेष उल्लेख की सूचना प्रस्तुत करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल आसावरी माताजी पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रसिद्ध स्थलों में से है। आसावरी माताजी का स्थान लकवा के मरीजों को यहां के शुद्ध वातावरण एवं माताजी की कृपा से काफी राहत मिलती है। पास ही लगभग 10 किलोमीटर दूर कृष्णधाम श्री सांवलियाजी का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल स्थित है। 30 किलोमीटर की परिधि में श्री शनि महाराज जी का दर्शनीय स्थल, चित्तौड़गढ़ में श्री कालिका माताजी का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल होने से इस दर्शनीय स्थल पर प्रतिदिन हजारों की तादाद में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। चूंकि शनिवार एवं रविवार के दिन तो मेले जैसे हालात रहते हैं। ज्यादा भीड़ होने से जेबकतरे, चोर एवं असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। चूंकि यहां पर केवल हाल ही में होड़ा चौराहा से बांसी तक चल रहे टू-लेन सड़क निर्माण हो चुका है जो इस प्रसिद्ध स्थल से ही गुजरता है जिससे दर्शनार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी एवं नई सड़क होने से दुर्घटनाओं का अंदेशा ही बढ़ जाएगा। टू-लेन सड़क, दुर्घटना, जेबकतरे, चोर एवं असामाजिक तत्व की वजह से एवं लम्बे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए आसावरी माताजी पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में पुलिस चौकी की स्थापना की जाय।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल आसावरी माताजी में नवीन पुलिस चौकी खुलवाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी।

गंगानगर की गंग नहर की मरम्मत

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमारा श्रीगंगानगर जिला गंग नहर, भाखड़ा नहर व इंदिरा गांधी

(श्रीमती सोनादेवी)

नहर परियोजना से सिंचित होता है। श्रीगंगानगर का 70 प्रतिशत भूभाग गंग नहर से सिंचित होता है। वर्ष 2001 में जब गंग नहर का पुनर्निर्माण करवाया था, पर 45 आरडी से 368 आरडी तक 500 क्यूसेक पानी का लोसेज हो रहा है जबकि विभाग के तकनीकी माप अनुसार 62 क्यूसेक होना चाहिए। अगर 500 क्यूसेक पानी का लोसेज होगा तो किसानों को लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष किसानों की फसलों का नुकसान होगा। गंग नहर को पानी हरिके हैडवर्क्स से वर्ष 1958 से जरिये फिरोजपुर फीडर से लिया जाता है। उसके बाद आज तक नहर की सिल्ट व सफाई नहीं करवाई गई है जिससे फिरोजपुर फीडर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है, जिस कारण फिरोजपुर की क्षमता 6500 क्यूसेक होने के बावजूद केवलमात्र 4200 क्यूसेक पानी लेती है जिसका सीधा-सीधा प्रभाव गंग नहर प्रणाली पर पड़ता है। पंजाब अपना हिस्सा फिरोजपुर फीडर से पूरा ले लेता है और शेष बचा पानी ही गंग नहर को मिलता है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण किया जाए। फिरोजपुर फीडर की जर्जर हालत होने के कारण लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान बह जाता है जिसका नुकसान गंग नहर को होता है। गंगानगर में किसानों को आंदोलन करना पड़ा। राजस्थान सरकार ने किसानों से गंगानगर में समझौता करके फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए 39 करोड़ देने थे जो केवल 29 करोड़ रुपये दिये। शेष राशि विभाग ने यूसी आने के बाद देने का तय किया है जबकि तब तक 2017 की बंदी समाप्त हो जाएगी व काम रह जाएगा, इसलिए शेष राशि अतिशीघ्र जारी की जाए। राजस्थान सरकार पंजाब सरकार से बातचीत करके फिरोजपुर फीडर का पुन: निर्माण करवाए। अगर फिरोजपुर फीडर का निर्माण अधूरा रह जाता है तो हर साल किसान आंदोलन होने का संशय बना रहेगा।

गंग नहर में पानी में आये दिन उतार-चढ़ाव रहता है उसकी समीक्षा रेगुलेशन कमेटी करती है। उसकी बैठक विधिवत तरीके से नहीं होती है क्योंकि रेगुलेशन का अधीक्षण अभियंता हनुमानगढ़ में बैठता है जबकि गंग नहर प्रणाली की रेगुलेशन की बैठक गंगानगर में होती है इसलिए अधीक्षण अभियंता गंगानगर में बैठना चाहिए और गंग नहर के पानी की वार्षिक ऑडिट होनी चाहिए। गंग नहर में 27 मार्च, 2017 को बन्दी प्रस्तावित है और उसमें 45 आर डी से 368 आर डी तक जो 500 क्यूसेक पानी लोसेज होता है उसे कम किया जाए। वास्तव में आधुनिक गंग नहर में केवल मात्र 62 क्यूसेक होना चाहिए व जो नये हैड बनाये हुए हैं उन्हें लिंक किया जाए और हर हैड पर आधुनिक गेज सिस्टम लगाया जाए। गंग नहर की कई वितरिकाएं पिट जाती हैं जिससे किसानों को पानी का नुकसान होता है और फसल बर्बाद हो जाती है। इसकी

(श्रीमती सोनादेवी)

भरपाई के लिए लिंक नहर को पक्का करके पोंड के रूप में उपयोग किया जाए। लिंक नहर को पोंड के रूप में विकसित करना किसानों के लिए वरदान साबित होगा तथा गंगानगर के लिए सरकार द्वारा किया गया ऐतिहासिक फैसला साबित होगा।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करती हूं कि किसानों के हित में उपरोक्त समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखाराम।

मेड़ता के राजकीय चिकित्सालय में शय्याओं की संख्या में वृद्धि

श्री सुखाराम (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता शहर में नवनिर्मित राजकीय चिकित्सालय 40 बैड का है। मेड़ता शहर के आस-पास करीब 100 से 150 किलोमीटर की परिधि में कोई भी बड़ा चिकित्सालय नहीं होने के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में बीमारी के इलाज के लिए अजमेर, बीकानेर अथवा जोधपुर जाना पड़ता है।

भामाशाह द्वारा नवनिर्मित चिकित्सालय भवन का लोकार्पण भी गत वर्ष में पूर्व चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ साहब, सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनुस खान साहब, केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मामलात मंत्री श्री सी. आर. चौधरी साहब व जायल विधायिका एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षा डा. मंजू जी बाघमार द्वारा किया गया...

श्री उपाध्यक्ष: सम्मान्नीय सदस्य, आपके पास में 295 का यह लिखा हुआ है क्या जो आपने दिया है ? नहीं है तो मैं उपलब्ध करवा दूं यहां से।

श्री सुखाराम (मेड़ता): है। एवं उपस्थित जनता को आश्वस्त किया गया कि वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत करवाकर इसे 40 से 100 बैड का करवा दिया जाएगा।

अत: महोदय से अनुरोध है कि राजकीय चिकित्सालय को 40 बैड से 100 बैड का कराने की कृपा करें जिससे जनता की परेशानियों को समाप्त किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल जी।

निवाई की पीपलू ग्राम सेवा सहकारी समिति को अनुदान

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई की पीपलू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पीपलू जिला टोंक द्वारा संचालित चारा डिपो का बकाया चारा परिवहन अनुदान के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(श्री हीरालाल)

समिति द्वारा आदेश क्रमांक सहायता/चारा/आपु/दिनांक 6.11.2009 के तहत जुलाई, 2010 तक अन्य जिलों व राज्य के बाहर (मध्य प्रदेश) से चारा लाकर तहसील क्षेत्र पीपलू में काश्तकारों को वितरित किया गया था। समिति द्वारा कुल 32 ट्रक चारा लाया गया था जिसकी कुल अनुदान राशि 6,25,460/- रुपये थी जिसमें समिति को 14 ट्रकों की अनुदान राशि 2,51,736/- प्राप्त हो चुकी है। शेष 18 ट्रकों की अनुदान राशि 3,73,724/- रुपये बकाया है। सहायता विभाग के आदेशानुसार बिल्टियों व तोल पर्चियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक द्वारा प्रबन्ध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक को निवेदन किया जा चुका है लेकिन आज तक शेष भुगतान नहीं किया गया है।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि पीपलू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पीपलू जिला टोंक को चारा परिवहन अनुदान का अविलम्ब भुगतान कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कंवर लाल।

मनोहरथाना की छापी मध्यम सिंचाई परियोजना की मरम्मत

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में छापी मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य लगभग 15 वर्ष पूर्व पूर्ण हुआ था। इसके पश्चात् परियोजना के नहरी तंत्र व बाँध में विशेष मरम्मत कार्य न होने से व वर्षा की अधिकता से नहरी तंत्र में वर्तमान में टूट-फूट हो गई है जिसकी मरम्मत कराये जाने के अभाव में परियोजना के टेल क्षेत्र मांगटा, लुहारिया, रीछवा, पाटनउदा, कटफला, रामपुरिया आमेठा इत्यादि में पानी पहुंचने में असुविधा हो रही है। साथ ही छापी मुख्य बाँध के नीचे भी पानी के तेज बहाव से गड्ढ़े हो गये हैं जिससे छापी बाँध को खतरा है। इसलिए उक्त कार्यों को कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे बाँध में संग्रहीत जल का उपयोग समूचे सिंचित क्षेत्र को हो सके।

अत: सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए शीघ्र छापी मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य बाँध एवं नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के विशेष मरम्मत कार्य को करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम जी।

लूणी के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी जिला जोधपुर की पंचायत समिति लूणी के परिक्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत पीपरली, लूणावास खारा, मोड़ी जोशियान, झालामण्ड, पाल, कालीजाल व पंचायत समिति मण्डोर के परिक्षत्र में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय चौखा, इन्द्रोका, जोलीयाली, नान्दड़ा कलां में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तो स्थित हैं, जो काफी लम्बे समय से कार्यरत हैं और विद्यार्थियों की संख्या व विद्यालय भवन भी पूर्ण है परन्तु इन्हें अभी तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपरली, लूणावास खारा एवं मोड़ी जोशियान की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विभाग की गलती से अथवा अन्य कारणों से पिछले वर्ष अन्य स्थानों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया जबकि वास्तव में इन तीनों ही ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों यानी ग्राम पंचायत पीपरली, लूणावास खारा व मोड़ी जोशियान के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या, बने हुए भवन व अन्य सभी सुविधाओं व आम जनता की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों ही ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर स्थित इन राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए था परन्तु नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अब आगामी शैक्षणिक सत्र से इन सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना जरूरी है और इस बाबत् जनता की भारी मांग भी है और इन्हें क्रमोन्नत करना सभी तरह से न्यायोचित व वाजिब भी है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय झालामण्ड, पाल, कालीजाल, चौखा, इन्द्रोका, जोलियाली एवं नान्दड़ा कलां में कोई भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। ऐसी स्थिति में इन पंचायत मुख्यालयों पर यानी ग्राम पंचायत मुख्यालय झालामण्ड, पाल, कालीजाल, चौखा, इन्द्रोका, जोलियाली व नान्दड़ा कलां पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना अति-आवश्यक है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त सभी पंचायतों के मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को न केवल भारी परेशानी हो रही है बल्कि उन्हें 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन हेतु करीब 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर अभिभावकों को अपने

(श्री जोगाराम पटेल)
बालक-बालिकाओं के अध्ययन को जारी रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है।

छात्र-छात्राओं को समय एवं अधिक आर्थिक व्यय सहन करना पड़ता है। अत्यधिक दूरी के कारण कक्षा 10 के पश्चात् अभिभावक अपनी बालिकाओं को घर से दूर 11वीं एवं 12वीं की शिक्षा के लिए भेजना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं कई छात्राएं जोकि शिक्षा के प्रति रुझान रखती हैं, वे चाहते हुए भी अपनी शिक्षा निरन्तर जारी नहीं रख पा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी शिक्षा को बीच में छोड़कर घर पर ही बैठना पड़ रहा है। लूणी क्षेत्र में बालक-बालिका की शिक्षा हेतु उपरोक्त वर्णित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक, न्यायोचित व हर दृष्टि से जरूरी है। इस वाजिब मांग को लेकर जनता में भारी रोष है।

अत: निवेदन है कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों, आवश्यकताओं, बालक-बालिका के हितों को, विशेषकर बालिका शिक्षा को मध्य में रखते हुए उक्त सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर जनता को, बालक-बालिकाओं को और हम सभी को राहत पहुंचायें। इस अति संवेदनशील, जनहित व तुरन्त आवश्यकता व आमजन के हित के विषय को आपकी मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान की। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अल्का सिंह।

बांदीकुई के स्नातकोत्तर कालेज में विषयों का सरकारीकरण

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजेश पायलट पीजी कालेज में स्नातकोत्तर के विज्ञान व हिन्दी विषय स्ववित्त पोषित स्कीम के अन्तर्गत चलते हैं। इस महाविद्यालय में विज्ञान की लैब सहित समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विषयों का अध्ययन होने के कारण गरीब विद्यार्थियों को भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ती है। कई विद्यार्थी गरीब व ग्रामीण क्षेत्र से होने के कारण चाहते हुए भी विषय का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। माननीय कालीचरण जी सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री की हैसियत से वहां पधारे थे। वहां इन विषयों के सरकारीकरण की घोषणा करके भी आये थे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि गरीब व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उचित फीस में शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए इन विषयों का सरकारीकरण करने पर सरकार विचार करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत।

अलनिया बाँध व नहरों का जीर्णोद्धार

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख - अलनिया बाँध व नहरों के जीर्णोद्धार के संबंध में प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित अलनिया मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण 1962 में हुआ था। निर्माण के समय इसकी भराव क्षमता 1,544 मिलियन क्यूबिक फीट थी। इससे क्षेत्र के 36 से अधिक गांवों के हजारों किसानों की 5,636 हैक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी लेकिन लम्बे समय से बाँध की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण 7 से 8 फीट गाद भर चुकी है। इससे बाँध की भराव क्षमता में कमी आई है। इससे सिंचाई के लिए पानी की कमी होने के साथ बाँध के डेड स्टोरेज में कमी के कारण पशुओं के लिए भी पेयजल का अभाव उत्पन्न हो गया है। इस बाँध की 75.21 किलोमीटर लम्बी नहरें हैं। लम्बे समय से देखरेख के अभाव में यह पूरा तंत्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। नहरें टूटने के कारण हर वर्ष इस बाँध से सिंचित होने वाली भूमि में कमी आती जा रही है। 2013-14 में 4,604 हैक्टेयर, 2014-15 में 4,277 हैक्टेयर और 2015-2016 में 3,950 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हुई है जबकि निर्माण के समय इसका लक्ष्य 5,636 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का था। इस प्रकार बाँध की कुल क्षमता से 30 प्रतिशत कम जमीन सिंचित हो रही है, जिसका सर्वाधिक कुप्रभाव अन्न उपजाने वाले किसानों पर हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बाँध के निर्माण के समय इसकी भराव क्षमता तत्कालीन आवश्यकता के अनुपात में पर्याप्त थी, किन्तु वर्तमान में यह बहुत कम है। ऐसा भी नहीं है कि यहां पानी की कोई कमी है। प्रतिवर्ष इस पठारी क्षेत्र का सारा पानी बहकर अलनिया बाँध में आता है और बाँध के पूरा भर जाने के बाद भारी मात्रा में पानी व्यर्थ बह जाता है। गत दो वर्षों 2014-15 में 210 तथा 2015-16 में 277 मिलियन क्यूबिक फीट पानी बाँध से ओवरफ्लो होकर बेकार चला गया। यदि बाँध की भराव क्षमता में वृद्धि की जाए तो इस पानी से किसान के खेत में फसल लहलहा सकती है।

अत: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि दिनांक 12.08.2016 को मेरे एवं कोटा के अन्य जन प्रतिनिधिगण द्वारा मांग करने पर अधिशासी अभियन्ता, चम्बल परियोजना, खण्ड कोटा द्वारा राज्य स्तरीय ईआरएम (असेंशियल रिपेयर मेंटीनेंस) के तहत अलनिया बाँध व नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 245.30 करोड़ रुपये की डीपीआर सरकार को प्रेषित की गई थी। इसमें बाँध में ड्रिलिंग व ग्राउटिंग, इसकी दोनों मुख्य नहरों, वितरिकाओं एवं विभिन्न माइनरों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जाने हैं। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि

(श्री भवानी सिंह राजावत)

किसान हित में उपरोक्त योजना को अविलम्ब स्वीकृत किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्रीमती अंजू देवी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ऊर्जा विभाग में विद्युत उपकरणों की चोरी

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे बस्सी विधान सभा क्षेत्र में, मैंने उनको एक प्रश्न दिया था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 3,252 किलोमीटर वायर और 44,221 पोल अलाट किये गये थे, लेकिन उसका कोई विवरण नहीं है। पोल वायर कहां लगाये हैं, इसका भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। 1,895 पोलों की, 89 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 539 थ्री फेस ट्रांसफार्मर चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। चोरी के पोल और ट्रांसफार्मर कहीं भी अवैध कालोनी कट रही है तो वहां रातोंरात पोल-वायर लग जाते हैं। यह जवाब खुद विभाग ने मुझे दिया है। कनिष्ठ अभियन्ता, कानोता को 11,000 केवी की लाइन टूट जाने के विषय में लगातार अवगत कराया जा रहा है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने से कई किसानों की फसल नष्ट हो गई है। यह जो मैं बता रही हूं, यह सारा विभाग ने खुद बताया है कि हां, वहां पर ट्रांसफार्मर भी चोरी हुए हैं और पोल भी चोरी हुए हैं और वे यह भी मानते हैं कि पोल कहीं और विभाग के कर्मचारी-अधिकारियों ने लगाये हैं, लेकिन उसका उनके पास कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। उन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है।

दूसरा एक क्वेश्चन और मैंने लगाया था। उसका जवाब हैरान कर देने वाला है। इसी विभाग के कर्मचारी-अधिकारियों के प्रति क्या-क्या शिकायतें, किस-किसकी शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं ? तो मैं नाम लेना चाहूंगी शिकायतकर्ताओं के। यह जवाब भी विभाग की तरफ से ही है। श्री अरुण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जो शिकायत कर रहे हैं। मंत्रियों को शिकायत करनी पड़ती है बिजली विभाग के एईएन जेईएन के लिए। श्री कैलाश वर्मा, विधायक बगरू, श्री शंकर लाल शर्मा, विधायक दौसा। श्रीमती अंजू देवी खंगवाल, विधायक बस्सी व अन्य। यानी कि मेरे क्षेत्र के एईएन, जेईएन और अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायत लगातार मिल रही है। उसके बावजूद भी इस भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग रही है।

दूसरी बात, मैं यह बताना चाहूंगी कि यह सब मैंने कई बार मंत्रीजी को कहा है। पिछले साल इसी मार्च में, पिछले सत्र के मार्च में मैंने एक मामला उठाया था। खिजूरिया ब्राह्मणान एक गांव है जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जेईएन की

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

गलती की वजह से। जेईएन को बताने के बावजूद भी उसने डीपी नहीं बदली और 11 केवी का करंट डाइरेक्टली आ गया तो उसकी मृत्यु हुए आज एक साल हो गया है। पिछले साल मैंने उसके लिए मुआवजा मांगा था, जो आज तक उसको नहीं मिला है। उसके बच्चे दूसरों के घर में बर्तन मांजने को मजबूर हो गये हैं। यह इस विभाग की कारस्तानी है जो गरीब बच्चों के साथ यह हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह मुझे विभाग से फोन आया कि आपकी पर्ची लगी है, आपकी क्या समस्या है ? जब मैंने उन्हें बताया कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, उनको मुआवजा मिल गया है। फिर मैंने दुबारा उसी व्यक्ति को फोन करके पूछा कि विभाग तो यह कह रहा है कि आपको मुआवजा मिल गया है। आप झूठ बोल रहे हैं। वह बोला, मैडम, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं, मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला है। मेरे बच्चे तो बर्तन मांज रहे हैं। यह इस विभाग की कारस्तानी है। इस मामले में भी ये झूठ बोल रहे हैं।

तीसरा यह है कि ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने कानोता को गोद ले रखा है और उसके बाद धड़ल्ले से चोरियां हो रही हैं, उपकरण चोरी हो रहे हैं। प्रमुख शासन सचिव उन्हें बचाते हैं। सभी बातों के बारे में कई बार मैंने मंत्रीजी को अवगत कराया है और मंत्रीजी ने उन्हें फोन भी किया।

मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पिछले 15 सालों से यही एईएन और जेईएन मेरे क्षेत्र में टिके हुए हैं। कानोता में जेईएन और बस्सी में एईएन टिके हुए हैं। इनकी शिकायतों के बारे में मैं मंत्रीजी के पास में लेकर गई हूं। कम से कम 20 बार लेकर गई हूं और मंत्रीजी ने उन्हें कहा भी। फोन पर कई बार कहा उन प्रमुख शासन सचिव को। उन्होंने उनको यह कहा कि मैंने कानोता को गोद ले रखा है तो मैं पूछना चाहती हूं कि प्रमुख शासन सचिव को सैलेरी अगर गवर्नमेंट देती है तो फिर इतना भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है?

(13.00 बजे)

मैं खुला आरोप लगाती हूं क्योंकि जब सारे सबूत हैं ये अख़बार की कटिंग्स, ये दुनिया भर के अख़बार, ये पूरे साल की कटिंग्स हैं मेरे पास। रोज शिकायतें आ रही हैं रोज अख़बार में आ रहा है फिर उसके बावजूद भी जानते-बूझते भी प्रमुख शासन सचिव उन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों उनको बचा रहे हो और मंत्री जी को उन्होंने यह जवाब दिया कि आपको इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है मैंने गोद ले रखा है। मैंने मंत्री जी को उसको रिक्वेस्ट करते हुए सुना है, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा कि मंत्री जी अधिकारी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हुकुम इसको हटा दो हुकुम-

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

हुकुम, तो हुकुम ने नहीं सुना। तो मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं। मैं मंत्रीजी से यह आश्वासन मांग रही हूं ...। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय राठौड़ साहब, सुन रहे हो क्या ? राजस्थान सरकार के कारनामे सुन रहे हो क्या ? मंत्री को यह कहना पड़ता है हुकुम। इससे बड़ी गिरावट तो कोई हो नहीं सकती।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): ये आप देखें, ये कटिंग्स हैं। डिमाण्ड नोटिस, पंचायत के होश उड़े, कनेक्शन के अभाव में ट्यूबवैल, एईएन का घेराव, बिजली कटौती और ट्रिपिंग से परेशानी, विद्युत केबल काट कर ले गये, बुआई करते समय करंट लगने से ट्रैक्टर में लगी आग, कार्यालय पर ताला जड़ा, विरोध प्रदर्शन, लोगों पर भारी पड़ रहा शटडाउन और ट्रांसफार्मर लगे तो बुझे प्यास तो ऐसे बहुत सारे हैं जो इतने मेरे पास लगे हुए हैं लाइन में।

तो मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि एक तो ये जो जेइएन, एइएन या अधिकारी जो भी इसमें लिप्त हैं और जो खुद विभाग मान रहा है कि हाँ चोरियां होती हैं हमारे यहाँ पर। करोड़ों का जो नुकसान हो रहा है उस पर क्या कोई कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे और जो अधिकारी/कर्मचारी पिछले तीन साल से ज्यादा समय से लगे हुए हैं उनको हटाने की कृपा करेंगे। ऐसा अगर मुझे आश्वासन दे देंगे तो आपको धन्यवाद दूंगी। आप थोड़ा सा मुझे जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्या ने जो मूल विषय उठाया था उससे इतर होकर उन्होंने कई बातें यहां सदन में कहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर शालीनता से किसी अधिकारी से कोई बात करे, उसको उस मंत्री की कमजोरी और संस्कारों को यह कह कर अपमानित किया जाए कि उन्होंने हुकुम क्यों कह दिया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए।

माननीय सदस्या ने यह बात कही कि वहां चोरी हुई, निश्चित तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1895 विद्युत पोल चोरी हुए थे और 939 थ्री फेस ट्रांसफार्मर भी चोरी हुए थे और दोनों की रिपोर्ट एफआईआर नं.655/2015 कानोता में और एफआईआर नं. 587/2015 बस्सी में दर्ज करायी गयी और आपने दुर्घटना से जिस व्यक्ति की मृत्यु की बात कही उसका पूरा प्रोसेस पूरा हो गया। पांच लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है, नियमों में है, और नियमों के अन्दर उसकी खानापूर्ति करने के लिए जो कार्यवाही करनी थी अब सिर्फ उनका चैक मेरे हिसाब से डिलीवर हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो निश्चित तौर पर डिलीवर हो जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी ली थी कि क्या माननीय सदस्या ने लिखित में कोई इस प्रकार के कर्मचारियों पर स्पेसिफिक कोई आरोप लगाते हुए, यह कह देना कि वो एईएन भ्रष्ट है, वो जेइएन भ्रष्ट है अगर स्पेसिफिक आरोप लगा कर कोई भी शिकायत पत्र ये देंगे, तो निश्चित तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहूंगा। पहले भी इस आधार पर जब कभी भी किसी भी माननीय सदस्य ने मंत्रालय को या डिस्कॉम के किसी एमडी को किसी को भी शिकायत दी है तो स्पष्ट तौर पर निर्देश हैं कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्यवाही प्रारंभ हो। आपकी कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही करेंगे। अगर आप उस एईएन, जेईएन जिनका आप कह रहे हैं उनके विरुद्ध में कोई बात हो तो निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

मैं कहना चाहूँगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि गांव को गोद लेना वो गुनाह नहीं है। उन्हीं गांवों को गोद लिया जाता है जिन गांवों में सर्वाधिक थैफ्ट ...

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): गांव को गोद चोरी कराने के लिए लिया है क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सर्वाधिक टी एंड डी लोस है थैफ्ट है या जिन गांवों के अन्दर लगातार विद्युत समस्या बनी रहती है जानबूझ कर उन गांवों को ही गोद देने के लिए निर्देश दिये हुए हैं। इसलिए कानोता का जो गोद लिया गया है निश्चित तौर पर कानोता के अन्दर विद्युत समस्याओं के लेकर कई बार लोगों ने ज्ञापन भी दिये हैं इसलिए लिया गया है।

मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके पास स्पेसिफिक शिकायत हो तो हम उसकी जांच करवाएंगे परंतु आप अखबारों के माध्यम से अखबारों की पढ़ी हुई खबरों को यहां उद्धृत करें...।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने अखबारों की नहीं विभाग की जानकारी दिखाई कि विभाग ने मुझे लिख कर दिया है कि श्री अरुण चतुर्वेदी जी ने शिकायत की है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, कैलाश वर्मा ने दी है, शंकर लाल जी ने दे है, अंजू खंगवाल व अन्य ने दी है। यह तो विभाग बता रहा है कि शिकायतें आई हैं पर शिकायत पर कार्यवाही क्या हुई है। आप अब लिखित में मांग रहे हैं और आप कह रहे हो कि पांच लाख का मुआवजा, पर पांच लाख का मुआवजा आया कहां है। सुबह ही मेरी बात हुई है उनसे।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। Let the Minister conclude. मंत्री महोदय को कन्क्लूड करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रीगणों को और संसदीय सचिवों को ये निर्देश दे रखे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार वो अपने निवास पर सुबह आठ बजे से लेकर दस बजे तक जनसुनवाई करें। ये जिनका उद्धृत कर रही हैं, कैलाश वर्मा जी के पास शिकायत का पत्र आया उन्होंने एंडोर्स कर दिया। उसी प्रकार माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय के पास, उन्होंने एंडोर्स कर दिया। तो उस पत्र को जो शिकायत पर आया, आगे भेजना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए इसको अन्यथा नहीं लें। आपके पास और कोई शिकायत होगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही करेंगे और उन्होंने अगर कोई कार्यवाही पहले आपकी लंबित रह गयी है जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई तो 15 दिन के अन्दर-अन्दर जांच पूरी करवा कर निश्चित तौर पर समस्या का समाधान करेंगे।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आप नियम के तहत यह बताइये न, तीन साल से ज्यादा कोई अधिकारी रहेगा उसे हटायेंगे कि नहीं हटायेंगे ? मेन बात यह है कि 15 साल हो गये कर्मचारियों को।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सूरतगढ़ में एक जेइएन था, वो किसी हैल्पर के घर में घुस गया और उसको प्रमोशन करके बाद में एइएन लगा दिया। यह हाल है इस सरकार का। एक जेइएन था शीशराम वो किसी हैल्पर के घर में घुस गया और शिकायत हुई, उसके बाद भी उसका प्रमोशन करके उसको एइएन लगा दिया। आज भी वहीं है। ...(व्यवधान)... हालात बड़े खराब हैं कोई सुनने वाला नहीं है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह मेरी बात हुई है उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। ये कह रहे हैं कि मुआवजा रिलीज हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजें। मुआवजे वाली बात आप वापस स्पष्ट कर दें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मुआवजा वाला स्पष्ट करें। आप मुझे यह बताएँ कि 15 साल से टिके हुए हैं उन्हें हटाएँगे कि नहीं हटाएँगे ?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज आपके पास चार्ज है तो आप गोलमोल जवाब देने में बड़े मास्टर हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी गोलमाल जवाब देने में मास्टर हैं मैं इनको पच्चीस साल से जानता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, विराजें। मुआवजे वाला मैटर एक बार, एक बार आदरणीय सदस्य ने जो बात कही है पहले उसका स्पष्टीकरण तो ले लें। वो मुआवजे वाली बात को आप स्पष्ट कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, तीन दिन के अन्दर-अन्दर उचित मुआवजा संबंधित व्यक्ति के परिवारों के पास पहुँच जाएगा।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी पन्द्रह साल हो गये, तीन साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्या, अब आसन आपको कह रहा है कि आप विराज जाएं एक मिनट। तीन दिन के भीतर-भीतर अगर आपके पास नहीं पहुंचता तो आप आसन को अवगत कराएं आसन सुनिश्चित करेगा। अब विराज जाएँ।

श्री विजय बंसल।

सूचना

बीकानेर में विद्युत वितरण कार्य के निजीकरण के विरुद्ध विद्युतकर्मियों व आमजन का विरोध

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: दें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर आज पूरा सुबह से बंद है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और सभी विद्युत विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारी संगठनों ने...।

श्री उपाध्यक्ष: आप सूचना दे दें सरकार को, क्या सूचना देना चाहते हैं। By information, you just need to inform the Government what is happening.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): वो ही कर रहा हूं, सर।

श्री उपाध्यक्ष: आप भूमिका मत बताएं, सीधा जो वहां विषय है वो बता दें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): विषय यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग के कर्मचारी पैन डाउन और टूल डाउन हड़ताल पर हैं और बीकानेर शहर के सभी व्यापारिक संस्थान आज बंद हैं उसके पीछे सरकार के द्वारा जो विद्युत सप्लाई और विद्युत वसूली का जो काम है वो पूरा का पूरा बीकानेर शहर का एक निजी कंपनी को दे दिया गया है और उसकी वजह से बीकानेर की जनता में भारी आक्रोश है क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी कंपनी को देने की वजह से...। मेरा निवेदन सरकार से यही है।

श्री उपाध्यक्ष: कारण आप नहीं बता सकते। आपने जो सूचना दी है वो सरकार के

(श्री उपाध्यक्ष)

ध्यान में आ गयी। आपने जो सूचना दी वो रिकार्ड पर आ गयी।

श्री विजय बंसल।

Do you want to react on this? एक मिनट विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी बुनियाद उस वक्त रखी गयी थी जब तत्कालीन सरकार ने एक मंत्रीमंडलीय आज्ञा-126/2011 जारी की थी जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने एक एफआरपी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर प्लान बनाया था उसके अन्दर एक तो यह कहा था कि हर साल विद्युत की दरें बढ़ें इसलिए याचिका लगेगी। यह भी कहा था कि निजीकरण की ओर लगातार बढ़ेंगे ताकि ये जो लॉस है वो कम हो। इन्हीं की सरकार के द्वारा लिया गया यह नीतिगत निर्णय है। नंबर-1 बात। दूसरी बात।

श्री रमेश (सपोटरा): अब आप क्या कह रहे हो ये। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार पुरानी सरकार के बारे में क्या बात करते हो आप। आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, निजीकरण कर रहे हो बिजली कंपनियों का खुले में ...(व्यवधान)... आप कहते हो पुरानी सरकार ...(व्यवधान)... यह तो नियम है ...(व्यवधान)... इसमें कोई नयी बात है क्या। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप भी यही करोगे क्या? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये फैसला आपका है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आसन पांवों पर है। सम्माननीय मंत्री जी का आप उत्तर तो पूरा सुन लें।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं, साहब यह बात तो ...(व्यवधान)... असत्य बोलते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री जी का उत्तर अगर आप सुन लें और इन केस अगर आपको यह लगता है कि मंत्री जी का वक्तव्य सत्य से परे है तो नियमों में आप आ जाएं। आसन आपको भी..।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन तो अचानक आता है, लेकिन ये हमारे मंत्री जी इतने दूरदर्शी हैं उनको ये पता लग गया कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन उठाएंगे और उनकी पत्रावली ये पहले ही लेकर आ गये। यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय कल ये बात तय हो गयी थी न कि जितने ये हैं उतने ही ट्रांसपेरेंट भी हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के जवाब से बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं। बीकानेर जिले में बीस परसेंट छीजत होती है और अन्य शहरों में 30-35 परसेंट तक बिजली की छीजत है वहां नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: I can't allow a debate on a point of information. श्री विजय बंसल। No more intervention, Sir. Sit down. श्री विजय बंसल।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री उपाध्यक्ष: It will not be recorded.

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भरतपुर के सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन (CFCD) की अतिक्रमण-मुक्ति पश्चात् मरम्मत

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से भरतपुर स्थित सीएफसीडी, सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन के बारे में बताना चाहता हूं। भरतपुर एक ऐतिहासिक शहर है और लौहागढ़ के नाम से इसको जाना जाता है इसका कारण इसके ऐतिहासिक किले हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसार पर राज करने वाले अंग्रेज भी एक भरतपुर रियासत ऐसी थी जिसको नहीं जीत पाये। सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा हूं यह एक आउटर मोड थी जिसमें शहर का बरसात का पानी, जिसमें शहर बसा हुआ था और घरों का पानी चिकसाना बाँध होते हुए यूपी तक जाता था। आज इस सीएफसीडी का हाल इस कदर हो गया, इसकी चौड़ाई करीब 200 फीट थी लेकिन इस पर करीब 200 जगह अतिक्रमण हो गये। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई मात्र 10 फीट रह गई है। शहर का पानी जाना मुश्किल हो गया है। अगर यही हाल रहा तो शायद पाँच वर्ष बाद भरतपुर शहर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में एक जनहित याचिका 3273/1996 उच्च न्यायालय में जारी हुई थी। वहां से सरकार को निर्देश दिये गये थे कि जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इसका निर्णय किया जाए। वहां निर्णय हुआ कि इसकी चौड़ाई कम से कम 80 फीट रखी जाए। 40 फीट चौड़ा नाला था, नाले के दोनों ओर 5-5 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी व 30 फीट चौड़ी सर्विस रोड रहेगी, लेकिन आज तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई। करीब पिछले 10 दिन से इस ज्वलंत मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने लगातार छाप कर जनता की आवाज को बुलंद किया और जनता आक्रोशित होकर आंदोलन के मूड में आ चुकी है।

(श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा')

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा नगर विकास न्यास ने भी इस पर कार्यवाही करते हुए दो बार, 6.12.2016 और 9.12 को उनका जवाब आया और 20.1.2017 में यूडीएच को पत्र लिखे लेकिन शायद यूडीएच डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट बन गया है जो किसी भी पत्र पर लीपापोती के अलावा कभी किसी काम को निपटाने में नहीं होता है, इसी तरह के लीपापोती के जवाब दिये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका जो कच्चा डंडा बना हुआ था इस पर ज्यादातर रिहायश हो गई, कामर्शियल काम हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अमृत योजना के तहत इसमें डीपीआर बनवाई गई थी जिसमें करीब 33 करोड़ की लागत का आंकलन किया गया था। अमृत योजना में सैंक्शन भी हुए लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर धनराशि के अभाव में इसका क्रियान्वयन रोक दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 2003-08 में भरतपुर की इस दुर्दशा को जो कांग्रेस के 60 साल के शासन में भरतपुर पिछडा था, देखते हुए भरतपुर के विकास को आगे बढाया था। मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा हुई, युनिवर्सिटी हुई, संभाग बना, इंजीनियरिंग कालेज खुला और सीएफसीडी का काम भी चला। पिछले 2008-13 के शासन काल में कांग्रेस सरकार ने सारे काम रोक दिये थे। अब जब पुन: यह सरकार आई है तो जनता को उम्मीद है कि हमारे जो बचे हुए काम हैं वह पूरे होंगे।

मैं आपके माध्यम से यूडीएच मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर भरतपुर की ओर ध्यान दो तो सीएफसीडी को बचाने के लिये जो 33 करोड़ की अमृत योजना में यह गई हुई है, इसको स्वीकृत करा कर भरतपुर निवासियों को राहत प्रदान करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना उचित समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि भरतपुर शहर में रियासत काल के दौरान जो कच्ची मिट्टी की दीवार का निर्माण सुरक्षा हेतु करवाया गया था, किले के बाहर आउटर मोड का निर्माण खाई खोद कर करवाया गया था। यह खाई सुरक्षा एवं वर्षा जल निकासी हेतु काम आती थी। वर्तमान में जैसा कि आपने कहा सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन इसको कहा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यह ड्रेन कच्ची है और सीएफसीडी को पक्का करने के लिए और इसके विकास के लिये पूर्व में एक योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत नाले की चौड़ाई जल संसाधन विभाग और भू प्रबंधक अधिकारी, भरतपुर की राय के अनुसार 40 फीट निर्धारित करते हुए दोनों ओर 5-5 फीट की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

वृक्षारोपण पट्टी व एक ओर 30 फीट चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसके पश्चात् शेष भूमि पर जो आवासीय व व्यावसायिक निर्माण है, उसके नियमन का प्रस्ताव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा इस योजना में किया गया है। इस नाले का पक्का निर्माण करने से पूर्व निर्धारित चौड़ाई में आने वाले अतिक्रमण हटाये जाने का प्रस्ताव है। नगर विकास न्यास भरतपुर ने सीएफसीडी के निर्माण हेतु टोटल स्टेशन सर्वे करवा कर यह योजना तैयार कर ली है और लगभग 200 अतिक्रमण इसमें चिन्हित किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह निवेदन है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि पूर्व में अमृत योजना के तहत इसकी स्वीकृति हुई थी। हालांकि आपकी जानकारी में होगा कि वह कैंसिल हो गई। मेरे को तो हालांकि पत्र नहीं मिला लेकिन विभाग से मैंने जानकारी ली, इसकी चौड़ाई को देखते हुए, व्यावसायिक निर्माण के नियमन के भी कुछ इसमें कार्य हैं, कुछ अतिक्रमण भी हटाने हैं। राज्य सरकार ने इस बात के निर्देश दिये हैं, 9.3.2017 को इसके बारे में वहां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें नगर विकास न्यास, नगर निगम, दोनों होंगे और उक्त बैठक के बाद नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जो पुन: विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाएंगे उस पर निर्णय ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि भरतपुर एनसीआर में है, अगर आवश्यकता पड़ी जो 32 करोड़ की राशि का इन्होंने कहा है, अगर इनके पास उपलब्ध नहीं हुई तो एनसीआर का हमारा प्लानिंग बोर्ड है, उससे हम लोन दिला कर इस कार्य को कराने का प्रयास करेंगे।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 32 करोड़ स्वीकृत हों, और काम शुरू हो उससे पहले 200 अतिक्रमण से जो पानी रुक रहा है, इसको हटाने की कार्यवाही कितने दिन में कर देंगे जिससे कि इसका अस्तित्व बच सके।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही निवेदन कर रहा हूं, इसी के बारे में कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है जिसमें नगर विकास न्यास भी है, नगर निगम भी है, यह अतिक्रमण हटाने का, कुछ नियमन करने का, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो ऊपर बन गये हैं, उसको किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में ही मीटिंग रखी गई है। साथ ही साथ इस नाले को पक्का करने के लिये मीटिंग रखी है, उस मीटिंग का जैसा भी निर्णय होगा निश्चित रूप से उसके अनुसार कार्य किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

बाप तहसील (जोधपुर) में कब्जा काश्त किसानों को भू-आवंटन/नियमन

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसील बाप और फलौदी में कब्जा काश्त कर रहे किसानों को भूमि के आवंटन के संबंध में मैंने पर्ची लगाई थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी के बाप में लगभग बहुत बडी मात्रा में रकबा है जो परत भूमि में है और पूर्व में चरागाह हुआ करते थे वहां पर किसान अपने पशु चराते थे। उस समय राजस्व के लिये प्रत्येक बीघा पर बिघोडी नाम से लीज जाती थी, वह अत्यधिक होती थी तो कम लोग अपने नाम पर करवा पाते थे और बाकी अपने पशु चराते थे, वहां पर पशुओं के बाड़े होते थे। पचास साल से लोग वहां पर बैठे हैं, उन्होंने वहाँ पर घर बना लिये, पशुओं के बाड़े बना लिये। तहसील बाप में किसानों की दो दो पीढ़ियां वहां पर जन्म ले चुकी हैं और वहां पर पक्के मकान बन गये हैं और वहां पर लोग खेती कर रहे हैं और वह परत भूमि है। उसके ऊपर आवासीय ढाणी, टांके, पशुओं के बाड़े बने हुए हैं।

उक्त भूमि पर राजस्व विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष नोटिस दिया जाता है और 91 की कार्यवाही की जाती है और जुर्माना भी वसूल किया जाता है। इस बाप क्षेत्र में किसी प्रकार का भूमि आवंटन पिछले 30-35 साल से बिलकुल नहीं हुआ है। भूमि आवंटन नहीं होने के कारण लोग जहां पर वर्षों से खेती कर रहे हैं, दो दो पीढ़ियां वहां गुजर गईं, उनको बेदखली का खौफ हमेशा बना रहता है।

कोई भी एक सिरफिरा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर लिख देता है, तो पूरे गांव की शामत आ जाती है। ऐसा पहले भी दो-तीन गाँवों के अंदर हुआ है और पूरे गांव को खानाबदोश करके छोड़ दिया गया है।

माननीय महोदय, उक्त समस्या के समाधान हेतु पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने फरवरी, 2008 में भूमि आवंटन नियमन, उपनिवेश नियम, 2004 के नियम 21 (क) के अंतर्गत किसानों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। परन्तु राजस्व अधिकारियों के कमजोरी के कारण..। समय पर उन्होंने केसेज आगे नहीं बढ़ाए और इस कारण उस समय भी नहीं हुए और अब इस सरकार के आने के बाद तीन वर्ष होने के बाद भी वो यथास्थिति है। कांग्रेस को तो करना ही नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। परन्तु अब पुन: उसी आदेश की अनुपालना में अगर माननीय राजस्व मंत्री जी उन फाइलों को आगे बढ़ायेंगे तो निश्चित तौर से किसानों को राहत मिलेगी।

मेरे पत्र के जवाब में आपके राजस्व विभाग से एक पत्र गया था। राजस्व/ग्रुप/3 विभाग क्रमांक प(1)/319/ राज.3/15 जो जनवरी, 2017 का है। इसके तहत जिलाधीश महोदय को यह कहा गया है कि आप वहां से पत्रावली मंगाकर उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए। जिलाधीश महोदय को पत्र भी तहसीलों में गया है, परन्तु तहसील

(श्री पब्बाराम)

की तरफ से आज तक उन प्रकरणों की सूची या उन प्रकरणों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर तुरंत कार्यवाही करवाएँ ताकि समय रहते किसानों को आवंटन किया जा सके और बेदखली का खौफ ना रहे।

इसमें दो बातें हैं। एक तो वहां पर नहरी तंत्र होने के कारण यद्यपि वहां पर नहर का पानी बहुत कम जगह आता है। माननीय जल संसाधन मंत्री ने काफी प्रयासों से जो नहर बनी हुई है वहां पर पानी देने का प्रयास किया है, परन्तु जहां पर नहर नहीं बनी हुई है फिर भी उपनिवेश के अंदर दे दिया गया था। फिर वह रिकॉर्ड पूरा का पूरा बीकानेर चला गया। बीकानेर से पुन: राजस्व विभाग को भी आ गया। इन दो विभागों के अंदर झूलती-झूलती उनकी फाइलें, झूलता उन किसानों का भविष्य बर्बाद होने के लिए मजबूर है। लगभग तीस-पैंतीस साल से एक भी बीघा जमीन का कोई अलाटमेंट या नियमन नहीं हुआ है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों द्वारा क़ाबिज़ काश्त भूमि का आवंटन, नियमन, उपनिवेशन नियम 2004 के नियम 21 (क) अंतर्गत भूमि आवंटन नियमन किया जाकर कब्जा काश्त किये हुए किसानों को अधिकार दिये जाएँ। यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, मैं माननीय महोदय यह बड़ी टाइरेनी है कि हमारे फलोदी के अंदर डिफेंस का एक कुण्डल एयरबेस है। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है और वहां पर एस.सी., एस.टी. और पिछड़े तब के लोग वहां पर रहते थे और 35-40 साल पहले उनको वहां से उनको हटाया गया तो उनको कहां कि यहां पर जाकर बैठ जाओ। वे अनपढ़ लोग थे। जहां पर राजस्व अधिकारियों ने कहा, वहां पर जाकर बैठ गये। पूरा कुण्डल गांव वहां पर बस गया, वहां पर पंचायत बन गई, वहां पर स्कूलें बन गईं। पूरा गांव बसा हुआ है और एक सिरफिरा व्यक्ति उन सभी को दुख दे रहा है और वह क्षेत्र उस आगोर भूमि..। यद्यपि वहां पर कोई नदी-तालाब नहीं है, नदी-तालाब कम-से-कम दो किलोमीटर दूर हैं और उसका पायताना आगोर भी दूसरा है। अगर वह देखा जाए तो पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है और उसके ऊपर वहां के जो ग्रामीण हैं, उनको रात के समय में ही वह पीला पंजा दिखाई देता है कि किसी ने आकर के..। हमारे मकान बने हुए हैं। हमें उजाड़ देंगे। यह कोई पता नहीं और ऐसी कार्यवाही कई बार हो चुकी है। मेरा आप से निवेदन है कि इस कुण्डल गांव को बचाएँ, इसकी आबादी को बचाएं, उन गरीब लोगों के घरों को बचाएं, इस गांव को पूरा उजड़ने से बचाएं। इसके ऊपर कार्यवाही करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि चालीस-पचास साल पूर्व बसी हुई आबादी है, उसको आप हटा नहीं

(श्री पब्बाराम)

सकते और इस परिस्थिति के चलते आप इसे देखें। कुण्डल के बारे में मेरा विशेष तौर से निवेदन है।

दूसरा, फलौदी शहर में आने वाले पचास-सौ सालों में नहर आने वाली नहीं है। परन्तु वह भी उपनिवेशन में दे दिया। उसका 181 नंबर खसरा .. लोग वहां पर बसे हुए हैं। लोग वहां पर काश्त कर रहे हैं। परन्तु उपनिवेशन के नाम से न तो वहां पर अलॉटमेंट होता है और न ही उनको अधिकार मिल पा रहा है।

इसी प्रकार से जो पचास साल पूर्व से वहां पर बसे हैं और उनकी 91 में कार्यवाही चल रही थी और शहर के विस्तारीकरण के साथ ही वह क्षेत्र, फलौदी के अंदर एक क्षेत्र है जो फलौदी नगर पालिका में दे दिया गया और नगर पालिका में देते ही नगर पालिका की तरफ से कार्यवाही होती है और पचास वर्ष से बसे हुए उन कब्जा काश्त किसानों को उजाड़ने के लिए कई बार उन पर कार्यवाही की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की।

इसके बारे में भी कोई उचित निर्णय लेकर काश्तकारों को राहत प्रदान करेंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पर्ची दी है, वह अपनी बाप तहसील के बारे में दी है। इन्होंने फलौदी का भी जिक्र किया। उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाप तहसील के 229 गांव हैं और 229 गांव में से 29 ऐसे गांव हैं, जो कॉलोनाइजेशन में हैं और 200 गांव हैं, जो रेवन्यू के अंदर हैं। उसके लिए आपने जो मांग की है कि वहां पर जो काश्तकार बैठे हैं उनका कई वर्षों से वहां पर कब्जा है। उनको भूमि आवंटन करना, उनके नियमन करने के बारे में है। तो मैं माननीय सदस्य को आपके जरिए यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो कृषक हैं, स्वयं खेती करते हैं। उनके पास जमीन नहीं है। वे भूमिहीन काश्तकार हैं, जो काश्तकार की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो आठ जिले हैं, इसमें जोधपुर जिला शामिल है और वे आठ जिले कौन-कौनसे हैं ? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि इन आठ जिलों में आपका जो जोधपुर जिला भी आ रहा है और जोधपुर जिले के अलावा बाड़मेर भी आता है, चूरू भी आता है। बीकानेर भी आता है और जालौर भी आता है। पाली भी आता है। नागौर भी आता है। तो इन जिलों के अंदर नार्म्स अलग हैं। हम छह हैक्टेयर तक उनको नियमन या आवंटित कर सकते हैं। जो भूमिहीन काश्तकार हैं, स्वयं काश्त करना चाहता है या जिनका पजेशन है, सर्कुलर के अनुसार 2005 से लगाकर आज दिन तक जिनका पजेशन है, उन लोगों को इन आठ जिलों के अंदर छह हैक्टेयर जमीन आवंटित होती है

(श्री अमराराम)

और दूसरे जिलों में चार हैक्टेयर होती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन है कि एक अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है और जिसमें आप भी सदस्य हैं। मैं मानता हूं कि वर्षों से नियमन - आवंटन नहीं हुआ है। ऐसे भूमिहीन काश्तकार जो बैठे हुए हैं। मकान बना दिए हैं। खेती करते हैं। आपकी चिंता वाजिब है। इसके लिए अभी जो आपके अभियान चलेंगे। उस समय यह सरकार निर्देश देगी कि ऐसे भूमिहीन काश्तकार जो आपकी बाप तहसील के 200 गाँवों में बसे हुए हैं। उनके पास अधिक जमीन नहीं है। छह हैक्टेयर की सीमा से अधिक नहीं है। अगर उनके पास में चार हेक्टेयर है तो उन चार हैक्टेयर में हम ढ़ाई हैक्टेयर उनको और अलॉट कर देंगे। ढ़ाई हेक्टेयर के लिए जो लगान, जितने सालों से आप बैठे हो, वह लगान जरूर लेंगे।

जुर्माना नहीं करेंगे। उन पर इस प्रकार के जो नियम हैं उनके अनुसार काम होगा। बाकी आपके कोलोनाइजेशन के 29 गांव हैं, उन 29 गांवों के लिए चकबंदी करानी पड़ेगी। चकबंदी के बाद कीमतन, जो भूमिहीन है उनको आवंटित होगी। आज ही मैं कोलोनाइजेशन विभाग को निर्देश कर रहा हूं कि आपके 29 जिलों की चकबंदी कराई जाए और चकबंदी कराकर जो भूमिहीन काश्तकार है उनको कीमतन आवंटन किया जाए ताकि उनको भूमि मिल जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने फलौदी का जिक्र किया। फलौदी गांव कोलोनाइजेशन में है। आपने यह बात कही कि आगोर में बैठे हुए हैं,गोचर में बैठे हुए हैं, गांव के गांव बसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने हवाला दिया। जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट आफ पंजाब, इस बारे में भी हम परीक्षण करा रहे हैं। हमने रिव्यू भी पेश किया था। हम नियमों में भी कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोगों को आशियाना देना चाहते हैं लेकिन उनका आशियाना नहीं तोड़ा जाए, इस प्रकार की सरकार की नीति रही है। आप बैठे हुए हो, स्कूल बन गई, अस्पताल बन गए, उसके बारे में नियमों में परिवर्तन हो सकेगा तो सरकार करने का प्रयास करेगी।

मैं माननीय सदस्य को यही आश्वस्त करता हूं कि आपके बाप जिले के अंदर 200 गांव हैं, उन 200 गांवों में जो भी खेती कर रहे हैं, भूमिहीन हैं, उनको 6 हैक्टेयर तक भूमि, जिसमें आप भी उस अलाटमेंट कमेटी में हैं, इन अलाटमेंट कमेटी में वहां के प्रधान जी भी होंगे, वहां का अध्यक्ष होगा वह एसडीओ होगा। एसडीओ के साथ एक शिड्यूल्ड कास्ट, एक शिड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य भी होगा, गांव का सरपंच भी होगा। नियमों में है उसके अनुसार आप सब मिलकर आवंटन करने के लिए। कई वर्षों से नहीं हुआ है, उसके लिए सरकार चिंतित है। सरकार कोशिश करेगी, निर्देश देगी कि नियमानुसार यह जमीन, भूमिहीनों को दी जाए।

(श्री अमराराम)

यही बात कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मेरा प्रश्न यह था कि आप अपने राजस्व ग्रुप तीन, आपके ही विभाग के क्रमांक प- 1 (319) राजस्थान 3/15 जनवरी 2017 का है। इसकी अनुपालना में बाप से पत्रावलियां कब तक मंगाकर, पत्र जनवरी 17 में गया, आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक तो यह कार्यवाही तुरंत करवाने के लिए मैं आग्रह करूंगा।

दूसरा, वहां पर जमीनें भी हैं परन्तु वहां पर बाड़े बना लिए हैं, अपने घर बना लिए हैं, अपने बेटों-पोते के घर बन गए हैं, ऐसे करते-करते जमीन कम हो गई है। उस बाप के नाम जमीन बोल रही है, पोते के नाम आ जाती है, तीन पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भूमिहीन के लिए, उसके अंदर उसके बेटे जिसके पास जमीन नहीं है, पोते के पास जमीन नहीं है, क्या उसको देने का करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ही वह बैठा हुआ है, उसके घर बने हुए हैं। यह आज के नहीं बने हुए हैं 30-35 साल से बने हुए हैं। दो-दो पीढ़ियां वहां गुजर गईं, यह मेरा निवेदन था।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, घर बन गए, ग्रुप नम्बर तीन के अंदर आपने प्रार्थना पत्र दे दिए लेकिन नियमों में होगा तो जरूर इनकी मदद करेंगे। नियमों के बिना अगर सुप्रीम कोर्ट का बेन है तो हम कैसे करेंगे? यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सुप्रीम कोर्ट में तो आगोर का है। सुप्रीम कोर्ट में आगोर का है परन्तु पड़त भूमि है हुकुम, इसके बारे में तो विचार कीजिए।

प्रारम्भिक शिक्षा में मंत्रालयिक कर्मचारियों व शिक्षकों को पदोन्नति में वरिष्ठता का लाभ

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय......

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय शिक्षा मंत्री महोदय विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आप यह नई परम्परा डालने जा रहे हैं। on a "Parchi" I don't allow supplementary questions. It's not a Question Hour.

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा विभाग से संबंधित है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय विराजमान हैं, राजस्थान के अंदर पूर्ववर्ती

(श्री शंकर सिंह)
सरकार ने शिक्षा का बंटाधार किया था उसको आपने सुधारने के लिए, पदोन्नति करके पूरे राजस्थान में जो कार्य किया है, उसके लिए मेरी तरफ से मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने सबको न्याय दिया है।

इसी प्रकार का एक केस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वर्ष 1990-91 से फर्जी नियुक्तियों को, इन्होंने पदोन्नति का जो खेल खेला है, प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ कार्मिक के पद पर, जो अजमेर में पदोन्नति की गई है उसके अंदर चार अधिकारी, जिनको नियुक्ति दी गई है उसमें से वरिष्ठ को रखकर, जो वरिष्ठ नहीं थे उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। मैंने पिछले कार्यकाल में जब इनकी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार के समय, सत्र के अंदर शिक्षा विभाग का यह सवाल लगाया था। पीड़ित कर्मचारी, काफी लोग जो घूम रहे थे, अधिकारी भी थे जिनको इसमें अधिकार दिया था कि आप इसकी जांच कीजिए, वह जांच तब से अभी तक चल रही है लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। जो दोषी अधिकारी थे, जिनको दोषी माना गया, आपके शिक्षा विभाग ने भी उनको दोषी माना है, मेरे पास दिए गए आरोप पत्र की प्रतिलिपि भी हाजिर है, उन अधिकारियों को दोषी मानते हुए, उनको आरोप पत्र दिए गए हैं कि आरोप पत्र का जवाब दिया जाए, लेकिन आरोप पत्र में भी अभी तक लीपापोती होती आ रही है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिनको नियुक्तियां देनी थी, असली में जिनको मिलनी चाहिए थी जैसे गोपाल सिंह वगैरह है, इनको नियुक्ति नहीं मिली । राकेश पाटनी और भँवर लाल जरोटिया वगैरह, उस लाइन में भी नहीं थे उनको दे दी गई है। डायरेक्टर साहब ने जांच कराई उसमें भी उन्होंने दोषी माना है। उन्होंने कहा दोषी अधिकारी, जो चार दोषी अधिकारी थे उसमें से तीन तो सेवानिवृत्त हो गए हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपने सबको न्याय दिलाया है। जो दोषी अधिकारी बचे हुए हैं, विजेन्द्र कुमार गूंदवाल, जो भी इस प्रकार के दोषी अधिकारी हैं, एक ही बचा हुआ है उसको तो कम से कम सस्पैंड करके आप न्याय दे सकते हो। उसको आज ही आप सस्पैंड करें। गोपाल सिंह वगैरह, जिसको न्याय नहीं मिला है, जो दोषी अधिकारी है, पूर्ववर्ती सरकार के अंदर खेल रचकर, यह भ्रष्टाचार का आरोप लगाने जा रहे हैं, ऐसे आरोप सबूत के साथ पेश करो +++ कम से कम कोई बात भी हो।

हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने सबको न्याय दिलाया है, मेरा निवेदन है कि गोपाल सिंह को नियुक्ति नहीं मिली है, आपके पास पूरा प्रकरण हमने रखा है, आप इसको न्याय दिलाएँ, मेरा आपसे ऐसा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी का नियुक्ति अधिकारी का कैडर माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास है। प्राइमरी और सैकण्डरी के मंत्रालयों की एक साथ वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होते हैं। गत तीन वर्षों में हमने कनिष्ठ लिपिक से लेकर कार्यालय अधीक्षक तक 4062 से अधिक प्रमोशन किए हैं।

माननीय विधायक महोदय ने जो मुद्दा उठाया वह 2009 का है। उस समय प्रयोगशाला सहायक से दो लोग थे उनको उन्होंने प्रयोगशाला सहायक से एलडीसी बना दिया। एक साल के बाद ही उनको यूडीसी बनाया। लगातार यह प्रश्न लगाते रहे लेकिन इसकी सही ढंग से जांच नहीं हुई। हमने आते ही प्रारम्भिक जांच कराई उसमें चार अधिकारी दोषी पाए गए जिसमें दो तत्कालीन डी.ई.ओ., एक सहायक लेखाधिकारी और एक ए.डी.ई.ओ. जिसमें से तीन लोग तो रिटायर हो गए। चूंकि रिटायर हुए चार वर्ष से अधिक हो गए इसलिए उनके खिलाफ अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। फिर चौथे अधिकारी, इनको भी हमने 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत चार्जशीट दी है। इसके अन्तर्गत हमने कार्यवाही के लिये डी.डी., भरतपुर को जांच अधिकारी बनाया है।

इसमें आपका कहना सही है कि अधिकारी रिटायर हो जाते हैं और कार्यवाही नहीं होती। इसीलिये आपकी मांग के आधार पर चौथे अधिकारी को आज ही मैं निलम्बित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही आपने जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, उनका प्रमोशन नियमानुसार हो, इसके मैं निश्चित रूप से नियमानुसार अधिकारियों को निर्देश दूंगा। साथ ही यह जांच अगले तीन महीने में पूरी हो करके निर्णय ओरियंटेड बने, ताकि भविष्य में 5-5 साल, 7-7 साल तक इस प्रकार की शिकायतों की, और अधिकारी भी रिटायर होकर बचते नहीं रहें, और इस प्रकार की राहत भी, जो वास्तव में इससे वंचित रहे, उनको राहत भी मिल सके।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दोषी अधिकारी को आज ही निलम्बित किया है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपने सबको न्याय दिलाया है। यह, जिसकी नियुक्ति होनी है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई गांव का नहीं, लेकिन इतना जरूर मेरा निवेदन है कि वह इस क्षेत्र का है और इसको न्याय नहीं मिला है, तो तभी से उसको पदोन्नति का लाभ दिया जाये। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो 2009 से उसको लाभ दिया जाए। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आप उसके लिये तभी से न्याय दिलाएँ। पूर्ववर्ती सरकार ने जो न्याय नहीं दिया है, तो तभी कम से कम उस पीड़ित को तो न्याय मिलेगा, यह आप दो लाइनें जरूर, 2009 से उसको लाभ दिया जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको नियमानुसार हम न्याय दिलाएंगे। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009 से करो। उसका भला होगा। बहुत गरीब व्यक्ति के खिलाफ में, ऐसे उनका केस ले करके आता हूं। ऐसे कोई फर्जी केस नहीं है। न्याय की बात है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, और तभी से उसको लाभ दिलायें। यह आपके दो शब्द हो जाएंगे, उसका जीवन बनेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

वार्षिक प्रतिवेदन, श्री राजपालसिंहजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री हमीरसिंहजी।

याचिका

समदड़ी तहसील मुख्यालय (सिवाना) पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी तहसील मुख्यालय पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जीतमलजी।

परतापूर ग्राम पंचायत (बांसवाड़ा) को स्थायी नगरपालिका बनाया जाना

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र गढ़ी, जिला बांसवाड़ा की

(श्री जीतमल खांट)

ग्राम पंचायत परतापूर को स्थायी नगरपालिका बनाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंहजी।

आहोर उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आहोर के उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतनलालजी।

सीकर के चांदपोल से धोद रोड तक सड़क निर्माण

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सीकर के चांदपोल से धोद रोड तक सड़क निर्माण करवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नानालालजी।

हाण्डीदरा राजस्व ग्राम (खैरवाड़ा) में हाण्डीदरा से मेन रोड भाटिया कागदर पंचायत भवन तक सड़क निर्माण

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के राजस्व ग्राम हाण्डीदरा (ग्राम पंचायत भाटिया कागदर), तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर में हाण्डीदरा से मेन रोड, भाटिया कागदर पंचायत भवन तक सड़क निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नेत्र, नाक, कान तथा गला वार्डों की स्थापना व विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नेत्र, कान तथा गला वार्ड प्रारम्भ कर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

कोटपूतली स्थित सिविल न्यायालय का पावटा कस्बे में स्थानांतरण

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के थाना प्रागपुरा क्षेत्र के लिये संचालित सिविल न्यायालय को कोटपूतली से हटाकर पावटा कस्बे में स्थानान्तरित किया जाकर जनता को राहत दिलाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

बौहैड़ा (बड़ी सादड़ी) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी का निर्माण

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बौहेड़ा, पंचायत समिति बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ की चारदीवारी निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृतलालजी।

सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय पर जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उदयपुर जिले के सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय पर जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2016-17 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन।

श्री राजपालसिंहजी।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2016-17) (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-17 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017। डा. जसवन्तसिंहजी।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्दसिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को जनमत जानने के लिये प्रस्ताव दिया है। आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है, उसके लिये धन्यवाद।

मंत्री महोदय मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि यह वह डिपार्टमेंट है, यह वह बिल है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे, का वादा करने वाली सरकार का जो प्रमुख दस्तावेज है, स्किल डवलपमेंट, 15 लाख का वादा किया। अभी कुछ दिन पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था, सब समाचार-पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, इलैक्ट्रानिक मीडिया में आया था कि 11 लाख लोगों को हम रोजगार के लायक बना चुके। यह वह डिपार्टमेंट है, जिसके आंकड़े इन्होंने पेश किये थे, मुख्य मंत्रीजी ने। क्योंकि सरकारी नौकरी तो ये लाख भी दे नहीं पाये। तो यह जो आंकड़ा है इसके ऊपर चलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके माध्यम से सरकार स्किल डवलपमेंट के लिये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है, पी.पी.पी. मोड के ऊपर। एक दूसरा जो बिल है उसमें सरकार अपने एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने जा रही है। लेकिन मैं चूंकि अभी भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर है, उसी की बात तक अपनी बात को सीमित रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन, आजीविका विकास निगम बना रखा है। उस निगम के माध्यम से राजस्थान आजीविका मिशन नीति निर्धारक संस्था है और राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम उसकी क्रियान्वयन विंग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के आंकड़े सामने आये, हमें आश्चर्य हुआ कि 11 लाख लोगों को किस प्रकार रोजगार लायक इन्होंने बना दिया, कहां इन्होंने ट्रेनिंग दी। कैसे यह चमत्कार हो गया। इन्होंने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तो यहां तक भी कह दिया कि उनको नौकरी भी हमने लगा दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह केवल बिल लाने से प्रदेश का बेरोजगार युवा, जिसके साथ में चुनावों के दौरान आपने यह वादा किया था कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, हम आपको रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध कराएंगे, वह आपका जो वादा था, उसका क्या हुआ। साढे तीन साल हो गये, पहले बजट से लेकर आज तक आप यह कहते रहे, हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं, स्किल डवलपमेंट करेंगे, स्किल डवलपमेंट के प्रोग्राम चलाएंगे, लोग अपने आप प्रशिक्षित हो करके खूब पैसा कमाएंगे और अपने परिवार का पालन-पोषण करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम की जो हकीकत है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने कई प्राइवेट मिल और फैक्ट्रियां, माननीय मंत्री महोदय, आप नये-नये इस विभाग को सम्भाल रहे हैं। आपसे पहले जो कुछ हुआ, उसको आपको बता दूं तो आपको उनको कण्ट्रोल करने में ठीक रहेगा। इन्होंने प्राइवेट फैक्ट्री और मिल वालों को प्रत्येक जिले में इस आजीविका मिशन के माध्यम से, जो असंगठित श्रमिक थे...।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का सबको अधिकार है, पर बोलने वाले को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यह भारतीय स्किल डवलपमेंट के ऊपर बिल है। जो आप बोल रहे हैं, उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल समय बर्बाद करने से कोई बुद्धिमत्ता तो हो नहीं सकती। आप बिल पर बोलिये, मैं जवाब दूंगा। बेहूदी बात बोलने से क्या फायदा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय ही तय कर देंगे तो फिर चैयर क्या तय करेगी। इसलिये ये तो पहले से हड़बड़ा रहे हैं। मैं आपको तो पहले ही बरी कर चुका।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस पर बिल है, हाउस का समय बहुत कीमती है, अगर आपको बिल के बारे में नहीं पता तो ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस बिल का उद्देश्य क्या है, इस विश्वविद्यालय का, मंत्री महोदय, मेरे को इतना बता दो आप तो पहले, फिर तय हो जाएगा ....(व्यवधान)....

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अगर आपको बिल के बारे में नहीं ज्ञान है तो कोई बोलना जरूरी थोड़े ही है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस बिल को लाने का, इस महाविद्यालय की, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य स्किल डवलपमेंट नहीं है आपका ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): वह मैं बताऊंगा न। मैं जवाब दूंगा, आप बिल तक सीमित रहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने जो उद्देश्य बताये हैं न, उसको पढ़ा नहीं, यूं ही उठकर के सदन में आ गये। मंत्री महोदय, आपका उद्देश्य यही है कि हम जो स्किल डवलपमेंट कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसके लिए हमने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के ....(व्यवधान)....

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यूनिवर्सिटी के बारे में यह बिल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में है। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, है न। वह यूनिवर्सिटी क्या करेगी?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप उसके बारे में पूछिये। पहली बात तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में बोल रहा हूं पर चूंकि, पहली बार इन्होंने प्रारंभ ही गलत कर दिया, यह पी.पी.पी. मॉडल पर ही नहीं है, आपने कहां से पढ़ लिया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्राइवेट है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जबरदस्ती ही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब आप घबराओ मत, आपका अभी दाल में काला नहीं है, आप तो आए ही हो। ....(व्यवधान)....

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मुझे बहुत साल हो गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत साल हमारे साथ नहीं है, इधर तो अभी मिला है तोहफा। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: यह आप दोनों को आपस में बात करने की इजाजत किसने दी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यह हुई न बात। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन प्राइवेट मिल और फैक्ट्री के लोगों को पैसा बांटा और पहले से काम कर रहे हैं, उनको स्किल करने का, उनको प्रशिक्षित करने के आंकड़े सरकार ने दिये, इससे ज्यादा राजस्थान की जनता के साथ में कोई कुठाराघात हो नहीं सकता, उनके हितों के ऊपर। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टोकना नहीं चाहिए पर मैं इनसे वह सूची चाहता हूं कि कौन-कौन सी फैक्ट्री, कौन-कौन सा कारखाना और कब-कब उन लोगों को यह किया, जरा बता दें। अंदाजे से कोई बात हवा में छोड़ देना। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मयूर सूटिंग, मैं बोल रहा हूं न, आप तो पहले से ही घबरा रहे हो। मयूर सूटिंग, सिंटेक्स, इन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्राइवेट मिलों को आपने एक करोड़ 74 लाख रुपये से ज्यादा प्रशिक्षण के नाम से दिये हैं और मेरा यह आरोप है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कि इनसे घाल-मेल हुई है। आधे पैसे मिल वालों को दे दिये, आधे पैसे इन लोगों ने ले लिये। जो भी मालिक है इनके, कौन है, कौन नहीं है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं बोलूंगा भाई। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ न। आप इतने सुंदर लग रहे हो। आप जा कहां रहे हो? मैं बोल नहीं सकता?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जा नहीं रहे हैं, यह आपको जवाब देना चाहते हैं कि आप अनर्गल आरोप मत लगाएं। कोई आधार हो तो आप आधार सहित रखें इस बात को।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आर.टी.आई. से नकल ली है। मैं इस हाउस में पेश कर दूंगा, अगर मैं झूठा हुआ तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो मंत्री महोदय को इस्तीफा देना पड़ेगा।..(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह प्रशिक्षण के पैसे दिये हैं। प्रशिक्षणार्थियों को दिए हैं न?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, दिए हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर? वह तो हमारे कार्यक्रम हैं, वह क्या गुनाह किया है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गलत दिये हैं न। प्राइवेट फैक्ट्री वालों को दे रहे हो आप पैसे। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप नहीं चाहते कि इस तरह प्रतिष्ठित मिल के अंदर वह गरीब का बेटा जाकर प्रशिक्षण लेकर आए। इससे आपको क्या तकलीफ है? ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, वह चार साल से वहां काम कर रहा है। वह जो स्थाई नहीं है, असंगठित श्रमिक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पहले से प्रशिक्षित है। चार साल से, तीन साल से, दो साल से काम कर रहा है। उसको आप क्या प्रशिक्षित करोगे? आप तो उन्हीं कम्पनियों को, फैक्ट्रियों को पैसे लुटाने का काम कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टाइपंड की बात को कहां ले जा रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं स्टाइपंड की बात को यह बिना मतलब ? ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा सरकार को, सरकार अधीर हो रही है, अभी तो मैंने लगाया ही नहीं, कुछ आरोप ही नहीं लगाये, अभी तो आ रहा है इनका जो स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम चला है न आपकी सरकार का, जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हो, वह बता रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें फर्जी छात्र, फर्जी ट्रेनर और करोड़ों रुपये हड़प लिये। यह इनके 11 लाख को रोजगार देने की सत्यता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जो स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जो प्राइवेट लोगों को इन्होंने पैसा दिया, ट्रेनिंग की अनुमति दी, वह लोगों को, न तो वहां पर उतने प्रशिक्षणार्थी आये। बायोमैट्रिक जो मशीन थी, उसके आधार पर जो हाजिरी लगाते थे, वह भी फर्जी लगाते थे, वहां पर है ही नहीं वह प्रशिक्षणार्थी। ....(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बायोमैट्रिक फर्जी कैसे होती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गैर हाजिरी के बाद में नेफा भांकरोट में हाजिरी रिकार्ड में 21 मार्च, 2016 से 29 मार्च, 2016 तक 78 ट्रेनिंग गैर-हाजिर मिले लेकिन आर.एस.एल.डी.सी. के सर्वर पर इनकी हाजिरी लगी हुई है, जब आपका जवाब का समय आए तो मुझे बता देना। फर्जी ट्रेनिंग, पिता का नाम भी पता नहीं, कोर्स खतम करने से पहले प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जितना भी घोटाला हुआ है, फिर आपके प्रमुख शासन सचिव ने जांच के आदेश क्यों दिए?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पहले प्लेसमेंट हो जाए तो आपत्ति है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई बात नहीं आई, फर्जी भुगतान नहीं हुआ तो फिर राजस्थान के आपके विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत मिश्रा ने जांच के आदेश किस बात के दिए थे? जब धुआं उठता है तो कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई आग लगने की पूरी हंड्रेड परसेंट संभावना होती है। जब धुआं उठ रहा है आपके डिपार्टमेंट में तो बात बतानी पड़ेगी। आप लोगों को इस तरीके से मुगालते में नहीं रख सकते।

आज साढ़े तीन साल बाद में विश्वविद्यालय का एक बिल लेकर आए हो। एक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार पी.पी.पी. मोड पर और दूसरा अपना स्टेट का भी विश्वविद्यालय का बिल लेकर आई है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आजीविका मिशन के तहत आपने प्रत्येक जिले में, आज कोटा का ले लीजिए, भिवाड़ी का ले लीजिए, भीलवाड़ा का ले लीजिए, प्राइवेट मिल और फैक्ट्री के लोगों को पचास परसेंट के कमीशन में यह पैसा लुटाया गया, प्रदेश की जनता का।

मेरा आरोप है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार से स्किल डवलपमेंट नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि हम स्किल डवलपमेंट, आई.टी.आई., हमने आई.टी.आई. खोली थी, हमारी सरकार ने जाते-जाते, समीक्षा के नाम पर बंद कर दी। फिर हमने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से की। महिलाओं के लिए अलग से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की।

आपने यही, उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी कालीचरणजी सराफ थे, उन्होंने यहां पर कहा था कि लक्ष्मणगढ़ में खोली है उसको, अल्पसंख्यक थी आई.टी.आई., हम इसको जनरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर मैंने प्रश्न लगाया तो इन्होंने कहा कि हम जल्दी ही खोल देंगे। फिर कल-परसों जवाब, थोड़े दिन पहले जवाब आया, हमने भवन दे दिया लक्ष्मणगढ़ आई.टी.आई. में, हमारी जो कर्मा बाई शिक्षण संस्थान थी, उसके लिए जमीन अलॉट थी, कलक्टर ने डिमार्केशन कर दिया, जमीन आवंटित कर दी, आज की तारीख तक, सवा तीन साल तक, यह किसका स्किल डवलपमेंट कर रहे हैं? किसका ? किन को प्रशिक्षित कर रहे हैं ? जब आई.टी.आई. 2013-14 के बजट में खोली गयी, वह लक्ष्मणगढ़ की आई.टी.आई. आज दिनांक तक नहीं दे सके। रोजाना चिट्ठियां आती हैं कि नहीं हम दे देंगे, प्रशासनिक स्वीकृति दुबारा जारी कर दी है। साढ़े तीन साल से जिस आई.टी.आई. के माध्यम से बच्चा प्रशिक्षित होता, वह दो साल का, तीन साल का, बारह महीने का जो भी कोर्स था, वह लेकर अगर प्रशिक्षण लेकर जाता, उसकी नौकरी लगती, वह कहीं प्राइवेट में नौकरी करता। आपकी नीयत ही ठीक नहीं है तो उसका मैं क्या कर सकता हूं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जो बिल लाए हैं, यह बिल के माध्यम से कहीं इस विश्वविद्यालय के ऊपर जो चैक एंड कंट्रोल, हम प्रत्येक विश्वविद्यालय की बात करते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाता है, उसके ऊपर कहते हैं कि चैक एंड बैलेंस के लिए आप क्या बना रहे हो ? नियामक आयोग आप बनाते नहीं, साढ़े तीन साल हो गये, दो-दो मंत्री बदल गये। कोई बनाने को तैयार नहीं, उनके ऊपर कंट्रोल किसी का है नहीं और जो आपका स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसकी हकीकत यह है कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करोड़ों-करोड़ों रुपये फर्जी प्राइवेट संस्थाएं उठा रही हैं, आपका किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गुमराह करने वाली बात है कि 15 लाख लोगों में से 11 लाख लोगों को आपने प्रशिक्षित कर दिया, 11 लाख, भगवान, बहुत होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज इंजीनियरिंग किये हुए, आई.टी.आई. किये हुए, यह जितने भी बच्चे हैं, यह सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। वेकेंसी आप एक निकाल नहीं रहे हो और जो प्राइवेट स्किल डवलप कर रहे हैं, वह प्राइवेट कम्पनियां पैसे आपका उठा रही है। लेना एक और न देना दो।

अब ऐसे आदमी को आपने इस निगम का एम.डी. बना रखा है, जिसके ऊपर पहले भी जयपुर कलक्टर रहते हुए भी आरोप लगे थे। दूसरे रहते हुए भी आरोप लगे थे। बता नहीं सकते तो क्या है, मैंने किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहां बोल रहे हैं? अब इन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं। आप यह बता दो कि इस बिल के अंदर कितने सैक्शन हैं और आप यह जो कह रहे हो न इसको प्रमाणित कर दो। ....(व्यवधान).... जिसमें सरकार को अधिकार दिया है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता होगी, किसी प्रकार की कोई भी शिकायत होगी तो सरकार अपने अधिग्रहण में इस विश्वविद्यालय को ले सकते हैं। इनको पता ही नहीं, यह तो कहीं के कहीं, आरोप लगा देते हैं। ....(व्यवधान)....

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कभी-कभी कैसेट चैंज भी कर लिया करो। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप अच्छा बोलते हो, बिना तैयारी के, आज तैयारी नहीं की, अब क्षमा कर देना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी बात को कंक्लूड करना चाहते हैं, आप बुरा मत मानना। यह आपके कारण से, आपकी आँख के कारण से बोल रहे हैं, वर्ना बोलना नहीं चाहते यह आज। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अपनी श्रम मंत्रीजी की मित्रता का उनको फायदा देना चाह रहे हैं, देना भी चाहिए। हमारे भी बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं, हमारे वरिष्ठ रहे हैं। आज भी हमारी यथा-समय मदद करते रहते हैं, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो या चाहे कोई और हो। अब ठीक है, हमारी मित्रता का इनको लाभ मिल गया तो इनको एंज्वाय

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करना चाहिए। मैंने इन पर आरोप नहीं लगाया, मैं लगाता भी नहीं, ऐसे किसी पर लगाता हूं क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। मेरे से बोला ही नहीं जाता, मेरा वैसे ही गला खराब रहता है।

तो मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जो स्किल डलवपमेंट के नाम से पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हो।

प्राइवेट फैक्ट्रियों और मिल वालों को पैसे दे रहे हैं आपके जिला कलक्टर मिल-मिलकर, और आपके जो प्राइवेट संस्थान हैं, उनके ऊपर आपका निरीक्षण नहीं है, आपका चैक एण्ड बैलेंस नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रशिक्षणार्थी बच्चे आते ही नहीं हैं और पैसे उठा रहे हैं। बायो-मैट्रिक जो हाजिरी है, वह भी आप फर्जी भर रहे हो। निश्चित रूप से प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ में यह खिलवाड़ है।

(14.00 बजे)

आप इंजीनियरिंग की भर्ती निकालो नहीं, पोलाटैक्निक करने वालों के लिये भर्ती निकालो नहीं, आई.टी.आई. दुनिया भर की खोली हमने, उनको आप आगे बढ़ा नहीं रहे हो। जो आई.टी.आई. किया हुआ बच्चा प्रशिक्षित होगा, निश्चित रूप से उसको नौकरी मिलेगी। यह जो प्राइवेट वाले कर रहे हैं न, यह न तो प्रशिक्षित करते हैं और न इनके प्रशिक्षण से कोई नौकरी मिलती है। रोजगार मेले लगा देंगे, युवाओं को यह दे देंगे। ग्यारह लाख का आंकड़ा मंत्री महोदय, बताना आप कि किस-किस क्षेत्र में, क्योंकि आप तो श्रम मंत्री हो, तो आपको पक्का पता है कि सरकारी नौकरी के अलावा आपने कहां-कहां कितना प्रशिक्षण दिया और उनमें से कितने बच्चे नौकरी लगे? आज कौन-कौनसे बच्चे कितनी जगह पर नौकरी लगे, यह आंकड़ा अगर इस सदन को बता दोगे तो हम जो दूसरे नम्बर वन की दौड़ में हैं, उनसे पहले आपको नम्बर वन की दौड़ में माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहकर नम्बर दिलाएँगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मदद करेंगे हमारी, लेकिन करके तो दिखाओ न कुछ। केवल घूमने से क्या होता है आप बताइये। विश्वविद्यालय ले आये साढ़े तीन साल बाद में। विश्वविद्यालय पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाकी हैं उच्च गुणात्मक शिक्षा देने के लिये, हमें कुछ करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पीएच.डी. करने वाले बच्चे पौने दो-दो लाख रुपये देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, और वह डिग्री लेकर आ जाते हैं। कौन उनकी थीसिस लिखता है, कौन सब्मिट करता है। इनका भगवान मालिक है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, डोटासरा जी आपकी इमेज बनी थी कि आप अच्छा बोलते हो और आज सब पढ़े-लिखे लोग हंस

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ जानते ही नहीं। क्यों इमेज खराब कर रहे हो ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं साढ़े तीन साल ठीक बोला, उसका आपने धन्यवाद दे दिया, इससे आगे डेढ़ साल काम चला लूंगा। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मेरा बड़े भाई का और छोटे भाई का रिश्ता है, उसको पूरा निभा रहा हूं। मैंने इनको पहले ही बरी कर दिया कि आप तो आये ही हो और हमारे मेल के चक्कर में आपको मिला, आप काहे के लिये घबरा रहे हो। आप तो मेरे यहां लक्ष्मणगढ़ में आई टी आई नहीं भी खोलोगे तो भी मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): खोलेंगे, निश्चित खोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निश्चित खोलेंगे तो धन्यवाद। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब राठौड़ साहब भी यह चाहते हैं कि यह घोटाले ज्यादा उजागर नहीं हों, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी की इनको डांट पड़ जाएगी तो मैं भी नहीं चाहता। यह तो मेरे पड़ोसी है। सीकर और चूरू तो बिलकुल पड़ौस में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि मैं तो बिलकुल एकदम सत्य और सत्य के सिवाय कुछ नहीं, उस शपथ के ऊपर चलने वाला व्यक्ति हूं। इसलिये जितनी बातें कहूंगा वह इनके खिलाफ जाएगी। नया-नया मंत्रालय मिला है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया है, और वह केवल मात्र मैं कहता हूं कि अगर एक प्रमुख कारण गिनो तो माननीय मंत्री महोदय, 15 लाख का रोजगार देने वाला आपका सुराज संकल्प यात्रा का जो स्टेटमेंट था, उसमें आकर हमारे राजस्थान के युवाओं ने आपकी मदद की थी। लेकिन भूल गये विद्यार्थी मित्र निपट गये, घर बैठे हैं बेचारे, जितने आंगनबाड़ी के प्रेरक, सबको नियमित करने का वादा आपने सुराज संकल्प यात्रा में किया था, कुछ नहीं हुआ। यह स्किल डवलपमेंट पता नहीं कहां से लाये और लाकर इसमें घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। आपकी ईमानदार मंत्री की छवि है। हम कहते हैं, यह तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यह तो आपसे जलते हैं, आप कैसे बन गये। लेकिन हम कहते हैं कि आप ईमानदार मंत्री हो। आप कम से कम इस घोटाले को रोकिए और वास्तव में उन बेरोजगार युवाओं को, प्रदेश के उन लोगों को आज स्किल डवलपमेंट की ट्रेनिंग दीजिए और उनको इतना प्रशिक्षित कीजिए कि आने वाले समय में वह भी आराम से जीवन-यापन कर सकें और हमारे प्रदेश का भी नाम ऊँचा हो। यह साढ़े तीन साल तो गये मंत्री महोदय, डेढ़ साल का समय बचा है यह, इस डेढ़ साल में कुछ कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जाना तो निश्चित है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। जलदाय में घोटाला, एन.आर.एच.एम. में घोटाला, बीजों का घोटाला, स्किल डवलपमेंट में घोटाला, जब इतने घोटाले हो रहे हैं तो जाना तो तय है। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, खान वाला तो अभी-अभी आया ही था, दुबारा क्यों रिपीट करूं मैं।

एक माननीय सदस्य: आपको लक्ष्मणगढ़ नहीं जाना क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लक्ष्मणगढ़ जाना भी है और दुबारा जीतकर भी आना है। आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है माननीय सदस्य।

श्री सुशील कटारा (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी): नेता तो तय कर लो आप, कि किसको करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नेता तय किया हुआ है। हमारे प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर देंगे। आपके पाँच मैम्बर भी नहीं आएंगे। अब मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): किसके नेतृत्व में तय होगा ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका जिला नहीं बनेगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नेतृत्व अभी तय नहीं है आपका।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानित सदस्य, अपना वक्तव्य इस बिल के और इस विधेयक के हिसाब से आप अपनी सीमा रखकर बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतनी देर तो बिल पर ही बोला हूं। अब एक-दो मिनट यह बीच में बोल गये, बाकी तो बिल पर ही बोला हूं। इसलिये भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर है, यह निश्चित रूप से स्किल डवलपमेंट के लिये ठीक होगा, लेकिन इसमें जो अनियमितता होगी, आज हमारे स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम में फर्जीवाड़ा यह विश्वविद्यालय नहीं करे, हमारे बच्चों को ईमानदारी से प्रशिक्षित करे और इस लायक बनाए कि वह अपना रोजगार कर सकें, इसके लिये चैक एण्ड बैलेंस, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरूरी है और इसके लिये नियामक आयोग पहले भी नहीं बना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में ही समाप्त करूंगा। पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो विश्वविद्यालयों को बिल पेश करते थे, मैं समझता हूं वह हायर एजुकेशन में था और यह श्रम में आ गया, इसलिये इन्होंने पेश कर दिया। बाकी सवाल यह है कि जो भी प्राइवेट लोग आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आते हैं, वह इतना असीमित अधिकार सदन से ले लेते हैं बिल के माध्यम से, कि वह बाद में किसी के कंट्रोल में नहीं आते। आप सैक्शन 40, 41, 44 कुछ भी करो, लेकिन जब तक नियामक आयोग नहीं बने, पहले भी शिकायतें हुई थीं,12

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
यूनिवर्सिटी के कालीचरण जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने यह कहा था कि हम जांच करा रहे हैं, कोठारी जी की अध्यक्षता में वह कमेटी बनायी थी। आज तक किसी का नहीं हुआ। अभी किरण माहेश्वरी जी हमारी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, सब कुछ जानती हैं, इन्होंने भी घोषणा की है। आपकी घोषणा का भी हम इंतजार कर रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय अनियमितता कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे? इसलिये इस बिल को पारित करने से पहले जनमत जानने के लिये जाना जरूरी है और जनमत के माध्यम से ही यह आएगा कि लोग क्या चाहते हैं। एक अलग तरह का विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय है, इसलिये निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाएं हैं। लोगों में है कि ठीक है स्किल डवलपमेंट होगा और बच्चे नौकरी लगेंगे, इसलिये इसके ऊपर जनता की राय हम सब जन-प्रतिनिधियों से चर्चा करके जनमत जानने के लिए इसको भेजा जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ. फूलचन्द भिण्डा।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, कौशल विकास हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी का एक प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिये और सारे विश्व में युवकों की ख्याति है, सारे विश्व में मांग है और उसको और गति देने के लिये लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने शायद पहला पन्ना पढ़ा नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा है - 'विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में विशेषत: कौशल विकास में शीघ्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने की दृष्टि को रखते हुए युवाओं को विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों के संगत बनाने हेतु उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षिक और कौशल विकास सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए राज्य में विश्वस्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना इसका उद्देश्य है।' यह अभी आरोप लगा रहे थे 11 लाख को कौशल विकास में कर दिया, माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में 1300 से ज्यादा तो आई टी आई हैं, एक लाख से ज्यादा लोग तो उससे हर वर्ष निकलते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, वही आंकड़ा दे रहे हो क्या, जो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आई टी आई कर रहे हैं, वही आंकड़ा है न?

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 11 लाख के आरोप का जवाब दे रहा हूं। हमारे पास है स्किल पहले से और आधुनिक तरीके से स्किल बनाने के लिये है यह। स्किल तो पहले से ही है। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, हमारे पास में सब कुछ पहले से हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भिण्डाजी, मैं यह कह रहा हूं कि सारी पोल मत खोल देना कांग्रेस की, नहीं तो कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं। आप आज तैयारी करके आये हो, लग रहा है।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कांग्रेस की पोल तो आपके डिवीजन में नियत है, जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो सारा हथकण्डा है, वह इनके कारनामे है, इनका पाप है। वह सारी दुनिया जानती है, उसके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है।

इस कारण से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 की अनुमति दी है, यह कौशल विकास के क्षेत्र में एक कदम है। हालांकि इसके कुछ खतरे हैं, मैं उनके बारे में भी निवेदन करूंगा लेकिन यह एक्ट लाया गया है यह आवश्यक था क्योंकि जब हम विश्व के पटल पर जाते हैं तो वो योग्यता भी जानने का प्रयास करते हैं, जिन संस्थाओं से सर्टिफिकेट लेते हैं उनके स्टेटस को भी जानने की कोशिश करते हैं विश्व के लोग या अन्य देशों के लोग या हमारे देश के लोग भी। इस कारण से उस दृष्टि से एक विश्वविद्यालय डिग्री के रूप में, विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र के रूप में जो युवा शिक्षण लेंगे, अपने आप को निपुण बनायेंगे उनके लिए यह आवश्यक था, यह तय किया गया।

हालांकि इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी गयी हैं, जैसे चेयरपर्सन, अब इस देश में विश्वकर्मा जी भी हुए और विश्वकर्मा जी को हम आदर्श मानते हैं, सारी दुनिया आदर्श मानती है कि उन्होंने कला के क्षेत्र में या निपुणता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया था और सारे विश्व के लिए एक प्रतीक है। लेकिन इसमें जो पद दिये गये हैं जैसे वो हमारा मॉडल विश्वविद्यालय था, पहले एक एक्ट आपके टाइम में आया था, उसे मॉडल मान कर के ही अभी इसकी रचना की गयी है। शायद मेरे अंदाज से इसको कुछ और मोडिफाई करने की आवश्यकता थी।

इसके अलावा उसमें जैसे चेयरपर्सन के बाद प्रेसीडेंट की बात है, कौशल विकास की बात करते हैं, प्रेसीडेंट शब्द है, चेयरपर्सन शब्द है, वाइस प्रेसीडेंट शब्द है फिर उनकी योग्यता का कोई उसमें निहितार्थ नहीं है। योग्यता शो ही नहीं की गयी। इस प्रकार की चीजें हैं।

इसी प्रकार से इसमें जो विषयों की लिस्ट दी गयी है, विनिर्माण और मोटर-वाहन, लोक स्वास्थ्य कौशल, इलैक्ट्रोनिक्स, फोटोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रबंधन, व्यापार इन्होंने यह विषय लिये हैं कौशल विश्वविद्यालय को प्रमाणित करने के लिए। लेकिन नीचे मेरे अंदाजे से शायद बैक डोर एण्ट्री का प्रयास भी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसमें किया गया है। इसमें शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, प्रबंधन अध्ययन, विज्ञान, अभियांत्रिकी, विधि, कला, वाणिज्य और मानविकी, चिकित्सा और दन्त चिकित्सा, नर्सिंग यह चीजें भी वो करेंगे। उधर कौशल विकास लेबर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत यह एक्ट लाया गया है। शायद इसको एक बार देखने की आवश्यकता है।

वो मेडिकल कॉलेज भी चलाएँगे। कौशल विकास के लिए तो हम विश्वविद्यालय ला रहे हैं लेकिन वो मेडिकल कॉलेज भी चलाएँगे, नर्सिंग इन्स्टीट्यूट भी चलाएँगे और फिर परिणाम वैसा ही आएगा जैसे जोधपुर में कांग्रेस के शासन में एक शुरुआत की गयी और बड़ी बड़ाई की गयी कि हम लॉ को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसका परिणाम उस प्रकार का है।

इसी प्रकार से जिनके नाम से यह आया है, 'यत:, राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट', जहां तक मुझे ध्यान है राजेन्द्र भारत के हैं और यह उर्सला जो है यह शायद विदेशी है, इस कारण से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के यह खतरे भी रहेंगे जिसके कारण से कहीं युवकों के साथ या व्यवस्था के साथ धोखा नहीं हो, ऐसी भी मुझे आशंका लगती है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

इसी प्रकार से जो प्रबंध बोर्ड है उस प्रबंध बोर्ड में कौशल, रोजगार, उद्यमिता, श्रम और कारखाना एवं बायलर्स विभाग, सरकार का एक प्रतिनिधि होगा, यह तो केवल लेबर से सम्बन्धित एक विभाग हुआ लेकिन आगे जो सब्जैक्ट दिये गये हैं विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, क्या-क्या क्षेत्र में जा सकते हैं, उनसे सम्बन्धित विभागों के भी प्रतिनिधि इसमें रहने चाहिए थे। एक भी सरकार का प्रतिनिधि इसमें नहीं रखा गया है। हम विश्वविद्यालयों को कितनी छूट देते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से लाचार होते हैं। यह अब तक का प्रमाण है। पहले भी इस सदन में कई बार बात आयी इस कारण से जब हम विधान सभा से एक्ट पास कर रहे हैं, जैसे सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनमें हमारा एक माननीय सदस्य होता है, जिसको माननीय अध्यक्ष नियुक्त करते हैं एक प्रतिनिधि सदस्य के नाते, तो यहां भी किया जाना चाहिए, मानीटरिंग की दृष्टि से भी और वो मनमाना नहीं करें, इसको भी चैक करने के लिए। तो यह कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जानी चाहिए जो भी विश्वविद्यालय खुलें उस रूप में।

इस दृष्टि से थोड़ा सा इसमें मुझे ऐसा लगता है, जैसे ऑर्डिनेंस लाया गया था उसमें मुझे जल्दबाजी लगती है। मैं तो मेरी आशंका के आधार पर कह रहा हूं कि ऑर्डिनेंस की क्या आवश्यकता थी कौशल विकास के लिए ? डेढ़, दो महीने बाद विधान सभा आ ही गयी तो यह लाया गया। या तो उसकी अर्जेंसी को माननीय मंत्री जी और

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

स्पष्ट करें जिससे सदन को विश्वास हो कि यह वास्तव में अर्जेंसी थी। इस प्रकार का विश्वविद्यालय हम स्थापित कर रहे हैं, पहली बार विश्वविद्यालय कर रहे हैं और वो भी युवकों को कौशल विकास के लिए कर रहे हैं, लेबर को देने के लिए और देश की अर्थ-व्यवस्था को गति देने के लिए। अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्ट तो वो ही है कि देश की जो विकास दर है, जो कभी हिन्दू रेट ऑफ ग्रोथ कहलाती थी, ढाई परसेंट से ज्यादा कभी कांग्रेस ने जाने ही नहीं दिया विकास दर को, पहली बार वो आगे बढ़ी और उसमें भी माननीय अटल जी के टाइम में और अब मोदी के टाइम में उसको हम सात परसेंट से ऊपर ले जाने में सफल हुए हैं, उसको यह गति प्रदान करेगा।

इस कारण से यह कुछ बातें थीं जो मैंने आपको निवेदन की हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड स्टेज पर अपनी बात कहने के साथ ही इस वक्तव्य को पैंडिंग रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश। (अनुपस्थित)। श्री सुखराम जी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है। यह एक ऑर्डिनेंस के जरिए 28 दिसम्बर, 2016 तदनुसार 29 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है केवल मात्र अक्टूबर में लाया गया ऑर्डिनेंस से और जनवरी में लास्ट में विधान सभा आहूत थी, डेढ़-दो महीने पहले इस ऑर्डिनेंस को लाने का क्या मकसद था ? यह न तो इसके उद्देश्य हैं, कारण हैं इसमें स्पष्ट किया गया है। मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि इतनी क्या जल्दी थी कि विधान सभा आ रही है और उससे पहले लाया गया ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बताया गया है बहुत ही बड़ा है, कम से कम तीन गांवों के खेत इसमें लिए गये हैं, जमीन एक्वायर की गयी, इन्होंने खरीदी है महिन्द्रा सेज के अन्दर और उसमें कुल दो गांव की 30 एकड़ जमीन है, फिर 7 प्वाइंट कुछ एकड़ जमीन है। उसमें प्रशासनिक खण्ड हैं उसके तहत कुल 38 कमरे 668 वर्ग मीटर में फैले हुए बताये गये हैं। उसके बाद में जो इकाइयां हैं, उनके जो डीन हैं उसमें बैठने के लिए, वो भी कुल 38 हैं और 7050 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। फिर इसके दो कक्षा कक्ष हैं, एक कॉमन कक्ष है, यह दो-दो के हिसाब से 52 और 03, यह 55 हो गये। कुल मिला कर के छात्रावास के लिए 3112 वर्ग मीटर, भोजनालय के लिए इतने मीटर।

यह जो पूरा ढांचा खड़ा किया गया है इस कौशल विकास विश्वविद्यालय का,

(श्री सुखराम विश्नोई)

इसकी जांच, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक श्री कृष्ण कुणाल, आई.ए.एस. हैं, उसके बाद में एक आचार्य हैं यादव साहब, एक श्री धीरेन्द्र जी देवर्षी हैं और एक विक्टर गम्भीर हैं, एक हर्ष द्विवेदी भी हैं, उन्होंने इसका मौका-मुआयना कर के इनकी रिपोर्ट पेश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब इतना बड़ा ढांचा खड़ा है तो कम से कम इस एक्ट को पारित करने से पहले एक विधायकों की कमेटी वहां मौके पर जाए और जांच करे, वाकई में इतना ढांचा खड़ा है या नहीं। क्योंकि जब यह जांच करने गये हैं तो जांच करने वाले की रिपोर्ट इसके साथ में लगायी हुई नहीं है, केवल-मात्र एकट में यह लिखा गया है कि हमने यह जांच की। जांच रिपोर्ट वाकई में कोई अलग है या जांच रिपोर्ट इनसे भिन्न है तो यह पूरी बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो पांच-छह कमेटी जांच करने के लिए गयी थी जांच रिपोर्ट पाजिटिव आयी है या नेगेटिव आयी है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो कम से कम इसमें आनी चाहिए ताकि पूरा खुलासा हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्किल के नाम से जिसे हुनर कहते हैं, राजस्थान के अन्दर आई.आई.टी. के नाम से पहले बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, सरकारी भी चल रही हैं और प्राइवेट भी चल रही हैं।

उन सभी संस्थाओं को अगर मजबूत किया जाता, उनमें और संसाधन बढ़ाए जाते तो सही होता। जो सरकारी आईटीआई थीं, उनसे कई लोग पढ़कर के, टैक्निकल हैंड मोटर बाइंडिंग के बने हैं, मिस्त्री बने हैं, किसी ने पानी के पंप को ठीक करने का काम सीखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट क्या थी, जिसकी जांच की थी। इसी तरह से बीकानेर विश्वविद्यालय का बिल माननीय सराफ जी ने पास करवाया था, लेकिन मौके पर हालात ऐसे नहीं थे। जो एरिया कवर्ड बताया था, उतना एरिया कवर्ड नहीं था। माननीय मंत्री महोदय, कम से कम इसको पास करने से पहले 4-5 विधायक सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के इस स्थिति को देखें कि इतना बड़ा वहां पर इंस्टीट्यूट खड़ा है कि नहीं है, तब जाकर के इसको पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन है कि जब हम हुनर की बात करते हैं तो आज की तारीख में जो गांवों में पीढ़ियों से हुनर का काम कर रहे हैं, चाहे वह सुथार का काम हो, चाहे लुहार का काम हो, चाहे सिलाई का काम हो, वह तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखकर के करते थे और उससे गांव की व्यवस्था चलती थी। जो पहला बजट अभिभाषण था राज्यपाल महोदय का और मुख्यमंत्री जी का पहला बजट भाषण था, उसमें घोषणा की गई थी कि हम कौशल स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे और उसके मार्फत बच्चों में हुनर पैदा

(श्री सुखराम विश्नोई)

करेंगे। उसको सिखा कर रोजगार देंगे। अब 3 साल बीत गए और इनको याद आया कि लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को क्या जवाब देंगे, तब जाकर के इनको स्किल यूनिवर्सिटी की याद आई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ में राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय और है, इस पर इसके बाद में चर्चा होगी। अभी मेरी पार्टी के साथी विधायक कह रहे थे कि 11 लाख को नौकरियां कहां हैं ? रोज हमारे संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर के, किताब हाथ में लेकर के, कि हमने 11 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। वाकई में 11 लाख लोगों को रोजगार कहां दिया ? वह कहां नौकरी कर रहे हैं ? कहां उनकी डयूटी बोल रही है ? किस तरह का घोटाला हुआ है ?

माननीय श्रम मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई में आप 11 लाख लोगों को नौकरी की बात, आप झांसे की बात कर रहे हो। किस तरह से आपने नौकरी लगाई ? हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी होशियारी, कौशल क्या है ? आपकी होशियारी हम भी जानना चाहते हैं। आप यह स्पष्ट करें कि यह 11 लाख लोग कहां लगे हैं। किस तरह का आपने घोटाला किया है और क्या स्थिति चली, ताकि स्पष्ट हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि चौथी साल में यह बात याद आई कि हमने पहले अभिभाषण में वादा किया था कि स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तब जाकर के आपने एक प्राइवेट संस्था से किया। क्या पता किस तरह की स्थिति है मौके पर, क्या हालात हैं? एक आपने विधेयक तैयार किया। विधेयक तो पहले से ही बने-बनाये तैयार होते हैं। लोग तो तैयार कर देते हैं बैठे-बैठे। आपने आर्डिनेंस जारी करवा दिया और आप इसको लेकर के आ गए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कौशल की जो डेफिनेशन दी गई है, 'कौशल से किसी कार्य, भूमिका को सफलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक निष्पादित करने के लिए शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से अर्जित की गई अर्हता और सक्षमता अभिप्रेत है'। एक आदमी को स्किल्ड किस तरह से बनाया जाए, इसकी डेफिनेशन दी है। लेकिन इस पूरे एक्ट में उसको किस तरह से स्किल किया जाएगा, यह नहीं है।

इस पूरे एक्ट में इनके बोर्ड के जो सदस्य हैं, चाहे चेयर पर्सन हैं, चाहे प्रेसीडेंट हैं, चाहे प्रोवेस्ट हैं, कुलानुशासक हैं, संकायों के संकायाध्यक्ष हैं, कुल सचिव हैं, मुख्य वित्त लेखाधिकारी हैं, यह तमाम जो इस यूनिवर्सिटी को चलाएंगे, इनकी कहीं भी योग्यता नहीं दर्शाई नहीं गई है। जो चेयर पर्सन होगा उसकी क्या योग्यता होगी, जो प्रेसीडेंट होगा उसकी क्या योग्यता होगी ? जिसकी इस एक्ट में योग्यता नहीं दी गई है, किस

(श्री सुखराम विश्नोई)

योग्यता के वह लोग होंगे और उनकी क्या दक्षता होगी, वह किस तरह से लोगों को स्किल्ड करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पास करने से पहले, जनमत जानने हेतु भेजने से पहले यह तय किया जाए कि वाकई में इन लोगों की जो योग्यता होनी चाहिए वह योग्यता दर्शाइ जाए। तब जाकर के इसको आगे बढ़ाया जाए। तभी जाकर के लोग वहां पढ़ सकेंगे, स्किल्ड हो सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो सैक्शन 6 है, विश्वविद्यालय का स्व वित्त पोषित होना, इसमें लिखा है, 'विश्वविद्यालय स्व वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा'। इसी सैक्शन में आगे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है, क्लॉज 19 में, 'केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकृतियां प्राप्त करना और वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं या अंतरंगों से स्थावर संपत्तियों की वसीयत, दान और अनुदान प्राप्त करना'। एक तरफ तो सैक्शन 6 के अंदर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं लेंगे और परिभाषा में कह रहे हैं कि हम यह-यह चीजें लेंगे, ग्रहण करेंगे। बिलकुल ही विरोधाभासी बातें दोनों धाराओं में लिखी गई हैं। वैसे कह रहे हैं कि कुछ लेंगे नहीं और आगे लिख रहे हैं कि जो भी हकदार हैं, सरकार से भी अनुदान लेंगे और वित्तीय सहायता जो भी जहां से मिलेगी, वह भी हम ग्रहण करेंगे। यह एक विरोधाभासी अधिनियम है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे श्रम मंत्री हैं, इन्होंने तो यह पढ़ा ही नहीं। आनन-फानन में इनके जो मुखिया हैं, इन्होंने आर्डिनेंस जारी कर दिया। इनको तो कॉपी हाथ में पकड़ाई, आप तो यह ले जाओ। जब आपको तोहफा दे दिया, श्रम मंत्री बना दिया तो यह कॉपी पकड़ो और पेश कर देना। यह हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इन्होंने खुद पढ़ा ही नहीं। यह विधेयक इन्होंने खुद ने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ते तो इस तरह की जो दोहरी बातें आई हैं, उन बातों का जरूर समाधान करते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि यह जो कौशल विकास की बातें कही जा रही हैं, इसमें जो चेयर पर्सन और प्रेसीडेंट हैं, प्रोवोस्ट हैं, कुलाध्यक्ष हैं, यह इनकी फैमिली के मैम्बर होंगे या नहीं होंगे ? बाहर के लाए जाएंगे या नहीं लाये जाएंगे। किस तरह की इनकी दक्षता होगी। वह इसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए था। न तो इसमें कोई आयु सीमा तय की गई है, कि कितनी उम्र इसकी होगी। उनका ग्रेड क्या होगा, इनके जो सदस्य बताए गए हैं, उसमें भी जो योग्यता बताई गई है, जैसे 2 विख्यात शिक्षाविद, तो विख्यात की क्या डेफिनेशन है। विख्यात किसे कहते हैं ? उसके बाद

(श्री सुखराम विश्नोई)

चेयर पर्सन, प्रौद्योगिकी सूचना विशेषज्ञ होगा। कौशल रोजगार उद्यमिता, श्रम एवं कारखाना, वायरलैस विभाग, सरकार द्वारा प्रतिनिधि, आप एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हो, उसका जो मुखिया होता है, जो चेयर पर्सन होता है, वहां का जो प्रेसीडेंट होता है, कम से कम वह खुद तो अपने आपमें स्किल्ड होना चाहिए। हर स्किल में चाहे मोटर पंप बनाने में है, चाहे मशीन ठीक करने में है, चाहे गाड़ी ठीक करने में है, ट्रैक्टर ठीक करने में है, प्लम्बर का काम करने में, लाइट फिटिंग करने का काम है, जो चेयर पर्सन है उसकी तो जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के वह आगे काम कर सकेगा और अपने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज देखते हो कि जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें विद्यार्थियों की क्या हाजिरी है ? वहां 20-30 परसेंट हाजिरी है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें तो कभी हाजिरी होती ही नहीं है, कक्षाएं लगती नहीं हैं। आप इस तरह की स्किल्ड यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हो इससे बेहतर तो जो आपके आईटीआई और अन्य सरकारी संस्थान हैं उनको विधिवत रूप से चलाते, उनको ज्यादा अनुदान देते, वहां ज्यादा संकाय खोलते, स्किल्ड टीचर्स लगाते तो निःसंदेह रूप से लोगों को फायदा होता और सरकार को फायदा होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसमें विद्यार्थियों की फीस कितनी होगी, क्या फीस तय होथि मतलब इतना खुला छोड़ा है। इस एक्ट को इस विश्वविद्यालय को चलाने वाले हैं उनके ऊपर कोई नकेल नहीं सरकार की, मतलब क्या फीस तय होगी, किस डिपार्टमेंट में, किस स्किल में वह पढ़ रहा है, मान लो वह सिलाई में स्किल हो रहा है, मान लो कोई मैकेनिक बनना चाह रहा है, मान लो कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई लाइन फिटिंग करना चाहता है, उसकी क्या-क्या फीस होगी? फीस जब तक तय नहीं होती है, तो आप देख लो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं उनकी क्या फीसें हैं, पाँच-पाँच, सात-सात लाख, बीस-बीस, तीस-तीस लाख रुपए ले लेते हैं तो कम से कम इस स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थी प्रवेश करेगा उसकी फीस तय होनी चाहिए और जब फीस तय नहीं होगी तो मनमर्जी के हिसाब से लूट करेंगे। लूट करने से वे ही लोग गरीब लोग, तो वहां पढ़ नहीं पाएंगे, बाकी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बीपीएल परिवार का जो रिजर्वेशन चल रहा है, इस एक्ट में यह भी प्रावधान नहीं रखा है कि बीपीएल परिवार का इसमें क्या रिजर्वेशन होगा, गरीब बच्चे इसमें कितने पढ़ पाएंगे, यह भी कम से कम इस एक्ट में प्रावधान होना चाहिए था ताकि सरकार यह यूनिवर्सिटी खोल रही है, इस यूनिवर्सिटी का फायदा उन्हें मिलता।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह एक्ट केवल और केवल मात्र माननीय हमारी जो सदन की मुखिया हैं उन मुखिया की मंशा के अनुसार इनको लिखकर दे दिया गया और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। मतलब, कितनी मतलब सदन के साथ मजाक है, डेढ़ महीने पहले एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक स्किल यूनिवर्सिटी के लिए वह अभी तक डेढ़ महीने के अंदर माननीय मंत्रीजी आप बता दें कि ड़ेढ महीने के अंदर आपने क्या काम किया है इस महिन्द्रा सेज के अंदर आप यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उसमें कोई भर्ती की है या क्या काम किया है, कुछ नहीं किया है। केवल और केवल मात्र मतलब उनको एक खैरात के रूप में बांटा जा रहा है। इसके पीछे माननीय श्रम मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप समझते नहीं है, जानकारी नहीं है, इस एक्ट के पीछे क्या खेल चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, सभी को इस बात की जानकारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी बातें आप अपने जवाब में रखेंगे और स्पष्ट करेंगे कि वाकई के अंदर किन कारणों से क्या ऐसे अपरिहार्य कारण बना लिए जो आप ऑर्डिनेंस के रूप में इस एक्ट को लाए हो और कम से कम एक्ट को आप पढ़ते, पूरी जानकारी जुटाते और जो-जो कमियां इसमें थीं, उनको दुरुस्त करते तब जाकर आप खड़े होते, बोलने में सक्षम होते, मैं मेरी बात पूरी करूंगा और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अबकी बार यह तो तय था कि जब से जसवन्तजी यादव उधर मंत्री बने हैं, दो-तीन विधेयक लेकर आएंगे क्योंकि अब इनको भी अपनी परफोर्मेंस बढ़िया तरीके से दिखानी है हाउस में कि मैं इधर था तो यह थी और वहां पहुंच गया तो यह हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है जो कि निजी विश्वविद्यालय है। इस विधेयक को 2016 के अध्यादेश संख्या 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसको राज्यपाल महोदय ने 28 दिसम्बर, 2016 को विशेष परिस्थितियों में एवं तुरंत कार्यवाही करते हुए अध्यादेश पारित किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज निश्चित रूप से जब भी विधान सभा चलती है, आम चुनाव होते हैं, चाहे प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो युवाओं के मन के अंदर एक बात सबसे ज्यादा युवा हिस्सा लेता है मतदान के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी, प्रदेश में सरकार बनी तो निश्चित रूप से राजस्थान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के जवानों ने बहुत जबर्दस्त उम्मीद के साथ आपको वोट डाला था लेकिन तीन साल के अंदर वही निराशा राजस्थान के जवान के हाथ लगी, पन्द्रह लाख रोजगार की आपने बात की तो राजस्थान के युवा को यह लगा कि जितने भी लाखों पद, सरकारी नौकरियों के अंदर जो पद रिक्त हैं, सरकारी महकमों के अंदर जो पद रिक्त हैं वह लाखों पद भरेंगे और जितने भी संविदा कर्मी हैं जिनको आपने प्रदेश में सुराज संकल्प यात्रा के अंदर यह बात कही थी कि हम सरकार के अंदर आएंगे तो सारे संविदाकर्मियों को नियमित कर देंगे और राजस्थान का जवान और देश का जवान आपके बहकावे के अंदर आ गया। पंद्रह लाख नौकरियां तो चौथा बजट है कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और पंद्रह लाख छोड़ो, अगर आप एक लाख नौकरी भी लगा देते तो भी राजस्थान का जवान आपको धन्यवाद देता, पंद्रह लाख नौकरियां सरकारी लगाएंगे उसके बाद आपने राजस्थान के जवान का ध्यान भटकाने के लिए कहा कि प्रदेश के अंदर हम रिसर्जेंट राजस्थान में इतने एमओयू करेंगे कि प्राइवेट सैक्टर के अंदर राजस्थान के जवान को खपाएंगे और तीसरी बात जब आपको लगा कि वहां भी अभी तक आपके एमओयू ज्यादातर रद्द हो गए तो आपने कहा कि क्यों न नया शिगूफा राजस्थान के अंदर छोड़ा जाए तो आपने स्किल डवपलपमेंट का नारा आपने राजस्थान के अंदर दिया कि स्किल डवलपमेंट के माध्यम से हम राजस्थान के जवान को दक्ष करेंगे, उसको रोजगार देंगे लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार के लिए आपको पद सृजित करने होंगे, कहीं न कहीं तो आपको एक दिशा देनी होगी, कहीं न कहीं आपको स्थिति ठीक करनी होगी, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा समस्या, देश में सबसे बड़ी समस्या है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की समस्या है जिससे जवान त्रस्त हैं। आज राजस्थान के अंदर गैंगवार बढ़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह निश्चित रूप से अगर कोई समस्या है तो वह बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी से तंग आकर युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलता तो वे बंदूक उठाकर अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। क्यों राठौड़ साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं ? अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है, उसको लगता है कि मैं रातों रात, क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, प्राइवेट सैक्टर में भी बिना सिफारिश के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है तो वह अपराध की दुनिया में जा रहा है, इसलिए सरकार को इस राजस्थान को, देश को बचाने के लिए ऐसे काम करने चाहिए जिससे राजस्थान के, देश के जवान को रोजगार मिले चाहे वह सरकारी मिले और सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट सैक्टर के अंदर उस जवान को रोजगार जब देंगे तभी जाकर माननीय उपाध्यक्ष

(श्री हनुमान बेनीवाल)

महोदय, इस देश और प्रदेश का भला होगा।

आपने डेढ़ करोड़ की बात आपने देश के अंदर कर दी, तीन साल हो गए, हर बार कह रहे हो कि यह नया होगा, अब यह होगा, वह होगा लेकिन लोग क्या है साहब कि देश में जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो किसी को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, कांग्रेस का लगातार शासन रहा है, लोगों ने कहा कि अबकी बार आप जो झुनझुना लेकर आए हो जवानों के लिए, किसानों के लिए, बॉर्डर पर हम ठीक कर देंगे, आतंकवाद खतम कर देंगे, नक्सलवाद मिट जाएगा तो लोगों को लगा कि अबकी बार मामला ठीक है, तो वे आपके झांसे के अंदर आ गये लेकिन साढ़े तीन साल यहां और तीन साल दिल्ली के अंदर है, इसमें आप गलतफहमी में मत रहना, 2018-19 में जब आप चुनाव में जाएंगे तो देश का जवान, किसान आपको बता देगा कि आपने उसके लिए क्या किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर तीन साल के अंदर और मैं तो किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, पिछले 15 साल से मैं लगातार देख रहा हूं कि राजस्थान के अंदर आत्महत्याओं का ग्राफ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ा है। आज जवान, आप कोटा के अंदर देखो, सबसे ज्यादा हमारे एजुकेशन का हब है कोटा, वहां पर भी आत्महत्याएं बढ़ी हैं, बेरोजगारी से तंग आकर जवान आत्महत्याएं कर रहे हैं और टी पाइंट पर रोजाना राजस्थान का बेरोजगार धरना दे रहा है, उसको परमीशन नहीं मिल रही है, वह पुलिस की लाठी खा रहा है, पुलिस की गोली का शिकार हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें राजस्थान को बचाने की दिशा में सोचना चाहिए। खाली विधेयक लाकर अपनी इतिश्री कर लें कि हम इतने विधेयक लेकर आ गए और अख़बार में छप जाए कि सरकार इतने विधेयक लेकर आई, युवाओं के लिए लाई, स्किल डवलपमेंट के लिए लाई, बहुत बड़ी उम्मीद है इस राजस्थान के लोगों को जब आपने यह बात कही सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कि हम इस बार फालतू के जितने भी विधेयक हैं, बिल हैं, जो बिना उपयोग के कानून हैं उनको हम खतम करेंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं, होड़ लग गई, एक-एक दिन के अंदर तीन-तीन, पाँच-पाँच, छह-छह विधेयक ला रहे हो, आनन-फानन में ऐसे पास करा रहे हो जैसे महीने भर बाद में ही इलेक्शन है राजस्थान के अंदर। इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई, अच्छा तो होता कि यह हाउस लम्बा चले, लोक सभा, राज्य सभा चलती है, वैसे आप भी 70 दिन तक, 80 दिन तक, 60 दिन तक विधान सभा को चलाओ ताकि राजस्थान प्रदेश के विकास के मुद्दों की बात यहां हो सके, किसान की बात हो सके, जवान की बात हो सके,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठा सकें। अब हम लोग आएं हैं और हमारा छोटा सा विपक्ष है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जब विराजते हैं तो जरूर हमें उम्मीद होती है कि पाँच-दस मिनट हम भी अपनी बात करेंगे बाकी तो आप जानते हैं कि सारी स्थिति क्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो स्किल डवलपमेंट का बिल सरकार लेकर आई है इसमें महिंद्रा सेज जो खुद जांच के, संदेह के घेरे में है, महिंद्रा सेज को पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर जो एमओयू हुआ था तब भी रिलेक्सेशन दिया था, रिसर्जेंट राजस्थान आपने किया था, वह जमीन दी, महिंद्रा सेज को तो जिन उद्देश्यों के लिए जमीन दी थी वहां स्कूल और पार्क के लिए जो जमीनें थीं, सार्वजनिक जमीनें थीं, उसकी मांग भी पिछली विधान सभा में उठी थी, उसको ही जब उन्होंने बेच दिया तो वहां महिंद्रा सेज से सरकार का क्या नाता है ? क्यों महिंद्रा सेज के अंदर इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सरकार खोलना चाहती है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब महिंद्रा सेज खुद ही जांच के घेरे में है, स्किल डवलपमेंट के जितने भी सैंटर राजस्थान में खुले हैं, हमारे एक जगह स्किल डवलपमेंट सैंटर की जांच करने के लिए एक हॉस्टल का पता दिया हुआ था, चूरू जिले के अंदर, वहां जब टीम पहुंची, अधिकारी जब वहां पहुंचे तो वहां हॉस्टल के बजाय गौशाला मिली।

आप जांच कराना इसकी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए जितनी गंभीरता और तत्परता दिखाती है आज वैसी तत्परता सरकारी विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए दिखाती। आज लैक्चरर, प्रोफेसर के पद खाली हैं। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, वे विश्वविद्यालय के अंदर सोचते हैं कि मैं भी प्रोफेसर बनूंगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। सरकार विश्वविद्यालयों की हालत देखिए। पहले सरकारी विश्वविद्यालय होता था, हमारे राठौड़ साहब प्रेसीडेंट थे, राजपाल जी थे, हम भी सैकण्ड पीढ़ी के अंदर आए, लेकिन अभी विश्वविद्यालय, कॉलेज के अंदर जितना सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा, आज तो कुलपति को भी एक सी.आई. जाता है और उठाकर ले जाता है। पहले तो विश्वविद्यालय कैम्पस के अंदर पुलिस जाती थी तो पुलिस जाने से पहले 50 बार सोचती थी। अब पूरी की पूरी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता आपने खतम कर दी। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी स्थिति हो गयी, छात्रसंघ के चुनाव कराते हो, अलवर के अंदर एक कॉलेज में देख रहा था, वह प्रिंसिपल छात्रसंघ अध्यक्ष को कह रहा था कि आप ऊपर वाला बटन बंद करके आओ।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

यह कौनसी व्यवस्था ला रहे हो आप ? इन विश्वविद्यालय, कॉलेजेज की स्वायत्तता का सरकार ध्यान रखे, मजबूती दे और छात्र संघ के माध्यम से बड़े-बड़े नेता प्रदेश व देश के अंदर गये हैं उनको भी मजबूती दें, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि प्रदेश में स्किल डवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर एक कंपनी को, जो 15 करोड़ रुपये में काम करने को तैयार थी, आपने उसको छोड़कर 20 करोड़ रुपये की दूसरी कंपनी को काम दे दिया। क्यों ? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कौशल विकास जो अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी वजह से छात्रों की दक्षता पूर्ण होती है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताओं की सरकार जॉच कराएं। पूर्व में खुले हुए निजी विश्वविद्यालयों के घोटालों की गंभीरता से जांच कराए ताकि सरकार का विजन स्पष्ट हो सके। जोधपुर यूनिवर्सिटी का जो मामला था, पूरे देश के अंदर इस राजस्थान की बदनामी हुई। एक विश्वविद्यालय ने 20 हजार डिग्रियां फर्जी बांट दी। कितने की जांच कराओगे आप? यहां करोगे तो कहीं यूपी में जाकर नौकरी लग जाएगा, कहीं बिहार में लग जाएगा।

जयपुर के अंदर जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसके मालिक को सरकार का इतना संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार में भी हम देखते थे कि उसके वहां पर तीन छात्र पिक्चर देखकर आ रहे थे, दूसरे कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने वहां पर सेल्फी ले ली। गार्ड ने टेलीफोन किया, कोई +++ उसका मालिक है, गार्ड ने कहा कि कोई सेल्फी ले रहे हैं। तो उसने कहा कि गोली मार दो और गार्ड ने गोलियां चलायीं। एक छात्र मर गया और दूसरा गंभीर हो गया तथा तीसरा छात्र भी घायल हो गया। वे किसान के बेटे हैं। अगर इस तरह से गुण्डागर्दी का लाइसैंस आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों को दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का भला होगा। यहां तो वैसे ही कानून की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कहां राजस्थान में अपराध में 16वें, 17वें नम्बर पर था, तीन नम्बर पर तो आप खुद ही मान रहे हो और एक नम्बर पर हो जाएगा आने वाले टाइम में।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि एक तरफ तो आपने तकनीकी विश्वविद्यालय को बंद किया, पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद किया और दूसरी तरफ यह नई यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हो। क्या आवश्यकता पड़ गई? हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि राजस्थान के जवान को रोजगार के साधन मिले। आपको एक ही काम करना चाहिए पहले तो नौकरियों के जितने भी पद खाली हैं, जितने सरकारी कर्मचारियों के पद खाली हैं पहले तो उनके पदों को भरो आप। शायद लाखों की तादाद में जवान उसके अंदर रोजगार लग जाएगा। आप नौकरी की विज्ञप्ति जारी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करते हो और लोग कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। अभी आपने राजस्थान के अंदर विद्यार्थी मित्रों को राज़ी करने के लिए झुनझुना पकड़ा दिया कि आप सबको हम नियमित कर देंगे। घोषणा-पत्र के अंदर बात रखी, लेकिन आपने एक-एक पंचायत के अंदर किस तरीके से क्या नार्म्स बनाये कि सारी भर्ती, सारी व्यवस्था अटक गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का मामला हो गया कि जिनका सरकार के अंदर वर्चस्व था या टेलीफोन करके बैकडोर एंट्री से चले गये उनके तो लिफाफे बंद कर लिये और जो वास्तव में विद्यार्थी मित्र थे या जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की डिग्री थी उनको बाहर भेज दिया और दसवीं व बारहवीं पास लोगों के लिफाफे बंद हो गये। अब आप जानते हो कि इसमें क्या करोगे आप ? मुझे नहीं लगता कि ये नौकरियां लग पाएंगे। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। अगर रोजगार देना चाहते हो तो स्पष्ट करो, नहीं देना चाहते हो तो स्पष्ट करो। कम से कम राजस्थान के जवान को आपस में लड़ाओ तो मत। फर्जीवाड़े की शुरुआत इससे की है इसको सरकार को बंद करना चाहिए। सरकार का मुख्य मकसद एक ही होना चाहिए कि राजस्थान का जवान अगर कमजोर हो गया तो राजस्थान कमजोर हो जाएगा। इसलिए जवान को रोजगार के साधन मिले। आप जो बिल लेकर आये हो इसके अंदर मैं मेरी ओर से यही आग्रह करना चाहूंगा कि इसको एक बार, जैसा हमारे सुखराम जी ने पहले बताया कि विधायकों की एक कमेटी जाती, आपका दल बड़ा है, आपके ज्यादा विधायक हो जाते, लेकिन जाकर कम से कम वास्तविकता की जांच करनी चाहिए कि इस विश्वविद्यालय से हमें फायदा होगा या नहीं होगा। खाली आनन-फानन में बिल लाए और एक-दूसरे को परफोर्मेंस दिखाएं कि मैंने इतना अच्छा बोला, वहां जाकर शाम को बताओ कि मैंने कितना बढ़िया बोला, मैंने विपक्ष वालों को बोलने नहीं दिया, इससे भला नहीं होगा। 2018 में आपको वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा, बैठे-बैठे तो कोई देगा नहीं। कम से कम ऐसा काम करो कि राजस्थान के जवान से आपने जो वादा किया, उसे लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही काम कर रही है।

अभी दो साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें चार में से तीन। वहीं मामला गड़बड़ हो गया। उसके बाद चुनाव हुआ नहीं। अब धौलपुर वाला चुनाव आप सोच रहे हैं कि जीतकर ऐसा मैसेज दे देंगे, लेकिन धौलपुर में भी कोई जीत पक्की नहीं है। वह तो लास्ट सीट है उसमें भी डरा-धमकाकर, मनोज जी की पार्टी वाले हैं उनसे करा लिया। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। जसवंत जी बहुत लड़ते रहते हैं लोगों के लिए, मैं देखता था। जसवंत जी तो उस साइड के बजाय विपक्ष में ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये सारी बातें जानते हैं। हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि राजस्थान के जवान को ज्यादा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से ज्यादा रोजगार के साधन मिलें, चाहे वह सरकारी नौकरियों में मिले, चाहे प्राइवेट सैक्टर के अंदर मिले, चाहे स्किल डवलपमेंट के माध्यम से मिले। लेकिन स्किल डवलपमेंट की पूरी जांच कराएंगे साढ़े तीन साल की तो निश्चित रूप से लोगों ने स्किल डवलपमेंट के सेंटर खोल दिये, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, अंगूठे, दस्तखत करा रहे हैं और लड़कों को ऐसे ही सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं तथा सरकार का पैसा उठा रहे हैं। इसलिए इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच भी होनी चाहिए और राजस्थान के जवान को रोजगार मिले। तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए इस विधेयक को पारित करने से पहले परिचालित किया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह (अनुपस्थित)। डॉ. मंजू बाघमार (अनुपस्थित)। श्री मानसिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2017 पर बहस चल रही है, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से विवेचना की। निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा मौका आया जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी। आज विश्व पटल पर जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से कौशल विकास के माध्यम से अन्य कंट्रीज में नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है उसकी राजस्थान में भी आवश्यकता थी। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया कि प्राइवेट व गवर्नमेंट सैक्टर दोनों में ही कौशल विकास यूनिवर्सिटी स्थापना कर रही है यह निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करेगी और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के अवसर प्रदान होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे साथियों को अवगत कराना चाहूंगा कि 2003 से 2008 के अंदर माननीय वसुन्धरा जी की गवर्नमेंट में राजस्थान में पहली बार एक इंस्टीट्यूट माइक्रो फाइनेंस व हास्पिटल मैनेजमेंट के लिए टाटा ने शुरू किया। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हास्पिटल के अंदर मैनेजमेंट की सीट नॉन-टेक्निकल आदमी को दिया जाय और किस प्रकार नॉन-टेक्निकल आदमी बढ़िया तरीके से चलाएगा। जयपुर के अंदर जब टाटा इंस्टीट्यूट शुरू हुआ तो उस समय तक हमारे यहां माइक्रो फाइनेंस की चर्चा नहीं थी। हम माइक्रो फाइनेंस को किताबों में भले ही पढ़ लेते, अख़बार में पढ़कर यदा-कदा देख लेते थे, लेकिन धरातल पर जिस प्रकार से टाटा इंस्टीट्यूट ने काम किया और आज जितने राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर उस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट कोर्स के बच्चे मैनेजमेंट

(श्री मान सिंह)

का काम कर रहे हैं मैं समझता हूं उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हजारों युवाओं को हॉस्पिटल मैनेजमेंट का लाभ मिला। माइक्रो फाइनेंस का एसएसजी ग्रुप का काम शुरू हुआ, उसमें उन्होंने जिस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया और जिस प्रकार बैंकिंग सिस्टम को एसएसजी से जोड़ने का काम हुआ वह उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हुआ। लेकिन वह चूंकि इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट टोटली कॉमर्शियल बेस पर होता है। चाहे उसका बेस सोशल था, लेकिन कॉमर्शियल था।

आज कौशल विकास की बात आयी है इस कौशल विकास के अंदर मेरे कई माननीय साथियों ने इसमें योग्यता की बात कही। साथियों, मैं आपसे उपाध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कौशल विकास में हमको कम पढ़े-लिखे व्यक्ति को भी रोजगार से जोड़ना है।

और ऐसा भी हो सकता है कि प्लम्बिंग का काम करने वाला कारीगर उस टेक्नीकल आई.टी.आई. और इंजीनियर से अच्छा हो तो कहां दिक्कत है उससे ट्रेनिंग दिलाने में ? अगर यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई प्लम्बिंग का काम अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि जितने भी हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे इण्डिया में अच्छी-अच्छी बिल्डिंगों में देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम में जिस प्रकार से फिटिंग्स में कमजोरी आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि कौशल विकास को हमने कभी डवलप नहीं किया, कौशल विकास की ओर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। हमारी संस्कृति में निश्चित रूप से जो पुरातन पद्धति पड़-दादाओं से मिली है उसको हम करते रहे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि राजस्थान ने बहुत होनहार कारीगर दिए हैं और हमको गर्व भी है कि चाहे आगरा का ताजमहल हो, चाहे दिल्ली का लाल किला हो, वो भी हमारे राजस्थान के कुमावतों ने बनाया था। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हमारी संस्कृति और हमारे हुनर की यहां पर कोई कमी नहीं रही, राजस्थान बहुत बड़ा खजाना है जो अपनी अलग से संस्कृति रखता है लेकिन इस कौशल विकास यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम यह उम्मीद करते हैं कि कौशल विकास का जो रास्ता नौजवानों के लिए खुलेगा उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे कई लोग बहुत शंका कर रहे हैं, निश्चित रूप से शंका करनी चाहिए और शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए। लेकिन इन चीजों की जब हम बारीकी से चर्चा करते हैं तो राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा कौशल विकास में काम करने का काम किया तो बेरफुट कॉलेज, तिलोनिया ने किया। बेरफुट कॉलेज को शुरू करवाने में स्वर्गीय राजीव गांधी का योगदान रहा। उनकी दोस्ती थी बंकर रॉय जी से और बंकर रॉय जी ने 1980 के दशक में CAPART से 700 करोड़ ले लिये लेकिन

(श्री मान सिंह)

चूंकि सेंटर का पैसा था, स्टेट जांच भी नहीं कर पाई कि कहां क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। उसकी किताब को पढ़कर आप यह देख सकते हो लेकिन आपके कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं था। राजस्थान के अन्दर कौशल विकास यूनिवर्सिटी जो अब बनने जा रही है वो प्राइवेट सैक्टर की है लेकिन इसके अन्दर जो हमारी यूनिवर्सिटी की, सरकार की जो शक्तियां हैं वो निहित हैं और सरकार की शक्तियों में हमें कुछ उदाहरण देने होंगे, जो सजेशन देने होंगे वो हम देंगे पर यहां इसमें शक्तियां निहित हैं। उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा और मेरे साथियों से भी कहना चाहूंगा कि कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि बेरफुट कॉलेज, जिसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा गाइड बुक में हिन्दुस्तान में नाम आता है तो सीधा तिलोनिया जाता है और तिलोनिया जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम भी किया। उन्होंने अच्छा काम भी किया लेकिन हमारे पास में वो शक्ति नहीं थी कि हम उसकी जांच कर सकें, उसको अधिकार क्षेत्र में हम ले सकें। आज भी आपके पास में नोमिनेट करने का कोई पावर नहीं है क्योंकि उस प्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन था। लेकिन आज इस सदन के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी आ रही है उस यूनिवर्सिटी की पावर को चैक करने का चैक-बैलेंस का काम हम कर सकते हैं क्योंकि इस विधेयक में निहित है।

बहुत से सुझाव हैं जो मैं आगे इसमें निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जहां तक कौशल विकास का मामला है, कौशल विकास के मामले में पहली बार स्किल डवलपमेंट के लिए जो यह सोच हुई है, निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के लिए इसका लाभ मिलेगा और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कई बार कह चुका हूं कि हमारी एजुकेशन प्रणाली में भी हमारा जो हाई स्कूल लेवल है उसमें टेक्निकल हाई स्कूल और नॉर्मल हाई स्कूल अलग-अलग तरीके से होने चाहिए। होता यह है कि बच्चा एक ही जगह साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में घिसता जाता है और उसके बाद में वो अलग लाइन लेता है। फिर आई.टी.आई. में जाता है और आते-जाते वो थक जाता है। उसको शुरू से ही अगर हम लाइन देने का काम करें तो निश्चित रूप से जैसी उसकी रुचि है, अपनी हॉबी के अनुसार वो चुन सकता है। यह जो कौशल विकास यूनिवर्सिटी है, ऐसे हजारों-हजारों विद्यार्थी जिनको रास्ता नहीं मिलता है उनको बहुत सारे रास्ते इसके माध्यम से मिलेंगे। क्योंकि इसके अन्दर एक ही विषय नहीं है, एक विषय ही नहीं है और जो विषय नहीं है, उनके लिए भी उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहेंगे कि जब इसको क्रियान्विति में लाएंगे तो उनको भी जोड़ा जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से कौशल विकास यूनिवर्सिटी के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को एक रास्ता

(श्री मान सिंह)

मिलेगा और रास्ते के साथ-साथ में उनका सही तरीके से रोजगार सृजन हो, इसका एक रास्ता मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नार्मली हम कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट संस्थानों में जो हमारे भारतीय मानक शब्द हैं उनसे परहेज करते हैं। इस कौशल विकास यूनिवर्सिटी का नाम जो भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय रखा गया है, मैं समझता हूं कि इससे बचा जाना चाहिए था क्योंकि कई बार इस प्रकार के नाम से ये लोग इसका बड़ा भारी फायदा उठाते हैं। इसके अन्दर इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान कहा है लेकिन इसी के साथ-साथ इसकी परिभाषा में (छ) में लिखा है 'दूरस्थ शिक्षा', दूरस्थ शिक्षा के नाम पर पूरे इण्डिया में अपना काम कर सकते हैं। वहां उन सेंटर्स पर जब उनको पढ़ने को मिलेगा कि भारतीय कौशल विश्वविद्यालय है तो एक बार शंका पैदा करता है कि गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, तो इन सब चीजों के बारे में शंका नहीं होनी चाहिए। अभी सदन में चर्चा करें तो खुलकर करें और जिन अधिकारियों ने भी इस पर चर्चा की थी, मैं समझता हूं कि इसके रजिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भारतीय शब्द का उपयोग, महात्मा गांधी का उपयोग, राष्ट्रीय शब्द का उपयोग जब कभी भी हम करते हैं तो उसको देखकर करना होता है। मैं समझता हूं कि चूंकि अब यह हो गया है लेकिन इसके बारे में होना चाहिए था। इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान है लेकिन दूरस्थ शिक्षा के लिए जब इसमें शब्द है तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जब दूर इसमें काम होगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस प्रकार की कोई एक दुकानदारी चल जाए और इसके लाभ के साथ-साथ नुकसान हमारे दूर के युवाओं को लेना पड़े। इसलिए इस पर चैक, मॉनीटरिंग के लिए मैं यह चाहूंगा कि इसके अन्दर कम से कम राजस्थान विधान सभा के दो सदस्यों को भी नॉमिनेट किया जाए जो कम से कम चैक-बैलेंस इसमें कर सके, ऐसा मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

इसी के साथ-साथ सैल्फ डिपेंडेंस के बारे में यह कहा है कि यह पूरी तरीके से अपना स्व-वित्त पोषित होगा। स्व-वित्त पोषित होगा तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मत है कि इसके विषय में माइक्रो फाइनेंस विषय भी होना चाहिए था। जो स्व-वित्त पोषित इंस्टीट्यूशन होगा, विश्वविद्यालय होगा वो कम से कम माइक्रो फाइनेंस की शिक्षा के विषय को अपने विषय के अन्दर रखे कि किस प्रकार से कौन से इंस्टीट्यूशन को, कौनसे संस्थान से व्यक्ति को किस प्रकार से हम स्व-वित्त पोषित बना सकते हैं, किस-किस तरीके से उसको ट्रेंड कर सकते हैं यह इसमें होना चाहिए था और यह मेरा आपके

(श्री मान सिंह)

माध्यम से अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इसका ट्रस्ट है राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट, यह 11 मई, 2016 को रजिस्टर्ड हुआ है। नार्मली इस प्रकार के जो ट्रस्ट हैं उनकी बैलेंस-शीट वगैरह में कम से कम तीन साल का काम देखा जाता है। जिस विश्वविद्यालय को आज हम यहां परमिट करने जा रहे हैं, तीन साल तक उस विश्वविद्यालय पर इस प्रकार की हमारी मॉनीटरिंग होनी चाहिए कि आगे कहीं भी इस प्रकार के काम नहीं कर सके जिससे कि जनता या युवाओं को कोई नुकसान होने का काम हो और उसको पूर्ण फ्रीडम तीन साल तक नहीं देनी चाहिए। यह मेरा आपके माध्यम से मत है। आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित)। श्री केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 लाया गया है। उसके पहले अध्यादेश लाकर राजस्थान की सरकार ने जो भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि देश में कौशल का विकास किया जाए, किसी काम को दक्षता से करने के लिए ऐसा कोई न कोई देश में जल्दी से जल्दी किया जाए। कोई भी सरकार आती है उसका समय 5 साल होता है और 5 साल में काम को करने में बहुत बड़ा समय लगता है। आज यह कौशल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और इसको बनने में भी वर्षों लग जाएंगे। मगर इसको तुरन्त लागू करना और भारत के युवाओं को कौशल विकास में दक्षता प्राप्त कराना, उसका ज्ञान देना अति-आवश्यक था। उस युवा का एक-एक दिन गुजर रहा है, उस दिन को नहीं गुजरने देने के लिए राजस्थान सरकार ने यह अध्यादेश लाकर के क्योंकि विधान सभा उस समय नहीं चल रही थी.....

उस कारण से अध्यादेश लेकर आये और राजस्थान सरकार की मंशा है कि यह कार्य अतिशीघ्र हो, इसके लिए यह अध्यादेश लाकर इस विश्वविद्यालय का अभी जो बिल लाया गया है, अब विधान सभा में ही उसको रखा है। निश्चित रूप से राजस्थान इस कौशल विकास में इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा।

(15.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "राज्य में विश्वस्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है" और उसके लिए यह यूनिवर्सिटी अति आवश्यक हो गयी थी। अभी आप कह रहे हैं कि यह प्राइवेट में दे दी और प्राइवेट में नहीं दें तो आप लगा दो। आपको कौन रोक रहा है? यह तो खुला मंच है। कोई भी

(श्री केसाराम चौधरी)

व्यक्ति अगर इस देश में कुछ कार्य करने की चेष्टा रखता है तो करें ना, कहां दिक्कत है। इस देश में गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए "विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में, विशेषत: कौशल विकास में, तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाने हेतु उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षिक और कौशल विकास सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्वस्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है।" इसके लिए यह बिल लाये हैं और यह प्राइवेट में यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए दी है तो इस राज्य में यह यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी लगे और हमारे युवाओं को तरह-तरह की जो कौशल की कलाएं थीं, उनसे रोजगार मिले। हमारे राजस्थान में पूर्व में भी गांवों में कौशल था। गांवों में प्रजापत जाति बर्तन बनाती थी। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना पालन-पोषण करती थी। वह भी एक कौशल था। आज वह कौशल गांवों में समाप्त हो रहा है। उसी तरह से गांव में लकड़ी का काम करने वाला सुथार होता था और उसके परिवार वालों को कहीं भी ट्रेनिंग लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती थी और वे इतने कुशल कारीगर हो जाते थे कि अच्छे से अच्छा काम कर सकते थे। आज के युग में गांवों में लोहे का काम करने वाले गाड़िया लुहार इतने दक्ष थे और आज भी हैं। सिरोही में बनने वाली तलवार एक ब्लेड के रूप में काम करती है। इतनी उसकी दक्षता है। उन लोगों ने कहां से सीखी वह कला ? उसकी पारिवारिक परिस्थितियों ने अपने आप उसको सिखाया और वह उस कला को सीखकर अपने परिवार में आगे से आगे बढ़ाते रहे।

(15.02 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

आज एक तलवार एक ब्लेड की तरह बाल काट सकती है, उसको आँख से देखकर पता लगा देते हैं कि इसके ऊपर जो पानी चढ़ा हुआ है वह कितने टेम्प्रेचर का है, कितनी उसकी धार है और यह धार कैसे आई, यह एक कौशल था। इस तरह के कौशल हमारे गांवों में हैं। बहुत सारे थे। गांवों की कलाओं को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो 50 साल तक राज करने वाली इस कांग्रेस सरकार ने किया है। उन्होंने तरह-तरह के प्रलोभन देकर के, छोटे-मोटे प्रलोभन देकर के, लोगों को इस तरह से बरगलाकर रखा कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या हो गया।

आज राजस्थान की यूनिवर्सिटी देख लीजिये, क्या हालत है, किस तरह से चल रही है ? कौन जाता है वहां यूनिवर्सिटी में ? बच्चों की हाजिरी किस तरह से हो रही

(श्री केसाराम चौधरी)

है ? अपन बातें तो करते हैं बड़ी-बड़ी। यह यूनिवर्सिटी खुल गई। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद में इसकी व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना, यह जरूरी काम है। इसलिए मेरे भाई लोगों, मैं तो निवेदन करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का यह बिल लाने से इस राजस्थान का भला होगा। निश्चित रूप से यहां पर विद्यार्थी अध्ययन करेंगे, 10 प्लस 2 करके विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेंगे और प्रवेश लेकर, वह एक अच्छा कुशल कारीगर बनकर इस देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए यह जो बिल लाये हैं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं और मैं तो यह चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी है। यह शहरों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज को गांवों में भेजो। जिनको प्राइवेट में लेना है, वह प्राइवेट में गांवों में खोले और भारत गांवों में बसता है...(व्यवधान) मेरे गांव में तो एक आईटीआई खोल देना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मारवाड़ जंक्शन में कौशल विकास के लिए एक आईटीआई की मांग है। मैंने सन् 1970 में आईटीआई की थी और उसी का प्रतिफल है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैंने आईटीआई इलैक्ट्रिशियन में करके मोटरें बांधना भी सीखा, पंखें बांधे। सारा काम किया। उसी का प्रतिफल है कि जनता से जुड़ गया और मुझे यहां एमएलए के रूप में भेजा है जनता से जुड़ने के लिए। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं मंत्री महोदय कि आप मेरे मारवाड़ जंक्शन में एक आईटीआई खोल देना, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा। यह शहरों के लोगों के लिए तो आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। हम छोटी-छोटी मांगें करके गांवों का विकास करना चाहते हैं। भारत गांवों में बसता है और गांवों का विकास तभी संभव होगा कि आप हमारे गांवों में यह अभी घोषणा कर देंगे यहां पर...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अभी शिलान्यास करके आये हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): वह शिलान्यास अलग है, वह दूसरा है, वह रानी में है। मारवाड़ जंक्शन में 48 पंचायतें हैं। बहुत बड़ा पंचायत समिति हैडक्वार्टर है। उपखण्ड कार्यालय है। तहसील कार्यालय है। उसमें आईटीआई होना अति आवश्यक है। इसलिए आप तो खोलने की घोषणा कर देना मंत्री महोदय। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो यूनिवर्सिटी लाये हैं, तरह-तरह के ट्रेडों में काम करते हुए, इनमें जो 12 ट्रेड बताए हैं, इस यूनिवर्सिटी को जल्दी से शुरू करवाएँ ताकि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सके और वह पारंगत होकर दक्षता से कार्य करने की कला सीखें और राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल करें। ऐसी कामना करते हुए, मुझे समय दिया, उसके लिए आभार।

श्री हीरालाल (निवाई): अभी तो एमएलए बने हैं, अबकी बार मंत्री बन जाएँगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामहेतसिंह जी यादव (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्री प्रहलादजी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 विचार के लिए सदन में लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, 29.12.2016 को इस निजी विश्वविद्यालय के संदर्भ में एक अध्यादेश लाया गया और आज इस विधेयक के पारित होने के बाद, इस अध्यादेश के निरसन के साथ ही नया अधिनियम विश्वविद्यालय का बन जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य इस पर चर्चा करते समय बोल रहे थे सिरोही की तलवार और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे यह स्किल डवलपमेंट कहां से लाये। माननीय सभापति महोदय, स्किल हमारी परम्परा का हिस्सा रहा है और यह स्किल हमको विरासत में मिली है चाहे वह पाली की तलवार का मामला हो, चाहे गांवों के कुम्हार की दक्षता और लुहार की दक्षता का मामला हो या किसी बढई-खाती की दक्षता का मामला हो, यह कौशल विकास किसी विश्वविद्यालय से नहीं, पारिवारिक विरासत से हमारा देश सीखता रहा है और इसीलिए महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सदैव यह सोचा कि इस मुल्क की आजादी के बाद शिक्षा के साथ कौशल विकास बना रहे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, सारा मुल्क जानता है, उन्होंने कुटीर उद्‌योग की पैरवी की है। कुटीर उद्‌योग की पैरवी करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी का सपना था। ग्रामीण भारत का कौशल जिंदा रहे, ग्रामीण भारत का रोजगार जिंदा रहे... और इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने कहा कि ये स्किल डवलपमेंट कहां से लेकर आये, मैं उनको कहना चाहता हूं कि साठ साल राज करने के बाद आप महात्मा गांधी के चिन्तन और दर्शन से दूर चले गये, हम उसको समाज में लाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले सवा दशक में देश में दो प्रकार के सोच देखे। यूपीए का दस साल का राज और मैं एक नहीं कई स्टेटमेंट रिकार्ड पर लाकर बता सकता हूं, मैं आज भ्रष्टाचार पर नहीं जाना चाहता, विपक्ष के कई माननीय सदस्य चर्चा करते समय बिल में भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे लेकिन मैं वो चर्चा करना चाहता हूं। एक बुनियादी सोच यूपीए के शासन में लगातार दस साल तक भारत के प्रधानमंत्री बेरोजगारी की गंभीर समस्या का जिक्र करते रहे। बेरोजगारी देश के सामने चुनौती है और हिन्दुस्तान के पढ़े-लिखे नौजवान को राष्ट्रीय समस्या बताते रहे। देश का नौजवान उसे परिभाषित किया गया राष्ट्रीय समस्या बेरोजगार कह कर। नौजवान को मानसिक अवसाद के रास्ते पर धकेलने का प्रयास किया और जब से इस मुल्क में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने, राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी बनी तो बुनियादी सोच में परिवर्तन आया। परिवर्तन इसलिए आया कि इस मुल्क का नौजवान राष्ट्रीय समस्या नहीं हो सकता। इस मुल्क का नौजवान राष्ट्रीय प्रोब्लम बन कर इस मुल्क के सामने चुनौती नहीं हो सकता। इस मुल्क के नौजवान को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में किस प्रकार सृजित किया जा सकता है कि वो केवल भारत नहीं दुनिया की तकदीर लिखने वाला नौजवान बन जाए और इस दिशा में सार्थक प्रयास प्रारंभ हुए। आज विश्वविद्यालय का विधेयक तो आज पहली बार आया है माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस बुनियादी सोच के साथ भारत के प्रधानमंत्री और राज्य की मुख्यमंत्री जी इस विधान सभा और देश की पार्लियामेंट में पिछले दिनों अप्रेन्टिस एक्ट लेकर आये। एक मंशा, शिक्षा और कौशल दोनों अलग है, लेकिन शिक्षा में जब आभूषण लग जाते हैं कि शिक्षित व्यक्ति कौशल, अध्ययन और अनुभव का संगम हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा और कौशल का संगम अध्ययन और अनुभव के संगम की तरह अगर हो जाए तो इस मुल्क का नौजवान अपना रोजगार और अपना भविष्य मुट्ठी में ले लेगा और इसी दिशा में एक सार्थक कदम है अप्रेन्टिस एक्ट। इसी दिशा में कौशल विकास विश्वविद्यालय एक्ट और अब तक जो कांग्रेस का सोच रहा कि पढ़ने का मतलब नौकरी, नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी। मानसिक अवसाद के रास्ते पर देश का नौजवान और कांग्रेस की उस मानसिकता और देश की विचित्र स्थिति पर शिक्षा पर टिप्पणी करते हुए इसीलिए लिखा। आज कोई कवि नहीं लिखेगा। मैथिलीशरण गुप्त ने कि शिक्षित तुम्हारा नाश हो, तुम हित बने। यदि आधुनिक शिक्षा किसी विधि हम प्राप्त भी कर सकें तो लाभ क्या बस क्लर्क बन पेट अपना भर सकें, सिर झुका सुनते रहें अफसरों की गालियां। रात को तब दे सकेंगी दो रोटियां घरवालियां। इस साठ साल में शिक्षा की तस्वीर बना दी है। सरकारी नौकरी के अलावा व्यक्ति का नजरिया ही नहीं बदला। मैं पढ़ रहा हूं पढ़ने के बाद केवल मुझे सरकारी नौकरी में क्लर्क बनना है।

माननीय सभापति महोदय, कल सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे थे कि अब तो सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का कितना बड़ा आत्मसमर्पण जिसको मैं कह सकता हूं कि सफाई कर्मचारी में भी सवर्ण वर्ग के तीस प्रतिशत लोग चले गये यानी शिक्षा का डाइवर्जन केवल नौकरी, कोई उद्देश्य नहीं और शिक्षा का डाइवर्जन नौकरी की तरफ न बने भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चले और भारत का एक-एक नौजवान कुशल बने इस दिशा में प्रधानमंत्री जी का एक गहरा और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यापक सोच है और उसी सोच में से अप्रेन्टिस एक्ट और ये विश्वविद्यालयों के निर्माण की बात आज इस सदन में सबके सामने आयी है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय लाने का मकसद प्रधानमंत्रीजी का महत्वाकांक्षी सपना है। मैंने कई बार इस सदन में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य के मुंह से सुना है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया के सबसे नौजवान देश हैं और दुनिया का नौजवान देश होने के नाते आने वाले कुछ समय में यूरोपियन कंट्रीज जो बूढ़े राष्ट्रों की श्रेणी में शुमार होंगे, वहां की सामाजिक सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए दुनिया से लोग एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। वहां की सेवाओं को सुचारु रूप से बनाये रखने के लिए दुनिया से लोग नौकरी के लिए उधार मांगे जाएंगे और उस समय वो भारत का नौजवान सरकारी नौकरी की उम्मीद में मानसिक अवसाद से ग्रस्त उस पात्रता को प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसको नर्सिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए।, उसको इलैक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको घरेलू कामकाज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस महान उद्देश्य को लेकर इस देश के नौजवान को प्रशिक्षित बनाने का एक महत्वाकांक्षी सपना भाजपा की सरकारें देख रही हैं। जरूरत है उसको रास्ता देने की और रास्ता देने का काम चल पड़ा। प्रतिभा का कोई अभाव नहीं है माननीय सभापति महोदय, हमारा पढ़ा-लिखा नौजवान अपनी प्रतिभा के बूते पर दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, अमेरिका के दो-दो राष्ट्रपतियों को इस बात का वाचन करना पड़ा, अमेरिकियों सावधान, भारत का पढ़ा-लिखा नौजवान आ रहा है सारी व्यवस्था पर कब्जा करने। यह हमारी कुव्वत है, यह हमारे नौजवानों की विद्वता है उनकी क्षमता है, लेकिन कम पढ़े-लिखे लोगों की क्षमता में विस्तार उसके सामने अवसर राज्य और देश नहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से खड़े किये जाएं इस व्यापक सोच के साथ आज यह अधिनियम आया है और इसलिए मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि अधिनियम तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी माननीय श्री सुखरामजी विश्नोई साहब ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण छेड़ी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जिस प्रकार से मैं अभी इस एक्ट पर आऊंगा कोर्सेज का इसमें जिक्र किया है उन 12 कोर्सेज में मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उधर डाइवर्ट होगा और डाइवर्ट होगा तो उसकी अप्रोच उस विश्वविद्यालय तक कोर्सों तक बन जाए इसके लिए फीस नियंत्रण के लिए कोई न कोई रेगुलेटरी बोर्ड बनाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का लाभ इस राजस्थान के दूरस्थ ग्रामीण अंचल के गरीब विद्यार्थी को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दिलाना चाहता हूं। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर, अच्छा होता भारतीय कौशल विकास निजी विश्वविद्यालय, जयपुर इसमें समाहित कर दिया जाता। पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह निजी क्षेत्र का नहीं कोई सरकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है और कभी इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालयों के बिल आए तो गंभीरतापूर्वक हमको इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इसकी प्रस्तावना में जो भूमिका बनाई पूरे विश्व में जिस प्रकार की आवश्यकता है ज्ञान की, कौशल की उसकी पूर्ति और उसके समकक्ष हम अपने आपको कैसे खड़ा कर सकें इसके लिए विश्वविद्यालय आ रहा है, लेकिन मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। परिभाषाओं का (छ) दूरस्थ शिक्षा।

परिभाषाओं का भय, कौशल से किसी कार्य भूमिका को सफलता पूर्वक और दक्षता पूर्वक निष्पादित करने के लिये शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से अर्जित की गई अर्हता और सक्षमता अभिप्रेरित है। फिर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा धारा 30 में आर्डिनेंस, इसको आप पढ़ेंगे विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश इस रूप में उनका नामांकन, विश्वविद्यालय की उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा तक बात समझ में आती हैं, उपाधियां, मानद उपाधियां जो पीएचईडी और संपूर्ण डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को मिला करती है, विश्वविद्यालय दे, राइट है लेकिन कौन कौन सी डिग्रियां। माननीय सभापति महोदय, आप अनुसूची में आ जाइए, अनुसूची 2 में शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन एवं अनुसंधान का जिम्मा लेगा, कौशल संकाय में आपने लिखा है 12 विषय और 12वें विषय में लिखा है और विषय भी समाविष्ट किये जा सकते हैं। आठवें विषय में आपने लिखा है एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कौशल शिक्षा और सहबद्ध संकाय शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, प्रबंधन यानी एमबीए, विज्ञान अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी यानी इंजीनियरिंग, विधि यानी लॉ और आगे आप लिखते हैं कला, वाणिज्य और मानविकी, आप सहबद्ध विषय में भी मानद उपाधियां देंगे। आपने 12वें नंबर पर क्लाज रख दिया और 6 नंबर दंत, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, औषधि निर्माण, माननीय सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी अपने कोर्सों के बारे में सत्यापन कराना पड़ेगा, अनुमोदन कराना पडेगा। फिर अगर आप विधि की मानद उपाधियां देंगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब तक आपको परमिशन नहीं देती, आप विश्वविद्यालय नहीं चला सकते। आप दंत चिकित्सा और नर्सिंग, जब तक आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल मान्यता नहीं देती, तब तक आप इन कोर्सों को संचालित नहीं कर सकते। फिर आपने लिखा है इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय तकनीकी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

शिक्षा परिषद से भी आपको अनुमोदन चाहिये। चार चार संस्थाएं मौजूदा विधान में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज के संचालन की अनुमतियां देने के लिये बनी हुई हैं। हमारे एक्ट पारित करने के बाद भी हम मेडिकल कालेज खोलते हैं जब तक एमसीआई द्वारा उसको मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक वह विधिक रूप से काम नहीं कर सकता। हमने एक्ट बना दिया, अनुसूची में विषय डाल दिये, यूनिवर्सिटी का अपना एक्ट हो गया, कोई मानीटरिंग नहीं है, कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है, अब यह विश्वविद्यालय कौशल विकास ही नहीं करेगा, यह विश्वविद्यालय चिकित्सा भी चलाएगा, नर्सिंग भी चलाएगा, विधि विद्यालय भी चलाएगा, कामर्स का महाविद्यालय भी चलाएगा, इंजीनियरिंग भी चलाएगा, आईटीआई पोलोटेक्निक भी चलाएगा डिप्लोमा में, मैं समझता हूं कि मुझे लगता है कि अगर यह सही है जो मैं पढ रहा हूं, माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे, आप इसमें लिख देते प्रबंधन एमबीए से न्यून, एमबीए नहीं होगा। आप इसमें लिख देते अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी राजस्थान सरकार की इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा की डिग्री से न्यून। आप इसमें लिख देते विधि, राजस्थान के विधि मान्य लॉ कालेज से प्राप्त एल एल बी, लेबर लॉ की डिग्री से न्यून, तब तो हम मानते कि इस विश्वविद्यालय का जो एक्ट है वह लॉ की छोटी मोटी जानकारियां, अभियांत्रिकी क्षेत्र की छोटी मोटी जानकारियां और कौशल के साथ अगर यह संपूर्ण रूप से परिपूर्ण विश्वविद्यालय अभियांत्रिक, तकनीकी, ज्ञान, कला, शिक्षा, विधि विद्यालय खोलने का अगर आज हम यह एक्ट बना रहे हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में इससे संपूर्ण ताकतवर विश्वविद्यालय कोई दूसरा नहीं होगा, जिसका आज तक इससे पहले एक एक्ट में सारे प्रोविजन हो। इतना बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट बना रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को केवल कौशल का काम नहीं मिलेगा, यह आईटीआई नहीं खोलेगा, पोलोटेक्निक खोलेगा, नर्सिंग खोलेगा, इंजीनियरिंग खोलेगा, लॉ कालेज खोलेगा और कार्मस और आर्ट्स के कालेज भी खोलेगा और विभिन्न प्रकार के कोर्स अगर दुनिया में कहीं और मानद उपाधियां भी, इसमें आपने अनुसंधान भी लिखा है, आप पीएचईडी की डिग्री भी देंगे, मैं समझता हूं कि इतना ऐतिहासिक बिल यह सदन पारित कर रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिये तो माननीय मंत्री जी, आपकी सरपरस्ती में यह सदन इतना बड़ा ऐतिहासिक बिल पारित करने जा रहा है जिसने आज तक के सारे बिलों की भूमिका को छोटा कर दिया, गौण और नगण्य कर दिया। अच्छा होता इस एक एक अनुसूची के विषय की ठीक ठीक परिभाषाएं दिला देते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को टोक नहीं रहा हूं, यह वह मंत्री हैं जो तीन तीन लाल बत्ती रखते हैं, इसलिए इनको छोटा मत मानो, बिल भी बड़ा ही लायेंगे फिर।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं तो बड़ा मान ही रहा हूं।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बात को सुन लिया है, मेरा इतना अनुरोध है एक विश्वविद्यालय जो केवल कौशल विकास विश्वविद्यालय के नाम से अधिनियमित किया जा रहा है वह इस राजस्थान के शिक्षा जगत में जो तमाम विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, खुला विश्वविद्यालय का काम भी इसने ले लिया, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है, वह भी यही काम करेगा। सारे विषय पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये और यह सारे काम अगर इस विश्वविद्यालय को मिलेंगे तो यह एक्ट पारित होने के बाद भी यह यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पायेगी जब तक तकनीकी शिक्षा परिषद, एमसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तमाम प्रकार की संस्थाओं से इसको मान्यता नहीं मिल जाती, स्वीकृति नहीं मिल जाती और यह एक्ट आगे जाकर विधिक न्यायिक प्रक्रिया में जाकर उलझेगा। एक यूनिवर्सिटी का बहुआयामी एक्ट इतना बड़ा बना दो कि परपज एक हो और काम 50 करने के रास्ते खुल जाए, मैं समझता हूं कि इस वैधानिक त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये था या फिर माननीय मंत्री जी जवाब देते समय स्पष्ट करेंगे कि नियमों में इसमें क्लाज होगा, वर्ना कल आपने एक बीडीएस की डिग्री जारी कर दी, है तो कौशल विश्वविद्यालय, हाथ का हुनर सिखाने के लिये, वह कल आपसे नौकरी मांगेगा, आपने वाणिज्य का दे दिया, कल डिग्री पाकर वह आपसे नौकरी मांगेगा, इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, एमबीबीएस कर लिया, कल डाक्टर बनकर नौकरी मांगेगा, तो इस विश्वविद्यालय की भूमिका कौशल विकास में किस लेवल तक है, मैं समझता हूं मंत्री महोदय जवाब देते समय इसको स्पष्ट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर अधिनियम, 2017 पर सदन में चर्चा हो रही हैं और मुझे आपने समय दिया इससे पहले मेरे पूर्व वक्ताओं के रूप में 8 माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिया। पूरा सदन गंभीरता से इस बात को सुन रहा है और भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय का यह अधिनियम पारित हो, उसको परमानेंट मान्यता जाए। इन तमाम सवालों के लिये माननीय सदस्यों के दिमाग में जो जो चीज आई वह यहां रखी और उसी बात को मैं आगे बढाते हुए कहना चाहूंगा वास्तव में यह कौशल शिक्षा राजस्थान के युवाओं के लिये एक महत्वपूर्ण जरूरत थी। इसके लिये मैं मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अच्छी पहल करने के लिये इसमें सरकार के साथ यह लोग जुटे हैं।

(श्री पूरणमल सैनी)

क्योंकि देश की आजादी के बाद देश और प्रदेश में शिक्षा का कोई अभाव नहीं रहा। हमारी सरकारों ने विभिन्न संस्थाओं की व्यवस्था करके रखी है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, स्किल एजुकेशन की कोई प्रोपर व्यवस्था नहीं थी और इसकी शुरूआत यह सरकार और माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता के रूप में माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब का भी यह सोचना रहा है और मैं भी सोच ही रहा हूं, जो आपके सामने रख रहा हूं। एक माननीय वक्ता ने यह कहा कि इनके नाम में ही मुझे संशय लग रहा है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, सबसे पहले मेरी मंशा और शंसा तो यह है कि सरकार स्किल एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय तो खोले, लेकिन जैसे राजस्थान का विश्वविद्यालय चल रहा है या फिर मैं कहूं कि इस राजस्थान लेवल पर सवाई मानसिंह हास्पिटल चल रहा है। जो आस-पास के चार-पाँच राज्यों को चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है और राजस्थान का विश्वविद्यालय भी अच्छी सेवाएं दे रहा है। तो हम सोच ही रहे हैं कि क्यों नहीं ? स्किल एजुकेशन की आवश्यकता है, लेकिन इसको प्राइवेट में लेकर जाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी ? माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी भी उसी वर्ग से आते हैं, लेकिन कई बार क्या है, कानून इस देश के लिए, चाहे हम मंत्रियों के रूप में विराजमान होते हैं, लेकिन इस देश-प्रदेश कानून में ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं और अधिकारियों के द्वारा बनाये गए उस कानून को हम विभिन्न सदनों पर रखकर, उन पर डिबेट करके उसको कानून का रूप देते हैं। माननीय सभापति महोदय, स्किल्ड एजुकेशन की महत्ता बहुत है, होनी चाहिए, लेकिन इसको प्राइवेट में लेकर जा रहे हैं, इससे बहुत घाटे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यह विश्वविद्यालय जब चलेगा तो इसमें जितने भी कर्मचारी और अधिकारी, जितने पद इसमें बताये गए हैं। इसमें नहीं बोला गया कि वह अधिकारी, जिस पद के लिए उसकी नियुक्ति उस विश्वविद्यालय में की जा रही है, उसकी योग्यताएं क्या होंगी ? माननीय सभापति महोदय, इसको पूरा पढ़ लेने के बाद पता चला कि हर पद के लिए अपनी-अपनी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उस पद के लिए नीतियां बनाई गई हैं, जैसे प्रिसिंपल या प्राचार्य सबसे बड़ी कुर्सी पर जो लोग बैठेंगे, वे उससे नीचे वाले पदों के लिए नियुक्तियां भी देंगे। लेकिन उन पदों के लिए भी इस पूरे विधेयक में यह कहीं नहीं बताया गया है कि कितना पढ़ा-लिखा आदमी और किस प्रकार की शिक्षा पाया हुआ आदमी उस पद के लिए डिजर्व करेगा।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं मेरा इसमें यह भी मानना है कि प्राइवेट

(श्री पूरणमल सैनी)

सैक्टर में जैसे धीरे-धीरे हमारे समस्त विभागों को लेकर जाया जा रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी चिंता है, वह चिंता यह है कि कल भी जिस बिल पर अपन बहस कर रहे थे, उसी बिल को लेकर मेरी दुबारा चिंता बढ़ी है कि जैसे-जैसे ये प्राइवेट में जा रहे हैं, वैसे-वैसे अपने आप इस देश के संविधान में प्रोविजन हो जाने के बाद भी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण को धीरे-धीरे खतरा पैदा होता जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यही बात नहीं है। इस बिल में यह भी नहीं बताया गया है कि बच्चा या विद्यार्थी पैदा होते ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा या वो पाँचवीं पास करके या फिर दसवीं पास करके इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में काफी जगह, जैसे एक बिंदु में इन्होंने लिखा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद, इस कानून के बन जाने के बाद उस विश्वविद्यालय को मान्यता होगी और उसके बाद वह विश्वविद्यालय इंडिपेंडेंट रूप से चलेगा, यानी किसी भी प्रकार से न तो उसको किसी राज्य की सरकार के द्वारा, न किसी केन्द्र की सरकार के द्वारा किसी प्रकार का अनुदान दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल है और वह सवाल करूं उससे पहले, इसमें एक बात और कही गई है कि वह विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय को संबद्धता नहीं देगा। इसमें लिखा है, माननीय सभापति महोदय। मेरा यहां सवाल यह है कि जब वह अपने अधीनस्थ किसी महाविद्यालय को संबद्धता नहीं दे रहा और वह किसी राज्य की सरकार या केन्द्र की सरकार द्वारा अनुदान नहीं ले रहा है तो क्या वो जैसा इसमें नाम लिखा गया है, इस ट्रस्ट के रूप में..। क्या वह ट्रस्टी के रूप में फ्री ऑफ कोस्ट इस राजस्थान के युवाओं को शिक्षा देगा, नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में यहां तक ही नहीं रुका गया है, उसके बाद यह भी कहा गया है कि जब यह विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा, उसके बाद..। अभी मेरे पूर्व वक्ता के रूप में गुंजल साहब कह रहे थे कि कहीं भी संबद्धता जब नहीं दे रहे, तो अनेक तरीके के कोर्स जो इसमें लिखे हैं कि यह रिसर्च भी करेगा, दूसरे सारे काम करेगा, संबद्धता भी देगा तो फिर, माननीय सभापति महोदय, यह तो मैं समझूंगा कि हम सदन के साथ उन चीजों को छिपाते हुए, जबकि रजिस्ट्रेशन जहां कभी उनका हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन में और उनमें, रजिस्ट्रेशन के संविधान में निश्चित रूप से यह लिखा गया होगा कि इस संस्था को चालू करने बाद इसके उद्देश्य क्या-क्या होंगे ? उद्देश्यों में अकेला स्किल एजुकेशन देना ही इसमें नहीं रहा, दूसरे उद्देश्य भी बहुत हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही बात नहीं है, बात यह भी है कि इसका कार्यक्षेत्र जब पूरा राजस्थान बताया गया है। जबकि उसके साथ यह भी कह रहे हैं कि यह

(श्री पूरणमल सैनी)

विश्वविद्यालय किसी को भी संबद्धता नहीं देगा तो, माननीय सभापति महोदय, जहां इसको स्थापित किया जा रहा है, जिस किसी भी शहर में, क्या वह कार्यक्षेत्र इस विश्वविद्यालय के सफिशियंट नहीं था ? इन तमाम सवालों के बाद माननीय सभापति महोदय, और भी दो बिल हैं। मेरी अपनी बात को मैंने रखने कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि इस बिल को विचारार्थ लेकर हमारे माननीय सदस्यों के जो तमाम सवाल रहे हैं, इनका या तो मंत्री महोदय आएं तब जवाब दें, नहीं तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस बिल की शंकाएं जब तक दूर नहीं हो जाए और जब तक जनमत नहीं जान लिया जाए, तब तक माननीय सभापति महोदय, इसको दो माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। आपने मुझे अवसर दिया। इसके धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री धीरज जी गुर्जर (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आज भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 सदन में पास होने के लिए रखा गया है। इस पर विचार के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आज स्किल डवलपमेंट की चर्चा पिछले तीन-साढ़े तीन वर्ष से, जब से इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इस देश-प्रदेश में पूरा जोर दिया गया है कि इस देश-प्रदेश के नौजवानों को स्किल डवलपमेंट के माध्यम से स्वयं के रोजगार सृजन के लिए हम उनमें अपने आप में एक सक्षमता प्रदान करेंगे, लेकिन पिछले तीन वर्ष में लगातार यह चर्चा जरूर सुनी है, प्रचार के माध्यम से सुनी है और आज बिल के माध्यम से भी गंभीरता से सुन रहे हैं।

लेकिन इस प्रदेश में तीन-सवा तीन वर्ष का समय बीतने आ गया है, अब तक आपने स्किल डवलपमेंट के नाम से कितने लोगों को रोजगार योग्य कर दिया, योग्य होने के बाद उनको आपने कितना रोजगार प्राप्त करा दिया? ऐसा सरकार और माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप आज जवाब में जरूर बताएं। मैं कहना चाहता हूं जहां तक रोजगार की सक्षमता की बात है, इस प्रदेश में आपकी बहुत सारी प्राइवेट आईटीआई कालेज खुली हुई हैं, आपकी सरकार के द्वारा भी आईटीआई की कालेज खुली हुई हैं। उनमें प्रशिक्षित बेरोजगार लोग आज रोजगार के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। इस सरकार के पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी रोजगार के बाद, प्रशिक्षण के बाद, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उस पर

(श्री मनोज कुमार)

नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी डिप्लोमा और प्रशिक्षण सरकार से या प्राइवेट माध्यम से दिए जा रहे हैं वह सभी सिर्फ प्रमाण पत्र तक सीमित हो गये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी प्रशिक्षण आज के दिन चल रहे हैं, अगर सरकार एक कमेटी बनाकर पूरी जांच करा ले तो इस प्रदेश में आप जिन प्रशिक्षणों का नाम ले रहे हैं, जो अनुभव देना चाहते हैं, अगर उस संस्थान में आपकी वह व्यवस्था मिल जाए तो आप जो चाहे कह देना। मंत्री महोदय एक भी संस्थान के पास,जो नाम लिखे जा रहे हैं, उनके पास प्रशिक्षण देने के संसाधन तक उपलब्ध नहीं है। उनके पास प्रशिक्षण देने वाला, प्रशिक्षक नहीं है लेकिन सरकार के, इस जनता के पैसे का दुरुपयोग जरूर हो रहा है। किसी न किसी संस्थान को हमने मान्यता दे दी और मान्यता देने के बाद वह उसका प्रमाण पत्र देता है, वह कोर्स करता है, उसकी फीस का भुगतान सरकार करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कार्य किया जाए उस कार्य पर धरातल पर हमारा नियंत्रण हो। उस पर काम किया जाए जिससे व्यक्ति अपने आप में प्रशिक्षित होकर स्वयं का रोजगार सृजन कर सके।

इस बिल में सबसे बड़ी बात तो यह है, प्रहलाद जी गुंजल की बात का मैं समर्थन करता हूं। आप एक तरफ तो कहते हो कि कौशल विकास, दूसरी तरफ इसमें इतने कालेजों के आपने प्रबंधन की बात कर दी, मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालय आपका उस मूल भावना से भटकेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका कौशल विकास तो रह जाएगा एक स्थान पर और यह जो कमाई के संसाधन है, इनके विधि, कला, वाणिज्य, चिकित्सा, यह इनका बहुत बड़ा व्यापार बन जाएगा। उस व्यापार के माध्यम से यह विश्वविद्यालय चलेगा। वह कार्य तो खूब सुचारू रूप से चलेंगे लेकिन स्किल डवलपमेंट के आपके कार्यक्रम है यह नहीं चल पाएंगे। अगर चलेंगे तो सरकार का इसमें क्या योगदान है ? आप एक प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलकर, हमारे यहां के नौजवानों को और उन गरीब परिवारों को जो लोग अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा पाते हैं, इन विश्वविद्यालय के नाम से आप लूटने का काम कराएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपके पास रोजगार का कोई संसाधन, कोई साधन नहीं है। सरकारी माध्यम से खोले सारे, जिस तरह से आपका दूसरा बिल आ रहा है, वह विश्वविद्यालय जैसे खोल रहे हैं, बहुत मान्यता प्राप्त और बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इस राजस्थान में है, जिनके पास पूरे संसाधन है, आप उनमें भी अपनी फैकल्टी शुरू कराए जिससे आपका स्किल डवलपमेंट का जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। सरकारी संसांधनों से एक गरीब परिवार का छात्र भी लाभ ले सके।

आज कर्मचारियों के हित की बात इस बिल में है। खूब सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय

(श्री मनोज कुमार)

के बारे में पहले भी चर्चा हुई लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी इस विश्वविद्यालय में लगेंगे उनका भविष्य कहीं सुरक्षित नहीं है। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। हमारे नौजवान बेरोजगार लोग इन विश्वविद्यालयों में अपना रोजगार प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जब चाहे इस विश्वविद्यालय का, चाहे चासंलर हो, चाहे प्रेसीडेंट नाम दिया हो, चाहे तब उनको घर भेज सकता है, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस बिल में आप इस पर गंभीरता से विचार करें कि जो कर्मचारी होगा उसका भविष्य सुरक्षित हो। जिसको हम मान्यता दे रहे हैं, उस विश्वविद्यालय में जिन लोगों को रोजगार मिल जाए वह तो कम से कम पूर्णतया लाभ प्राप्त कर सकें।

रोजगार की बात कर रहे हैं कि स्किल डवलपमेंट के बाद रोजगार होगा, लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने जो रोजगार प्रशिक्षित प्राप्त है उसके बाद भी आपने संविदा पर लेकर उन नौजवान बेरोजगारों के साथ जो अन्याय कर रखा है, पिछले तीन साल में, राज्य सरकार अच्छी तरह से जानती है। मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि नरेगा में संविदा पर कर्मचारी लगे हुए हैं। आपने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो न्यूनतम मजदूरी दिखाई है, वह न्यूनतम मजदूरी भी उन संविदा कर्मियों को भुगतान नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके, जिनको आप संविदा के नाम से, बेरोजगारों को लंबे अर्से तक रोकना चाहते हो। सरकार यह संविदा का खेल बंद करे। आपने सुराज संकल्प यात्रा में कहा है कि हम सबको नियमित करेंगे, लेकिन आज भी वह बेरोजगार चार-चार हजार, पाँच-पाँच हजार रुपये में, आपके चिकित्सा विभाग में जाओ तो कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, हैल्पर, ट्रालीमैन, सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, नर्सिंग कर्मी, यह सारे प्रशिक्षित हैं। माननीय सभापति महोदय, सब प्रशिक्षित हैं लेकिन चार-चार हजार में सरकार के नौकरी कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी इनकी कम से कम, अकुशल के लिए आपकी न्यूनतम मजदूरी 201 रुपये है। वह आपकी न्यूनतम मजदूरी से कम में भी काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा अन्याय इस प्रदेश के नौजवान के साथ क्या हो सकता है। आप इनकी व्यवस्था करें कि जो लोग संविदा पर आपके प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन बेरोजगारों की तो आप व्यवस्था कीजिए।

इसी तरह से मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में भी आपके लैब टेक्नीशियन लगे हुए हैं उनको भी आप चार-चार हजार रुपये देकर तीन वर्ष से भ्रमित कर रहे हैं। जिनको सरकार ने संविदा पर लगा रखा है उनके साथ अगर आप अन्याय कर रहे हैं तो और नये स्किल डवलपमेंट तैयार करके क्या रोजगार की व्यवस्था रहेगी, इसके बारे में आप कहीं चिंतित नहीं हैं, मुझे ऐसा लगा।

तीसरा, इसी तरह से प्रदेश में होमगार्ड भी आपके लगे हुए हैं। वह भी इस देश के

(श्री मनोज कुमार)

नौजवान हैं। उनकी भी कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है। पूरे साल में आप उनको 100 दिन तो काम देते हैं। वह 265 दिन घर रहें। 30-30 वर्ष से आपके यहां नौकरी कर रहे हैं, 30 वर्ष से नौकरी करने वाला व्यक्ति आज भी 200-250 रुपये में आपके नौकरी कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों का भी आप स्थाई करण नहीं कर पाए। उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है।

विद्यार्थी मित्र, जिनको आपकी सरकार ने, उनको प्रशिक्षण, आठ-आठ साल आपने काम करवाया है, नौ वर्ष तक आपके शिक्षा विभाग में काम किया और फिर भी आपने उनको घर भेज दिया और आज कह रहे हैं कि विद्यार्थी मित्रों को हम रोजगार देंगे। आप कौनसा रोजगार देना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। आपकी मंशा रोजगार देने की नहीं है, अगर रोजगार देने की मंशा है तो सबसे पहले तो जिन-जिन के लिए मैंने कहा, होमगार्ड की व्यवस्था करिए, विद्यार्थी मित्रों की व्यवस्था करिए और आपके संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था करिए उसके बाद और प्रशिक्षित करके, खर्चा करके आप इन बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं कि 15 लाख रोजगार देने की आपने बात कही, उसमें से आपने एक लाख तो सरकारी कर्मचारी की नौकरी देने की बात कही है। माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि हमने 11 लाख लोगों को रोजगार दे दिया।

माननीय श्रम मंत्री महोदय, आप बैठे हैं, आपके पास उन संस्थाओं का रिकार्ड जरूर होगा। उन 11 लाख में से अगर 5 लाख को भी दे पाए हैं तो कम से कम अपने आंकड़े यहां जरूर प्रस्तुत कर देना कि हमारी मंशा कहीं रोजगार देने की है। आपकी रोजगार देने की कहीं मंशा नहीं है सरकार की। इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों से आम व्यक्ति को लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन बेरोजगारों के लिए आप रोजगार की व्यवस्था करें, जिससे यह लाभान्वित हो सकें। सरकार स्किल डवलपमेंट की बात करके हमारे बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं कर रही है। अगर न्याय करने की मंशा है, आपका यह अच्छा वर्क, जिस तरीके से इसमें आप लोगों ने 12 संकाय गिनाए हैं कि हम इस-इस तरीके से। देखिए सह निर्माण की जहां तक बात है, वहां कोई प्रेक्टिकल प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। आपने मोटर व्हीकल की बात की है, उसमें भी कोई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का बेरोजगार नौजवान मजदूरी करते करते ही भवन निर्माण का काम तो सीख ही जाता है और वह करता है, लेकिन आप इन प्रशिक्षणों के माध्यम से, हमारे ग्रामीण परिवेश में जो प्रशिक्षण हैं वह तो वहां से ही प्राप्त हो जाएंगे लेकिन और जितने भी आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं उनको

(श्री मनोज कुमार)

आप धरातल पर, व्यक्ति को काम सिखाकर काम करें। आप स्किल डवलपमेंट का यह बिल लेकर आए हैं, मैं कह रहा हूं कि रोजगार सृजन के लिए या अपना काम सीखने के लिए मौका मिलेगा और फीस निर्धारण का भी एक क्राइटेरिया तय हो, नहीं तो गरीब लोगों को लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। इस विश्वविद्यालय में, जिस ट्रस्ट का नाम पढ़ा, वह नाम पढ़कर मैं मेरे उन ट्रस्टियों को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को और आपको भी बताना चाहूंगा कि यह ट्रस्ट मेरे राजगढ़ का है, जो राजेन्द्र उर्सला चैरिटेबल ट्रस्ट है, यह ट्रस्ट मेरे राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र का है। वह इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा अपना विजन लेकर आया, काम कर रहा है। उसके लिये उस ट्रस्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि वह विकास के प्रति मेरे राजगढ़ में भी अपने स्वयं के ट्रस्ट के माध्यम से पैसा खर्च करके हमारे वहां विकास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे राजगढ़ में आप इसी तरीके से और विकास करते रहें। इस बिल को जब तक हमारी ये कुछ कमियां हमने गिनाईं, इनको पूरा न कर दिया जाए, तब तक जनमत जानने हेतु तीन माह के लिये इसे परिचालित किया जाये। धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नवीन पिलानिया जी। (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। मैं सोच रहा था कि शार्ट में काम चल जाएगा। पर बहुत ज्यादा जो शंकाएं जाहिर कीं, उनको दूर करना मेरा फर्ज है।

सबसे पहले डा. आर.के. जोशी एवं श्रीमती उर्सला जोशी के बारे में, ट्रस्ट जो बना है, इसके बारे में कई सदस्यों ने शंका जाहिर की है। बेसिकली, ये जोशीजी 1934 में सीकर जिले के रुडला गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन बिट्स पिलानी से ली। इसके बाद वे स्विट्जरलैण्ड चले गये। स्विट्जरलैण्ड के अन्दर भी इन्होंने, जिस तरह का उनके परिचय में दे रखा है, वे काम किये जो कि अपने आप में बहुत ही एक्सीलेण्ट थे। इस तरह की मेडिसन भी फोर्म की, जो आज अमेरिका वगैरह पूरे वेस्टर्न कण्ट्रीज, यूरोप में उनके नाम से जानी जाती है। इनके पास शुद्ध रूप से स्विट्जरलैण्ड का पासपोर्ट है। इन्होंने वहां की नागरिकता ले रखी है। बहुत से भाई कह रहे थे, पैसों के बारे में, यह पैसा भी शुद्ध रूप से स्विट्जरलैण्ड से आया है। अब यह सोच है। जो व्यक्ति यहां से जा करके बहुत बड़े स्टेटस पर पहुंच गया, वहां भी इन्होंने बहुत से कारखाने लगा रखे हैं, बहुत से प्रतिष्ठान बना रखे हैं और

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

फिर भी वह अपने देश की माटी को नहीं भूले हैं।

(15.53 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस व्यक्ति के बारे में इससे ज्यादा क्या कहा जाए कि यह नालन्दा विश्वविद्यालय, जहां से किसी तरह का उनका कोई लोभ-लालच नहीं, सात करोड़ रुपये तो उसी को दे दिये यहां से भारत सरकार के, क्योंकि उनके मन में था मैं जिस गांव से गया, और मैं अगर उस देश के काम नहीं आया तो मेरा सृष्टि में आना बेकार है। उनके दिमाग में यह था कि जिस तरह से स्विट्जरलैण्ड बढ़ रहा है, जापान बढ़ रहा है, जर्मनी बढ़ रहा है, उन देशों से बहुत ज्यादा सम्बन्ध उनके रहे हैं, उनके बिजनस चल रहे हैं, तो क्यों नहीं उसी तरह की एजुकेशन अगर इण्डिया में दी जाये, जिस देश के अन्दर हम पैदा हुए तो हमारा भारत वर्ष भी कौशल के मामले में उनसे आगे बढ़ जाएगा। केवल जो उनकी मंशा है, बहुत से शक कर रहे थे, और हमने अपना रखा पार्ट पाँच करोड़ रुपये जमा होने चाहिए, यूनिवर्सिटी की बात करने से पहले, एक मिनट में पाँच करोड़ रुपये जमा करा दिये। उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें किसी तरह की जमीन के अन्दर रियायत दे दो। सेज में गये, गवर्नमेंट ने अपना रखा कि 30 एकड़ जमीन की जरूरत है, बाजार भाव से 30 एकड़ जमीन के पैसे जमा करा दिये। इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं की या किसी और से रिक्वेस्ट नहीं की कोई बेनिफिट लेने के लिये। पहले भी यहां उनका अपना एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जो फ्री ऑफ कोस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, साढे सात एकड़ के अन्दर। जो यूनिवर्सिटी के नार्म्स हैं कि दस हजार मीटर छत समेत बनी हुई बिल्डिंग होनी चाहिए, वे उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन जमीन कम है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें बताइये, जब हमारा आपके साथ एम.ओ.यू. हो गया तो कितने दिन के अन्दर हमें यूनिवर्सिटी को खड़ा करना है। गवर्नमेंट ने कहा, जो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट टीम बनी, उन्होंने कहा एक साल का हम आपको समय दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमको साढे सात एकड़ में, इसमें चला लेने के लिए दीजिये और हम एक साल के अन्दर इस यूनिवर्सिटी को जमीन ले करके, और फिर बाजार भाव में तेजी से उसमें भी खूब महंगे रेट पर 50-60 करोड़ की जमीन उन्होंने ली।

अब बहुत से हमारे साथियों ने कहा कि आर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी। हमारी जो एक्सपर्ट टीम गठित हुई। कइयों ने शंका भी जाहिर की थी कि ऐसे ही आनन-फानन में, इसके अन्दर बाकायदा इस निर्णय को लेने से पहले टीम गठित हुई थी। जिस टीम के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से थे

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)
मिस्टर कृष्ण कुणाल, आई.ए.एस. अधिकारी, कमिश्नर, डी.एस.ई.ई. और एम.डी., आर.एस.एल.डी.सी.- चैयरमैन, और प्रोफेसर आर.पी. यादव, एम.एन.आई.टी., जयपुर-मैम्बर, मिस्टर धीरेन्द्र देवर्षी, हायर एजुकेशन, ग्रुप-4, जयपुर-मैम्बर, प्रोफेसर विक्टर गम्भीर, प्रेसीडेन्ट, जी.ई.सी.आर.सी. यूनिवर्सिटी, जयपुर-मैम्बर, प्रोफेसर हर्ष द्विवेदी, पोद्दार इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट जयपुर-मैम्बर। यह सारी टीम मिल करके कमेटी गई। उन्होंने इनके कैम्पस को देखा। कैम्पस को देखने के बाद, जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट चला रहे थे, इनके पास जो मशीनरी थी, इनके पास जिस तरीके का पढ़ाने का तरीका था, ड्वेल सिस्टम से, जो जर्मनी और स्विट्जरलैण्ड में अपनाया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने भी पहले विजिट किया था इसका और हमारे पूर्व श्रम मंत्रीजी भी उनके साथ गये थे। उन्होंने जो तरीका देखा, तो जिसने देखा, यह बिल्डिंग मैंने भी देखी, आपको निश्चित रूप से मैं विजिट कराऊंगा, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, दोनों जगहों की, तो देखने के बाद महसूस हुआ कि अगर यह यूनिवर्सिटी चलाए, यूनिवर्सिटी बनाए तो निश्चित रूप से इसमें देश का हित है।

ये स्विट्जरलैण्ड में थे, यहां जो हमारा आह्वान किया, जिसकी आप लोग मजाक उड़ाते हो कि रिसर्जेण्ट राजस्थान से क्या मिला, उस रिसर्जेण्ट राजस्थान की उपज है कि स्विट्जरलैण्ड का नागरिक इस देश में दो सौ करोड़ रुपये अपनी जेब से लगाने के लिये आ गया, जो इन्वेस्टमेंट है और यह प्रेक्टिकल है।

श्री रमेश (सपोटरा): वाह जी वाह, चार सौ करोड़ लगाकर दो सौ करोड़ आये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जनाब, यह तो एक इंस्टीट्यूट है। हो सकता है, आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ...(व्यवधान)... आने वाला भी नहीं है। आसान नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 32 हजार करोड़ आये हैं। ...(व्यवधान)... 3 लाख बीस हजार करोड़ आ गये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): कोई बात नहीं। ...(व्यवधान)... अब हम यह आर्डिनेंस क्यों लाये। इसके पीछे कारण यह है कि दिनांक 04 अगस्त, 2015 को नये विभाग के गठन से सम्बन्धित माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से अधिसूचना जारी हुई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय को भी पता नहीं है। यह तो मैडम ही बता सकती हैं कि यह एम.ओ.यू. क्यों हुए। बाकी ये नहीं बता सकते।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपको यह शंका क्यों है ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): डोटासरा साहब, हर जगह राजनीति नहीं होती। एक व्यक्ति जो इस देश के लिये किसी तरह के 'नो लॉस-नो प्रोफिट' पर.....।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, तथ्यहीन बातों पर आप अपना समय बर्बाद न करें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं जाएंगे, समझ गया। अब मेरी समझ में आ गई कि हमारे विपक्ष के समझ में आने वाली बात नहीं है। ...(व्यवधान)... 2015 को नये विभाग के गठन से सम्बन्धित माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से अधिसूचना जारी हुई। तदुपरान्त 07.10.2016 के जरिये अधिसूचना रूल्स आफ बिजनस में क्लॉज नम्बर 14(ए) में संशोधन होकर विभाग को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार मिला, 2015 में। राज्य में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बजट घोषणा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने, अब उनके विजन को भी नहीं समझ पाओगे आप। क्योंकि आपको अभी नौकरी नजर नहीं आ रही है।

(16.00 बजे)

बजट घोषणा 2014-15 में पैरा संख्या-80 द्वारा की गयी और यह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने पी.पी.पी. आधारित विश्वविद्यालय की बजाए माननीय सदस्य डोटासराजी, आप जो कह रहे थे, लगता है कि आपने आज बिलकुल भी बिल को देखा ही नहीं। हमने यह मंशा जाहिर की कि पी.पी.पी. मॉडल पर खोलें लेकिन हमारे ही अपने उच्च शिक्षा विभाग ने एकदम मना कर दिया कि या तो गवर्नमेंट का खोलिए या बिलकुल किसी एक व्यक्ति का। पी.पी.पी. मॉडल पर इस तरह की यूनिवर्सिटी कामयाब नहीं हो सकती तो यह इंडिविजुअल है, ट्रस्ट की है, यह पी.पी.पी. मॉडल पर नहीं है और पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। रिसर्जेंट राजस्थान, 2015 के उपरांत 23 अप्रैल, 2016 को भारतीय स्किल डवलपमेंट कैम्पस एवं राज्य सरकार के मध्य निजी क्षेत्र में कौशल विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी और तत्कालीन हमारे श्रम मंत्रीजी की उपस्थिति में स्किल डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार हुआ और तय हुआ कि भारतीय स्किल डवलपमेंट कैम्पस खोला जाएगा और उसमें एम.ओ.यू. हो गये। स्किल डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड यह कैम्पस है अभी

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

तक, जिस कैम्पस को देखने के बाद अगर एक बार मेरे साथ आप चलेंगे, मैं अपने विभाग की तरफ से इसकी व्यवस्था करवाऊंगा सबको लेकर और वहां बढ़िया लंच भी करवाऊंगा। अभी, तो देखेंगे। कल्पना करेंगे हम भी कि वाकई में हमारे देश के अंदर इस तरह के भी सेंटर होने चाहिए, इस तरह की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और, उसको देखकर इस ट्रस्ट के माध्यम से जो जोशीजी ने इसको एम.ओ.यू. किया, हमारे साथ इस ट्रस्ट ने, वह चाहते हैं अगर कोई और होता तो इसका दो साल, चार साल का भी समय ले सकते थे क्योंकि 100 बच्चों का हॉस्टल भी बना हुआ है। 100-150 करोड़ की मशीनें भी लगी हुई हैं। शायद ज्यादा की लगी हुई होगी ? बहुत बढ़िया कैम्पस बना हुआ है बिलकुल स्विट्जरलैंड स्टाइल में ही तो उन्होंने जो शर्त हमने कहा, वह शर्त रखी।

अब दिक्कत क्या हो रही थी कि एम.ओ.यू. हो गया और एम.ओ.यू. के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स ने, जो हमारी उच्च शिक्षा मंत्रीजी की टीम थी, उन्होंने कमेटी गठित की थी, उन्होंने एम.ओ.यू. के अंदर यह साथ में कर दिया कि with in one year आप यूनिवर्सिटी चालू करेंगे वर्ना आपका यह करार खतम कर दिया जाएगा। एक तो स्विट्जरलैंड से पैसा आना था। उस पैसे को लाने में इनको कठिनाई हो रही थी। यह बीच में नोटबंदी वाला जो आप लोगों का काम तमाम किया है, स्विट्जरलैंड का बाकी पैसा तो मारा गया पर कम से कम जिसका खून पसीने का है, वह तो आ गया, तो उस पैसे को लाने में, भारतीय सरकार की फाइनेंस मिनिस्टरी में बहुत दिन तक तो कोई हाथ लगाने को ही तैयार नहीं था तो उस वजह से थोड़ा लेट हुआ।

उन्होंने एक साल का समय मांगा। एक साल का समय था तो अगर हम आर्डिनेंस नहीं देते तो इसके बोर्ड का गठन नहीं होता। इनका कोई कार्य शुरू नहीं होता। मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। 200 करोड़ रुपये यह खर्च करेंगे और जिसमें फंड की बात मैं कर रहा हूं वह फोरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पैसा आना था, उसके अंदर इनको थोड़ा डिले हुआ।

इसी तरह स्थापना करने हेतु गाइड लाइन के मुताबिक 30 एकड़ भूमि और उस पर 10 हजार वर्गमीटर की छत सहित निर्माण कार्य होना था। भारतीय स्किल डवलपमेंट कैम्पस के अंदर महिन्द्रा सेज में इनकी 7.3 एकड़ जमीन थी, चूंकि उसके पास इनको जमीन नहीं मिल रही थी, इस तरह से इन्होंने कानून का पालन किया। उसके अलावा अलग एक ही कैम्पस होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की यह गाइड लाइन में है तो 30 एकड़ जमीन इन्होंने वहां खरीद ली और जब हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया और तत्कालीन मंत्री महोदय ने 23.04.2016 को इसका अवलोकन किया

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

और हमारी एक्सपर्ट्स कमेटी, कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गयी तो उन्होंने जिस तरह की मशीनें जो देखीं, उस तरह सभी ने एक राय दी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजकों के रूप में डॉक्टर जोशी एवं उनकी पत्नी उर्सला जोशी के नाम से राजेन्द्र एवं उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट का विधिवत गठन उन्होंने किया। जोशी परिवार की स्किल डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जिसमें महिन्द्रा सेज में 7.3 एकड़ भूमि थी, डवलपमेंट सब हो चुका था लेकिन उसके पास में नियमानुसार तीस एकड़ जमीन चाहिए थी और इन्होंने 55 करोड़ रुपये की जमीन ली और जिसका इन्होंने कब्जा ले लिया, 3.12 को लीज डीड भी इन्होंने कर ली और एक साल के अंदर सब काम करने थे, एक साल के अंदर पैसों से डिले हो रहे थे, सब देखते हुए, जैसे ही इनके अपने काम हुए, हमारा एम.ओ.यू. है, वह भी सेफ रहे, यह लोग हमसे ज्यादा, इन्होंने कहा कि हम कानून का किसी तरह का उल्लंघन नहीं करना चाहते तो हम आर्डिनेंस लाएँ जिसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आई।

निवेशक की रुचि इस बात की थी कि जल्दी विश्वविद्यालय संचालित हो। स्विट्जरलैंड के विख्यात, अब ड्यूअल सिस्टम, जो आप बहुत देर से सब लोग शंका जाहिर कर रहे थे, यह इतनी चीजें क्या करेंगे? यह हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारी आई.आई.टी., हमारी आई.टी.आई और हमारे डिप्लोमा, इनसे हटकर कुछ कंट्रीज हैं जो इस शिक्षा को अपनाते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, उधर के जितने भी, आज जिनकी मशीनें बिक रही हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वह लोग ड्यूअल सिस्टम उसे कहते हैं कि, यह भी उसमें शुरू करने जा रहे हैं कि छह महीना यह अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, जिसके साथ में मशीनों पर ही पढ़ाई करवाएंगे। फिर छह महीने यही अरेंज करेंगे बच्चे के लिए, आज हमारी इंटर्नशिप के लिए चाहे कितनी ही बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, तब भी दस एप्रोच लगवाता है पर यह छह महीने के लिए उसको फिर लेकर जाएंगे प्रैक्टिकल करवाने के लिए, फिर पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं रहेगा। उसके बाद में फिर आएंगे वापस कैम्पस के अंदर, इसको ड्यूअल सिस्टम बोलते हैं कि साथ की साथ पूरा, नौकरी भी एक तरह की हो गयी, एक तरह का प्रैक्टिकल भी हो गया, पूरा मशीनरी ज्ञान भी हो गया और मशीनें भी आज, कुछ पहले जमाना था कि लोग पैदल लड़ाइयां लड़ते थे, आज एक बटन दबाओ तो पूरे देश का अता-पता ही नहीं लगता। उस मुकाम को पाने के लिए हमारा आई.टी. सचमुच कितना आगे बढ़ गया? टेलीफोन के लिए ही हम एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। आज तो आप सबकी जेब में टेलीफोन पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, अब एक जमाना है कि अब रोबोट काम करने लग गये। अब कुछ दिनों के अंदर अभी ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो राजीवजी की देन है। आप तो यह तो कह सकते हो, उस वक्त तो आप हमारे साथ थे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): देन तो वह भी हमारी है। अटल बिहारीजी वाजपेयीजी की देन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अटल बिहारीजी वाजपेयी की देन है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हम एम.पी. थे उस वक्त, हम गांवों में, यह कृपलानीजी भी थे, हम भाषण देते थे किसान को कि ऐसा टेलीफोन आ रहा है कि जब आपकी लावनी खतम हो जाएगी तो आपका घर वाला फोन करेगा कि रोटी लेकर आ जा तो लोग हमसे मजाक करते थे, आपके कांग्रेसी लोग। ....(व्यवधान).... नहीं, गलत बात है। वह तो बहुत पुरानी बात कह रहे हो आप। इतने दिन में तो आदमी अमरीका में रहता तो उसकी नागरिकता बदल जाती। अब तो मेरी नागरिकता ही बदल गयी।

फिर मैं भूल जाऊंगा, तो इस विश्वविद्यालय को हमें जून के अंदर स्टार्ट करना था क्योंकि हमने टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी थी तो इसलिए हमको आर्डिनेंस लाना पड़ा और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है आर्डिनेंस लाना और जो देश हित में हो यह तो वह वाली बात हो गयी, देशी गांव का आदमी कि बनिए के एक आदमी गुड़ लेने गया और बनिया था अपने कालीचरणजी जैसा, तो शरीफ आदमी था, वह गुड़ ले गया और गुड़ के साथ पैसा चिपक कर चला गया फिर भी कह रहा है कि बनिए ने कुछ न कुछ तो खाया होगा। यही हाल इसमें हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह बनिए ही क्यों मिले आपको ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उदाहरण ही बनिए का है। यह गुड़ के चिपक कर तो बनिए के साथ ही जाएगा। मैंने तो आपको शरीफ और बताया है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ठीक है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): तो अब इस ट्रस्ट के जो पति-पत्नी हैं, उन्होंने वाकई में हम पर कृपा की है।

यह एक सच्चाई है, खाली पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी और इसमें आप जो फीस की बात कह रहे हैं, अभी इन्होंने काफी समय से इंस्टीट्यूट चला रखा है, उनसे तो पैसे ही नहीं ले रहे हैं। इसलिये हमको आर्डिनेंस लाना पड़ा। अब आपमें से बहुत-से साथियों ने कहा कि इनके ऊपर कंट्रोल क्या रहेगा? अब यह यूनिवर्सिटी बन गयी तो इसके ऊपर सरकार का क्या कंट्रोल रहेगा? बोर्ड ऑफ

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

मैनेजमेंट, सबसे पहली चीज है जो आर्डिनेंस आने के बाद में बनता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के अन्तर्गत यह प्रावधान है बी.एस.यू. के बोर्ड मैनेजमेंट में राज्य सरकार के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का एक सदस्य रहेगा। अब जो भी फैसले होंगे, वह बोर्ड में ही होंगे और राज्य सरकार का स्किल डवलपमेंट से जुड़ा हुआ अधिकारी, उसके अंदर एज ए मैम्बर रहेगा, वह उनकी हर चीज को देखेगा, परखेगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर वो ही मिल गया तो क्या होगा ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है। अगर बाड़ ही खेत को खाने लग जाये तो उसका क्या इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। वह आप जैसे लोग जब बोलेंगे, क्योंकि रहना तो आप लोगों को विपक्ष में ही है, तो आप फिर ध्यान देते रहना और हमको जगाते रहना। डूडी साहब, ठीक कह रहा हूं न। विन्यास निधि - विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय, स्पोंसरिंग बॉडी द्वारा पाँच करोड़ रुपये हमेशा इनके हमारे पास डिपॉजिट रहेंगे। जब वह अपनी लागत लगा देंगे 200 करोड़ की तो वह कह रहे हैं, हजार करोड़ तक पहुंचेगा, यह तो स्टार्टिंग का है। जमीन यही हिन्दुस्तान में है और यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। सब कुछ यहीं पर है पर पाँच करोड़ रुपये गवर्नमेंट के पास हमेशा डिपॉजिट रहेगा और वह भी ब्याज रहित रहेगा। पी.डी. खाते में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी। मेरे ख्याल से इससे भी आपकी संतुष्टि हो जाएगी। चेयरपर्सन की नियुक्ति- उनका बोर्ड मैनेजमेंट फैसला करेगा। चेयरपर्सन की नियुक्ति बी.एस.टी.सी. विद्यालय के प्रधान हैं, विधेयक के क्लॉज 12 (1) के अनुसार विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन की नियुक्ति पर राज्य सरकार की सहमति के बिना चेयरपर्सन की नियुक्ति नहीं हो सकती। वह अपना तीन आदमियों का पैनल बनाकर भेजेंगे। राज्य सरकार उनके बारे में सारी जांच करेगी और राज्य सरकार जब संतुष्ट हो जाएगी तो ही उसकी नियुक्ति होगी, वह भी कंट्रोल हो गया। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां, राज्य सरकार "Powers of the State Government to inspect the University, Clause 41. राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान तथा किसी भी अन्य विषय से संबंधित स्तर को निश्चित करने के लिये निरीक्षण करवा सकेगी व निरीक्षण के परिणामों के संबंध में अपनी सिफारिशें/निर्देश दे सकेगी। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित रहेगा। सिफारिशों की अनुपालना विफल होने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को टाइम बाउण्ड दिशा-निर्देशित किया जाएगा और आगे आएगा कि हम और क्या कर सकते हैं। परिनियम, स्टेटस

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

अनुमोदन क्लॉज 29 विधेयक के खण्ड 29(2) द्वारा यह प्रावधान किया गया कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये परिनियमों को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए और राज्य सरकार द्वारा इनका अनुमोदन किया जाएगा। इसका राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन परिनियमों में आवश्यक समझा तो उसमें संशोधन करने की शक्ति रहेगी तो कानून भी राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार की कतिपय परिस्थितियों में विशेष शक्तियां व विश्वविद्यालय का विघटन, यह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। Special powers of the State Government in certain circumstances and the dissolution of the University. क्लॉज 44, इतने में ही सारा आ गया, क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है कि जहां राज्य सरकार संतुष्ट नहीं होगी, जहां वह रूल एण्ड रेगुलेशन को फालो नहीं कर रहे होंगे तो राज्य सरकार के पास अधिकार होगा कि उस यूनिवर्सिटी को डिजाल्व कर दिया जाएगा और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन हो गया, अब प्रवेश में आरक्षण। इधर से कोई बोल रहे थे, बोलने वाले तो माननीय सदस्य गये। इसमें उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्लॉज रखे हैं आरक्षण के लिये, जो यूजीसी ने मापदण्ड तय कर रखे हैं, जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों के लिये है। एस.सी., एस.टी. सबके आरक्षण सेम पैटर्न पर हैं। एस.सी. का भी उतना ही, एस.टी. का भी उतना ही, ओबीसी का भी उतना ही है तो मेरे ख्याल से यह शंका भी दूर हो गयी होगी। शिड्यूल्ड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम्स के लिये भी गवर्नमेंट ने टाइम बाउंड किया है कि अकोर्डिंग हमारे टाइम अगर आप परीक्षाएं नहीं कराओगे, हमारे स्टैण्डर्ड से नहीं कराओगे तो हम इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेने के अंदर सक्षम हैं।

आर्डिनेंस के अंदर, विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस अनुमोदन, वह जो भी अपना वह बनायेंगे, उसके अंदर भी विधेयक के खण्ड 30 (2) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित समस्त आर्डिनेंसों का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आर्डिनेंस में परिवर्तन करने का हक रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पास कराओ, हम सब आपके साथ हैं। यह राठौड़ साहब, आपको घेरना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, आप मेरे साथ नहीं हो, आप लोगों को स्किल डवलपमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो आपका स्किल डवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों की ट्रेनिंग कराएँगे। हमारों की भी करानी पड़ेगी। अब दो तीन चीजें जो कही थीं, सारी चीजें आप चाहते हो पास कर दें। ..(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी भूल गये तो कोई बात नहीं, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं नहीं भूला, एक एक चीज प्रिन्ट है, भूलूंगा कैसे, फिर इतना तो दिमाग रखता हूं। आप सब मेरे मित्र हो। पूरणमल सैनी जी चले गये, उन्होंने एस.सी., एस.टी. की बात की थी, यह लागू रहेगा। मेरे साथी प्रहलाद गुंजल जी ने जो शंका जाहिर की थी, उसमें टोटली यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में 20 परसेंट पाठ्यक्रम कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में रखा जाना है। सभी कौशल संकायों व संबद्ध संकाय के पाठ्यक्रम भारत सरकार की एस.एस.सी. सैक्टर स्किल कौंसिल व नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम के तहत लाये जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय किरण माहेश्वरी जी पीली पर्ची देती हैं तो यह कहीं न कहीं गलत बुलवाते हैं। पीली पर्ची मत पढ़ना बस। ..(व्यवधान).

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यह माइक इसलिये बंद हुआ कि इतनी देर आप आपस में बात कर रहे थे तब आपको यह महसूस हो कि माइक चालू कराने के लिये आपको इधर मुखातिब होना पड़े।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी का माइक राठौड़ साहब ने बंद कराया है इनकी परफोर्मेंस डाउन करने के लिये। कल तो सर्वर डाउन करा रहे थे और आज परफोर्मेंस डाउन करा रहे हैं। कभी दूसरे का यूज नहीं लेना चाहिये माननीय मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये कौशल विकास है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यह बटन दबा रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इस माइक का प्रयोग कर लें जब तक। हो सकता है कि समय अवधि के कारण वो बंद हो गया हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्री महोदय ऐसे लोगों को याद कर रहे थे जो सदन में मौजूद नहीं हैं, इसलिए माइक बंद हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्य, अपने स्थान से बोलना चाहिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): एक हमारे बहुत से सदस्यों ने इसमें कहा कि क्या डिग्री होगी, किस तरह से इसके अन्दर पीएचडी कर सकते हैं, किस तरह से इसकी नौकरी मिलेगी, किस तरह से क्या होगा? एक छोटा सा पढ़ देता हूं, सामान्य डिग्री एवं सामान्य शिक्षा होती है जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार का कौशल विकास नहीं होता है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज देती हैं एम.ए., बी.ए. यह, जबकि यदि आप कौशल विकास में डिग्री करते हैं तो शिक्षा के साथ-साथ आपके कौशल में भी

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

विकास होगा। इसके अलावा सामान्य शिक्षा वाले केवल सरकारी नौकरी के लिए अपने आपको समझते हैं, इसके अन्दर हर क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, इसमें बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री मिलेगी, मास्टर ऑफ वोकेशनल डिग्री मिलेगी, जो आप आई.ए.एस. में भी बैठ सकते हो, आर.पी.एस. में बैठ सकते हो, जो दुनिया के किसी भी कॉम्पीटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो और उस डिग्री की हर जगह मान्यता होगी।

अब फर्क क्या है ? एक मिनट और लेना चाहता हूं क्योंकि आपको सब को जाने की जल्दी लग रही है पर सीखना तो पड़ेगा, आपने बहुत देर लगा दी। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौशल विकास तो कराना पड़ेगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हमारे यहां मेरे बहुत से सदस्य भाई बोल रहे थे, कितनी नौकरियां दे दीं, कितने चपरासी बना दिये, कितने वो बना दिये, कहीं न कहीं देश को आगे बढ़ाना है तो यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हम केवल चपरासी की नौकरी को तो नौकरी मानते हैं पर हम आसमान छूने को नौकरी नहीं मानते। हमको यह स्किल डवपलपमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए स्थापित करनी पड़ेगी जिससे कि दुनिया के आयाम को हम छू सकें।

आज एक मेक इन इंडिया का जो सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मेक इन राजस्थान का जो सपना हमारी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी का और जो विजन है ...(व्यवधान)... यह मैं बाध्य नहीं हूं।

जो हमारा विजन है मुख्यमंत्री जी का कि हर हाथ को काम मिले, हर नौजवान को इस लायक बना दें कि जिंदगी में नौकरी या काम उसके पीछे घूमे, वो किसी के नौकरी या काम के पीछे नहीं घूमे। यह इसकी थीम है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब पास कराओ चाहे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इसलिए मेहरबानी करके हमारे जो 11 लाख के, क्योंकि आपने बहुत देर पहले, डोटासरा जी ने भी कहा, एक हमारे माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी चले गये, इस तरह हाउस में जब तक अपनी बातों का खुद ही मजाक बनाते रहोगे तो हाउस की सीरियसनैस चली जाएगी। उन्होंने कहा कि, साहब, गोशाला में चली गयी हमारी टीम। किसी ने शिकायत की कि फलां सैण्टर पर कुछ अनियमितताएं हैं। हमने उस टीम को जांच करने के लिए भेजा, उस गैशाला का आधा हिस्सा स्किल डवलपमेंट के लिए उन्होंने किराये ले रखा था, तो उस बात को तो छिपा गये कि गोशाला में चले गये, जब स्किल डवलपमेंट का सैण्टर

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

ही गोशाला में है। फिर पहली दफा यह हुआ है, जो आप लोगों ने शंका जाहिर की थी हमारे उसके ऊपर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): टाइम बढ़वा लेंगे उपाध्यक्ष महोदय से ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हमारे उसके ऊपर आपने शंका जाहिर की, जो कह रहे हैं कि हमारे यहां स्किल डवलपमेंट सैण्टर के अन्दर एक करोड़ 85 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गयी है। जब इतना बड़ा काम चलता है, ट्रेनिंग है यह तो उनके अन्दर। अब उसके अन्दर कोई ऐसी छोटी-मोटी त्रुटियां हो जाती हैं तो तुरन्त प्रभाव से हमने एक्शन लिया, हमारी टीम उनको चैक करने गयी, जब तक हम क्लीयर नहीं हो जाएं, उनकी जांच पूरी नहीं कर लें ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री महोदय का अपमान है। राठौड़ साहब, संसदीय कार्य मंत्री जी, ...(व्यवधान)... आप इस तरह से सारे माइक बंद मत करो। आप माइक बंद करवा रहे हो। पहले वाला बंद करा दिया, दूसरा बंद करा दिया। ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यह मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है ?

जिस सरकार के बारे में आप कह रहे हैं, एक करोड़ 85 लाख लोगों को इसके अन्दर ट्रेनिंग दी गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक करोड़ 85 लाख ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): ट्रेनिंग। सब की जांच हुई, जांच के अन्दर जो छोटी-मोटी अगर त्रुटियां कहीं मिली हैं तो उनके हमने तुरन्त प्रभाव से उनका जो पैसा देना था उसको रोक दिया गया। मैंने गलत बोल दिया, इसको सुधार करता हूं, एक लाख 85 हजार। हां, सुधार करता हूं। ...(व्यवधान)... वो सुधार कर लिया। अब निकल गया तो क्या हो गया ?

एक लाख 85 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी गयी। इसमें किसी सैण्टर के अन्दर अगर कोई त्रुटि मिली है, और आपको भी अगर कहीं लगता है तो वो हमें दीजिए, तुरन्त प्रभाव से जांच कराएँगे और जांच में जो दोषी मिला उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और जहां-जहां हम को शंका हुई उन सब के पेमेंट हमने रोक दिये हैं, करीबन साढ़े तीन करोड़ रुपये के ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सैकिण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: दूसरे वाली स्टेज पर आप पूछ लेना न। अभी तो He is just piloting the Bill.

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इसकी ? ...(व्यवधान)... बोल दूं ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार से किसी की पर्ची भेजी हुई और फिर उससे आप अनुमति लेकर बोलने की चेष्टा कर रहे हैं, आसन इतना मजबूर नहीं है कि आपकी इस बात को स्वीकार कर ले।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हुकुम, आपके आदेश की पालना, हाथ ही नहीं लगाऊं।

अब मेरे ख्याल से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। असली जो मुझे पढ़ना चाहिए था वो पूरा एक-एक चीज ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: उस पीली पर्ची में क्या लिखा हुआ है, आप जरा पढ़ कर बताएं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इसमें यह लिखा हुआ है कि डोटासरा जी का बी.जे.पी. का साथ एम.ओ.यू. हुआ है कि मेरा काम करते रहो और मैं कांग्रेस को गुमराह करता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यह भी कोई पार्लियामेंट्री स्किल है क्या ?

एक माननीय सदस्य: ऐसा लगता है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यह हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब के अण्डर ट्रेनिंग हैं। करते रहो ट्रेनिंग, सुख पाओगे। ...(व्यवधान)...

जैसे हमने चेंज किया, हमारा पहले था इन्स्टीट्यूट लेबर, डवलपमेंट। फिर कहा लेबर ठीक नहीं है, तो इन्स्टीट्यूट लीडर डवलपमेंट। इसी तरह राजेन्द्र जी के उसमें आ जाओ, लीडर डवलपमेंट करना है।

पढ़ दूं ? चलो, साहब, पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष: अभी ठहरिये। अभी आप विराज जाओ। अभी विराज जाओ।

प्रश्न यह है कि भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 48 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं ?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 -अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. जसवन्त सिंह जी।

विधेयक का पारण

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बोलना पसंद करेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक प्रश्न है मेरा तो।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं फिर एक घंटा बोलूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपनी तो सैटिंग है। मैं धीरे से ही पूछूंगा, एकदम सरल सा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से उस वक्त भी पूछा था कि आईएसडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत 2 प्राइवेट मिलों को बांसवाड़ा सिंथेटिक लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र दाहौद रोड, बांसवाड़ा को 79 लाख 66 हजार 700 रुपये का पुनर्भरण किया गया। आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, बांसवाड़ा ग्रुप सहित, बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड, मोरड़ी, जिला बांसवाड़ा को 1 करोड़ 66 लाख 38 हजार 300 रुपये, यानी केवल 2 को, बाकी पूरे राजस्थान में कितनों को दिया गया 2014-15 में ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या नाम बताया ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, बांसवाड़ा ग्रुप सहित, बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड, मोरड़ी, जिला बांसवाड़ा को 2014-15 में 1 करोड़ 66 लाख 38 हजार 300 रुपये और बांसवाड़ा सिंथेटिक लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र दाहौद रोड, बांसवाड़ा, केवल 2 को पुनर्भरण, जो असंगठित मजदूर वहां फैक्ट्री में पहले से काम कर रहे थे, उन 2 को आपने 2 करोड़ 46 लाख 5 हजार रुपये दिए हैं। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में कितने करोड़ों रुपये आपने दिए? जो वहां पर पहले से काम कर रहे हैं और स्किल डवलपमेंट के नाम से कितना रुपया प्राइवेट फैक्ट्री के लोगों को, मालिकों को कैसे दिया ? आराम से पर्ची ले लें। घंटे भर समय बढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका जवाब फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम जी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): समय काफी हो गया सर।

श्री रमेश (सपोटरा): जोगाराम जी, आप तो बैठ जाओ। जवाब दे मंत्री।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दे दो जवाब।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। प्रहलाद जी गुंजल। डू यू वांट टू स्पीक?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक शंका समाधान करना है।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो लास्ट में देंगे जवाब।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, केवल मामूली सा शंका समाधान करना है। हम कोई प्राइमरी स्कूल की या सैकण्डरी स्कूल की भी मान्यता देते हैं तो 3 साल पुरानी रजिस्टर्ड सहकारी सोसायटी चाहिए। हम इस एक्ट में विश्वविद्यालय को मान्यता दे रहे हैं और इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किए हुए 1 साल नहीं हुआ। नियमों में इस बारे में क्या प्रावधान हैं? इस बारे में बताएंगे?

दूसरा, जो कोर्सेज के बारे में मंत्री जी ने कहा है, परिभाषाओं में तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का उल्लेख है। औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का उल्लेख है। लेकिन उद्देश्य और कारण, विश्वविद्यालय की शक्तियां और कोर्स इजाद करने का जो उल्लेख है, उसमें इससे संबद्ध, राय, मार्गदर्शन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई बोलना पसंद करेंगे ?

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से एक छोटी सी क्वेरी करना चाहता हूं। जो अनुसूची 2 दी गई है, उसमें जो 12 कॉलम हैं और 1 कॉलम और है विषयों के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष: गुरुदेव, आप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रहे हैं। जरा मुझे इस प्रोक्टर और प्रोवोस्ट का अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है, यह बताएं।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बता दूंगा, चैम्बर में आकर बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: इस बिल के अंदर पदनामों में यह 2 पदनाम हैं, दी प्रोवोस्ट एंड दी प्रोक्टर।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): प्रोक्टर तो अनुशासन का काम करता है।

श्री उपाध्यक्ष: मूलत: इस शब्द का हिन्दी का क्या शब्द है ?

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अब यह तो बाद में बता दूंगा। देखकर के बता दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह माननीय भैरोंसिह जी बताकर नहीं गए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी 14वीं विधान सभा जब प्रारंभ हुई थी और पहले-पहले श्रीमान कालीचरण जी सराफ यह बिल लेकर आए थे, उस समय यही 2 प्रश्न मैंने पूछे थे। उन्होंने कहा कि हमारी गलती हो गई। आगे के बिलों में हम यह प्रोवोस्ट, प्रोकास्ट, चेयर पर्सन, प्रेसीडेंट इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद में भी यह सारे उपयोग हो रहे हैं।

इसके पहले जब हम प्रतिपक्ष में थे तो एक बिल में कांग्रेस पार्टी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। उसका बहुत विरोध किया था और इस बात पर वाक आउट किया था कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन निरंतर विधान सभा में आश्वासन के बाद में भी इन शब्दों का प्रयोग हर बिल में हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: इसका हिन्दी में कोई पर्यायवाची शब्द है क्या?

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हम आयातित में ज्यादा विश्वास करते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि हम आयातित चीजों को अडॉप्ट करते हैं। अपने संस्कारों के हिसाब से नहीं करते हैं। यह हकीकत है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आयातित को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक मिनट। अभी मंत्री जी ने यह कहा कि मैं कैम्पस खुद देखकर आया हूं। यह 12 और 9, 21 चीजें हैं, उनमें से कोई चीज है क्या वहां पर? डेयरी है, मछली है, पशुपालन है, कोई भैंस है, गाय है, यह सब चीजें इसमें दी हुई हैं। उनमें से कोई चीज थी क्या ? यह छोटी सी क्वेरी मैं चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

आज बिल पास हो रहा है। एक महीने पहले ऑर्डिनेंस आया, 1 तारीख को भूमि पूजन हुआ तो आज ही उसमें विभाग मिल जाएंगे? हमारे माननीय सदस्य मुझसे पूछ रहे हैं कि वहां इनमें से कौन-कौनसे डिपार्टमेंट हैं? अभी तो यूनिवर्सिटी चालू ही नहीं हुई। उन्होंने वहां अपना इंस्टीट्यूट बना रखा है, यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए आज तो बिल पास हो रहा है। भूमि पूजन हुआ है। हमको 1 साल का समय दिया है। एक तो यह चीज है।

दूसरी, हमारे सबसे वरिष्ठतम लीडर घनश्याम तिवाड़ी जी ने जो शब्दों की बात की है, उनका अपना ट्रस्ट है, अपनी यूनिवर्सिटी है। हमारी गाइड लाइन से चलेंगे। अगर हम शब्दों को भी कंट्रोल करेंगे, फिर तो पैसा भी स्विटजरलैंड का है। सर, उन्होंने लाकर के जो पैसा लगाया है, माननीय पहले मेरी बात सुन लें अच्छी तरह से, आपका 5 करोड़ रुपए जो जमा है, वह है। जो पैसा वह इनवेस्ट कर रहे हैं, वह हंड्रेड परसेंट स्विटजरलैंड से लाए हैं और वहीं से उन्होंने कमाया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसकी कौन कह रहा है ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इस देश के हित के लिए अब हम उनको यहां तक भी बाँध दें कि हमारे अनुसार एक-एक शब्द का प्रयोग करें? हम ड्यूअल सिस्टम से चलेंगे। उनके कैम्पस में जितनी भी मशीनरी आएगी, वह सौ परसेंट विदेशी मशीनरियां हैं जो हाई टेक्नोलॉजी की होंगी। उन मशीनरियों का नाम भी अलग तरह का होगा। उनकी कार्य क्षमता भी अलग तरह की होगी। कम से कम कोई बात करो तो उस लेवल की करो जिससे देश का हित हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पास कराया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्री जी, पास तो कराओ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा कहना यह था कि यह केवल इस बिल में नहीं है शब्द।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं इस बिल की बात कर रहा हूं। अगला बिल आ रहा है, उसमें यह शब्द नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुनो। इस बिल में है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अगला बिल आ रहा है, उसमें नहीं है यह शब्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विराजिए। वह जितने भी बिल और आए हैं, उनमें प्रोवोस्ट और प्रोकास्ट का सारा है। बिल वह नहीं बनाते हैं। बिल हमारा लॉ डिपार्टमेंट बनाता है। वह इसको वैट करता है। इसलिए आपका दोष नहीं है। ना ही आपके जो यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, उनका दोष है। यह हमारा विभाग जो यह बिल बनाता है, वह उन शब्दों को ला रहा है। यह आपके ही बिल में नहीं है। इसके पहले जो बिल पास हुए हैं, उनमें भी कई बिलों में है। यह जब कांग्रेस पार्टी के समय भी बिल पास हुआ था, उसमें भी था, तो हमने इसका विरोध किया था। फिर कालीचरण जी, जब पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी के बिल पास कराए थे, उनमें भी वह शब्द थे। उन्होंने यह कहा था कि आगे के बिलों में यह हम नहीं रखेंगे और इनको भी हम परिवर्तन कर लेंगे।

मैं इसको बताना नहीं चाहता था। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जब सदन से आग्रह किया तब मैंने बताया है। यह किसी व्यक्ति को बाध्य करने का नहीं है। इस सदन में जो बिल आता है, वह पैसे लगाने वाला नहीं लाता है। इस सदन में बिल राज्य सरकार लाती है या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट लाता है। राज्य सरकार या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वही शब्द इसमें रहते हैं। मेरा यही कहना है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक डोटासरा जी ने आईएसडीएस योजना के बारे में पूछा था। जो टापिक चल रहा है, उस टापिक पर पूछने वाले को थोड़ा होना चाहिए। यह विभाग हमारा नहीं है। यह उद्योग विभाग है। वहां से भी जानकारी ली तो पाया कि किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको कैसे पता ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मुझे तो पता था। मैंने आप जैसे ज्ञानी आदमी के साथ खाया, पिया, बैठा तो इतना तो ज्ञान आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, खाया, पिया और बैठा, इन 3 शब्दों का उच्चारण माननीय सदस्य ने सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को इंगित करके किया है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): किया है। इसमें सच्चाई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरे साथ अगर पिया शब्द का प्रयोग होगा तो दूध शब्द समझा जाएगा और आपके साथ पिया शब्द का प्रयोग करेगा तो और कुछ समझा जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर 'पिया' शब्द का प्रयोग करोगे तो कहीं की बात कहीं तक जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 'पिया', 'पीया', बहुत चीज है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात निकली है तो दूर तक ही जाएगी। अगर बात निकल गई तो दूर तक ही जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: और किसी को कुछ कहना है?

प्रश्न यह है कि भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पारित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: डॉक्टर जसवन्त सिंह यादव। ...(व्यवधान)... डॉक्टर जसवन्त सिंह यादव। ...(व्यवधान)... एक मिनट विराज जाएं, समय बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का निर्धारित बिजनस पूरा होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कार्य सूची में जो विषय हैं उनके पारण तक, पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंहजी।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अब क्यों टाइम पास कर रहे हो ? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों बिल समान ही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रीजी को कि मैंने आपकी बात कब नहीं मानी सवा तीन साल में? जैसा-जैसा आपने कहा, जहां-जहां जिसको-जिसको घेरने के लिए कहा, घेरा, जिसको छोड़ने के लिए कहा, छोड़ा, तो आप अगर नहीं चाहते तो मैं बैठ जाता हूं कोई दिक्कत नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: वैसे माननीय सदस्य, यह आपको अधिकार कहां से प्राप्त हो गया कि आप जब इच्छा हो तब तो उठ जाओ और जब कोई कहे तो आप बैठ जाओ, बिना आसन की अनुमति से उठो और बिना आसन की सहमति से आप बैठ जाएं? ...(व्यवधान)... अब आप विराज जाएं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वैसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो इन्होंने जो बात कही मैं इनके नेतृत्व तक पहुंचा दूं?

श्री उपाध्यक्ष: डॉक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी-अभी जो प्रस्ताव पास किया है उसमें सभी बच्चों को फीस देनी पड़ेगी लेकिन यह एक्ट लाकर के यह साबित कर दिया कि हम गरीब लोगों की चिंता भी करते हैं, असहाय लोगों की भी चिंता करते हैं इस कारण से विश्वविद्यालय हम पब्लिक सैक्टर में ला रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में लाकर के इसको बैलेंस किया गया है और अधिक सुविधाएं, अधिक व्यवस्थाएं हम कर सकें इस कारण से यह एक्ट लाया गया है। आपके माध्यम से दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो इस एक्ट में हम किसी भी वित्तीय प्रेशर में नहीं हैं। औद्योगिक वित्त निगम इसकी व्यवस्था करेगा, वित्तीय व्यवस्थाएं करेगा और उस वित्त निगम का दायरा और बढ़ाया है कि देश भर में इतनी इकाइयों को फाइनेंस करता है, इस कारण से यहां से निकलने वाले बच्चे जो ट्रेनिंग करने जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप इसके अंदर साबित हो गया है कि औद्योगिक वित्त निगम की जो वित्त संस्थाएं हैं उनके द्वारा फाइनेंस की हुई इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में रीयल में हम ट्रेनिंग कर पाएंगे। अभी पिछले एक्ट में जो बात आई थी वहां तो कृत्रिम चीजें ही दिखाई देंगी, कमरे में ही केवल मशीन दिखाकर ट्रेनिंग दी जाएगी लेकिन यहां तो रीयल में ट्रेनिंग दी जाएगी इसका लाभ रीयल जीवन में मिलेगा और अखिल भारतीय संस्थान है इस कारण से देश भर

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

की संस्थाओं में रिप्लेसमेंट भी होगा, उनको हम रोजगार भी दे पाएंगे। एक तो यह इसकी महत्वपूर्ण बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा अभी एक बात आई थी, चेयरपर्सन और उसकी, हमारी इस धरती से निकले हुए जो शब्द हैं वह रीयल में ही इस धरती से निकले हुए शब्द हैं, यह शिक्षा कोई इंडिविजुअल एलीमेंट नहीं है, शिक्षा फैमिली है पूरी, उसके भाग हैं, इस कारण से हमारे यहां कहा गया, कुलाधिपति, उस शिक्षा कुल का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वह कुलाधिपति है और फिर कुलपति, कुल सचिव, इसमें 'कुल' शब्द का उपयोग एज ए होल पूरे शिक्षा जगत या शिक्षा परिवार के बारे में इस शब्द का उपयोग किया गया है इस कारण से माननीय मंत्रीजी ने पहले हल्के शब्द को लिया, चेयरपर्सन है यह। इसकी हकीकत है, वास्तवकिता है और संस्कार से निकलता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, ब्रिटेन और उधर 'घी' शब्द है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में, वह हमारा ट्रांसलेट ही करते हैं, 'ब्रह्मचर्य' शब्द ही नहीं है वहां, वह हमारा ट्रांसलेट करते हैं। इस धरती पर जो जीवन जीया जाता है उसमें से निकले हुए शब्द हकीकत के शब्द होते हैं इसलिए कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव, कुलानुशासन, यह सब चीजें तत्व दर्शन के आधार पर निकले हुए शब्द हैं, इस कारण से इस एक्ट में यह सब चीजें जो हमारी सरकारी विश्वविद्यालयों में ही नहीं आदिकाल से चले आ रहे विश्वविद्यालयों में, उन सब विश्वविद्यालयों में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, उन्हीं शब्दों, उन पदों का उपयोग इसमें किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इसमें व्यवस्था की गई है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा यूं लगा कि इसमें जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसमें 11 लोगों की नियुक्ति तो करेगा हमारा वित्त निगम, 4 होंगे सरकारी अधिकारी, अब सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता है, इस कारण से इसमें टैक्नीकल आदमी दो-तीन ही हैं, 1 एमएलए को भी नोमीनेट किया गया है, 2 करने चाहिए थे, तो एक्सपर्टों की कमी है तो इसमें किसी और तरीके से एक्सपर्ट बढ़ाए जाएं तो शायद और अच्छा हम इसका परिणाम दे पाएंगे। बाकी उसमें और जोड़ा गया है निदेशक पद, जो वास्तव में वित्तीय डिसिप्लिन के रूप में एक डाइरेक्शन, वह भी डाइरेक्शन से निकला हुआ शब्द है, फिर मंत्रीजी कहेंगे कि यह शब्द बीच में कहां से आ गया, इस कारण से यह समय की आवश्यकता थी और पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी उसको सरकारी क्षेत्र में लाकर के हमने उसका ग्राफ बढ़ाया है और इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि जो भी इस प्रकार की ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं होंगी सरकार की उनको एफिलिएट भी कर पाएंगे, एफिलिएट करेंगे

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

तो वह एक जैसा वातावरण पूरे प्रांत में बनेगा, उनको एक जैसा गाइडेंस हम दे पाएंगे इस कारण से मैंने इस बिल के समर्थन में ही अपने विचार रखे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: फिर आपने इसको जनमत जानने हेतु क्यों रखा ?

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह वापस ले लूंगा फिर बाद में। आपके थर्ड स्टेज पर वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: जोगारामजी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड स्टेज पर बोलने के अधिकार के साथ ही मैं इस स्टेज पर वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): दो-तीन चीजें आपको वैसे ही बता दूं क्योंकि और लोगों ने बोल दिया। राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार। मंत्रीजी ने कहा वह मान लिया लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो इस कौशल विकास में संटरों पर भ्रष्टाचार हुआ है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उसकी जांच करवाएंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): जांच तो करवाएंगे लेकिन जिनके हाथों में आपने मानीटरिंग दे रखी है, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, यदि आप सचेत नहीं हुए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि भ्रष्टाचार का कीचड़ आपके आँगन तक पहुंच जाए और आपके पौने दो साल बचे हैं और आपको मंत्री बनाया है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कौशल विकास आपका वहीं तक सीमित रह जाए, आपके क्षेत्र तक और आप आगे नहीं बढ़ पाओ, आ नहीं पाओ दुबारा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं ध्यान में रखूंगा, यह अच्छा सजेशन है।

(16.48 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्री रमेश (सपोटरा): आपने इस चीज को छोटा सा माना है कि भ्रष्टाचार छोटा-मोटा है, छोटा-मोटा नहीं है, क्योंकि आप पहली बार मंत्री बने हैं तो हम भी आपका सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ें लेकिन आप भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाएं यह हमारा निवेदन है आपसे। मुझे इस विधेयक पर आपने समय दिया और तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुखरामजी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं एक तो यह जानकारी चाहूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी को जयपुर में कहां स्थापित करेंगे ? ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जामडोली में।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इसमें कहीं नहीं आया है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): लिखा है, आपने पढ़ा नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डॉक्टर साहब, अपने आदमी हैं छोड़ो ना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हनुमानजी, निभाओ मित्रता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरी निभायी मैंने तो। सभापति महोदय, आज सदन में आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है और मैंने इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन किया था। पूर्व में भी यह बिल आप लेकर आये और दुबारा मंत्रीजी, मुझे पता है जब तक सदन चलेगा ये एक न एक बिल रोज इधर-उधर से मौका मिलेगा, लाकर अपनी परफोर्मेंस नम्बर एक की तरफ जाने की बढ़ाएंगे कि किस तरह मैं जाकर बताऊं कि यह बिल मैं लेकर आया और इसमें यह, वो, जवानों का होगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप मेरे साथ रहें नम्बर एक हो जाएंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, अभी सबसे बड़ी आवश्यकता रोजगार की है। हम सबने इससे पहले भी रोजगार के लिए बात कही थी। आज बहुत बड़ी आवश्यकता रोजगार की है। आज नरेगा के अंदर भी रोजगार गारंटी की अपन बात करते हैं, नरेगा में भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। 100 दिन की बात जरूर करते हैं, लेकिन नरेगा में भी बिना सिफारिश के 100 दिन तक गरीब आदमी को, जवान को रोजगार नहीं मिलता। सरकार इसकी व्यवस्था करे कि रोजगार के साधन प्रत्येक व्यक्ति को मिले, यह उसका अधिकार हो। इस दिशा में काम करना चाहिए। अभी जो नरेगा के संविदा कर्मी थे, इतने साल से सरकार की ओर देख रहे थे कि हमें सरकार नियमित करेगी, उसमें भी नहीं हुआ। विद्यार्थी मित्रों को जिस तरह आपने ठण्डे बस्ते में डाल दिया, उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ऐसा लग रहा है सरकार जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वे नरेगा के संविदा कर्मी हैं, होम गार्ड के हैं,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गृहमंत्री जी यहां विराजे हैं, होम गार्ड के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, आपने 30-40 को तो घर भेज दिया। वे छोटा-मोटा अपना संघर्ष करते हैं, उन होमगार्ड को राजस्थान के अंदर ऐसी जगह ड्यूटी दी जाती है जहां वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं, कम तनख्वाह में होमगार्ड का जवान लड़ता रहता है, वह अपनी ड्यूटी निभाता है। सरकार को होमगार्ड के जवानों की ओर भी सोचना चाहिए। उनको बर्खास्त कर दिया, उनको सरकार को वापस लेना चाहिए। उन पर बड़ा मन रखे। उनका भविष्य खराब नहीं हो और जितने भी मुकदमे दर्ज किये हैं वे मुकदमे भी वापस लेने चाहिए। जितने भी संविदाकर्मी राजस्थान के अंदर हैं, आपने सुराज संकल्प यात्रा में बात कही थी, वह वादा आपको निभाना चाहिए, नहीं तो सब लोग याद रख रहे हैं और सारा सूद समेत वसूलेंगे। फिर आप सोच रहे हो कि अशोक गहलोत जी ने लास्ट में ट्यूबलाइट बांटी, पेंशन दी और वोट कितने मिले, आपको पता है कितनी सीट आयी। वह 2018 में कोई नहीं मानेगा। अभी 2017 में राजस्थान के जवानों, किसानों के लिए आप करोगे तो हो सकता है थोड़ा-बहुत विचार हो जाय, वरना तो स्टेट के लोगों का मन खराब हो गया है।

सभापति महोदय, आज यह भी चीज देखने को मिली कि आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर पर चर्चा हो रही है, सरकार का संरक्षण निजी यूनिवर्सिटी के लिए कितना है, कितना स्नेह है आपका उसका उदाहरण तो मिला। क्योंकि निजी विश्वविद्यालय के विधेयक को तो आप सरकारी विश्वविद्यालय के विधेयक से पहले लाये और इसको लेकर आये हो बाद में। इसका मतलब आप प्राइवेट सैक्टर के विश्वविद्यालयों को ज्यादा मदद कर रहे हो।

सभापति महोदय, उद्देश्य और कारणों के कथन में भी राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय होने के कारण कौशल व व्यावसायिक प्रशिक्षण में कार्य कर रही बहुसंख्यक संस्थाओं के लिए संबद्ध निकाय बन जाएगा। यह खयाली पुलाव है, अपन विधेयक में जो बात कर रहे हैं यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे पीएसी के अंदर पैरा आते हैं कि इतना यह होता तो इतना घाटा हो जाता, इतना फायदा हो जाता। यह तो खयाली पुलाव बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको संगठित और मजबूत ढंग से इस बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए राजस्थान की सरकार को नीति बनानी होगी, नहीं तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का भद्दा मजाक बन जाएगा। आज अपराध के अंदर राजस्थान आगे बढ़ा तो इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। गृहमंत्रीजी बैठे हैं, अगर आप सब लोगों को रोजगार दे दो तो मुझे लगता है कि लोग अपराध की दुनिया में भी नहीं जाएंगे, अगर उनको रोजगार होगा। रोजगार नहीं होता

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है तो क्या करें, यह प्रोपर्टी खाली पड़ी है, कर लो कब्जा, उठा लो बंदूक, चला दो गोली, मिल जाएगा पैसा रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर युवा कमजोर हो गया तो प्रदेश कमजोर हो जाएगा। युवा कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि रोजगार के साधनों की गारंटी होनी चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं, जब भी विधान सभा होती है तो युवाओं की लाइन लगती है। लोग आंदोलन कर रहे हैं इस पर और संविदाकर्मी किस तरह लड़ते हैं। वे आपस में चंदा करते हैं, किस तरह संविदाकर्मी लड़ते हैं। वे आपस में चंदा करते हैं। जयपुर में रहने की कितनी बड़ी दिक्कत आती है। कहां से रोटी खाएगा, होटल में जाएगा तो 150-200 रुपये होटल वाला उनसे एक टाइम के खाने के लेता है, फिर रुकने का खर्चा होता है। वह संघर्ष करता है, लड़ता है। सारे ग्रामीण छात्र हैं। ग्रामीण संविदाकर्मी नौकरियों के लिए किस तरह संघर्ष करते हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। (व्यवधान) क्या दिक्कत है, बोलने दो। आप मेरे विरोध में मत बोलो, आपका ध्यान रखते हैं। दो मिनट रुक जाओ। आंकड़ा प्रस्तुत कर देता हूं। (व्यवधान) डॉक्टर साहब, एक बात है, आप हमको यों कराकर खुद वहां बैठ गये जाकर। वास्तव में महारत हासिल है आपको।

आज राजस्थान कौशल विकास, आजीविका विकास निगम ने जो आंकड़े पेश किये हैं उन आंकड़ों का भौतिक सत्यापन सरकार स्वतंत्र एजेंसी से कराए क्योंकि जब तक कौशल विकास के क्षेत्र में छोटे स्तर पर जो मिशन स्थापित किया गया है उसमें जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी हम कौशल विकास के क्षेत्र में वह मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जिसका सपना भारत का हरेक युवा देख रहा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि राजस्थान के जवान को अगर बचाना है और आप चाहते हो कि राजस्थान का जवान उत्तर प्रदेश व बिहार के जवान की तरह अपराध की दुनिया में गैंगवार से नहीं जुड़े तो जवान के रोजगार की गारंटी राजस्थान के अंदर होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं जो विधेयक है उसको तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य मंजू बाघमार। (अनुपस्थित) माननीय सदस्य मानसिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर बहस चल रही है। इससे पूर्व भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, 2017, जिसमें लगभग कौशल का किस प्रकार से सुनियोजित विकास करके नौजवानों को रोजगारपरक शिक्षा दी जाय, मैं समझता हूं

(श्री मान सिंह)

उन सारी बातों पर बहस हो चुकी है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान केवल दो चीजों की ओर दिलाना चाहूंगा। इस इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट में रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है क्योंकि भारतीय औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से इसको फाइनेंस होना है और इसका रिक्रूटमेंट सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल पर होना है। इसमें थोड़ा-सा मानीटरिंग ठीक हो, क्योंकि यह आरपीएससी से रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आरपीएससी से रिक्रूटमेंट होता तो इसका अलग से होता। इसलिए इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि इसमें वित्त निगम से पैसा और रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी, इन सब चीज पर आपका थोड़ा-सा मानीटरिंग होना है। बाकी कौशल के हिसाब से राजस्थान के इतिहास में सरकार का एक ऐसा प्रयास है जिससे स्किल डवलपमेंट के माध्यम से राजस्थान ने अपने आपमें एक उदाहरण पेश किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद दूंगा और मैंने जनमत जानने के लिए जो अपना प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 जो आज इस सदन में आया है यह हमारी सरकार की इस मंशा को जाहिर करता है कि हमारे नौजवान युवकों को किस तरह से कौशल में प्रशिक्षित किया जाय, किस तरह से उनके जीवन को रोजगारोन्मुखी बनाया जाय उसके लिए सतत प्रयास करना है। जिस तरह से पहले प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले उसके लिए और सरकारी विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं उसमें यह शंका बतायी है कि इसमें किस तरीके से विद्यार्थियों की भर्ती होगी, यह कंपलीट राज्य सरकार की नीति के अनुसार ही किया जाएगा जिसमें रिजर्वेशन के आधार पर ओ.बी.सी, अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रों के प्रवेश के स्थान का संरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, उपविधि के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जाएगा। इसमें भी यह सरकार के अधीन रहेगा और सरकार इसमें विद्यार्थियों की भर्ती करने का कार्यक्रम होगा उसको अपने हाथ में रखा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिल लाये हैं इससे राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत विश्वविद्यालय होगा और इस विश्वविद्यालय में कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे। इससे राजस्थान की जनता का भला होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य रामहेत सिंह यादव (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्री प्रहलाद जी गुंजल।

(17.00 बजे)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, इससे पहले काफी विस्तृत चर्चा पूर्व विधेयक पर हो चुकी है। मैं तो इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि एक विजन-2030 में, जो विश्लेषण आया है भारत की आबादी और 18 से 23 साल के भारत के नौजवान कितने होंगे 2030 में, तो उस दृष्टि से भारत मानव संसाधन के उचित प्रयोग में आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा और ताकतवर देश होगा। इसलिए भविष्य की दूरदृष्टि से ऐतिहासिक कदम हम उठाएं, इस दिशा में भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसी का प्रतिफल है कि एप्रेंटिस एक्ट आया जिसको मैं पहले कह चुका हूं और उसी का प्रतिफल है कि सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास का एक विश्वविद्यालय आया है।

मैं इस पर बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता। माननीय सभापति महोदय, चूंकि इस दिशा में यह एक्ट लाकर कौशल विकास को बढ़ावा देने का केवल नारा नहीं लगा रही है, राजस्थान के 700 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में कौशल विकास के 12 पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी प्रारम्भ कर दिए हैं। इस एक्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय के अपने संघटक कॉलेज भी होंगे, आबद्ध कॉलेज भी होंगे, सम्बद्ध कॉलेज भी होंगे। एक नया समानान्तर स्ट्रक्चर भारत की आबादी के बढ़ते हुए संतुलन के हिसाब से और कुशल नौजवान कैसे तैयार हो, इस दृष्टि से एक समानान्तर व्यवस्था कौशल विकास के क्षेत्र में शिक्षा की यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों के समकक्ष कायम हो जाएगी। अच्छा हो कि इस एक्ट के बाद राजस्थान में एक क्रांति इस दिशा में आ जाए और लोग अपने आपको कुशल बनाने के लिए सरकार की मन्शा के अनुरूप आगे बढ़ें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना कहना है कि हमारी मौजूदा व्यवस्था में जितने विश्वविद्यालय राजस्थान में काम कर रहे हैं, नया विश्वविद्यालय खोलते समय, एक्ट बनाते समय विचार करें कि हम किन मानकों का विश्वविद्यालय इस राजस्थान को देना चाहते हैं। आजादी की इस 70 साल की व्यवस्था में द टाइम्स ईयर एजुकेशन द्वारा जो विश्व के 980 टॉप विश्वविद्यालयों की सूची बनाई गयी है उसमें राजस्थान का एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। 600 से 800 के बीच में केवल बिट्स, पिलानी नाम का एक विश्वविद्यालय है। हमारी उच्च शिक्षा की दुर्गति अन्तरराष्ट्रीय मापदण्डों के हिसाब से क्या है, यह एक गंभीर आत्म-चिंतन का विषय है।

इन हालातों में जब हम रोज-रोज नये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो नये विश्वविद्यालयों की हालत क्या है ? इस सदन में 2014 से लेकर आज तक कितने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विश्वविद्यालयों की भर्ती से लेकर, फर्जी डिग्री से लेकर, वित्तीय अनियमितता से लेकर कितनी चर्चाएं हुई हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी से लेकर, कोटा यूनिवर्सिटी तक। इसलिए हम यह व्यवस्था कायम करें कि जो एक्ट बना रहे हैं, उस एक्ट के तहत जो विश्वविद्यालय बनने वाला है वह विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रीय मानकों का विश्वविद्यालय बने, उस विश्वविद्यालय में पढ़कर डिग्री लेने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाए कि इस विद्यार्थी के पास आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय की डिग्री है। यह मानक जब तक एक स्टैण्डर्ड यूनिवर्सिटी का कायम नहीं होगा, कॉलेजों का कायम नहीं होगा, आपने 700 स्कूलों में कौशल विकास के 12 कोर्स, पाठ्यक्रम चालू कर दिए और आप बढ़ाकर उनको ज्यादा करने वाले हो, पर 12वीं के बाद अभिरुचि के विषय में, हुनर के विषय में सम्बद्ध कॉलेज में जाएगा तो उसकी डिग्री, उसकी लीगेलिटी, उसके मानकों के बारे में जब तक कोई एक उचित स्थान नहीं होगा तब तक विद्यार्थी के मन में झिझक रहेगी, झेंप रहेगी कि इसकी डिग्री की कितनी मान्यता होगी। विश्वविद्यालय एक सैपरेट विश्वविद्यालय है, यू.जी.सी. से इसका सम्बन्ध है या नहीं है।

इन सारी चीजों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके हम सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास का विश्वविद्यालय ला रहे हैं उसके मानक बेहतर होने चाहिए, मुझे इतना ही कहना है।

मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री पूरण मल जी सैनी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री भंवर सिंह जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री धीरज जी गुर्जर (अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, अपने आपमें एक अद्भुत कदम है। मंत्री महोदय, आप तो यदुवंश से हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण अपने आप में एक शिल्पकार थे इन बातों का भी ध्यान रखना।

माननीय सभापति महोदय, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई करने के बाद में आखिर नौकरी की तलाश में उसको अपनी फाइल और बस्ता लेकर घूमना पड़ता है तो यह जो स्किल डवलपमेंट का सब्जैक्ट आया यह हमारी पुरानी कल्पना है। माननीय सभापति महोदय, हमारे हिन्दुस्तान के युवाओं के खून में कौशलता है लेकिन दुर्भाग्य इस देश का रहा है कि आजादी के बाद और आजादी के पहले भी सत्ताधीशों के द्वारा इस देश के युवाओं का शोषण हुआ है, देश की युवा प्रतिभाओं को उजागर नहीं

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

किया है, जबकि हमारे खून में ऐसा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक जानकारी देता हूं कि जब अब्दुल कलाम साहब ने परमाणु विस्फोट की तैयारी की सारी रचना की तो उसका फ्यूज डिटेक्टर है, उसके लिए हमारे तख्तगढ़ के एक पी. एल. मिस्त्री को स्पेशली लेकर गये और उन्होंने बनाया जो अंगूठाछाप थे। मतलब इतना एक्सपर्ट व्यक्ति भी हमारी इस धरती पर है। और तो और अभी भीनमाल के पास एक गांव में ट्यूबवैल में बच्चा गिर गया। सारा प्रशासन लग गया, सेना के अधिकारियों को बुलाया, विभिन्न एजेंसियों को बुलाया, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख का खर्चा बताया और एक पास के गांव का सुथार आया जिसने कहा कि ठहरो, मैं करता हूं। तो सभापति महोदय, 2 घंटे में उस बच्चे को एक इस प्रकार की कैंची बनाकर जीवित बाहर निकाल दिया। यह कला है हमारे इस देश के लोगों में। स्किल डवलपमेंट में यूनिवर्सिटी का आप जो सारा कर रहे हैं तो इन चीजों को हम ध्यान में रखें कि वास्तव में हम इन कलाओं को ध्यान में रखकर और इसमें एक्सपर्टाइजेशन कर सकते हैं क्या।

दूसरा, आज आई.आई.टी. करने के बाद, मल्टीनेशनल कम्पनियां हों या इस देश की बड़ी कम्पनियां हों, उस कॉलेज से, उस इंस्टीट्यूट से बच्चे को तुरन्त ले लेती हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के अन्दर या यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कालेजों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक से सम्बन्धित बच्चा एक्सपर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक से सम्बन्धित कम्पनियों का उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट से कनेक्शन होना चाहिए, उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि उस बच्चे को पढ़ाई पूरी करते ही वो कम्पनी तुरन्त कॉल कर ले। ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ जिससे उस विद्यार्थी को इंतजार नहीं करना पड़े और वो विद्यार्थी उस काम्पीटिशन में एक्सपर्ट हो जाए। (व्यवधान) अपने तो हैं ही, आप जितना कह रहे हो उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि वो चुम्बक है, आपको भी कल को उसमें नहीं आना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, यह जो अपने बैचलर ऑफ वॉकेशनल डिग्री है और मास्टर ऑफ वॉकेशनल डिग्री है, एक माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की कि जैसे बी.डी.एस. करने के बाद दंत विशेषज्ञ हुआ तो इसमें एक चीज अपन सोच सकते हैं, आप विभाग को बिठायें, अधिकारी बैठे हैं कि दंत सहायक, उस विषय में पारंगत होने के बाद, यह डिग्री लेने के बाद वो दंत सहायक की नौकरी कर सकेगा क्या ?....

और इस विषय में अपन सोच सकते हैं माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

गोविन्द सिंह जी डोटासरा बहुत ऊंची आवाज में जब कह रहे थे, एक बात तो

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। दुनिया के मानचित्र पर हिन्दुस्तान के युवाओं की कीमत है लेकिन आपने 50-60 वर्षों में सिर्फ यह किया कि युवाओं की कमर तोड़ी है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केन्द्र में नरेन्द्र भाई मोदी ने मेक इन इण्डिया का नारा दिया और यहां वसुन्धराजी की सरकार ने यह स्किल डवलपमेंट की यूनिवर्सिटी दी। आज अपन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बाद में, आईआईटी और पोलीटैक्नीक कालेज भी कर रहे हैं, इनका एक संगम बन जाएगा। इनका एक सिस्टम तैयार हो जाएगा कि यह किसके डाइरेक्शन में चलेगी? यह बहुत अच्छा काम किया है आपने। मैं मंत्री महोदय, आपको साधुवाद देना चाहूंगा।

बस एक-दो चीजें हैं जो मैंने बताई हैं सुझाव के तौर पर। आपके जो बोर्ड में हैं, इसमें एक-दो एक्सपर्ट लोग और जोड़ें। जो कालेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जिस सब्जैक्ट में पढ़ा रही है तो उसमें ऐसे एक्सपर्ट भी लें और एक जन प्रतिनिधि, विधायिका का एक सदस्य आपने जोड़ा है। एक विधायक और, कम से कम दो सदस्य, दो या तीन इसमें ले लें। यह मेरा एक निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे यह जो विश्वकर्मा की संतान, कहते हैं ना कि ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा थे और विश्वकर्मा कर्म में भरोसा करते हैं। आपने इस यूनिवर्सिटी को डवलप करके, उसका निर्धारण करके वापस ब्रह्मा की संतान, उस विश्वकर्मा को जीवित कर दिया है इस राजस्थान के मानचित्र पर। मैं आपको इस मामले में भी बधाई देता हूं।

एक मेरा निवेदन है। आहौर मेरा क्षेत्र है। कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है, बिलकुल पानी भी नहीं है। खाली एक फसली साख होती है। तो उसमें मेरे यहां पर एक्सपर्ट ऐसे खूब हैं। उसमें पेशेवर एक्सपर्ट हैं चाहे वह सुथार हों, चाहे वह लुहार हों, चाहे वह खेस बनाने वाले मेघवाल बंधु हों तो उनके डवलपमेंट के लिए एक आईटीआई दे दें। ऐसा मेरा निवेदन है। बस आपकी जय-जयकार है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यह बिल जनमत जानने के लिए दिया है, उसको वापस लेने की इजाजत चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य नवीनजी पिलानिया (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य मनोज कुमारजी (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापतिजी, श्रम मंत्रीजी द्वारा जो राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 लाया

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गया है, उसके द्‌वारा जिन उद्‌देश्यों की प्राप्ति की जानी है, ... (व्यवधान) मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। भाभीजी भी कहीं न कहीं से देख रही हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप बोल चुके ना, अब आप बैठ जाइये।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में जो स्वीकारोक्ति की गयी है, आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स के अंदर जो बात कही गयी है, मैं सदन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करता हूं। "प्रशिक्षकों की अत्यधिक कमी है जबकि वर्तमान में केवल कुछेक पाठ्‌यक्रमों को ही प्रस्थापित किया जा रहा है। चूंकि, निकट भविष्य में, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अनुपालना में वृद्धि होगी इसलिए, रोजगार समर्थ कौशल क्षेत्रों में गुणवान प्रशिक्षकों की मांग बढ़ना निश्चित है।" माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से इस सरकार ने राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की है। वैसे कौशल प्रशिक्षण निगम तो पहले भी बना हुआ है लेकिन कौशल पर जितना जोर, कौशल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने पर जितना जोर इस सरकार ने दिया है, शायद पहले हम भूल गये थे कि यह भी एक क्षेत्र है जिसको बहुत उन्नत किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, परन्तु जो प्रशिक्षण का आंकड़ा है, माननीय मंत्रीजी ने शायद भूल से कहा या शब्दों का लैप्स हो गया, एक करोड़ और कुछ लोगों को प्रशिक्षण देने की बात कही। (व्यवधान) मैं स्तब्ध रह गया मंत्री महोदय।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उसको सुधार कर लिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं आपका ध्यान यही आकर्षित कर रहा हूं। राज्यपाल महोदय ने 2015 के अपने अभिभाषण में तारीखें दी हैं कि 13 दिसम्बर, 2013 से 15 जनवरी, 2015 तक 45/958 लोगों को प्रशिक्षित किया गया और सभापतिजी, "रिसर्जेन्ट राजस्थान: दो साल उपलब्धियों के, सच होते सपने, पूरे होते वादे" उसमें सरकार ने 93,484 लोगों को प्रशिक्षण देने की बात कही है और उसी में यह कहा है कि प्रशिक्षण के पश्चात् न्यूनतम 50 प्रतिशत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हैं। अब आप इस बात को नोट करें कि जितने लोग प्रशिक्षित होते हैं, उसमें से 50 परसेंट लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति बनती है। अब माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया गम्भीरता से सुनें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या फर्मा रहे हो ? शोर्ट करूं ?

श्री सभापति: नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से बोलें आराम से।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह आपने जनरल बातें ही ज्यादा सुननी हैं तो मैं शोर्ट कर देता हूं।

मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। आप आंकड़ों को ध्यान से देखें। 15 दिसम्बर, 2015 तक आपने 93,484 लोगों को ही कौशल प्रशिक्षण दिया है और जून, 2016 में आपने पुस्तक छापी है, "प्रमुख उपलब्धियां", उसमें आपने राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से एक जनवरी, 2014 से 17 मई, 2016 तक 1,28,910 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण में लाभान्वित किया जा चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब 17 मई, 2016 तक 1,28,910 लोगों को प्रशिक्षित किया है और अब आपने शायद आंकड़ा 1,85,000 कर दिया है।

मैं सभापतिजी, सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं आपने रिसर्जेंट राजस्थान की पुस्तिका में कहा कि 50 परसेंट लोगों को जो प्रशिक्षित हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आपने यदि 1,85,000 लोगों को भी प्रशिक्षित कर दिया तो मैं मान लेता हूं कि एक लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिये, पर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कहा है 2017 में पैरा (20) में, "...विभागों एवं एजेंसियों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में लगभग 11 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जा चुके हैं।" अनेक मंत्रियों ने कहा है कि हमने सरकारी क्षेत्र में एक लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो गैर सरकारी क्षेत्र में दस लाख हो गये राज्यपालजी के कहने के आधार पर? भाई, आपने 1,85,000 लोगों को ही प्रशिक्षित किया और उससे आधों के लिए आप कहते हो कि उनको रोजगार मिलेगा तो यह दस लाख कहां से आये ? यह 10 लाख यदि आपने कर दिये हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं बताऊंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं नहीं, यदि आपने कर दिये हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं। यदि आपने कर दिये हैं तो सभापतिजी, मेरा निवेदन है सरकार से कि जिलेवार, तहसीलवार, पंचायतवार हमको आंकड़ा बतायें कि कौन व्यक्ति कहां-कहां है और यह स्टेटमेंट आप इस सदन में इस बजट सैशन के खतम होने से पहले-पहले प्रस्तुत करें, अन्यथा इस तरह से 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया, यह कहना मेरे ख्याल से अतिशयोक्तिपूर्ण होगा...

और इसी कारण से इस विधेयक में कहा गया है कि ट्रेनिंग करने वालों का अभाव है। आज तक भी आपने सिर्फ दो सौ प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): देने वालों का। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, बैठे-बैठे जवाब नहीं दें। सुनिये पहले आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, तो कोई प्रशिक्षित होगा तो प्रशिक्षित करेगा और ये यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों में ...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जो आपने पैरा-20 का उद्धरण किया है उसमें तो यह था कि 11 लाख रोजगारों के अवसर सृजित किये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): तो अवसर सृजित किये, आप एक करोड़ कह दें न। 11 लाख ही क्यों कह रहे हैं। सृजित किये का मतलब है कि उनको रोजगार दे दिया, अन्यथा 11 लाख सृजित करने का मतलब, आपकी पुस्तिका 'प्रमुख उपलब्धियां' सुनिये, माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय। आपने जून सत्र में कहा 6 लाख को दे दिया, यह किताब बोलती है कि जून सत्र में, मैं पढ़ कर सुनाता हूं कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा पिछले ढाई वर्षों में युवाओं हेतु 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये गये। वो 6 लाख थे अब 10 लाख हो गये। ये तमाशा क्या है ? इसका आंकड़ा पेश करिये जिलेवार, पंचायत समितिवार कि ये राज्यपाल जी के भाषण में सत्य और सत्य के अलावा राज्यपाल महोदय कुछ बोल नहीं सकते वो आंकड़ा आप पेश करें। मैं तो यदि आपने दे दिया है तो ये ही कहता हूं कि आपने कमाल कर दिया है, आपने चमत्कार कर दिया है और ये चमत्कार यदि आपने कर दिया है तो निश्चित रूप से आप बहुत बधाई के पात्र हैं।

मैं यह समझ रहा हूं कि यह विश्वविद्यालय जो आप अब एस्टेब्लिश कर रहे हैं राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम करने में सक्षम हमारा हथियार हो सकता है जो लोगों को इतना ट्रेंड करे कि उस ट्रेनिंग के आधार पर लोगों को अपने आप स्वरोजगार में रोजगार मिल जाए। सरकार नौकरी नहीं दे सकती। यह सोचना कि सरकार नौकरी देगी, भ्रम है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि साहब, सरकारी नौकरी का कहा है आपने। कभी नहीं कहा गया सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरियां सीमित हैं और सरकारी नौकरियां जितनी सीमित होंगी जनता को उतना ही लाभ होना है। बाकी तो सरकारी नौकर और भर्ती कर लीजिये पचास हजार, आप पर हजार करोड़ का बर्डन बढ़ जाएगा और लोगों के विकास के काम होने हैं हजार करोड़ के वो खतम हो जाएंगे।

तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने में इसका विकास करने में सरकार पूरा मन, मस्तिष्क लगाये और इसके माध्यम से ही पन्द्रह लाख का रोजगार जो हमारा स्लोगन भी है और हमारा सपना भी है कि हम पन्द्रह लाख के रोजगार की उपलब्धि 2018 के अक्टूबर-नवम्बर तक कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभापति महोदय, मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: माननीय मानिक चंद जी सुराना, आपका जो प्रस्ताव है उसको आप प्रेस करते हैं या वापस लेते हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, प्रस्ताव तो इसलिए वापस लूंगा क्योंकि ये पास तो होना नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, वो आपकी इच्छा है। पास होना, नहीं होना वो सदन का विषय है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मैं इसे वापस लेता हूं। मुझे अनुमति प्रदान की जाए कि मैं उसे वापस लूं।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इस बिल पर चर्चा हुई है पर एक-दो बातें सुराना जी ने जो कही, निश्चित रूप से जो भी है जैसा भी है मैं आपको सत्यता का आन्सर अभी तो नहीं दे पाऊंगा पर इसके बाद निश्चित दूंगा।

मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, यूनिवर्सिटी बनने जा रही है ये राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय शुद्ध रूप से गवर्नमेंट का है और इसके लिए हम हर जगह राजनीति का उपयोग करें, यह भी संभव नहीं है। वाकई में हमारी मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है दोनों की दोनों प्राइवेट वाली भी और ये भी, और ये मुख्यमंत्री जी का विजन रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। दुनिया भी जो आगे बढ़ रही है वो इसी पैटर्न पर आगे बढ़ रही है कि बी.ए. कराओ, चपरासी की नौकरी के लिए आगे खड़ा हो जाता है आगे उसकी कोई बात नहीं बन पाती और वो भी मिले न मिले। इसमें जो बच्चा पढ़ कर जाएगा, इस बात की तो गारंटी है कि वो अपने जीवन में पैरों पर खड़ा हो जाएगा सरकारी या गैर सरकारी अपना उद्यम करने के लिए। इसके आगे हमारे पास कोई, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, राजनीतियां चलती रहती हैं, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है इस देश के नौजवानों को बचाने के लिए।

मैं इसके बारे में सब कुछ तैयार करके लाया हूं पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि वाकई में हिन्दुस्तान की ये पहली स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की आ रही है, फर्स्ट इन इंडिया। इस बात के लिए वाकई में धन्यवाद की पात्र नहीं है हमारी मुख्यमंत्री जी ?

(17.26 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस परिप्रेक्ष्य में परीक्षण व्यवस्था के इंटीग्रेशन हेतु सरकारी क्षेत्र में भारत का

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

प्रथम कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया । रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान कई बार हम कहते हैं कि इतना पैसा खर्च किया पर काफी चीजें उपलब्ध भी हुई हैं उसमें। 19 नवंबर, 2015 को भारत सरकार के उपक्रम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई शार्ट फार्म में कहते हैं और आई.एल.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट आरएसएलडीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग यह हमारा नहीं हुआ था, यह हायर एजुकेशन के साथ रखा था गवर्नमेंट ने प्रस्ताव। उच्च शिक्षा विभाग के मध्य एम.ओ.यू. सम्पादित होकर कार्य प्रारंभ हुआ था। इस विद्यालय की स्थापना करने के संबंध में निर्णय हेतु दो बिन्दु सहायक सिद्ध हुए। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया का संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट आई.एल.डी. जो कि 1992 से लाभ रहित संस्था के रूप में पंजीकृत सोसाइटी होकर श्रमिकों एवं प्रबंधकीय वर्ग की कौशलता वृद्धि हेतु कार्य कर रहा है और उसके लिए जामडोली स्थित कैम्पस में 33 एकड़ जमीन गवर्नमेंट से उन्होंने परचेज की है और मैं खुद देख कर आया हूं। वाकई में दंग रह गया कि इस तरह का इंस्टीट्यूट बना हुआ है और बेकार पड़ा हुआ है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कहां पर है ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जामडोली में।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जाओ, नजदीक ही है, देख आओ।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, मैं दिखाऊंगा न। मैं विजिट कराऊंगा। वाकई में उपलब्धि जब अच्छी होती है तो उसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो राजनीति से ऊपर उठ कर बात होती है।

भारत सरकार का उपक्रम आईएफसीआई 1948 से कार्यरत है और उसका शैक्षणिक प्रतिष्ठान को विकसित एवं प्रचलित करने का अनुभव है। आईआईएम, अहमदाबाद के समकक्ष मैनेजमेंट डवलपमेंट इंस्टीट्यूट एमडीआई है गुड़गांव में। ये उसको रन कर रहे हैं। शार्ट फोर्म में ही बता दूं सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान सरकार की इसके अन्दर ये है कि हमारा एक रुपया नहीं लग रहा है और कंट्रोल सारा हमारा, यूनिवर्सिटी हमारी। उनके साथ समझौता हुआ और एजुकेशन को डवलप करने के लिए जो नौजवान को इधर-उधर भटकना पड़ता है इस तरह से नौजवानों को तैयार किया जाए कि उन्हें वाकई में अपना एक रास्ता मिल जाए जीने का। तो आप जो शर्त कह रहे हैं यही उन्होंने बातों में शर्त रखी कि राजस्थान सरकार जिस तरह हमने यह बनाया है, इसका इस तरह का स्टैण्डर्ड मेन्टेन करके रखेगी कि जो हमारी मंशा है कि इस तरह से लोगों को तैयार करेंगे, बैचलर ऑफ वोकेशनल, मास्टर ऑफ वोकेशनल ...

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

उसकी सब जगह से मान्यता प्राप्त होगी। कई बार हम कह देते हैं कि इसमें यह नहीं सारी डिग्रियॉ ही होंगी, कोई आदमी शार्ट टर्म कोर्स करना चाहता है, उसको शार्ट टर्म मिलेगा, डिप्लोमा ही मिलेगा। हार्वर्ड, शिकागो और स्टेनफोर्ड किसी में भी देखोगे तो उनमें भी डिप्लोमा मिलते हैं, सारे में डिग्रियां ही नहीं मिलती। दुनिया में अपने आपमें फेमस हुई बैठी हैं। इसमें डिग्रियां भी होंगी और डिप्लोमा भी रहेंगे। कोई डिप्लोमा करना चाहता है, डिग्री नहीं करना चाहता, उसी हिसाब से होगा।

इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह एमओयू किया है। मैं हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी को और पिछले श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस तरह का एमओयू हुआ है कि हम एक रुपया भी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में नहीं लगायेंगे ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इसके साथ फाइनेंशियल मैमोरेंडम है और उसमें लिखा है कि 5 करोड़ रुपये परएनम राजस्थान सरकार वहन करेगी। मैं मैमोरेंडम को सही समझूं या ...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जी, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, माननीय सदस्य, शायद आपने मेरी पूरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आप मेरे बुजुर्ग हो। बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्थान सरकार का एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। इस तरह का हाई क्लास हम कैम्पस चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जसवन्त सिंह जी, आप इसको पढ़ो 'इसकी अधिनियमित के पश्चात विश्वविद्यालय को चालू रखने के लिये उपगत किये जाने वाले आवर्ती व्यय की संगणना कर ली गयी है। राज्य सरकार ने, इसके अधिकारियों, कर्मचारिवृन्द के लिये वेतन और भत्तों तथा अन्य प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के मद्दे विश्वविद्यालय के परिचालन खर्चे प्रस्तावित किये हैं, जो लगभग 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 5 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार का लगेगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जी हां, मैं इस बात से डिनाय नहीं कर रहा ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर क्यों मना कर रहे हो कि राजस्थान सरकार का नहीं लगेगा? राजस्थान सरकार का पैसा लगेगा इसमें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): सांगानेर से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्य तिवाडी जी, आप लोगों को सुनने से पहले बोलने का एक

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

मन बन गया, हम यह कह रहे हैं कि टोटल यूनिवर्सिटी चलाने में, आपने मेरी बात पूरी करने ही कहां दी, मैं यह कह रहा हूं बिल्डिंग का जो भी खर्चा आएगा, कैम्पस का, इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार बोल रहा हूं, उसका सौ परसेंट खर्चा भारत सरकार का होगा आईएलडी का, यूनिवर्सिटी चलाने का 100 परसेंट नहीं। मैं उससे आगे बढ़ता हूं, एक हजार परसेंट खर्चा राजस्थान सरकार का होगा। इसमें सारा कंट्रोल, केवल एक जगह उनका जो हमारी मैनेजमेंट बॉडी होगी, उसमें 11 सदस्य हमारे होंगे, 11 सदस्य आईएलडी के होंगे और कभी ऐसी परिस्थिति आ गयी, कोई सामूहिक निर्णय नहीं हो पाता है, तो वह सारा अधिकार, क्योंकि इसका कुलाधिपति राज्यपाल रहेगा, बिलकुल यूजीसी के सेम पेटर्न पर चलेगा। तो वह हमारे राज्यपाल महोदय रहेंगे, उनके हाथ में निर्णय सुरक्षित रहेगा। राज्यपाल जिस तरह से और यूनिवर्सिटीज में करते हैं, जो आप कह रहे थे उस वक्त, वह सारी पोस्टें होंगी, वह सारी राजस्थान सरकार की होगी, इसमें भारत सरकार का कहीं किसी तरह का नहीं होगा।

डिग्रियों के लिये हम कह रहे हैं, कहीं न कहीं हमको एक मंच पर आना पड़ेगा। आज दुनिया भर के कालेज खुले हुए हैं, स्कूलों में आप स्किल डवलपमेंट सेंटर क्यों खोल रहे हैं, क्यों उनको उस तरह की शिक्षा दे रहे हो, आखिर वह आगे जाएंगे कहां अगर हम इस बात को नहीं सोचेंगे तो। यह तय है कि इस तरह से सब्जैक्ट की जो काउंटिंग की है, यह सब्जैक्ट लिमिट नहीं है, यूनिवर्सिटी चाहे तो किसी भी सब्जैक्ट को अपने अंदर इन्वाल्व कर सकती है, चाहे जितने सब्जैक्ट, जितनी उनकी कैपेसिटी हो, उनके पास अपनी संरचना हो, उस हिसाब से।

आज यह बिल पास होने से पहले ही तय हो गया कि इसकी डिग्री की मान्यता, वर्ल्ड की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में हमारी जो ऑल यूनिवर्सिटीज की मान्यता होती है, इसकी भी होगी। इसमें भी यह कोशिश की जा रही है वही ड्युएल सिस्टम, वही लेटेस्ट मशीनरियां और जो आप कह रहे थे कि हमारे पास ट्रेनीज नहीं हैं, यह हमने इसमें लिखा भी है कि आज के दिन जिस तरह से स्किल डवलपमेंट के सेंटर खोल रहे हैं, अभी हमारे डोटासरा साहब ने भी कहा था कि जो पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है। यही चीज को फील करके, ठीक है हम सेंटर खोलते जा रहे हैं, हम स्कूलों में स्किल के कोर्स शुरू कर रहे हैं पर हमारे पास ट्रेनीज हैं नहीं। ओनली 10 परसेंट के लगभग हमारे पास ट्रेनीज बैठ रहे हैं, जो हमारे पास आंकडे आये हैं। इस चीज को ही दूर करने के लिये ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने के लिये भी कार्यक्रम होंगे। दो चार जगह का आप सब लोगों को भी पता है, मेरे को अकेले को ही नहीं पता, बहुत से कंट्री हैं उनमें कोई कब जाकर क्या पढ़ने लग जाए इसी तरह से इसमें रहेगा।

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

इसमें दिया है सारांश के रूप में आज सभी सरकारों के सामने गंभीर प्रश्न वही है, आप वाली बात। ज्ञान विज्ञान, तकनीकी एवं कौशल के इस रफ्तार युग में युवा पीढ़ी को स्वयं की सम्मानजनक आजीविका हेतु कैसे योग्य बनाया जाए, यह हर सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यह सर्वविदित है कि हमारी शिक्षा प्रणाली आज इस लायक नहीं कि तुरंत रोजगार मिल जाए, इसको रोजगार के लायक बनाने के लिये स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय तक युवा वर्ग ज्ञान और सूचनाएं तो अर्जित कर रहे हैं परंतु उस ज्ञान को काम में लगा कर आजीविका के साथ कैसे जोड़े, उन तरीकों को सीखने में बड़ी कमी है। इंजीनियरिंग कालेज से जो युवा निकल रहे हैं उनमें फ्लोर के प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान की कमी के कारण आज सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार घूमेंगे, आईटीआई वालों को तो रोजगार मिल जाता है, पालीटेक्निक वालों को मिल जाता है, पर जो इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा है उसके लिये रोजगार की सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है। लेकिन इस विश्वविद्यालय से जो डिग्री लेगा उन चीजों का ही हमने किया है कि किसी भी तरह से आगे यह नौबत न आए और अपने नौजवानों को बचाएं।

ऐसी स्थिति में समय आ चुका है कि व्यावसायिक एवं मुख्य स्रोत के पाठ्यक्रम के बीच सामंजस्य बनाया जाए। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया के सशक्त विजन के कारण स्कूलों में, आप सभी के पास यह सूचना आ चुकी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत हुई है, अल्प अवधि कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास केन्द्रों के जरिये जो आरएसएलडीसी की बात करते हैं, युवाओं को कौशल के साथ जोड़ने के लिये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम आरएसएलडीसी के माध्यम से व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। उसी प्रकार राजकीय आईटीआई क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। पिछली सरकार की तुलना में हमने इन तीन सालों में आईटीआई में 10 गुणा ज्यादा खर्च किया है जिससे बच्चों को रोजगार मिल जायेगा। अगले दो साल में एक हजार करोड़ के लगभग, जिसमें डोटासरा जी की भी हां कर ली है, युवाओं की पहुंच में 45 आईटीआई...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नाम बोल दो, लक्ष्मणगढ़ में खोल दूंगा। ऐसे बोलो। पता नहीं क्या डोटासरा जी ने कहा और क्या हां भर ली।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आपको मैं मना ही नहीं कर सकता।

आईटीआई के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम लाया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनकी मत मानो, यह तो परफोरमेंस डाउन करवाने वाले लोगों में से हैं। हमारी मानो। अब हो गया।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हो गया। मेरे बुजुर्गवार पहले ही संतुष्ट हो चुके।

मुझे दो चीजें और बतानी है आपको, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो 11 लाख का आंकड़ा दिया है वह सरकारी, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर का आंकड़ा है।

उन युवाओं को सम्मिलित किया गया जिनको रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त है। कई चीजें हैं, हमें ये ही नहीं पता। सूचना देना चाहता हूं। मैं आपको पूरी सूचना दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप ने स्वयं कहा कि मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जी दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां तो, वो बाद में दीजिए। ऐसे छोटी-मोटी बात कहकर निपटाना चाहते हैं। ऐसे नहीं..। दस लाख रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए तो बताना तो पड़ेगा कि दस लाख रोजगार के अवसर कौनसे हैं ?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सारा जवाब दूंगा, पर दो-तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर सेना की भर्ती हुई। जिस दिन मैंने महकमे का चार्ज सभाला, जितनी ज्यादा सेना की भर्ती हमने करायी, मैंने कई लोगों से पूछा क्या हो रहा है, कहा कि सेना की भर्ती हो रही है।, किसने कराई ? सेना ने की। टोटल खर्चा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमारे विभाग ने किया है। 35-35 लाख रूपए हर भर्ती के लिए। कहीं तीस, कहीं पैंतीस लाख। वह इसलिए किया कि जिससे बच्चों को रोजगार मिले। वह भी हमारे खाते में इसलिए जुड़ेगा कि वे भर्तियां हमने अपना पैसा खर्च करके रोजगार देने के लिए कराईं।

तो इस तरह से एक-एक आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। 11 लाख का जो आंकड़ा दिया है, निश्चित रूप से वह पूरा हुआ है और उसकी एक-एक चीज को आपको पेश करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजस्थान में इतने लोग अपन ने भर्ती करा ही दिए सेना में।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): काफी कराएं हैं न।

मानसिंह जी ने राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी नियुक्तियां..। जो कन्फ्यूजन था उसके लिए Rajasthan University Teachers and Officers Selection for Appointment Act, 1974 के अनुसार ही होगा।

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

इसमें किसी की मनमानी नहीं चल सकती।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हास्पिटल में भर्ती होते हैं, उनको आप लोग भर्ती नहीं मानते।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): निश्चित रूप से मैं आपके लिए किसी न किसी सुन्दर हास्पिटल के अंदर जगह तलाश करूंगा कि उसमें आप भी भर्ती हो जाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे लिए देखने की जरूरत नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि हास्पिटल में भर्ती करवा रहे हो, इनको भर्ती नहीं कर हो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ऐसा है, भाई साहब, जब कोई आर्मी की भर्ती होती है, उससे पहले श्रम विभाग उसकी रैलियां करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उस ट्रेनिंग में से जो निकलते हैं, वे तो श्रम विभाग के खाते में जाएँगे। कोई भी आपसे ट्रेनिंग लेकर...। कोई नहीं मानता तो आप कहोगे कि मैंने लीडर बनाया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हास्पिटल में ट्रेनिंग देकर भेजते हो क्या ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आर्मी ने रैलियां की हैं। बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उसमें से जो निकलेंगे वे तो श्रम विभाग के खाते में जाएँगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका पहले का एक्सपीरियंस ज्यादा है न, आप इनको समझा दो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आर्मी रैली विभाग ने नियोजित की, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी। उनमें जितने बच्चे सलेक्ट हुए, वे तो श्रम विभाग के खाते में जाने चाहिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं, जिन्होंने जनमत जानने के लिए कहा है, मैं आग्रह करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष: आपके आग्रह करने पर कोई प्रस्ताव वापिस नहीं लिया जायेगा। सबसे पहले तो मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि जब आप अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हों और वो भी आसन की बगैर अनुमति के, कभी-कभार आसन की तरफ भी देख लिया करें और अफसोस की बात यह है कि मंत्री महोदय तक बोलते हैं, आपस में बतियाते हैं। एक-दूसरे को राय देते हैं। राय देकर सदन चलाने की बात करते हैं और आसन के प्रति जरा भी वे संवेदनशील नहीं हैं। कभी-कभार किसी को अगर नींद आ रही हो, यदि आप उसको जगाना चाहें, तो जगा सकते हैं। वह कोई बात नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक,

(श्री उपाध्यक्ष)

2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

Are you withdrawing ?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे अनुमति प्रदान की जाए। मैं मेरे प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस लूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किये जाने का जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

<u>खण्डश: विचार</u>

खण्ड 2 से 44- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 44 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 44- स्वीकार किए गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

विधेयक का पारण

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना पसंद करेंगे ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बिल पेश हुआ है, जिस हम चर्चा कर रहे हैं - राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्यों आवश्यकता पड़ी ? राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 को निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है और यह जो एक्ट लाया गया है, उसमें मैं दो-तीन चीजें दो मिनट में निवेदन करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबकी जो इच्छा है, उसी की कदर करते हुए, आपके आदेश की..।

मैं निवेदन करूँ सम्पत्ति की जो परिभाषा दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्पत्ति के अंतर्गत कोई भी भवन, झोंपड़ी, स्मारक, मूर्ति, जल पाइप लाइन, लोक सड़क, संरचना, प्रांगण भित्ति सहित दीवार, पेड़, बाड़, खम्भा, बल्ली या कोई भी अन्य परिनिर्माण है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए। इस सम्पत्ति को खराब नहीं करें, सम्पत्ति विरूपित नहीं हो, इस बात की व्यवस्था के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन 297 (क) में जो सज़ा का प्रावधान है। प्रथम अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, ये ऐसे जुर्माने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से जो पाँच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु वह दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध की दशा में फिर इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसमें सम्पत्ति का विरूपण कैसे माना है कि जो कोई लोक दृश्यांतर्गत आने वाली किसी भी सम्पत्ति, सम्पत्ति की परिभाषा मैंने पहले बता दी, को विरूपित कर या उस पर थूक कर, पेशाब कर या पम्फ्लेट, पोस्टर इत्यादि चिपकाकर या ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभागी का नाम, पता उपदर्शित करने के प्रयोजन से स्याही, चाक, रंग अन्य सामग्री से लिखकर, फीते से चिह्नित कर विरूपित करता है। यानी अगर सरकार ने इसको अधिसूचित कर दिया और अगर बाड़ है और उसमें सब को दिखने वाली है। पेशाब करके भी अगर विरूपित कर दिया तो पांच हजार रुपए का जुर्माना और एक साल की सज़ा और माननीय मंत्री महोदय, अगर दुबारा ऐसी गलती कर ली तो वह दुगना हो जायेगा।

एक और है जो अपन सब के ऊपर ही लागू होगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा ? मंत्री जी ले तो आये, पता नहीं कहां से ड्राफ्ट किया हुआ उठाया है ? इंटरनेट से, कहां से, कौनसे प्रदेश की साइट से ? इसमें यह लिखा है कि कोई भी अपराध किसी अन्य व्यक्ति या किसी कम्पनी या अन्य नियमित निकाय व्यक्तियों के किसी संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं हो)... के फायदे के लिए है वहां ऐसा अन्य कोई व्यक्ति प्रत्येक अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव, एजेंट या यथास्थिति उसके प्रबंध मण्डल से संबंधित कोई भी अन्य अधिकारी या व्यक्ति जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दें कि अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया है तो ऐसे अपराध का अपराधी को दोषी समझा जाए।

(17.50 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, साबित करने का भार हम पर है। मान लीजिए किसी ने पम्पलेट चिपकाया, हमारा नाम ले देगा, कहेगा कि मेरे को तो एमएलए साहब ने भेजा था, मंत्री जी ने भेजा था, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं मैंने नहीं भेजा। जब आपका पम्पलेट लगा रहा है और सम्पत्ति को विरूपित कर रहा है तो आप ही के ऊपर लागू होगा, आपको साबित करना पड़ेगा। तो उसको साबित करना पड़ेगा। यानी कितना खतरनाक बिल है, एक छोटी सी बात के लिए, कि निश्चित रूप से सम्पत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ भारत का नारा चल रहा है लेकिन जिस तरह से बिल आया है, मैं समझता हूं यह इतना ज्यादा हो जाएगा और ऐसा बिल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा। ऐसे बिल आने के बाद यह पोलिथीन की थैलियों को रोकने के लिए बिल लाया हुआ है, एक्ट है, कानून में प्रावधान है, कोई रोक रहा है क्या ? बीड़ी सार्वजनिक स्थान पर नहीं पीएंगे, सार्वजनिक स्थान पर पेशाब नहीं करेंगे, यह बिल लाए हुए हैं, यह कानून है। कोई बीड़ी पीते हैं, आप बस डिपो पर देख लो, कहीं पर भी देख लो, कोई रोक रहा है क्या, ऐसा बिल भी क्यों लाओ जिसका आगे जाकर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक अपन ला चुके थे उसी का इसी में अपन कर रहे हैं। उसको निरसन करके इसमें ले रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उप मुख्य सचेतक, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पहले बिल था वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन अब जब आप नगरपालिका भी, इसको जोड़ रहे हो तो यह लोकलाइज हो गया। इसका अगर इम्प्लीमेंट करोंगे तो नुकसान, अगर नहीं करोंगे तो कानून की धज्जियां उड़ेंगीं। जब पहले 2006 में लाए थे, कितने मुकदमे बनाए, मंत्रीजी बता दें ?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय चीफ व्हिप साहब, वह बिल तो वह का वही है केवल मात्र इसको उसके अंदर मर्ज करने का है। न तो अभी इसका कोई स्कोप है, पहले बिल पास हो चुका है इलेबोरेट विधानसभा में डिसकस हो चुका है। इसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं, यह तो उसके अंदर मर्ज करने का ही मामला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर मंत्रीजी क्या जवाब देंगे, आप ही सारे दे दोंगे तो, आप बताओ। आपके, मेरे ऊपर से जा रहा है इसलिए मैंने तो किसी से समझा है तब बता रहा हूं आपको। अपने समझ की बहुत कम बात है, मैं तो आज सुबह जब समझा तब पता चला। यह बिल पारित हो गया, मैं मानता हूं ......

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप तो बोलो, बोलने दो न इनको, कालूलालजी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बोलना है इसलिए कुछ बोलना चाहते हो वह भले ही बोलो। यह तो बिल पास हो चुका है, विधान सभा ने पास किया। वह का वही बिल है, कोई नया नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर आप काहे के लिए लाए हो, आप हमें मूर्ख बनाने के लिए लाए हो क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मर्ज करना है एक को दूसरे में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसलिए लाए हो ? यह क्यों लाए ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): डोटासराजी मानने वाले नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर मंत्रीजी सक्षम नहीं हो तो जैसे क्रिकेट में दौड़ने वाला रनर है वह उसको उपलब्ध कराया जाता है, इनको कालूलालजी को उपलब्ध करा दीजिए, यह इनकी जगह जवाब दे देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुनो। काहे के लिए बटन बंद कर रहे हो, खोल रहे हो। मैं यह कह रहा हूं कि ठीक है बिल पारित किया लेकिन इस बिल को नगरपालिका से जोड़ने का अर्थ तो यही है ना कि उसका वह इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो सकता था इसलिए इसको नगरपालिका के साथ में संशोधन किया, एक्ट के साथ में। अब आए दिन नगरपालिका क्षेत्र में आपको भी पता है लोग-बाग़ बाहर गांव से आते हैं, वह पेशाब भी करेंगे, पता नहीं कितनी सम्पत्ति की परिभाषा भी आपने बता दी। कालेज के बच्चे हैं, पोस्टर भी चिपकाते हैं और हम भी रोजाना-रोजाना। सभापति महोदय, आज किसी भी नगर पालिका में देख लीजिए हजारों-हजारों बोर्ड लगे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय के तो ऐसे-ऐसे, वह छोटी सी फोटो बीस साल पुरानी पता नहीं कहां से निकाल कर लाए हो आप, जो आपके पोस्टरों में लगी हुई है। इतना मासूम सा चेहरा, एकदम खिलता हुआ, अब यह बोले तब तो पता चलता है कि बूढ़े हो गए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी मेरा चेहरा खराब हो गया है ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, बोली के अलावा कुछ भी खराब नहीं हुआ ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी भी वैसा ही हूं मैं। आपका इलाज करने के लिए काफी हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस तरह का बिल लाकर इसको नगर पालिका संशोधन के रूप में पारित करा कर, मैं समझता हूं कि इसको अभी अपने को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। लोगों की राय लेनी चाहिए। इसमें क्या काम्प्लीकेसी हो सकती है, उसको देखना चाहिए। इस तरीके से किसी ने पकड़ा दिया। अब वह पहले वाले नगर पालिका मंत्रीजी दे गए कि पता नहीं आप कहां से उठाकर ले आए। इसको इसमें क्लब कर दो, इसको इसमें कर दो । मैं कह रहा हूं पारित करिए, बहुमत है आप करोंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि साबित करने का भार भी इस बिल में हमारे ऊपर दे दिया। किसी ने भवन उपलब्ध करा दिया, अब उसने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपको कुछ भी कहा होगा कि साहब मेरे को उपलब्ध करा दो और वहां मान लीजिए कि गंदा कर दिया या जिस तरह की बिल में परिभाषा है, तो उस भवन मालिक को यह साबित करना पड़ेगा कि नहीं मेरी नालेज में नहीं था यह जो एक्ट हुआ है वह। तो मैं समझता हूं कि सारे के सारे लोग परेशानी में आ जाएंगे।

इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। लोगों की राय ली जाए। मंत्रीजी अधिकारियों से समझ लें फिर जनप्रतिनिधियों से, हम लोगों से भी चर्चा कर लें उसके बाद दुबारा इसको लाओ, तब जाकर। ऐसे ही किसी ने पकड़ा दिया, अधिकारियों ने टिप्पणी लिख दी, आप अभी पढ़ दोंगे, बहुमत है, मेज थपथपाई, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता और बिल पारित हो जाएगा, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, जिस प्रकार की आगे जाकर परेशानियां बढ़ने वाली हैं उसकी ओर मैं मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: डॉ. फूलचंद जी भिण्डा।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, अगले साल तक गांधी जी 150 वर्ष के होंगे और गांधीजी के नाम पर जिन्होंने रोटियां सेकीं, शासन किया, उनके ध्यान में नहीं आया लेकिन हमारे माननीय मोदीजी के ध्यान में आया कि देश स्वच्छ होना चाहिए। दुनिया में 182 नम्बर पर स्वच्छता है उसको नीचे लाना चाहिए, इस उद्देश्य से देश में यह अभियान चल रहा है। घर-घर में लैट्रिन बनाने के लिए 12-12 हजार रुपये दे रहे हैं। इन्होंने तो बिगाड़ने का ही काम किया है।

मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं, नगरपालिका स्थानीय शासन है, स्थानीय सरकार है। उसको सशक्त बनाने के लिए यह विधेयक आया है। उसमें यह आवश्यक लगता है। एक लाख रुपये लगाकर कोई प्याऊ लगाता है और आप जैसा पान खाकर वहीं उसी पर थूक कर चला जाता है। कुछ तो चैक लगने से आएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें, माननीय सदस्य, अधिसूचित की हुई बाड़ पर पेशाब करने पर भी एक साल की सज़ा और पांच हजार का जुर्माना है।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अच्छी बात मानता हूं। देश व्यवस्थित होना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप ध्यान रखना।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आपको बताऊं, पर्यावरण के नाम पर....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट, आपको मालूम है, आपने लागू किया था

(श्री श्रवण कुमार)

सिगरेट, बीड़ी नहीं पिएंगे। कोटा में कोई बीड़ी पी ली और झगड़ा हो गया, जिसमें आज तक आप लुटते फिर रहे हो थाने वालों को पीट दिया। वो यही मामला था। ...(व्यवधान)... यह बातें मत करो, छोटे काम मत करो।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह आदर्श उदाहरण नहीं है। आदर्श उदाहरण यह है कि पर्यावरण के लिए हमने खूब....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय श्रवणजी, आप बीड़ी पीने को अच्छा मान रहे हो। इसका मतलब बीडी पीना चाहिए। आपका मतलब कानून नहीं बनना चाहिए।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं इस देश में पर्यावरण की बात...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप यह चाहते हो कि कानून नहीं बने, बीड़ी पिए और लड़ाई-झगड़ा होता रहे ...(व्यवधान)... फिर आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो बोलो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 200 रुपये जुर्माना कर दिया, तभी झगड़ा हुआ ना। 200 रुपये जुर्माना किया तभी झगड़ा हुआ न।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस देश में पर्यावरण के नाम पर बड़े-बड़े पोस्टर लगते हैं। बड़े-बड़े लोग पैदा हुए हैं। गांव की अनपढ़ महिलाएं भी रास्ते में पेशाब करके मिट्टी डालकर आगे बढ़ती हैं। बात समझो आप। आप स्थानीय प्रशासन की बात कम करें, स्थानीय सरकार की बात कर रहे। देश को अच्छाई की तरफ ले जाएं। आप और देशों की राजधानी की बात करते हो, आप भी अच्छे बनो। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो तो यह चीजें आएंगी। यह हमें लानी पड़ेगी। इनकी आवश्यकता है। ऐसे ही स्मार्ट नहीं बनेगी कि चाहे जो हम आपको पावर दे दें और हम देश के पैसे लगाते रहें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इसमें और भी बहुत पाइंट है, क्या महिलाओं का ही उदाहरण देना जरूरी है सदन के बीच में।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं तो बड़ाई कर रहा हूं। जन्मजात है हमारी माता-बहनें। जब दुनिया में मंदी आई तो यहां की मीडियम क्लास की महिलाओं ने बचाया देश को।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): शकुन्तलाजी आपको एतराज है ? महिलाओं का नाम लेने में आपको नाराजगी क्यों है, महिला का नाम लेना आपके लिए तो सौभाग्य की बात है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इनको हर चीज में, हर सैकिण्ड में बोलना, तो कम से कम ऐसा कीजिए हम सबको बिठा दीजिए, एक बार दो-चार घंटे इनको बोलने दीजिएगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरे से तो आप ही ज्यादा बोलती हैं।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इस देश के परिवारों को संवारने वाली का नाम मां है। आप यूं मत उद्वेलित हो। हकीकत कह रहा हूं, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं देश की। ...(व्यवधान)... सुन लो एक बार। माननीय सभापतिजी, देश में आवश्यकता है वास्तव में। स्थानीय प्रशासन इतना पंगु हो गया, नगरपालिकाओं का प्रशासन, चाहे जहां गली निकाल लेना, चाहे जहां डाल देना, चाहे जहां चीजें डाल देना, इन चीजों को चैक करने की आवश्यकता है। जब देश स्वच्छता की ओर चल पड़ा, पूरा केन्द्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, 2018 तक हमें उसको पूरा करना है, उस काज को पूरा करना है। देश को सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है।

इस देश में 33 करोड़ देवी-देवता इसीलिये थे, देवता रमण करने आते थे देश की स्वच्छता के कारण से, देश के संस्कारों के कारण से, उस ओर हम ले जाना चाहते हैं। इस कारण से मैंने थोड़ा सा निवेदन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री मानिक चन्दजी सुराना। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सुखरामजी विश्नोई। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालूलालजी, क्या एतराज है आपको। ज्यादा बोलना हो तो यहां आ जाओ आप। ज्यादा बोलना हो तो यहां आ जाओ, प्रतिपक्ष में आ जाओ। हम वहां आना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, पुराना जो राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 की कुछ धाराएं हैं। इसमें ज्यादा न कह करके मैं आपके मार्फत माननीय जो हमारे नये मंत्री बने हैं, उनसे जानना चाहूंगा, वाकई में यह जो एक्ट आप लाये हैं, यह संशोधन आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा हुआ होता तो जो 297-क में सज़ा का प्रावधान दिया गया है, फर्स्ट बार, रिपीट करने के बाद में, उस सज़ा को, बाकी जो अगली धाराएं हैं, 297-ख, 297-ग और 297-घ, सभी में उसी को रिपीट किया गया है। उदाहरण के लिये लिख दिया, 'अपराध करने के प्रयत्न के लिए दण्ड', कोई मतलब प्रेरित करेगा, उसके लिये भी दण्ड वही है, उपबंधित दण्ड में, ऊपर जो धाराएं दी हैं, अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

उसके बाद दुष्प्रेरित करेगा, मतलब कोई प्रेरित करेगा, उसके लिये भी उपसाधन

(श्री सुखराम विश्नोई)

होता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

कम से कम धाराओं में भेद तो होना चाहिये। एक प्रेरणा देता है, मतलब गलत सलाह देता है, वह प्रूव कैसे करोगे कोर्ट में आप। प्रूव करने के लिये आपने जो अधिकारी तय किया है, अपराध का शमन करने की शक्ति, नगरपालिका या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अध्याय के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाये, किसी भी अभियोजन को प्रत्याहृत करने, या किये गये किसी भी अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होगा।

सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय नगरपालिका मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इसका जो पीठासन अधिकारी है, वह कौन होगा, मतलब किस कैडर का होगा, कौन नोमिनेट करेगा, ई.ओ. स्तर का होगा या आगे स्तर का होगा। कम से कम उसकी योग्यता नहीं होगी तो यह जो सेक्शन के आपने दण्ड लगाये हैं, जो पहले जो राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का जो हश्र हुआ है, वह इसका होगा। इसलिये यह बिलकुल स्पष्ट बात होनी चाहिये। और जो दण्ड का प्रावधान है उसमें भेद होना चाहिये ताकि समझ सकें। आपका जो अधिकारी है, जिसको आपने अधिकारी बनाया है, उसका भी बिलकुल स्पष्ट होना चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि एक जो स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, केवल मात्र कहने की बात है, स्वच्छता की, बाकी आपकी यह विधान सभा है, माननीय मंत्रीजी, आपकी विधान सभा है और स्वच्छता का यह हाल है, यह जो दोनों रोड्स हैं, दोनों तरफ आप क्या स्थिति देख रहे हो। मतलब आपने ओ.डी.एस. से बीकानेर पूरे को मुक्त कर दिया, आपके जयपुर में विधान सभा के सामने देखो आप। एक फ़र्लांग के अन्दर लोग बैठे हैं, बाहर खुले बैठे हैं। यह आपकी हालत है। यह आपकी सरकार के हालात हैं। आप कह रहे हो, पूरे जिले को हमने यह कर दिया, पंचायतों को ऐसा कर दिया। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, यह हालात पूरे प्रदेश के बने हुए हैं। कम से कम जयपुर को तो ओ.डी.एस. ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विश्नोई साहब, सभापति महोदय, यह ओ.डी.एस. क्या होता है, ओ.डी.एस.।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ओ.डी.एफ.ओ.।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ओ.डी.एस. बोल रहे हैं आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपसे मिलता-जुलता नाम है, यू.डी.एच. और दोनों, मिलता-जुलता नाम है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यू.डी.एच. बोल रहे थे क्या ?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम कानून, ओ.डी.एफ. से कुछ नहीं, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपका शब्द क्या था, वह कृपया रिपीट कर लें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ओ.डी.एफ., जो खुले में शौच मुक्त।

श्री सभापति: इसका नाम है खुले से शौच मुक्त।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, शोर्ट।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि केवल मात्र कानून बनाने से और कानून को कठोर बनाने से कुछ नहीं होगा। जो कानून बने हैं, चाहे प्लास्टिक के लिये कानून बने हैं, दूसरे जो शराबबंदी के कानून बने हैं, आप देख रहे हो, क्या हालात पूरे प्रदेश के अन्दर बने हुए हैं। शौचालय की आपकी नगरपालिका में, बड़े शहरों में जो व्यवस्था नहीं है तो लोग कहां पेशाब करेंगे। अब किसी ने पेशाब कर लिया, मुकदमा किसके ऊपर दर्ज होगा, कौन उसका भागीदार होगा। मतलब, कम से कम नगरपालिका द्वारा प्रत्येक एक किलोमीटर के अन्दर शौच की व्यवस्था होनी चाहिये। ताकि जो रोड्स की साइड्स में आप देख रहे हैं, जगह-जगह लोग दीवारें खराब कर रहे हैं, दूसरे जो खराब कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था तभी होगी, जब जाकर व्यवस्थित रहे एक तरीके से, नगरपालिकाएं व्यवस्था करें। जो कानून बन रहे हैं, कानून की लोगों को जागरूकता दें, लोगों को जानकारी दें। एक तम्बाकू के ऊपर कानून बना, स्कूल के पास तम्बाकू की दुकान नहीं होगी। अब तम्बाकू की दुकानें स्कूल के पास हैं। एक-दो बार, जब नया-नया कानून बना, तब एक-दो चालान पेश किये। बाद में ठण्डे बस्ते में चला गया। प्लास्टिक का कानून पास किया, वह ठण्डे बस्ते में चला गया। इस कानून का यही हश्र होगा। मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम कानून बनाने से पहले उस कानून की गम्भीरता को समझें और कानून बनाने से पहले लोगों को जागरूक करें, तभी जा करके इस कानून की पालना हो पाएगी। मैं इस विधेयक को दो महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य रमेशजी। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा चल रही है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 को निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, आज इस विधेयक में खण्ड 297 में निम्न परिभाषाओं को उल्लेखित किया है, केवल फार्मलिटी के अलावा कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, अच्छा तो यह होता कि अपन जागरूकता शहरों के अन्दर लाते, नगरपालिका क्षेत्रों में लाते, गांवों के अन्दर लाते। कानून बना-बना कर छोड़ने से क्या होगा। आपने तो बहुत कानून बनाये। 302 के अन्दर फांसी की सज़ा का प्रावधान है, आजीवान कारावास का, क्या अपराध बंद हो गये क्या राजस्थान और देश के अन्दर। तो, सभापति महोदय, अच्छा होता कि आप फालतू के बिल लाने के बजाय अपनी परफार्मेंस सरकार की मुखिया के पास दिखा रहे हो, आप बिल ला-ला करके बिल ला रहे हैं साहब, भाषण दे रहे हैं। इसके बजाय बढ़िया तो यह होता कि नगरपालिका, जो आज जर्जर स्थिति के अन्दर है, सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं के पास उनकी आय का कोई साधन नहीं है।

सभापति महोदय, कुछ सुझाव आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगा। छोटी और नई नगरपालिकाएं, जो भी राजस्थान के अन्दर हैं उनमें सीवरेज प्लान को अमलीजामा पहनाया जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का भला होगा।

दूसरा, सभापति महोदय, नगरपालिका में आय का स्रोत सीमित है। सरकार इस ओर ध्यान दे। समस्त नगरपालिकाओं में जनसंख्या के अनुसार सफाई कर्मियों की भर्ती की जाए। बीच में सफाई कर्मियों की भर्ती का एक बार चला था, लेकिन कुछ जगह लोग कोर्ट के अन्दर चले गये तो सफाई कर्मियों की भर्ती रुक गई। जनसंख्या के अनुपात के अन्दर सफाई कर्मियों के पद सृजित करके उनकी व्यवस्था की जाये और सफाई कर्मियों को समय पर सैलेरी मिले। नगरपालिकाओं के पास तो अपने कार्मिकों को देने का पैसा भी नहीं है। तनख्वाह भी नहीं दे पा रही हैं नगरपालिकाएं। आज सरकार, गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं आप बारबार कि हमारा गुजरात, लेकिन गुजरात की जो सूरत की नगर इकाई है उसके पास सौ करोड़ रुपये डिपोजिट हैं, सूरत के अन्दर, मगर राजस्थान की किस नगर इकाई के पास सौ करोड़ हैं।

सभापति महोदय, आज सरकार ने जयपुर, उदयपुर व अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही। लेकिन पिछले दिनों आपकी जो मीटिंग हुई सांसदों और विधायकों की, उसके अन्दर सांसद कह रहे थे, हमसे तो कोई सुझाव ही नहीं लिये, कौनसी स्मार्ट सिटी बनाओगे, कब बनाओगे। बड़े-बड़े विज्ञापन छाप दिये। आपने कर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दिया, यह कर देंगे, वह कर देंगे। 2018 आने वाला है, अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के अन्दर जो व्यापक भ्रष्टाचार है, नगरपालिकाएं आजकल भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा साधन बन गयीं कि अतिक्रमण करो। लोग आते हैं, अतिक्रमण करो और उनको नियमित करा लो। लोगों ने धन्धा बनाया। कच्ची बस्ती के अन्दर, हो सकता है कि लोगों को रहने की व्यवस्था, आवास व्यवस्था का सरकार वादा करती है, लेकिन भू-माफिया पनप रहा है नगरपालिका क्षेत्रों के अन्दर। ऐसे-ऐसे भू-माफिया हैं, जो सरकार से आगे चले गये। सरकार में बैठे हैं, जिनकी पार्टी की सरकार होती है, उस नेता के पास चले जाते हैं और पाँच साल अपना टाइम निकाल लेते हैं। सभापति महोदय, नगर-पालिकाओं के अन्दर भ्रष्टाचार को खतम करना चाहिए।

यह जो कानून लेकर आ रहे हो, आज मान लो मेरा पोस्टर मेरे विरोधी ने कहीं पर लगा दिया और भिंडाजी कहीं पर अगर जा रहे हैं और पेशाब लग गया उनको, सुनो, आप तो ऐसे कह देंगे कि आप तो पेशाब भी नहीं कर पाओगे तो क्या पेशाब रोकोगे क्या राजस्थान के लोगों का ?

आप जागरूकता पैदा करो, साहब, ऐसी व्यवस्था मत करो कि लोग हमारे रात को पोस्टर लगा दें और हमारे पर ही जुर्माना आप करवा दोगे। अच्छा तो होता कि भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए कोई नया कानून आप लेकर आते। बाबूसिंहजी, आपके लिए, भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए कोई नया कानून लाते। उत्तराखंड की तर्ज पर मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बनाते ताकि भ्रष्टाचार का खात्तमा होता।

अब आप ऐसे बिल लाकर राजस्थान का एक मजाक बना दोगे देश के अंदर कि चाहे जो, आप तो पानी भी नहीं पी सकते। आप बताओ कि नगरपालिका क्षेत्रों में कितने शौचालय आपने बना दिये जहां पर फ्लश का सिस्टम है ? कौनसे सार्वजनिक शौचालय आप बनाते हो तो आदमी को पेशाब लगेगा तो वह क्या करेगा, साहब, उसमें भी डर लगेगा कि जेल हो जाएगी मुझे तो क्या अंदर कपड़ों में करेगा क्या पेशाब ?

साहब, यह क्या व्यवस्था कर रहे हो ? कहां ले जा रहे हो राजस्थान को, यह तो बता दो आप। किस दिशा के अंदर लेकर जा रहे हो? मजाक बन गयी, साहब, और यहां क्या सदन के अंदर ऐसी-ऐसी चर्चाएं होती हैं, आपकी पार्टी का कल कोई विधायक, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, वह बाहर चर्चा कर रहे थे कि मैं तो साहब, काकरोच मारने की जो दवा है न और चूहे की दवा ठीक नहीं है, वह मुद्दा उठा दूं क्या ? ऐसा मजाक क्यों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बना रहे हो इस राजस्थान की विधान सभा का ?

हम चाहते हैं कि जब सदन चलता है तो पूरे राजस्थान की जनता, किसान, जवान, सब देखते हैं कि हाउस चल रहा है और हाउस की एक गंभीरता होनी चाहिए और आप इस तरह अगर राठौड़ साहब, ट्रेनिंग नहीं दोगे अपने विधायकों को, नए विधायकों का कैम्प लगाओ इनका, इनको ट्रेनिंग दो और कुछ सफाई और भी आप दूसरे तरीके की भी करवाओ राजस्थान के अंदर, सारे जो लोग चाहते हैं, वह तो करवा नहीं रहे हो और अब फालतू के बिल ला-लाकर आप भी अपना टाइम पास कर रहे हो और हमें भी बोलने का कि भाई, आप बोलो, भाषण दो, बस अपना टाइम आज, फटाफट चलो, दे दो भाषण जिनको भी देना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यही आग्रह था कि नगरपालिकाओं को निश्चित आय मिले, नगरपालिकओं में भ्रष्टाचार कैसे रुके और इस बिल को पास करवाने से पहले तीन महीने के लिए इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, यह मेरा निवेदन था।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंहजी। (अनुपस्थित)

श्रीमान मानसिंहजी। (अनुपस्थित)

श्री केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बात करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 यह जो सरकार की मंशा है, स्वच्छ भारत की जो अवधारणा बनी है, राजस्थान में अभी यह बता रहे थे कि विधान सभा के सामने क्या हो रहा है मगर आप यह सोचो कि इससे कुछ परिवर्तन तो आया है। हर व्यक्ति के सोचने की, अपने में यह इच्छा हुई है, यह कानून के कारण से ही हुई है। उसमें यह भावना पैदा हुई कि मेरे हाथ में यह कचरा है, यह मैं कहां पर डालूं ? आप यहां पर भी बैठे हो, यहां पर विधान सभा में कचरा डालने की चेष्टा करते हैं क्या ? इसी तरह से इस भावना को, यह लोगों में एक जागृति पैदा होगी, अवेयरनैस आएगी, इस बिल के माध्यम से लोग सोचने को मजबूर होंगे।

मगर, इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो नगरपालिका है, छोटी-छोटी नगरपालिका है, उसमें हमारी सरकार सवा दो-दो करोड़ रुपये लगाकर गौरव-पथ का निर्माण कर रही है तो उसके साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी करें, जिससे सीवरेज की साथ में व्यवस्था हो जाए। सी.सी. की सड़कें बन जाएंगी तो उसके अंदर वापस पाइप लाइन्स या पानी के निकासी

(श्री केसाराम चौधरी)

की व्यवस्था वगैरह किस तरह से की जाए तो वैसे ही अपन उस चीज को कर रहे हैं। हम नगरपालिका, शहरी गौरव-पथ बना रहे हैं तो गौरव-पथ का ही इसके साथ-साथ ही यह मल्टी-परपज, जो यह कह रहे हैं कि कहां पर पेशाब करेंगे, क्या करेंगे, उसके साथ जहां पर भी नाली या निर्माण होता है, उसके साथ उसको अटैच करके कोई व्यवस्था, ऐसी दुरुस्त हमें करनी चाहिए ताकि यह जो मखौल उड़ा रहे हैं, इनको लगे कि वास्तव में कुछ हमारी सोच है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने मखौल नहीं उड़ाया, जो एक्ट में लिखा हुआ है, वही बोला है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जो एक्ट में लिखा हुआ है, आप उसको समझने की चेष्टा करें। यह भय के बिना प्रीति नहीं होती और यह भय है, कानून क्या है ? कानून एक भय है। कानून बना हुआ है 302, क्या मर्डर नहीं होता ? मर्डर होता है मगर लोगों को यह भय है कि मर्डर करने के बाद में सज़ा भी होती है और मृत्यु दंड तक भी मिलता है तो अगर इसी तरह से यह भय होगा तो नगरपालिका निश्चित रूप से साफ-सुथरी रहेगी इसलिए मेरा यह मानना है कि यह जो बिल लाए हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं और मैंने जो संशोधन दिया है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री प्रहलादजी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन में विचार के लिए लिया गया है। इस संशोधित विधेयक की जो धारा-5 है, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 का निरसन, यह मौज़ूदा जो अधिनियम है, सेपरेट एक्ट है, उस एक्ट को समाप्त करके और 2009 का जो नगरपालिका का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में अध्याय-12-क के रूप में इस अधिनियम को समाहित करने के उद्‌देश्य से यह लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल पर सदन में दो बार चर्चा हो गयी। 2006 में जब यह सम्पत्ति निरूपण का विधेयक लाया गया तब आप भी इस सदन के सदस्य थे और बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा हुई थी और 2015 में जब इस पर संशोधन लेकर आए और संशोधन केवल इतना सा लेकर आए कि 2006 के विधेयक में जो सजाओं का प्रावधान था, 2015 के संशोधन में उन सजाओं को बढ़ा दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, तब हमने तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह कहा था इस सदन में कि आप इंतजार करिए, पान-पराग खाने की आपकी आदत कहीं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपको इस विधेयक के कठघरे में खड़ा नहीं कर दे ? विधेयक पर सजाओं का प्रावधान सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, भाई विश्वनाथजी। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय मंत्रीगण।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, एक विभाग से संबंधित सशक्त विषयों पर जो तमाम विधियां बनी हुई हैं उनको एक एक्ट में लाने के उद्देश्य से तो यह पवित्र है। म्युनिसिपैलिटी एक्ट के संबधित निरूपण विधेयक हो या कोई दूसरा विधेयक हो, इन सबको एक मूल विधेयक में समाहित करने की दृष्टि से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को समाहित करने के अब उद्देश्य क्या हैं, मूल एक्ट में इसको जोड़े जाने से पहले गंभीरतापूर्वक आप इस पर विवेचन करते। यह विषय जब सजाएं बढ़ा रहे थे तब भी सामने आया था कि क्या 2006 का राजस्थान सम्पत्ति निरूपण विधेयक राजस्थान में जिस मंशा से आप लाए हो, उस मंशा को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाया, लोगों के अपराध की बाढ़ आ गयी जो आपने सम्पत्ति निरूपण की परिभाषा दी है, वह तो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में राजस्थान की जनता ने वॉयलेशन किया तो फिर सज़ा का प्रावधान बढ़ाये जाने की आवश्यकता थी। आपके पास तब भी आकड़े नहीं थे कि किन कारणों से यह सज़ा बढ़ा रहे हो। और अगर मैं आज आपसे यह कहूं कि इस एक्ट का निरसन करके मूल एक्ट में जोड़ते समय क्या आप इस सदन को बता सकते हैं कि आपने इन प्रोविजन्स के तहत राजस्थान में कितने लोगों को दोषी ठहराया है ? कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है ?

मेरा साफ-साफ मत है, माननीय सभापति महोदय, भारत के प्रधान मंत्रीजी ने एक मंशा व्यक्त की है कि आजादी के बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जितने बिल पारित हुए हैं और जो बिल निष्प्रभावी हैं और जिन पर आज तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, उन सारे के सारे बिलों को मैं आने वाले समय में समाप्त कर दूंगा। हमने भी विनियोग के सारे विधेयक 50 साल के कल-परसों ही समाप्त किये हैं। प्रधान मंत्रीजी की मंशा से कहीं राजस्थान में इस नगरपालिका सम्पत्ति निरूपण विधेयक का विवेचन हो और यह निष्प्रभावी विधेयक के रूप में 2006 से कायम दिखे और कहीं इसको समाप्त करने का हालात पैदा न हो जाएं।

इसलिये इस विधेयक के द्वारा राजस्थान में कितना इसको अमल और प्रभाव में ब्यूरोक्रेसी लेकर आयी, यह विवेचन करने के बजाय इसका निरसन करके इसको मूल एक्ट में समाहित कर दिया, अब इसके तहत कार्यवाही हो या न हो। इसलिये, माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, मैं आज निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से, क्या इस सदन का काम केवल इतना-सा रह गया कि ब्यूरोक्रेसी ने एक महीने की सज़ा लिखकर दे दी, हमने पारित कर दिया। ब्यूरोक्रेसी ने एक साल की सज़ा लिखकर दे दी, हमने पारित कर दिया। क्या एक महीने की सज़ा के कम होने के कारण कितना वॉयलेशन हुआ है, इसके आंकड़े थे तब हमने एक वर्ष की। और एक वर्ष की सज़ा दस हजार के जुर्माने को भी आज दो साल का समय होने वाला है, कितना वायलेशन हुआ ? निष्प्रभावी एक्ट है। इस निष्प्रभावी एक्ट को अच्छा होता कि आप समाप्त करते।

माननीय सभापति महोदय, हम कानून से अनुशासन नहीं ला सकते। अगर कोई कहे कि सार्वजनिक जीवन में अनुशासन लाने के लिये कानून बनाना चाहते हैं तो कानून सार्वजनिक जीवन में अनुशासन नहीं ला सकता, बाध्यता ला सकता है। सार्वजनिक जीवन में अगर अनुशासन लाना है तो हमको एक व्यापक प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा। गांधीजी ने स्वच्छता का नारा दिया आजादी के बाद, गांधीजी के नाम पर 50-55 साल राज करने वाले लोगों ने कानून बनाये होंगे, पर सार्वजनिक जीवन में अनुशासन नहीं ला पाये, कोई पालना नहीं हुई। लेकिन आज भारत के प्रधान मंत्रीजी कानून की जंजीरों से नहीं, कानूनी बाध्यताओं से नहीं, देश के मन को आन्दोलित करके व्यापक प्रचार-प्रसार से, कि जब हम गांधीजी की 150वीं जयंती मनायेंगे तब हम विश्वास के साथ कह सकें कि गांधीजी के सपनों का स्वच्छ भारत, वह सपना साकार होने जा रहा है। लोगों को कानून की जंजीरों से बांधकर स्व-अनुशासन में नहीं लाया जा सकता है, लोगों में अनुशासन पैदा करने के लिये सहयोग की भावना कायम की जाती है। इस देश और समाज के प्रति उसके मन में एक विचार और चिंतन पैदा किया जाता है। विषय के महत्व को लोगों के जेहन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे स्वच्छता में स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में काम की क्षमता यह सारा विषय राष्ट्र की क्षमताओं को प्रभावित करता है। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने आम आदमी तक इस बात को पहुंचाया और आन्दोलन चल पड़ा।

सभापति महोदय, हम कानून बना-बनाकर बाध्यताएं कायम करने के बजाय अच्छा हो कि कानून बना है तो कानून के पहलुओं को समाज तक व्यापक दृष्टि से पहुंचाएं, लोगों का मन आन्दोलित हो कि यह कानून जन-कल्याण के लिये आया है, यह कानून समाज में व्यवस्था और परिवर्तन के लिये आया है, यह कानून समाज में एक ऐतिहासिक बदलाव और नई दिशाएं कायम करने के लिये आया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं स्व-प्रेरणा से लोग इस कानून की पालना के लिये खड़े होंगे। बाकी तो आपने दे दिया। अभी बोलने का अवसर मिल गया विपक्ष के सदस्यों को। कोटा में क्या

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हुआ, सिगरेट पीकर कोई खड़ा था, बंद कर दिया। केवल आप इसको संज्ञेय अपराध बनाकर कब, कहां, किस वक्त, किसको जलील करना है, इन छोटे-छोटे कानूनों से पुलिस और विभागों को अधिकार देने के अलावा जीवन में अनुशासन लाने का कोई काम नहीं कर सकते और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, यह इस सदन का दुरुपयोग है। छोटे-छोटे कानून बना रहे हैं और इसीलिये मैं इस अवसर पर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पूछो, कितने ऐसे कानून विद्यमान हैं, जिसमें आपने इतनी कार्यवाही कर दी। इसके निरसन के बारे में सम्पूर्ण रूप से सोचते, एक अवेयरनैस लाने का अभियान चलाते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं लोगों में अब भी स्वच्छता की जागृति आ गयी। कल तक लोग सड़क पर कचरा फेंकते थे, आज देखते हैं कचरा पात्र कहां रखा हुआ है। मन को आन्दोलित किया है, इस दिशा में सार्थक प्रयास करते। आपकी विभागीय एजेन्सी इस दिशा में सार्थक कदम उठाती। आपने अपनी कमजोरी छिपाने के लिये मूल एक्ट में ही इसको समाहित कर दे कि कल ही ये अब तक बनने के बाद से, निष्प्रभावी कानून साबित होकर कहीं खड्ढे में नहीं चला जाये प्रधान मंत्रीजी की मंशा के अनुसार, यह निरसन की प्रक्रिया में समूचे रूप से नहीं आ जाए, इसलिये आपने मूल एक्ट में जोड़ दिया। अब आपकी मंशा ठीक है तो आप लोगों के मन को आन्दोलित कीजिये इस भावना के अनुसार, कि लोग स्व-प्रेरणा से इस राष्ट्र की, समाज की, स्वयं की सम्पत्तियों का विरूपण नहीं करें तो हम समझेंगे कि हम समाज में एक व्यापक भाव जागृत करने में कामयाब हुए हैं और एक स्वच्छता का माहौल बनाने में कामयाब हुए हैं। मैं अन्त में इस विधेयक के बारे में जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेने की अनुमति चाहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री पूरणमलजी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2017 पर चर्चा में हिस्सा लेने की अनुमति दी, इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने माननीय हायर एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ एक टॉफी फेंकी है, यह क्या सदन का अपमान नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजें आराम से, यह उनका आपस का विषय है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उससे कचरा तो होगा न, ऊपर वाला कागज साथ थोड़े खायेंगे। कचरा होगा, वह कहां फेंकेंगे, यह बता दो।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उसके लिये कानून लेकर आ रहे हैं, वह अपने आप चला जाएगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जेब में डालेंगे क्या ? जेब है ही नहीं इनके। मैडम के जेब है ही नहीं।

एक माननीय सदस्य: पर्स में डाल लेंगे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, यहां काफी देर से चर्चा चल रही है। वास्तव में इसका जो मूल एक्ट है, उसमें कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ इसमें बताया है। हम लोगों ने भी इस बिल को दो माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, वह इसलिये किया था, मैं इस बिल के बिन्दु संख्या 297 (ज) परिभाषाएं जिसमें लिखी हैं, इसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें (क) में लिखा है कि "विरूपण" के अन्तर्गत स्वरूप या सौन्दर्य का ह्रास करना या उसमें हस्तक्षेप करना, जिस किसी भी प्रकार से नुकसान करना, विद्रूपण करना, बिगाड़ना या क्षति करना और शब्द "विरूपित करना" का अर्थान्वयन तद्नुसार किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसे नगरपालिका क्षेत्र में हमारा यह हाउस आता है और इस हाउस का आज जो भी आवरण है, आज से पहले का निर्धारित है। अब आवश्यकता पड़ने पर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन किया गया तो क्या उसके खिलाफ सरकार की मंशा के अनुरूप मुकदमा दर्ज करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं यही नहीं कहना चाहता, इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं जैसे हमारे जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और इसमें जब-जब आवश्यकता पड़ी तो भूमि को बढ़ाते हुए उसमें आवंटन करते हुए नई-नई कॉलोनियां बसाई जाती हैं और उन कॉलोनियों में हम जैसे 20-30 लोगों ने प्लाट खरीद लिये और वहां निर्माण करने के लिये जा रहे हैं। अब वहां कोई छान डालकर रहेगा, कोई टीन-शैड डालकर रहेगा, क्या उस कॉलोनी के सौन्दर्यीकरण में दूसरे छोर पर महल रहेंगे और उस झोंपड़ी और महल में क्या अन्तर नहीं रहेगा ? क्या उस कॉलोनी का सौन्दर्यीकरण नष्ट नहीं हो रहा तो क्या उस कमजोर या आर्थिक दृष्टि से गरीब आदमी के खिलाफ नगरपालिका मुकदमा दर्ज करेगी ?

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि इस बिल को लाने के लिये माननीय मंत्री महोदय को मैंने पूर्व में भी कहा और मेरे पूर्व वक्ता माननीय गुंजल साहब ने भी कहा है, माननीय मंत्रीजी से मेरी पुन: अपील है कि इस बिल को, इसमें अगर मैं (ख) में जाऊं तो इसमें भी इसी प्रकार से कि 'सम्पत्ति' के

(श्री पूरणमल सैनी)

अन्तर्गत कोई भी भवन, झोंपड़ी, स्मारक, मूर्ति, जल पाइप लाइन, लोक सड़क, संरचना, प्रांगणभित्ति सहित दीवार, पेड़, बाड़, खम्भा, बल्ली या कोई भी अन्य परिनिर्माण है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार तो अधिसूचित कर दी एक बार यह कानून लाकर, लेकिन क्या वह नगरपालिका, जिस क्षेत्र में वह झोंपड़ियां बनी हुई हैं, जिस क्षेत्र में वह पोल लगे हुए हैं, क्या नगरपालिका हर दिन या हर माह या हर वर्ष उनका आकलन करके लायेगी कि इसका कल का स्वरूप क्या था और आज इसके स्वरूप को बदल दिया गया।

और मान लो, माननीय सभापति महोदय, उस घर के, परिवार के मुखिया को अगर उसमें किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत पड़ी और उस कॉलोनी या उस घर के सौंदर्यीकरण में कमी आयी तो क्या इस बिल की मंशा यह नहीं लग रही कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही फर्मायी जायेगी?

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल कर कहना चाहता हूं जो इस बिल की मंशा है वास्तव में आम-अवाम के पक्ष में नहीं है और ऐसी परिस्थिति में मैं पुन: अपील और मांग करना चाहूंगा कि इस बिल को, इस संशोधन को, विधेयक को दो महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री भंवरसिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया है।

सभापति महोदय, यह संशोधन बिल जो आज लाया गया है, इससे पहले राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 जो पूर्व में चल रहा है, मैं समझता हूं इस तरह के संशोधन विधेयक और कानून बनाने की आवश्यकता है जब पूर्व में जो कानून बनाये गये उनमें भी सही तरीके से पालना नहीं की गयी।

(18.32 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसमें पोस्टर चिपकाने पर, सार्वजनिक स्थान पर या किसी स्थान पर थूकना या पेशाब करना सहित अनेक बातों को लेकर सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में 2006 में बनाया गया जो कानून था उसके तहत भी इस तरह के प्रावधान थे कार्यवाही करने

(श्री भंवरसिंह)

के लेकिन वह अमल में नहीं लाये गये और उसकी वजह से लोगों में जो एक वातावरण बनना चाहिए, जो एक भावना बननी चाहिए वो नहीं बन पायी और इस तरह के कृत्य लगातार होते रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इस तरह के कानूनों को प्रैक्टिकली लागू किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है जबकि पिछले समय में इस प्रकार के जनहित से जुड़े हुए और भी कई कानून हैं, जैसे पॉलीथीन को बंद करने का हो या पान मसाला या गुटखा आदि की बिक्री नहीं करने का कानून हो लेकिन यह तमाम जो कानून हैं इनकी सार्वजनिक तौर पर पालना नहीं की जाती है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हम यह कानून लेकर के आये हैं लेकिन इस कानून की जो मंशा है उसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छता हमारे समाज में अति आवश्यक है लेकिन शहरों में नगरीय क्षेत्रों में जो यह कानून बनाया जा रहा है, यदि गांव का कोई व्यक्ति शहर में आता है, सुबह से शाम तक वो शहर में रहता है तो उसे शौचालय की आवश्यकता होती है, क्या मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि शहर की हर जगह पर, हर सार्वजनिक स्थान पर या नगरपालिका, नगर परिषद या नगर निगम के, या बड़े शहर हैं तो वहां जो शौचालय आदि की आवश्यकता होती है, मैं समझता हूं कि अभी हमारे जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, उसकी वजह से व्यक्ति को कहीं न कहीं पेशाब आदि के लिए जाना पड़ता है और ऐसी परिस्थिति में यदि उस पर कोई मुकदमा किया जाता है या उसे सज़ा दी जाती है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा जहां-जहां भी शौचालय बनाये गये हैं उन शौचालयों की स्थिति भी इतनी संतोष जनक नहीं है क्योंकि वो शौचालय बनाने के बाद उनको चलाने का, उनका रख-रखाव, उनका मैनेजमेंट और उसमें पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती और कुछ समय बाद ही जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं वो बेकार हो जाते हैं और हमने प्राय: देखा है कि शौचालय के अन्दर जाने के बजाय व्यक्ति शौचालय के पीछे की तरफ जा कर के पेशाब आदि करना ज्यादा उचित समझता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले को भी ओ.डी.एफ. जिला घोषित किया गया है। बीकानेर के जिला कलक्टर को राज्य सरकार के द्वारा और केन्द्र सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है लेकिन अभी भी बीकानेर जैसे जिले में भी उनकी जो नगरपालिकाएं हैं, चाहे देशनोक है, चाहे डूंगरगढ़ है, चाहे नोखा है या बीकानेर नगर

(श्री भंवरसिंह)

निगम का क्षेत्र है, वहां पर भी इस प्रकार की जो पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, इस कानून को लाने के पीछे जो मंशा रखी गयी है, मैं समझता हूं कि वो आज तक उपलब्ध नहीं है।

जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के अनुपात में नगरीय क्षेत्रों में पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के जितने पद स्वीकृत हैं सभी नगरपालिका क्षेत्रों में, मैं समझता हूं कि उसके एक चौथाई पद भी अभी वर्तमान में भरे नहीं गये हैं। तो सबसे पहले तो नगरपालिकाओं में और स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भी भरा जाना चाहिए जिससे कि सरकार की इस मंशा को जो सरकार इस कानून के माध्यम से लागू करने जा रही है, उसको बल मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा विस्तृत समय नहीं लेकर के यही कहना चाहूंगा कि यह जो राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया गया है इसको कम से कम छह माह जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और जो स्थानीय निकाय हैं, जहां यह कानून लागू होगा वहां की परिस्थितियों को, वहां कितने सफाई के संसाधन उपलब्ध हैं, उन सब विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद में यदि संतोष जनक रिपोर्ट आती है तो उसके बाद इसको लागू किया जाए। उससे पहले छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया है।

विधेयक के अन्दर जो 297-क. सम्पत्ति के विरूपण के लिए शास्ति, इसके अन्दर थूकना या स्याही से लिखना, कलर से लिखना, पोस्टर, पैम्प्लेट लगाना, इस तरीके के काम को अपराध माना गया है और उसके लिए दो हजार, पांच हजार, बीस हजार तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है लेकिन पिछले दिनों गुटखा खाने पर, थूकने पर जिस तरह के कानून बनाये गये थे, किस-किस की अनुपालना हुई, क्या हुआ? लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर पारित करा कर कानून बनाने से ही कोई भी कार्य सफल नहीं होता है।

इसमें पाइप लाइन, मूर्ति, लोक सड़क, संरचना, पेड़ जो ऐसी चीजें दी गयी हैं, इनके लिए कम से कम नगर निगम, नगरपालिका यह एक शहर का महत्वपूर्ण अंग होता है जिस पर कि उस जगह का विकास निर्भर होता है, तो कोई ऐसा कानून बनाते। अभी नारे दे रहे थे, कह रहे थे स्वच्छ भारत, लेकिन वो ध्यान में होना चाहिए कि

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

निर्मल भारत का ही पर्यायवाची है। मैंने मंत्री महोदय को कई बार भी अवगत कराया कि यहीं पर, विधायकपुरी थाने के पीछे ही सरदारों की बस्ती में यह पाइप लाइन का आपने इसमें जिक्र भी किया है।

कितनी बार कहें, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। शायद मंत्रीजी के कहने से भी नगर निगम उनके आदेश की पालना नहीं कर पा रही है। वहां गंदगी इतनी हो रही है कि स्वच्छ भारत अगर देखना है तो वहां देखें, या फिर नजदीक ही विधान सभा से निकलते हुए अमरूदों के बाग़ में देखें। ऐसी चीजों के लिए अगर इसमें एक लाइन दी होती, जिक्र किया होता तो आपका जो नारा स्वच्छ भारत का है, वह सफल होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वह कानून से सुधारना चाहते हैं। अगर कानून ही बनाना है तो जो नगर निगम के अधीन आते हैं, उसके तहत किसी गरीब आदमी को फायदा मिले, किसी झोंपड़ी वाले को मिले, किसी मजदूर को मिले, इसका इसमें जिक्र करते तो ज्यादा अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय, सौन्दर्यीकरण की बात करते हैं। क्या कानून से सौन्दर्यीकरण हो जाएगा ? नहीं होगा। मंत्रीजी, इसमें जो लिखा है, उसके अलावा अगर कुछ और भी जोड़ते तो हम आपको धन्यवाद देते। इन चीजों को हटाकर के नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको आप एक बार चैक करवा लें, यहां पर ब्यूरोक्रेसी विराजमान है। साफ-सफाई के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए ध्यान ही देना है तो वो जो बस्तियां हैं, उनमें जाकर के एक नजर आप देख लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर इस विधेयक को 3 महीने के लिए परिचारित करने का विचार रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। (अनुपस्थित) श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017, मंत्री महोदय, आपकी जितनी हाइट है, उसके मुकाबले नियम तो छोटा है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाली 2-3 लाइन कहूंगा। एक तो आप दंड लगाने जा रहे हो, लेकिन जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की है क्या ? आपने सार्वजनिक स्थानों पर प्राकृतिक पीड़ा का हरण करने के लिए जो जगह बनाई जाती है, वह बनाई है क्या ? वह पीड़ा आदमी रोक नहीं सकता है। मेडिकल साइंस और आयुर्वेद इनमें कहा गया है कि, 'वेगात न धारियत', मतलब इस वेग को आप रोक नहीं सकते हैं। अब आपने लघु शंका को रोक दिया तो आपके किडनी की प्रोब्लम होगी, आपके स्टोन की प्रोब्लम होगी, इतने सारे दुखों का हरण कौन करेगा? अब आप इसमें दंड लगा रहे हो। दंड

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लगाने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों मंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय और अरबन डवलपमेंट मंत्री महोदय, इस बात को बहुत सीरियसली सुनिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों की गाड़ी में तो एक-एक पॉट जरूर रखवा दीजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक वास्तविकता है। इस चीज को हम एक नार्म्स में लाएं कि इतनी-इतनी दूरी पर आवश्यकतानुसार चीजें होनी चाहिएं। उसके बाद दंड का प्रावधान हो। अब आपने दंड लगा दिया और आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर राज नहीं होगा। अब कोई लघु शंका करता है तो आपके कर्मचारी ने उसको रोका, ओए, क्या कर रहा है? हजार रुपए दंड, चल, दे 500 रुपया। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अब वह 500 रुपए लेकर के उसको छोड़ देगा। इससे सरकार का तो नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आज जैसे कचरा डालने वाला विषय है, मोदीजी ने आज आह्वान किया और देश के युवाओं व जनता में एकदम स्व प्रेरणा जागी कि हमें कचरा सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालना चाहिए। इससे जागृति आई है। आप पहले यह भाव पैदा करो और उसके लिए जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करो।

दूसरा, विभागों का एकीकरण, अब आपकी नगरपालिका में टेलीफोन विभाग भी काम करता है। पीडब्ल्यूडी भी काम करती है। बिजली विभाग भी काम करता है। अगर कोई आपका डवलपमेंट होना है तो तीनों विभागों का एकीकरण होना चाहिए। सड़क बनाने से पहले टेलीफोन, इलेक्ट्रिक या पानी की पाइप लाइनें कितने साल पहले की हैं, 40 साल पहले की हैं, तो पहले वह करवाओ। इस तरह की कोई न कोई चीज आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका की संपत्ति या सरकारी संपत्ति, लेकिन इसमें हैरिटेज संपत्ति का संरक्षण अनिवार्य रूप से हो। जैसे जयपुर का परकोटा है, तो इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इन नियमों के माध्यम से, इन बातों का भी विचार करना चाहिए। केवल विकास की भी आवश्यकता नहीं है। हैरिटेज प्रोपर्टी का आज संरक्षण जरूरी है। इनका संरक्षण करते हुए हम विकास कैसे पैरेलल करें, इस बात की चिंता की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही निवेदन है कि इसमें कहीं न कहीं आपके कर्मचारी के माध्यम से छोटा-छोटा भ्रष्टाचार डवलप नहीं हो, उस बात की चिंता करके

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

इन नियमों को पारित करें। बस यही मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव मैंने दिया है, इसको वापिस लेने हेतु आपकी अनुमति चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्री के उत्तर तक तो रुकें। आपकी जो जिज्ञासा है, उसकी देखिए वह पूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): इसीलिए मैनें आपकी इजाजत के बाद चाहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया। (अनुपस्थित) श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजमान हैं और मैं आपके मार्फत एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज यह राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया गया है। जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस सदन में मेरे सामने अकेले नगरपालिका संशोधन के 3 विधेयक पड़े हैं। 3 विधेयक इस सदन के अंदर इसी सत्र में संशोधन के लिए आए हुए हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मोबाइल से सदन के अंदर फोटो ले सकते हैं क्या? रील बना सकते हैं, छूट है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, प्रतिबंध है। किसी ने इस प्रकार का कृत्य किया है क्या ?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सबको मालूम है कि सदन में ...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मोबाइल देख लिया जाए संसदीय कार्य मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से यह पूछ रहा हूं कि इस प्रकार का कृत्य किया है तो आप बता दें, वरना मेरे पास फुटेज हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किया है किसी ने? आप किसकी ओर इंगित कर रही हैं ? आप असत्य आरोप लगा रही हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मोबाइल लेकर के देख लीजिए।

एक माननीय सदस्य: किसका ?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके पीछे, हां, इनका देख लीजिए।

एक माननीय सदस्य: नारायण सिंहजी का।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इनका देख लीजिए। जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं। देख लीजिए, आप फुटेज निकालकर देख लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह मोबाइल भी दिखा देंगे। लेकिन अगर यह आक्षेप असत्य हुआ तो आप उनका मोबाइल ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सदस्य डिलीट कर रहे हैं। देख लीजिए। मुझे सदन के अंदर कोई असत्य बोलने का शौक नहीं है। असत्य बोलने का इतना शौक नहीं है। मैं तो पूछ रही हूं उपाध्यक्ष महोदय से कि क्या ले सकते हैं ? मैं जुर्म या अजुर्म नहीं कर रही हूं। मैं तो पूछ रही हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतने लोग सदन में बैठे हैं। सिर्फ उन्हीं की निगाहें उन पर क्यों थी ?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अब देखिए, वह डिलीट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डिलीट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों की निगाहें मिली कैसे, मेरा सवाल यह है? इनको कैसे मालूम कि वह क्या कर रहे हैं ?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): निगाहें तेज हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, +++

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, खासकर प्रधानमंत्रीजी जैसे व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय भी है और निन्दनीय भी है। इसको अपलिखित किया जाए। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 3 वर्ष के उपरांत मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां क्या-क्या चीज प्रतिबंधित है। मोबाइल से कोई भी इस प्रकार का कृत्य करना तो प्रतिबंधित है ही।

लेकिन मैं बाकी सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार आप आपस में बात करते रहते हैं। आसन ने भी संयम रखा हुआ है, जो सदस्य बोल रहे हैं, वे भी उतने ही सम्मानजनक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके वक्तव्य को ध्यान से सुनें। आप जिस प्रकार से आपस में वार्तालाप करते हैं, मुझे संशय है कि अगर मंत्री महोदय भी सही ढंग से वह समझ पा रहे हैं कि नहीं तो फिर मंत्री महोदय से हम उत्तर की क्या अपेक्षा करते हैं ?

मैं निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने इस प्रकार का काम किया है या कार्य किया

(श्री उपाध्यक्ष)

है, आइन्दा इस प्रकार का न हो प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय भी इस बात को अपने स्तर पर देख लें और संसदीय कार्य मंत्री आप भी इसको देख लें।

मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, कैबिनेट मंत्री महोदय सब विराजे हुए हैं, जो सदस्य बोल रहा है उसके बारे में, उसके वक्तव्य में हम आपसे कुछ चीज पूछ सकते हैं और अगर नहीं पूछेंगे तो हम उसके नियम बता देंगे अगर आपका उत्तर सही नहीं हुआ। अगर आपका उत्तर सही नहीं हुआ होगा तो आसन नियम बना देगा और नियम बहुत कठोर बनाएगा।

सम्माननीय सदस्य आप बोलें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित जो कर रहा था, इसी एक सत्र में, एक सत्र में एक विभाग द्वारा और अकेली राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2017 (संशोधन) के नाम से अभी तक तीन बिल आ चुके हैं और मेरी जानकारी में भविष्य में एक बिल और आने वाला है, इस तरीके से इस सदन का समय जाया करना और विभाग के द्वारा इतनी घोर लापरवाही करना कि एक सदन में, एक सत्र में, एक ही एक्ट में तीन बार संशोधन लेकर आना इतना गंभीर विषय है कि इस राजस्थान की जनता का और हमारे सदन का दुरुपयोग इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे गुजारिश करता हूं कि इनको प्रताड़ना दी जाए कि इस तरीके का बिहेव न करें, कोई नया बिल हो, कोई नया एक्ट लेकर आएं तो आएं लेकिन तीन बिल तो हमारे सामने इनके संशोधन के पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संशोधन बिल लेकर आएं हैं उसमें लिखा है कि विभाग से सम्बन्धित संसक्त विषयों पर विधियों को, जहां तक साध्य हो, एकल विधि में समामेलित करने हेतु राज्य सरकार की नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006, जिसका एक्ट में लिखा है, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, क्या इसको निरसित करने से अकेली नगरपालिका एक्ट में शामिल करने से राजस्थान की सारी सम्पत्तियां इस एक्ट का मूल उद्देश्य था कि राजस्थान की सम्पत्ति विरूपण अधिनियम है तो क्या राजस्थान के अन्य किसी भी स्थल नगरपालिका क्षेत्र से हटकर है, क्या उसको स्वच्छता की आवश्यकता नहीं, क्या सम्पत्ति विरूपण वहां नहीं होता है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में हमारी हैरिटेज की सम्पत्ति नहीं है, क्या सरकारी सम्पत्ति नहीं है, क्या वहां रास्ते नहीं हैं ? 2006 में यह विभाग सम्पत्ति विरूपण अधिनियम लेकर आया जो पूरे

(श्री मनोज कुमार)

राजस्थान में लागू था और आज आप इसको निरसन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र में रहेगा।

आपके माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्रजी मोदी का जो मूल उद्देश्य था कि स्वच्छता हो, सम्पत्तियों का विरूपण नहीं हो तो क्या राजस्थान प्रदेश में सिर्फ शहरी क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट का संशोधन जो निरसन करने का प्रस्ताव है, मैं कहना चाहता हूं कि दस साल में ना तो उस एक्ट की अनुपयोगिता हुई न उस एक्ट का उद्देश्य समाप्त हुआ तो फिर इस एक्ट को जो आज से दस वर्ष पहले लेकर आए थे उसको निरसन करने की इस विभाग को क्या आवश्यकता पड़ी ? दूसरा जिस तरीके से माननीय सदस्य, गुंजल साहब ने कहा, इस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई जो इन्होंने आज सज़ा बढ़ाने और जुर्माना बढ़ाने का जो प्रावधान किया था, क्या इस एक्ट में अब तक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में राजस्थान में कितने मुकदमें, कितनी कार्यवाही यह विभाग कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो उससे बिना आकलन उस मूल उद्देश्य के बिना भटके आपको सज़ा बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्योंकि उस अपराध का भय, अगर एक वर्ष की सज़ा में कोई मानता है या दो सौ रुपए के जुर्माने में मानता है तो उसको दो वर्ष, पाँच हजार या बीस हजार के जुर्माना करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सज़ा का जो प्रावधान है इसको भी कम किया जाए जिससे हमारा सिर्फ इतना ही मूल उद्देश्य है कि जनता में कानून का भय हो, हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए, सदन का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी को दंडित किया जाए, दंड से पहले इस दंड का भय उसके दिमाग में हो तब जाकर के वह इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि सज़ा वापस कम की जाए, इस पर भी आप संशोधन करने का विचार रखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर कहना चाहता हूं कि सरकारी कार्यालय, इस प्रदेश में जहां भी हैं, अगर वहां पर शौचालय है, चाहे आपका विद्यालय ले लीजिए, चाहे आपका बिजली विभाग ले लीजिए, आपका एसडीएम ऑफिस ले लीजिए, आपका तहसील ऑफिस ले लीजिए, इनके पास वहां सफाई कर्मचारी के नाम से एक भी व्यक्ति नहीं है। अगर उन शौचालयों की सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं है, इनके पास आर्थिक कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो सरकार के द्वारा उनको कोई बजट प्रावधान नहीं है उसके बावजूद कहते हैं कि सफाई कराओ, क्या वहां बैठने वाला तहसीलदार कराएगा? क्या वहां पर बैठने वाला एईएन, जेईएन कराएगा? एक्सईएन या कर्मचारी, सभी इतने अपने आपमें भयभीत हैं कि सम्मानित मंत्री महोदय यदि

(श्री मनोज कुमार)

कभी अपने विभाग का निरीक्षण करने चले जाएं, तो वह शौचालय से इतना डरते हैं कि शौचालय की कहीं न कह दे मंत्री महोदय कि शौचालय जाने लायक नहीं है तो कौनसी स्वच्छता की बात कर रहे हैं ? जिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिस सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार स्वयं नहीं कर रही तो उन मोदीजी को आप बार-बार स्वच्छता, स्वच्छता, स्वच्छता की बात कर रहे हो, आप किसी भी विभाग में जाकर देखिए और सरकारी सम्पत्ति के विरूपण की जो बात हो रही है, मैं कहता हूं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, उनकी चारदीवारी के जितने भी कॉर्नर है, वहां सबसे ज्यादा गंदगी आपको वह पान पराग खाने वाले हैं न उन्होंने वहां सारा का सारा विरूपण कर रखा है, आप नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर आप किसको रोकेंगे ? आम जनता को क्यों इस दंड के नाम से सज़ा के नाम से और आप कहते हैं कि शौच नहीं करेगा, थूक नहीं सकता तो आप ऐसे लोगों को दंडित करना चाहते हो, मैं कहता हूं कि सबसे पहले जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। आप यह बिल ला रहे हैं, लोग हमसे जवाब मांगेंगे, आपसे जवाब मांगेंगे कि आपके सरकारी कार्यालयों का क्या हाल है लेकिन आप उस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वहां भी व्यवस्था की जाए जहां सरकारी कार्यालय हैं, उनको या तो बजट का प्रावधान किया जाए या बजट का प्रावधान नहीं तो कर्मचारी की व्यवस्था की जाए जो वहां शौचालयों की और उसकी सफाई कर सके। विद्यालयों में तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हाल है कि अगर अध्यापक छात्र से झाड़ू लगवा ले तो अभिभावक जाकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे छात्रों से आप सफाई करा रहे हैं और अध्यापक जाकर अगर बीस कमरों में रोज सफाई करे तो शिक्षा कब देगा ? इसलिए वह सफाई अभियान में रहते हैं इसलिए उसके लिए भी व्यवस्था सरकार करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री महोदय, आपके अधीन में इस जयपुर शहर में हिंगोनिया गौशाला थी, उस गौशाला में आपके विभाग के द्वारा कम से कम हजारों गाएं मर गई, तीन वर्ष में लेकिन आपने उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया और गौशाला का निरीक्षण तक नहीं किया और विशेषकर गाय के नाम से राज करने वाले इनके अधीन विभाग होने के बावजूद इस प्रदेश की मुखिया ने आज तक निरीक्षण नहीं किया, मुखिया ने आज तक निरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी से गायों का क्या सम्बन्ध है?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): लेकिन इनके अधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: कम से कम गौ-माता को वहां तो छोड़ो आप। इसका उसे क्या मतलब ?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसी विभाग की है, नगरपालिका विभाग का संशोधन है और नगरपालिका विभाग के अधीन है हिंगोनिया गौशाला। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: बिल पर बोलें, डिफेसमेंट तक ही सीमित रखें न आप। अभी कई और संशोधन बिल आ रहे हैं तब आपको मौका मिल जाएगा अगर आप इसमें कहीं कुछ कहना चाहते हैं तो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर बात है क्योंकि इनके अधीन है और नगरपालिका संशोधन रखते हैं तो इसकी चर्चा हो रही है, प्रदेश की मुखिया उसका निरीक्षण जयपुर में होते हुए नहीं कर पा रही और बात करते हैं गायों की, बहुत बड़ी गायों की। हम गौ के रक्षक हैं, गौ की बहुत बात करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आपका यह विषय इससे आप जिन गायों की सेवा करने की बात कर रहे थे वह आप नहीं कर पाए और एक वर्ष हो गया, इनके बजट की आरयूआईडीपी के बजट की इन्होंने घोषणा की, स्वच्छता का, सीवरेज का मामला है और अभी तक एक कदम सरकार नहीं चली, आपका दूसरा बजट आने वाला है, आपका 8 मार्च, 2016 को बजट आया था और इतनी बड़ी गंदगी है, शहरी क्षेत्रों में और जहां-जहां नगरपालिका बनी हुई है, उन क्षेत्रों में अगर आप डिग्गियों के आसपास जो लोग निवास कर रहे हैं, एक तरफ आप स्वच्छता की बात कर रहे हो, वहां निवास करने वाले लोग जी नहीं पा रहे हैं, उनका जीना दूभर हो रखा है, इतनी ज्यादा गंदगी और इतनी बदबू है कि उसका नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है और एक वर्ष में यदि एक कदम भी आारयूआईडीपी में नहीं चले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से, जिस स्वच्छता की बात करना चाहते हो, जिस सम्पत्ति विरूपण की बात करना चाहते हैं उससे पहले लोगों का जीना दूभर हो रखा है, उस पर गंभीरता से विचार करो। आपने एक वर्ष पहले जो घोषणा की उसकी पालना करो।

(19.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में इनकी शिकायतें होने के बाद, सदन में रखने के बाद भी उनके भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं विशेषकर मेरी राजगढ़ नगरपालिका से संबंधित चर्चा करूंगा। मैं सदन में कह चुका है कि एक ईओ की पोस्ट पर एक सफाई निरीक्षक बैठा है। बाबू की पोस्ट पर होते हुए तीन वर्ष से बैठा है। लोकायुक्त ने आपके विभाग को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिख दिया, लेकिन आज तक आपके विभाग ने उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये संशोधन पर बोलें तो ठीक है। आप कहां-कहां घूमते जा रहे हैं पूरे नगरपालिका में।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह नगरपालिका से संबंधित है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए (व्यवधान) आप वकील हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप इस बात से घबराओ मत। आप भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवा रहे हो तो घबराओ क्यों? मत करो, लेकिन हमारा दायित्व तो हम पूरा करें। हम आपको आगाह तो करें कि आपके विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, किस तरीके की मानीटरिंग है। लोकायुक्त जैसे विभाग ने उनको दोषी मानकर आपको कॉपी भेज दी और फिर भी आप कार्यवाही नहीं करो, इसका मतलब आप भी भ्रष्टाचार में शामिल हो। ब्यूरोक्रेसी के साथ-साथ आप भी मिले हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनमत जानने के लिए परिचालित करने का तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु भेजा जाए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने-अपने विचार सबने रखे। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपकी परमिशन हो तो मैं कहूं। मैंने आज के 30 साल पहले एक नाटक देखा था "अदरक के पंजे"। उस नाटक में जो संचालक होता है, वह सबसे पहले स्टेज पर आता है और स्टेज पर आते ही वह बोलता है कि आप कुंआरे हो तो ऐसी लड़की से शादी करो जो घर को स्वर्ग और घर वाले को स्वर्गवासी बना दे। यही उद्देश्य इनका दिखता है। ये स्वच्छता की बात भी कर रहे हैं, सफाई की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कानून का विरोध भी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई हमने नया कानून नहीं बनाया। यह राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2006, 2006 का अधिनियम संख्या 13, को राज्य में 2006 में लागू किया गया था और उसके बाद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 का अधिनियम संख्या 18 को राज्य में दिनांक 11.9.2009 को लागू किया गया था। राज्य में एक ही विभाग से संबंधित विधियों को जो यथाशक्य साध्य हो, एक ही विधि में समामेलित करने की राज्य सलाहकार की नीति के अनुरूप राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के संख्या 13 में समामेलित करने का निर्णय हमने लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष रूप से राजस्थान नगरपालिका

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अधिनियम, 2009 में नया अध्याय 2(एल) जोड़ा जाकर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 की धाराओं को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 297(ए), 297(बी), 297(सी), 297(डी), 297(ई), एफ, जी, तथा एच के रूप में इसमें जोड़ा जा रहा है। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बी-चौड़ी बातें हैं, आप कहो तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो अपनी-अपनी बात यहां पर रखी, हमारा उद्देश्य आप सबको पता है किस भावना से हम इन दोनों कानूनों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी के स्वच्छता अभियान की भी बात की गयी, राजस्थान की हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजेजी सिंधिया, जो पिछले तीन वर्षो से लगातार इस राजस्थान को एक खूबसूरत राजस्थान बनाने का प्रयास कर रही हैं, स्मार्ट राजस्थान बनाने का प्रयास कर रही हैं जिसमें बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहर भी हो, छोटे कस्बे भी हों और छोटा शहर तथा कस्बा तभी स्मार्ट बन सकता है, खूबसूरत बन सकता है, जो कानून हमने बनाया है उस कानून की पालना हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय डोटासरा साहब ने सम्पत्ति की परिभाषा के बारे में बात कही, सज़ा के बारे में बात की, सज़ा का कानून हम इसमें जोड़ नहीं रहे हैं, यह पुराना ही जुड़ा हुआ है। अभी कोई नया इसमें कुछ नहीं जोड़ा है। एज इट इज हम इस कानून को लागू कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, हां, यह ठीक है आप कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने अभी अधिकारियों से भी जानकारी ली, मैं कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में इस कानून की पालना में कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसका प्रभाव भी पड़ा है। इसकी और जानकारी हम ले लेंगे, निश्चित रूप से इसकी जानकारी भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सुखरामजी विश्नोई ने 297 की क, ख में समान सज़ा की गयी है, अपराध का शमन करने की शक्ति नगरपालिका के प्राधिकृत अधिकारी को होगी, इसके बारे में इन्होंने बात की। जबकि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2006 विधान सभा में पहले ही पारित हो चुका है, उसके प्रावधानों की पुन: चर्चा करने का मैं सोचता हूं कोई औचित्य नहीं है। वही बात आपने कही है, कोई नयी बात आपने नहीं कही।

हनुमानजी बेनीवाल चले गए क्या ? हनुमानजी बेनीवाल यहां नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या कहा, क्या उसका जवाब दूं ? उन्होंने अन्य विषय जोड़कर कई बातें कही जिसका मैं सोचता हूं इससे कोई औचित्य नहीं है।

प्रहलादजी गुंजल ने भी इस कानून में एक वहम जो उनके मन में था कि सज़ा

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ इस कानून में नहीं है। पूरणमलजी सैनी ने भी 297 (ग) की आपने बात कही। माननीय सदस्य, धारा 297 (च) का अध्ययन आपने शायद ढंग से किया नहीं। आपने इसमें झोपड़ी के बारे में कहा कि झोंपड़ी नहीं बनेगी, छोटी कच्ची बस्ती भी नहीं बनेगी। इसके बारे में इस कानून में कहीं जिक्र नहीं, आप देख लो। हमने सिर्फ कहा है कि झोंपड़ियां कोई भी अच्छी चीज बनी हुई हो उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में यह कानून है। आपने कहा कि झोंपड़ी बनाने पर रोक लग गयी, कच्ची बस्ती बनाने पर रोक लग गयी। यही बात आपने कही है ?

माननीय भंवरसिंहजी ने शहरी क्षेत्र में शौचालयों की कमी की बात की है, हालांकि इस कानून से लेना-देना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान में जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे राजस्थान में चाहे वह गांव हो, शहर हो ओडीएफ करने का हम प्रयास कर रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय भी बना रहे हैं और मैं सोचता हूं हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा भंवरसिंहजी, मैं कहना चाहता हूं कि कोई देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब लाल किले पर 15 अगस्त को भाषण देता है तो स्वच्छता की बात करता है। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पूरे देश को ओडीएफ करने की बात करता है। पूरा विश्व इस बात की सराहना कर रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले भी माननीय चरणसिंहजी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने चर्चा की थी कि शौचालय होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत पहले की थी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मान ली आपकी बात, लेकिन चरणसिंहजी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इससे क्या है ? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होता है। कांग्रेस हो या कोई हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं की।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह कभी नहीं कहा कि शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपया मैं सरकारी फण्ड से दूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, यह भी बता दूं आपको, आपने कहा कि 7 जिलों को हमने ओडीएफ घोषित कर दिया, वहां आज भी 25 प्रतिशत लोग ऐसे ही घूम रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): धीरे-धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आपने तो कुछ भी नहीं किया, पूरे देश को गंदा कर दिया। सुधार आ रहा है इसमें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 2011 के सर्वे के मुताबिक जिनका लिस्ट में नाम हैं उनके शौचालय बने हैं। पूरा नहीं हुआ है।

श्री सुशील कटारा (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी): आप डूंगरपुर आकर देखो। एक भी वैसा बाथरूम नहीं मिलेगा। डूंगरपुर नगर परिषद आकर देखो एक बार।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या शकुन्तलाजी, जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या कानून आया है। इन्होंने कानून की तो बात की ही नहीं। हम दो कानूनों को मिलाकर एक कानून कर रहे हैं। पता नहीं, यह पाइप लाइन नहीं बिछी, पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे थे। मैं समझता हूं कि एक बार पूरा उसको पढ़ लेते तो आपको भी नहीं लगता कि दो कानूनों को एक नहीं कर रहे हैं।

माननीय शंकरसिंहजी राजपुरोहित ने एक शंका जाहिर की कि इस कानून को सख्ती से लागू किया गया तो लोगों को परेशानी होगी।

हम इस बात का प्रयास करेंगे कि इस कानून को सख्ती से लागू करना अलग चीज है लेकिन पहले अवेयरनैस लाकर लोगों को इस कानून की, वैसे तो हालांकि यह कानून बहुत पुराना है, जानकारी देकर इसका किस तरह स्वच्छता अभियान में ज्यादा से ज्यादा....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, वो प्रेशर वाला है वो तो ठीक है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मुझे पता नहीं है कि यह किडनी की बीमारी आप में से किस-किस को है लेकिन....

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिसको भी है वो मेरे पास आ जाना, मैं इलाज करवा दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप खुद का तो करा लो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मनोज कुमारजी ने कहा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी इनको टोका। हम तो दो कानून को एक करने की बात कर रहे हैं और ये पता नहीं कहां से कहां पहुंच गये। हिंगोनिया पहुंच गये, फिर नगर निगम में पहुंच गये और फिर बीकानेर पहुंच गये। पता नहीं कहां-कहां पहुंच गये लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मिल लेना, एक-एक चीज की जानकारी मैं आपको दे दूंगा और चाय भी पिलाऊंगा आपको।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही निवेदन करता हूं कि इस कानून को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए दो कानून को एक करके स्वच्छ भारत अभियान को एक महत्वपूर्ण मानते हुए बनाने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हल्का-फुल्का जुर्माना लगने के बाद आने वाले समय में यह राजस्थान एक खूबसूरत राजस्थान इस कानून के माध्यम से बनेगा और वसुंधरा जी का जो सपना है वो सपना पूरा होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 5 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

विधेयक का पारण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मुझे यह कहना है कि लागू करो तो लागू होना चाहिए। पहले प्लास्टिक का किया था और बड़े जोरों से किया था आप भी यहीं थे पर आज तक वो प्लास्टिक वहीं घूम रही है। थैली में डालकर सब्जी उसी में ले जा रहे हैं, नालियां भरी हुई हैं, गायें खाती फिर रही हैं इसलिए लागू कर दिया तो लागू होना ही चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पहले आपके ही लागू कराता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 08 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.14 बजे बुधवार, दिनांक 08 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली नगर परिषद क्षेत्र में भू-खण्डों का नियमन

165. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद पाली की किस-किस योजना क्षेत्र में कितने भूखण्डों पर कितने समय से कितने काबिज़ व्यक्तियों को नगर परिषद द्वारा मालिकाना हक अथवा विक्रय विलेख दिया जाना शेष है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिषद क्षेत्र में कितने भूखण्डों का कितने समय से विभिन्न न्यायालयों एवं विधिक प्रक्रिया में प्रकरण लंबित है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा पूर्व में उक्त परिषद क्षेत्र के कितने भूखण्डों की कितनी राशि वसूल कर नियमन करने की स्वीकृति जारी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त परिषद क्षेत्र के शेष बचे भूखण्डों से भी निर्धारित राशि वसूल कर नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली के योजना क्षेत्र में अतिक्रमण कर काबिज व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। अतिक्रमियों को मालिकाना हक अथवा विक्रय विलेख दिये जाने का वर्तमान में विभागीय स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) उक्त भूखण्डों में से न्यायालय एवं विधिक प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट अ में अंकित है।

(3) नगर परिषद पाली में दो भूखण्डों का नियमन किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बारां जिले में सहरिया परियोजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी

170. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले में सहरिया परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं आश्रम छात्रावास में प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मानदण्ड का भुगतान, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक की दर से नियमानुसार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त परियोजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना एवं ई.एस.आई. योजनाओं का लाभ देय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं आश्रम छात्रावास में दिन व रात में पृथक्-पृथक् चौकीदार कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त जिले में सहरिया परियोजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नाम, पदनाम व स्थान सहित सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावासों में प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से संविदा कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। सहरिया विकास परियोजना अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में खाना बनाने, सफाई कार्य, चौकीदारी आदि का सम्पूर्ण कार्य छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय की क्षमता अनुसार जोब बेसिस (Job basis) पर प्लेसमेन्ट ऐजेन्सियों को ऑन लाईन खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दरों पर दिया गया है।

सहरिया विकास परियोजना द्वारा किसी भी व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्लेसमेन्ट एजेन्सी के व्यक्तियों को भुगतान सम्बन्धित प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा ही किया जाता है। ऑन लाईन निविदा में रखी गई शर्त अनुसार श्रम विभाग राजस्थान/ केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्लेसमेन्ट एजेन्सी का है।

(2) सहरिया विकास परियोजना अन्तर्गत संचालित आश्रम छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. योजनाओं से सम्बन्धित लाभ देने का कार्य प्लेसमेन्ट एजेन्सी के स्तर पर किये जाने

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

से इस कार्यालय स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावासों में चौकीदारी का कार्य जॉब बेसिस पर प्लेसमेन्ट ऐजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है। दिन व रात में पृथक्-पृथक् व्यक्तियों द्वारा चौकीदारी का कार्य किया जा रहा है।

(4) बारां जिले में सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत संविदा कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। प्लेसमेन्ट ऐजेन्सियों द्वारा व्यक्तियों को स्थाई रूप से नियुक्त नहीं कर परिवर्तन किया जाता रहता है। वर्तमान में प्लेसमेन्ट ऐजेन्सियों से प्राप्त सूचना अनुसार उनके द्वारा लगाये कार्मिकों की सूची व स्थान का विवरण परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेतड़ी की ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

171. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खेतडी़ के ढाणी पौखला आईवाला, ग्राम डाड़ा, ढाणी कुलीयावाला, घाटीयाला, जोशीयाला, जोधावाला, कीरोंवाली, कुम्हारवाला एवं मियांवाला में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु मांग पर आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं नोर्म्स के अनुसार प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खेतडी में विभागीय आदेश क्रमांक 97946-58 दिनांक 25.07.2016 द्वारा 04 नवीन आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं -

1. मेघवाल बस्ती, ग्राम डाड़ा फतेहपुरा
2. ढाणी कुलियावाला, ग्राम संजय नगर
3. ढाणी घटीयाला, ग्राम कांकरिया
4. ढाणी जोशियाला, ग्राम गोठड़ा

ढाणी पौंखला आईवाल में पूर्व से ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। ढाणी जोधावाला, ढाणी किरोवाला, ढाणी कुम्हारवाला एवं ढाणी मीयावाला से मांग पर आधारित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

बंशीवाला मंदिर (नागौर) को विशेष दर्जा देने की योजना

172. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नागौर में सर्वधर्म का नगर सेठ नाम से प्रसिद्ध हिन्दुओं की आस्था-श्रद्धा, विश्वास के बंशीवाला मन्दिर को विशेष दर्जा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के चयनित प्रसिद्ध विशेष आस्था के हिन्दू मन्दिरों में विधायक मद से राशि आवंटित करने के मानदण्ड निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नागौर में सर्वधर्म का नगर सेठ नाम से प्रसिद्ध हिन्दुओं की आस्था-श्रद्धा, विश्वास के बंशीवाला मन्दिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है। यह मंदिर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है। इस प्रकार के किसी मंदिर/प्रन्यास को विशेष दर्जा देने का देवस्थान विभाग में कोई प्रावधान नहीं है एवं न ही कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्रों के चयनित प्रसिद्ध विशेष आस्था के हिन्दू मन्दिरों में विधायक मद से राशि आवंटित करने के मानदण्ड निर्धारित करने के संबंध में राजस्थान लोक न्याय अधिनियम, 1959 में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य स्तर पर ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जवाजा पंचायत समिति (ब्यावर) के गांवों में बीसलपुर का पानी पहुँचाने की योजना

173. श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा के 199 गांवों और 300 ढाणियों मजरों को बीसलपुर का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना का कार्य किस ठेकेदार को कब दिया गया व कार्य कितने समय में पूरा करना था और वर्तमान में कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार एवं अधिकारियों की लापरवाही से कार्य

(श्री शंकर सिंह)

समय पर पूर्ण नहीं हो सका ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये एवं दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पंचायत समिति जवाजा क्षेत्र की जनता को समय पर बीसलपुर का पानी उपलब्ध करवाने हेतु शेष रहे कार्य को अन्य चार कंपनियों से पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र, ब्यावर की पंचायत समिति, जवाजा के 199 ग्राम एवं 390 ढाणियों को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 231.46 करोड़ की जारी की गई थी । उक्त समिति के निर्णयों की संक्षिप्त सार की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) उक्त परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रॉ लिमिटेड, गुड़गांव को राशि रुपये 247.82 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 21.08.2013 को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार उक्त परियोजना दिनांक 30.08.2016 तक पूर्ण करनी निर्धारित थी। इस परियोजना का वर्तमान में 37 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है ।

(3) अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त पेयजल परियोजना के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी रखने एवं विभिन्न विवाद उत्पन्न करने के कारण परियोजना कार्यों में विलम्ब हुआ है। परियोजना के कार्यों की गति धीमी रखने एवं निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा अनुबंधक फर्म से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि रुपये 24.78 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपित की जाकर रोकी गई है।

अनुबंधक फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना के कार्यों की निर्धारित प्रगति नहीं देने के कारण विभागीय वित्त समिति की 708वीं बैठक दिनांक 08.09.2016 द्वारा निर्णय लिया जाकर अनुबंध के क्लॉज-2 एवं 3 के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.09.2016 को कार्य रिसाइण्ड किया जा चुका है।

(4) पंचायत समिति, जवाजा हेतु स्वीकृत उक्त वृहद् पेयजल परियोजना के शेष रहे कार्यों को पूरा कराने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 23.12.2016 को आमंत्रित की गई निविदा में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्ट्रीट वेंडर एक्ट की पालना हेतु कमेटियों का गठन

174. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शहरी सड़क विक्रेता की सामाजिक सुरक्षा तथा आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पारित स्ट्रीट वेंडर एक्ट की पालना हेतु सरकार को कब तथा क्या-क्या निर्देश मिले ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त एक्ट के अनुसार सरकार की नगर इकाइयों जैसे नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाओं को कमेटियों का गठन करना था, जो शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए जोन का निर्धारण कर सके ? यदि हां, तो क्या प्रदेश की नगर इकाइयों द्वारा कमेटियों का गठन कर लिया गया व नहीं, तो कब तक कर लिया जाएगा ?

(3) उक्त एक्ट की पालना हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाए गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शहरी सड़क विक्रेता की सामाजिक सुरक्षा तथा आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पारित स्ट्रीट वेंडर एक्ट की पालना में ''राजस्थान स्ट्रीट वेण्डर्स (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016'' अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 2016 से लागू कर दिया गया है। जिसके तहत राज्य की सभी नगर निकायों में पथ विक्रेताओं के सर्वे का कार्य जारी है।

(2) ''राजस्थान स्ट्रीट वेण्डर्स (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016'' के तहत राज्य की सभी नगर निकायों में टाउन वेण्डिंग कमेटियों का गठन किया जा रहा है, अभी तक कुल 144 नगर निकायों में कमेटियों का गठन किया जा चुका है। जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। शेष नगर निकायों में आगामी तिमाही में कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा। शेष रही निकायों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) ''राजस्थान स्ट्रीट वेण्डर्स (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016'' के तहत अभी तक कुल 129 नगर निकायों में स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे सम्पादित किया जा चुका है। सभी नगर निकायों में टाउन वेण्डिंग कमेटियों का गठन किया जा रहा है। अभी तक कुल 144 नगर निकायों में कमेटियों का गठन किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुजानगढ़ के गांवों को निगम बस सेवा से जोड़ने की योजना

175. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के कौन-कौनसे गांव वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा से जुड़े हुए हैं व कौन-कौनसे गांव वंचित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जुड़े व वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की निगम सेवा से जुडे व वंचित ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है ।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के निगम बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को फिलहाल जोड़ने का कोई विचार नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

176. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की कितनी-कितनी संख्याएं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को देय सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में अनुसूचित जाति के 2 एवं अनुसूचित जनजाति का 1 राजकीय छात्रावास संचालित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	लाभान्वित संख्या
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास टोडारायसिंह	एससी	35	33
2	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास मालपुरा	एससी	50	48
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मालपुरा	एसटी	85	85
योग			170	166

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के तीन पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक पद रिक्त है। विभाग द्वारा रिक्त छात्रावास अधीक्षक के पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर को भिजवा दी गई। बोर्ड द्वारा दिनांक 18.12.2016 को इस पद की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

(3) उक्त छात्रावासों में बच्चों के खाने पीने, नहाने, पहनने एवं अन्य कार्यों पर प्रति छात्र प्रतिमाह 2000 रुपये का व्यय किया जाता है। जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी संस्थाओं को बी.एम.सी. उपलब्ध कराने की योजना

177. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं/ व्यक्तियों को बी.एम.सी. (बल्क मिल्क कूलर) दुग्ध अवशीतन केन्द्र/प्लांट उपलब्ध करवाये जाते हैं ? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में प्रदेश में किस-किस जिले में कितनी-कितनी बी.एम.सी. स्वीकृत की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में आरसीडीएफ से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों में जिलेवार बी.एम.सी. हेतु प्राप्त आवेदन व स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सी.ए.डी. सर्वे से वंचित रकबों का पुन: सर्वे

178. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या इंदिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र में बहुत से काश्तकारों को वर्तमान में मौके पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है, लेकिन सी.ए.डी. के सर्वे में उक्त रकबा दर्ज नहीं है ?

(2) क्या सरकार सी.ए.डी. सर्वे से वंचित रकबे का पुन: सर्वे करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

अरावली पर्वत श्रृंखला के आस-पास अवैध खनन रोकने की कार्यवाही

179. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन कार्य बंद करने के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में अरावली पर्वत श्रृंखला की सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो सर्वे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में वर्तमान में भी अरावली पर्वत श्रृंखला के आस-पास खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2002 के पश्चात् अरावली पर्वत श्रृंखला में स्वीकृत की गई खानों में आदेश दिनांक 08.04.2005 तथा जिन खनन पट्टों के नवीनीकरण आवेदन पत्र लम्बे समय से लम्बित थे, उनमें दिनांक 19.02.2010 से खनन कार्य बन्द कराने के आदेश दिये हैं । पारित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां। यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.02.2010 से अरावली पर्वत श्रृंखला का सीमांकन-सर्वे करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण को आदेश दिया था। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा सर्वे कार्य कर रिपोर्ट सीधे ही माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई है जिसकी प्रति राज्य सरकार के पास

(राज्य मंत्री, खान)

उपलब्ध नहीं है ।

(3) राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के आस-पास पट्टाधारियों द्वारा स्वीकृत खनन पट्टों में खनन कार्य किया जा रहा है । ऐसे क्षेत्र जहां पर खनन पट्टे स्वीकृत नहीं हैं, वहां से अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित खनिज अभियन्ता/सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा अवैध खनन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में आंगनबाड़ी सहयोगिनियों के रिक्त पद

180. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्मिकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कार्मिक उक्त केन्द्रों पर कार्यरत हैं तथा उनको कितना-कितना मानदेय दिया जा रहा है ? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कार्मिक कब से कार्यरत हैं तथा उनको कितना मानदेय दिया जा रहा है ? ग्राम पंचायतवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी सहयोगिनी के पद कब से रिक्त हैं व क्यों ? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहयोगिनियों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 60666 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 54936 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 5730 मिनी आंगनबाडी केन्द्र हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा सहयोगिनी मानदेयकर्मी श्रेणी के कार्मिक

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

कार्यरत हैं। मानदेय कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेयकर्मियों की सूचना एवं दिये जाने वाले मानदेय का विवरण ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आंगनबाड़ी सहयोगिनी के रिक्तों पदों का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। आंगनबाड़ी सहयोगिनियों का चयन आयोजित ग्राम सभा द्वारा चयन किया जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। विभागीय पत्रांक 911 दिनांक 19.09.2011/ 1 दिनांक 02.01.2012/ 20 दिनांक 02.01.2013/ 170 दिनांक 17.02.2014/ 240 दिनांक 21.03.2014/ 334 दिनांक 26.05.2014 एवं 657 दिनांक 16.10.2014 द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु निर्देशित किया गया। समय-समय पर आयोजित ग्राम सभा में भी पदों को भरने हेतु प्रयास किया गया।

(5) आंगनबाड़ी सहयोगिनियों का चयन आयोजित ग्राम सभा द्वारा चयन किया जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। विभागीय पत्रांक 911 दिनांक 19.09.2011/ 1 दिनांक 02.01.2012/ 20 दिनांक 02.01.2013/ 170 दिनांक 17.02.2014/ 240 दिनांक 21.03.2014/ 334 दिनांक 26.05.2014 एवं 657 दिनांक 16.10.2014 द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु निर्देशित किया गया। समय-समय पर आयोजित ग्राम सभा में भी पदों को भरने हेतु प्रयास किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर के गांवों में आर.ओ. प्लांट की स्वीकृति

181. श्रीमती अनीता (नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगर के बेला, सुन्दरावली, खखावली, सीकरी परमंदरा व अन्य गांवों में आर.ओ. प्लांट स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर एवं 116 ग्रामों में क्रमश: 2 एवं 116, इस प्रकार कुल 118 आर.ओ. संयंत्रों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु वर्ष 2013 से वर्ष 2017 के मध्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई ।

उक्त स्वीकृति अंतर्गत ग्राम सुन्दरावली, खखावली, सीकरी चक नं. 1, सीकरी चक नं. 2 एवं परमदरा प्रत्येक में एक-एक, इस प्रकार कुल 5 आर.ओ. संयंत्रों का

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

निर्माण कार्य सम्मिलित है । इस स्वीकृति के विरुद्ध ग्राम खखावली, सीकरी चक नं. 1 एवं सीकरी चक नं. 2 में ये संयंत्र निर्माण उपरान्त चालू किये जा चुके हैं तथा ग्राम सुन्दरावली में निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसे मार्च, 2017 में चालू करना अपेक्षित है । ग्राम परमदरा सहित जिला भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली में 146 आर.ओ. संयंत्रों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु दिनांक 16.01.2017 को कार्यादेश जारी किया गया है तथा कार्यादेश अनुसार उक्त कार्य दिनांक 25.01.2018 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

ग्राम बेला में आर.ओ. संयंत्र के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार की जाकर इसका क्रियान्वयन किया जायेगा ।

विधान सभा क्षेत्र नगर में उक्तानुसार स्वीकृत 118 संयंत्रों के निर्माण हेतु कार्यादेश उपरान्त 91 संयंत्र चालू किये जा चुके हैं एवं शेष 27 संयंत्रों को चरणबद्ध रूप से माह जनवरी, 2018 तक चालू करना अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर नगर विकास न्यास को प्राधिकरण बनाने की योजना

182. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नगर विकास न्यास भरतपुर को भरतपुर विकास प्राधिकरण में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास, भरतपुर को भरतपुर विकास प्राधिकरण में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है। प्राधिकरण में क्रमोन्नत करने का निर्णय नगर विकास न्यास के पास उपलब्ध संसाधन, वित्तीय स्थिति व आवश्यकता के मद्देनजर लिये जाते हैं।

पोकरण उपखण्ड मुख्यालय में जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना

183. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय पोकरण पर जिला परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। सुराज संकल्प 2013 की घोषणाओं के अंतर्गत 1 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन वाले उपखण्डों पर जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने का प्रावधान रखा गया है। पोकरण उपखण्ड क्षेत्र में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 13519 है जो 1 लाख से कम है, जिससे विधानसभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय पोकरण पर वर्तमान में जिला परिवहन कार्यालय खोलने का विचार नहीं है। सुराज संकल्प की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अनु.जाति/जनजाति के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

184. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजातियों के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में पिछड़े वर्गों को शिक्षण हेतु छात्रावासों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश में वर्तमान में कितने छात्रावास निर्माणाधीन हैं ? पंचायत समिति व जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि छात्रावासों में प्रवेश के समय प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाती है ? यदि हां, तो कितने समय के लिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजातियों के उत्थान के लिये योजनायें बनाई गई हैं, योजना का आरंभ वर्षवार विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	नाम योजना
1	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु छात्रावास योजना
2	राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा संचालित बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग योजना
3	अत्याचार निवारण योजना
4	आवासीय विद्यालय योजना
5	सम्बल ग्राम विकास योजना
6	अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

7	अनुप्रति योजना
8	पालनहार योजना
9	सहयोग योजना
10	डा. सविता अम्बेडकर अन्तर जातीय विवाह योजना
11	मुख्यमंत्री नि:शुल्क कोचिंग योजना

योजनाओं का विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में पिछड़े तबकों को शिक्षण हेतु छात्रावासों का निर्माण किया गया है। निर्माणाधीन छात्रावासों का पंचायत समिति/नगर निकाय व जिलेवार विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। यह सही है कि छात्रावास में प्रवेश के समय प्रतीक्षा सूची रखी जाती है, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के वरीयता अनुक्रम में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत प्रथमत: 50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक-बालिकाओं को अवरोही क्रम में प्रवेश दिया जाता है। तदुपरान्त 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को अवरोही क्रम में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रावधान संबधी दिशा निर्देश परिशिष्ट स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कालाडेरा (जयपुर) में पशु आहार संयंत्र की स्थापना

185. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कालाडेरा ग्राम में जयपुर डेयरी द्वारा पशु आहार प्लांट प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्लांट में कितनी लागत आई ? प्लांट निर्माण का कार्य किस फर्म से कराया गया ? कार्य कराने की प्रक्रिया व शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्लांट में जयपुर डेयरी के अलावा कई ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा भी हिस्सा राशि दी गयी है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम दुग्ध सहकारी समिति के द्वारा कितनी-कितनी राशि ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा ग्राम कालाडेरा में 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के पशु आहार संयंत्र की स्थापना की गई है।

उक्त संयंत्र की अनुमानित लागत रुपये 41.23 करोड़ थी जिसके विरुद्ध एन. डी.

(डेयरी मंत्री)

डी. बी. द्वारा प्रेषित व्यय विवरण (Expenditure Statement) के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक रुपये 35.95 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) से प्लांट निर्माण का कार्य कराया गया। कार्य कराने की प्रक्रिया व शर्तें परिशिष्ट- क, ख, ग एवं घ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से हिस्सा राशि नहीं लेकर उनसे ऋण स्वरूप सहयोग राशि प्राप्त की गयी है, जिसका समितिवार विवरण परिशिष्ट- ड़ पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर कैनाल में पंजाब से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग

186. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्री गंगानगर जिले की गंगनहर कैनाल में जनवरी व फरवरी, 2017 में कितना क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया ?

(2) गंगनहर का Pre-Partition Share जो पंजाब की नदियों से मिलने का तयशुदा हिस्सा था, वह कितने क्यूसेक था ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता, हनुमानगढ़ द्वारा सदैव जनवरी-फरवरी माह में गंगनहर के लिए 2000 से 2200 क्यूसेक पानी पंजाब से मांगा जाता था, जो कि इस बार सिर्फ 1200 क्यूसेक पानी की मांग ही पंजाब से की गयी है ? यदि हां, तो गंग कैनाल क्षेत्र में पानी की कटौती किए जाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सात लाख एकड़ भूमि में फसल बुवाई के लिए उन्हें उपलब्ध पानी की मात्रा बहुत कम है और फसल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या इस मात्रा में बढोतरी की जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिए पानी की मात्रा को उनके Pre-Partition Share तक बढाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले की गंगनहर प्रणाली में इस वर्ष जनवरी-फरवरी, के दौरान औसतन क्रमश: 1600 क्यूसेक, 1800 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाया गया।

(2) गंगनहर का Pre-Partition Share अन्तर्गत पंजाब की नदियों से फिलिंग अवधि के लिए 0.501 एम.ए.एफ. (औसतन 2036 क्यूसेक प्रतिदिन) एवं डिपलीशन अवधि के लिए 0.609 एम.ए.एफ. (औसतन 1258 क्यूसेक प्रतिदिन) मिलना तय था।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) जी नहीं। वर्ष 2015 एवं 2016 में भी जनवरी में 1200 से 1400 क्यूसेक एवं फरवरी में 1300-1800 क्यूसेक पानी निर्धारित था तथा वर्ष 2017 में भी जनवरी में 1200 से 1400 क्यूसेक एवं फरवरी में 1800 क्यूसेक पानी निर्धारित किया गया। इस प्रकार गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष पानी में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गयी है।

(4) जी नहीं। गंगनहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र हेतु प्रचलित नोर्म्स अनुसार फसल बुवाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से इसे बढ़ाया जाना विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में गंगनहर प्रणाली हेतु निर्धारित Pre-Partition Share तक पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

मकराना में बापी खानों को पुन: चालू कराने की योजना

187. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मकराना में खानों का आवंटित क्षेत्रफल समान नहीं होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में है ? यदि हां, तो वर्तमान में किन-किन खानधारियों के पास कितने-कितने क्षेत्रफल की खानों का आवंटन किया हुआ है तथा मकराना, बिदियाद, मोरेड व गुणावती क्षेत्र में कितनी-कितनी खानें आवंटित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो खानों के बीच में एक छोटा क्षेत्रफल सुरक्षित रखा गया था जिसे स्थानीय भाषा में डॉट कहते हैं, उस क्षेत्रफल में खनन कार्य निषेध था ? यदि हां, तो इन खानों के बीच में कितना क्षेत्रफल डॉट के लिए छोड़ा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि खानधारियों द्वारा आरक्षित जमीन पर अवैध खनन कर सुरक्षा की दृष्टि से रखी गई डॉट को नुकसान पहुंचाकर करोड़ों की राशि का पत्थर खनन किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में गत 10 वर्षों में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कितनों की जांच की तथा शिकायत सही पाई जाने पर खानधारक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वर्तमान में बन्द रियासतकालीन बापी पट्टे की खानों को चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मकराना में खानों का आवंटित क्षेत्रफल समान नहीं

(राज्य मंत्री, खान)

होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में है। मकराना में स्वीकृत खानों का विवरण क्षेत्रवार मय क्षेत्रफल परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। उक्त परिशिष्ट में संलग्न सूची में मकराना, बिदियार मोरेड, गुणावती में आवंटित क्षेत्रों का विवरण भी है।

(2) जी हां। उक्त खानों में से कुछ खानों में खानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो खानों के स्वीकृत क्षेत्र के बीच एक छोटा क्षेत्रफल सुरक्षित रखा गया है जिसे स्थानीय भाषा में डॉट कहते हैं तथा उक्त क्षेत्र में खनन कार्य निषेध है जिन खानों के बीच में क्षेत्रफल डॉट के लिये छोड़ा गया है उनका विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है ।

(3) जी नहीं। कार्यालय खनि अभियन्ता, मकराना में आरक्षित जमीन पर अवैध खनन कर सुरक्षा की दृष्टि से रखी डॉट को नुकसान पहुंचाकर खनन कार्य करने की कोई शिकायत पिछले 10 वर्षों में प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) जी हां। सरकार वर्तमान में बन्द रियासतकालीन बापी पट्टे की खानों को चालू करवाने का विचार रखती है। ऐसी बापी खानें जिनमें सक्षम न्यायालय बापी अधिकार घोषित किए गए हैं, न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं तथा न्यायालय के आदेश को विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गई है उनमें क्वारी लाईसेन्स जारी करने हेतु निदेशालय द्वारा परिपत्र दिनांक 14.02.2017 जारी किया गया है जो परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। क्वारी लाईसेन्स जारी होने के पश्चात् ऐसी बापी खानों में खनन कार्य आरम्भ हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में व्यय राशि

188. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितना प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं उस पर राज्य के कुल खर्च की कितनी प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 से 2003-04, 2004-05 से 2008-09 से दिसम्बर, 2016 तक कुल राज्य योजना की कितनी प्रतिशत राशि का जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए व्यय किया गया ? वर्षवार व मदवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनजाति क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है ? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रही ? यदि

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तो क्यों एवं आगे के लिये कौन से सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6,85,548,437 है जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 92,38,534 है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति की कुल जनसंख्या 73.17 प्रतिशत है।

वर्ष 2106-17 में राज्य के कुल बजट प्रावधान 9969330.47 लाख रु. में से 1433341.45 लाख रु. जनजाति प्रवाह के रूप में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में व्यय हेतु प्रावधान किया गया है जो राज्य योजना का 14.38 प्रतिशत है विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1998-99 से 2003-04, 2004-05 से 2008-09 से दिसम्बर, 2016 तक कुल राज्य योजना की राशि का जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये किया गया व्यय प्रतिशत निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय प्रतिशत
1998-99 से 2003-04	7.26
2004-05 से 2008-09	8.88
2009-10 से 2013-14	11.90
2014-15 से 2016-17 (दिसम्बर 16 तक)	12.74

वर्षवार व मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(3) संबंधित विभागों द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग किया जा रहा है। राज्य योजना अन्तर्गत जनजाति उपयोजना मद हेतु राशि विभिन्न विभागों को उनके बजट मद में ही प्राप्त होती है एवं विभागीय बजट को उनके द्वारा व्यय किया जाकर उपब्धियाँ हॉसिल की जाती हैं। जनजाति उपयोजना हेतु व्यय भी उनके द्वारा किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है। संबधित विभागों द्वारा जनजाति उपयोजना मद में वर्ष 2013-14 से 2015-16 में भौतिक उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट- स पर संलग्न है। जनजाति उपयोजना के व्यय की समीक्षा संबंधित विभाग द्वारा अपने स्तर पर एवं आयोजना विभाग द्वारा भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा भी समीक्षा की जाती है। हाल ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा समीक्षा कर व्यय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

189. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने आंगनबाडी़ केन्द्र निजी भवन में संचालित हैं ? क्या सरकार सरकारी भवन विहीन आंगनबाडी़ केन्द्रों को भूमि आवंटित कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बेटी बचाओ व पढ़ाओ प योजना से झुंझुनूं जिले का लिंगानुपात सुधरा है ? यदि हां, तो कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में 02 परियोजनाएँ क्रमश: उदयपुरवाटी एवं झुंझुनूं शहर संचालित है, जिनमें परियोजना उदयपुरवाटी के अन्तर्गत 215 आंगनबाडी केन्द्रों में से 24 तथा परियोजना झुंझुनूं शहर के अन्तर्गत 08 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 05 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। किराये के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(2) बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना से झुंझुनूं जिले में जन्म पर शिशु लिंगानुपात में सुधार हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनूं जिले का शिशु लिंगानुपात 837 था। जनवरी, 2017 तक पीसीटीएस के डाटा के अनुसार झुंझुनूं जिले का जन्म लिंगानुपात 947 है। जन्म पर लिंगानुपात का पीसीटीएस डाटा विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास

177. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माडा योजना एवं अन्य योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल कितने छात्रावास संचालित हैं ? उनमें से जैसलमेर जिले में कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित/ प्रक्रियाधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सरकार द्वारा एक भी छात्रावास संचालित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत एवं अन्य योजनाओं में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा माडा क्षेत्र में 61 व बिखरी क्षेत्र में 19 (बालक/बालिका) आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जैसलमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा 12 राजकीय एवं 1 अनुदानित कुल 13 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में जनजाति समुदाय के बालक - बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में ग्राम जेठवाई में एक नवीन छात्रावास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इस छात्रावास को अगले शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ करने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जैसलमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा 12 राजकीय एवं 1 अनुदानित कुल 13 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में जनजाति समुदाय के बालक-बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में ग्राम जेठवाई में एक नवीन छात्रावास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से इसे प्रारम्भ करने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कृषकों को विद्युत कनेक्शन में अनुदान

178. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीरसिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कौन-कौन से जिलों में कितने-कितने किसानों के आवेदन अनुदान हेतु प्राप्त हुए व सरकार द्वारा कितने किसानों को अनुदान दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना का लाभ केवल जनजातीय उप योजना क्षेत्र में ही दिया जा रहा है या अन्य जिलों में भी दिया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) अनुसूचित जनजाति के किसानों को सामान्य जिलों में कृषि कनेक्शन हेतु क्या कोई वरीयता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नियम में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मार्फत प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त 500.00 लाख की राशि प्रतापगढ़ जिले के लिये उपलब्ध करवाई गई है।

(2) उक्त योजना का लाभ राशि की उपलब्धता के अनुसार केवल जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्तमान में दिया जा रहा है।

(3) वर्तमान में प्रचलित कृषि नीति के अनुसार राज्य में केवल चिन्हित टी.एस.पी. (ट्राईबल सब प्लान) क्षेत्रों में निवास कर रहे जनजाति समुदाय एवं सहरिया क्षेत्र के जनजाति समुदाय के कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन में तुरन्त प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं ।

सिकराय के गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना

179. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में कितनी जनसंख्या वाले गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के मानदण्ड निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में गत 3 वर्षों में कितने गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मानदण्डों में आने वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक तथा मरू व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की बसावटों/समूह बसावटों को डामर सड़क से जोड़े जाने का मानदण्ड है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में गत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 23 सड़कों से 98 बसावटों को डामर सड़क से जोड़ा गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिकराय सामान्य क्षेत्रान्तर्गत आता है एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर 500 व उससे अधिक आबादी के 42 पात्रता रखने वाले स्वीकृत गांवों में से 41 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है तथा 01 गांव मीनावाला (780) जिसकी स्वीकृति वर्ष 2005-06 में प्राप्त हुई थी, परन्तु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए निगम की अधिक बसों का संचालन

180. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के लिए जयपुर से राजस्थान पथ परिवहन की कितनी बसें कब-कब संचालित की जा रही हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर यात्री भार को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों की हर क्षेत्र में आपस में कनेक्टिविटी पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे बेहतर बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के लिये जयपुर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित हो रही बसों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(2) निगम वाहनों को उपलब्ध हो रहे यात्रीभार एवं निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

(परिवहन मंत्री)

(3) सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से निम्न मार्गों पर निगम बस सेवाएं उपलब्ध हैं :-

1. सवाई माधोपुर से टोंक वाया उनियारा
2. सवाई माधोपुर से जयपुर वाया बौंली
3. सवाई माधोपुर से जयपुर वाया लालासोट कोथून
4. सवाई माधोपुर से जयपुर वाया मित्रपुरा
5. सवाई माधोपुर से जयपुर वाया दौसा
6. सवाई माधोपुर से दिल्ली वाया दौसा अलवर
7. सवाई माधोपुर से श्योपुर
8. सवाई माधोपुर से कोटा वाया इन्द्रगढ़, लाखेरी

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पीपीपी मोड़ पर निम्न मार्गों पर ग्रामीण परिवहन सेवाएं संचालित हैं :-

1. सवाई माधोपुर से चौथ का बरवाड़ा वाया महापुरा
2. सवाई माधोपुर से ऐन्डा वाया शेरपुर कुन्डेरा
3. सवाई माधोपुर से भगवतगढ़ वाया सुरवाल
4. सवाई माधोपुर से भगवतगढ़ वाया जोलाकावड़
5. सवाई माधोपुर से ओलवाड़ा

इस प्रकार सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र को आपस में कनेक्टिविटी के लिये निगम की पर्याप्त मार्गों पर सेवाएं उपलब्ध हैं तथा निगम के सीमित संसाधनों के कारण अतिरिक्त सेवाएं संचालन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर के सड़कों से वंचित ग्रामों को सड़क से जोड़ने की योजना

181. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कई ग्राम सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के 100 से 249 की आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो पूर्व में स्वीकृत उक्त क्षेत्र के गांवों को अब तक सड़कों से नहीं जोड़ने के क्या कारण रहे ?

(डा. फूल चन्द भिण्डा)

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में जनगणना 2001 के अनुसार कुल 125 गांवों में से 7 गांव डामर सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार 134 गांवों में से 10 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं।

इन ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में 100 से 249 आबादी वाले ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में 100 से 249 आबादी के ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

किशनगढ़बास की ग्राम पंचायत को निगम बस सेवा से जोड़ने की योजना

182. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सुविधा से जुड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के 22 ग्राम पंचायत मुख्यालय को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सुविधा से जोड़ा हुआ है जिनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के निगम बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल जोड़ने का कोई विचार नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहाबाद में गारण्टी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कें

183. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद में कितनी सड़कों हेतु निविदाएं जारी हुई एवं कितने कार्यों हेतु स्वीकृति जारी की गई ? इनमें से कितने कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो गये और कितने अपूर्ण रहे ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्षों में आमंत्रित निविदाओं की कार्य स्वीकृति किस-किस फर्म को जारी की गई एवं आबंटित कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों का कितना-कितना भुगतान कर दिया गया है ? कितने कार्य ऐसे हैं, जिनका अपूर्ण होने के बाद भी पूर्ण या आंशिक भुगतान कर दिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं, जो गारण्टी अवधि में ही क्षतिग्रस्त/पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं ? क्या उनमें घटिया सामग्री का उपयोग होना पाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद, जिला बारां में 61 सड़कों हेतु निविदाएँ जारी की गई एवं 55 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई। 6 कार्यों की स्वीकृति 3 वर्ष पूर्व जारी की गई थी। इन कार्यों पर वन विभाग की आपत्ति के कारण कार्य नहीं हो पाया था, जिसकी पुन: निविदा 12 अप्रेल, 2017 को प्राप्त की जायेगी। एक कार्य वन क्षेत्र में होने के कारण निविदा प्राप्त नहीं की गई व 54 कार्यों में से निर्धारित अवधि में 10 कार्य पूर्ण हो गये, 22 कार्य अपूर्ण रहे जो प्रगतिरत हैं। शेष 22 कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) गत 3 वर्षों में आमंत्रित निविदाओं में कार्य स्वीकृति की फर्म का नाम एवं आवंटित कार्यों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) स्वीकृत कार्यों में किये गये भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों पर आंशिक भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका अपूर्ण होने के उपरान्त भी पूर्ण भुगतान किया गया है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गारण्टी अवधि में एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई, पूर्ण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रूप से समाप्त कोई सड़क नहीं हुई है एवं उक्त सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग होना पाया गया है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल के खराब मीटर बदलने की योजना

184. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के शहरी इलाकों में कितने पेयजल उपभोक्ताओं को मीटर खराब होने के कारण फ्लेट रेट से बिल दिया जा रहा है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूली के उपरान्त भी सरकार द्वारा उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो प्रतिमाह सर्विस चार्ज के रूप में प्राप्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने की स्थिति में फ्लेट रेट से जल विपत्र (बिल) नहीं दिये जाते हैं अपितु, राजस्थान जल प्रदाय नियम, 1967 के नियम 22 के अनुसार विगत जल उपभोग की गणना के आधार पर जल विपत्र दिये जाते हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं । प्रदेश के केवल शहरी जल उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज राज्यादेश दिनांक 05.11.2015 के बिन्दु संख्या 10 में वर्णित राशि के अनुसार वसूला जाता है। राज्यादेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। जल मीटर खराब/बन्द होने की स्थिति में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप यथासंभव इन्हें ठीक कराया जाता है अथवा बदला जाता है।

शहरी पेयजल उपभोक्ताओं से प्रतिमाह वसूल की जा रही मीटर सर्विस चार्जेज की राशि के लेखे का पृथक् से रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। मीटर सर्विस चार्जेज की राशि उपभोक्ता के जल विपत्र (बिल) में सम्मिलित होती है एवं कुल जल राजस्व प्राप्ति लेखे का रिकार्ड संधारित किया जाता है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक, 9 माह की अवधि में कुल जल राजस्व प्राप्ति रुपये 341.37 करोड़ की हुई है। माहवार प्राप्त जल राजस्व राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा की माणकथेड़ी पंचायत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना

185. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की माणकथेड़ी पंचायत में ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो व यदि नहीं, तो अब कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में पेयजल की आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या चक 12STB व चक 13 STB के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उक्त स्थान से ही की जाएगी ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत माणकथेड़ी में कुल सम्मिलित 10 ग्रामों में से 9 ग्राम नहरी जल योजना अंतर्गत क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 1 ग्राम हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित है । इन समस्त ग्रामों में उक्त जल योजनाओं से वर्तमान में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है । ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की क्षेत्रीय जल योजना, 12 एसटीबी (सम्मिलित 5 ग्राम क्रमश: 12 एसटीबी, 12 एसटीबी-ए-आरसीपी, 13 एसटीबी, 6 बीआरपी एवं माणकथेड़ी बारानी) की प्रथम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 178वीं बैठक दिनांक 11.10.2007 द्वारा राशि रुपये 213.54 लाख तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति 622वीं बैठक दिनांक 15.09.2011 द्वारा राशि रुपये 424.76 लाख की जारी की गयी।

स्वीकृत योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 08.03.2013 को राशि रुपये 129.00 लाख का कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंधक फर्म द्वारा योजना में स्वीकृत 2 रॉ-वॉटर डिग्गियों में से एक डिग्गी तथा 3 स्लोसैण्ड फिल्टर्स में से एक स्लोसैण्ड फिल्टर को जोड़ने तथा चारदिवारी के कार्य के अतिरिक्त उक्त योजना में प्रावधित अन्य कार्य पूर्ण किये जाकर माह सितम्बर, 2016 से उक्त 5 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है । कार्यवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिव में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने की योजना

186. श्री मानवेन्द्र सिंह (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नवीन अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने के क्या मानदंड निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शिव के क्षेत्रफल के अनुसार गडरा रोड या रामसर में अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अभियांत्रिकी विभागों हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड कार्यालय सृजित करने के लिए वित्त विभाग के पत्र दिनांक 23.07.1985 द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, शिव के लिये गडरा रोड़ अथवा रामसर में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय सृजित करने हेतु विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र शिव की पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण का कार्य बाड़मेर मुख्यालय पर स्थित विभाग के राईजेप खण्ड द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है जो उक्त क्षेत्र हेतु भौगोलिक/प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रकाशपुरा (मावली) में विधायक कोष से स्वीकृत पेयजल योजना

187. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम प्रकाशपुरा, तहसील मावली जिला उदयपुर के लिये विधायक स्थानीय विकास कोष से माह मई, 2016 में पेयजल योजना हेतु अनुशंसा की गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि 10 माह से अधिक समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त देरी के लिये उत्तरदायी सहायक अभियन्ता, मावली के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सोनादेवी)

(4) क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उदयपुर की तहसील मावली के हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित ग्राम प्रकाशपुरा (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या - 467) में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाते हुए पेयजल हेतु नलकूप निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने के कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा विधायक मद से राशि रुपये 10.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 09.06.2016 को जारी की गयी थी ।

(2) जी हां। उक्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ग्राम की योजना के संचालन एवं संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, पलानाकलां द्वारा सहमति पत्र नहीं देने के कारण इसकी तकनीकी स्वीकृति तत्समय जारी नहीं की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा सहमति पत्र दिनांक 19.09.2016 को विभाग को दिये जाने के उपरान्त उक्त स्वीकृत कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 19.09.2016 को राशि रुपये 20.51 लाख की जारी की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु दिनांक 29.09.2016 को लिखा गया ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर के पत्र दिनांक 19.10.2016 तथा अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड, उदयपुर के पत्र दिनांक 10.02.2017 द्वारा माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र, मावली को योजना की तकनीकी स्वीकृति अनुसार नई अनुशंसा भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया ।

स्थानीय विधायक से नई अनुशंसा अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाई है ।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड मावली के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(4) जी हां। स्थानीय विधायक से नई अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर उक्त योजना का कार्य करवाया जाना संभव हो सकेगा ।

बांदीकुई के गांवों में पेयजल का स्थाई समाधान

188. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई तहसील में कई गांव व ढाणियों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे गांवों व ढाणियों का कोई सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के उक्त गांव व ढाणियों को अभावग्रस्त घोषित कर या विशेष दर्जा देकर पेयजल का कोई स्थाई समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बांदीकुई तहसील में भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। भू जल विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वर्षा पूर्व (माह मई जून) एवं वर्षा पश्चात् (माह अक्टूबर नवम्बर) में आधार भूत कुओं का भू जलस्तर मापन कार्य किया जाता है। (संलग्न परिशिष्ट-अ)

(2) पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत दौसा जिले के समस्त 5 शहर क्रमश दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुवा एवं लालसोट तथा विधानसभा क्षेत्र, बांदीकुई सहित दौसा जिले के वर्ष 2001 के जनगणनानुसार समस्त 1029 ग्रामों की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत ईसरदा बांध के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 530.00 करोड़ की जारी हुई थी।

ईसरदा बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत कराया जाना है तथा इसके निर्माण हेतु राशि रुपये 541.00 करोड़ की निविदा हेतु आमंत्रित की गई। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु वर्ष 2013 में स्वीकृति उपरान्त नये भूमि अवाप्ति एक्ट, 2013 के लागू होने, बी.सी.आर. 2012 के स्थान पर बी.सी.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856.49 करोड़ होना अवगत कराया है।

वित्त विभाग को उक्त राशि के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाकर निर्देशानुसार प्रस्तावित राशि की वर्षवार व्यवस्था एवं आयोजना विभाग की सहमति बाबत कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(जल संसाधन मंत्री)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.एस.सी.) की बैठक संख्या 8 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा ईसरदा बांध से दौसा जिले के समस्त शहर/कस्बे एवं ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 162.75 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई थी।

ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु बांध निर्माण एवं भण्डारण क्षमता की गणना सम्बन्धी संभाव्यता रिपोर्ट, बांध से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु विकसित किये जाने वाले तंत्र की संभाव्यता एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रपत्र बनाने का कार्य मैसर्स वेपकोस लिमिटेड, गुडगांव(भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जम्भेश्वर एवं जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल का पानी अन्तिम छोर तक पहुंचाने की योजना

189. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत जम्भेश्वर लिफ्ट कैनाल एवं जय नारायण व्यास लिफ्ट केनाल को सिंचाई के लिए कितना जल आवंटन निर्धारित किया गया है ?

(2) उक्त दोनों लिफ्ट कैनाल के निर्मित खालों एवं वितरिकाओं की लम्बाई कितनी है तथा वर्तमान में कहां तक जल प्रवाह हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निर्मित मुख्य लिफ्ट कैनाल, खालों एवं वितरिकाओं में जल प्रवाह बाधित होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कारणों का पता लगाकर जल प्रवाह को अन्तिम छोर तक सुनिश्चित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा बनाई गयी कार्य योजना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलौदी लिफ्ट नहर) में सिंचाई के लिए 188 क्यूसेक पानी निर्धारित/आवंटित है।

जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल (पोकरण लिफ्ट) में सिंचाई के लिये 140 क्यूसेक पानी की मात्रा निर्धारित की गयी है तथा वर्तमान में आयुक्त क्षेत्रीय विकास इंगानप बीकानेर द्वारा अनुमोदित चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार 50 क्यूसेक पानी स्वीकृत है।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(2) गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट नहर में खाले निर्माण का प्रावधान नहीं है। सिंचाई सुविधा फव्वारा पद्धति द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। जिसकी योजना स्वीकृत हो चुकी है। गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट नहर में सीमित किये गये क्षेत्र में निर्मित नहरों का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	नहर का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
1.	बोराना माईनर	2.800
2.	तालरिया माईनर	4.500
3.	धोकला माईनर	2.000
4.	भडलो वितरिका	17.100
5.	चांदनिया माईनर	8.600
6.	नोख वितरिका	19.800
7.	नोख माईनर	3.800
8.	नोख सब माईनर	2.000
9.	कबुलो वितरिका	14.800
10.	कबुलो माईनर	4.870
11	नेता वितरिका	9.980
12	नेता माईनर	2.800
13	बाप वितरिका	24.000
14	खीरवा वितरिका	20.000
15	खाखूरी वितरिका	9.200
16	अजेरी वितरिका	16.100

गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट नहर में क्रम संख्या 1 से 12 व क्रम संख्या 13 बाप वितरिका कि.मी. 0.00 से 19.600 तक, क्रम संख्या 16 अजेरी वितरिका कि.मी. 0.000 से 10.200 तक नहर में पानी प्रवाहित हो रहा है, तथा अजेरी वितरिका के कि.मी. 10.200 से 13.500 व बाप वितरिका के कि.मी. 19.600 से 24.000 तक मिट्टी निकालने का कार्य प्रगति पर है, क्रम संख्या 14 खीरवा वितरिका व क्रम संख्या 15 खाखूरी वितरिका में सफाई व मरम्मत कार्य प्रगति पर है। आगामी खरीफ में टैल तक पानी पहुंचा दिया जाएगा ।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल (पोकरण लिफ्ट) में खाले निर्माण का प्रावधान नहीं है। सिंचाई सुविधा फव्वारा पद्धति द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। जिसकी योजना स्वीकृत हो चुकी है। जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल में सीमित किये गये क्षेत्र में निर्मित नहरों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	नहर का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
1	भादरिया वितरिका	6.500
2	चूडावाली माईनर	5.225
3	चूडावाली वितरिका	9.000
4	रोल्ला वितरिका	7.700
5	दीधू वितरिका	13.300
6	दीधू माईनर-1	5.375
7	दीधू माईनर-2	2.900
8	दीधू माईनर-3	2.700
9	आसकन्दरा माईनर	5.250
10	धनेरी वितरिका	11.325
11	धनेरी माईनर	3.875
12	दुर्जनी वितरिका	4.900
13	लाल सब माईनर	2.360
14	अजासर वितरिका	1.200

जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल (पोकरण लिफ्ट), की भादरिया वितरिका पर पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा शेष नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति पर है। काश्तकारों की मांग के अनुसार पानी आगामी खरीफ में उपलब्ध करवा दिया जाएगा ।

(3) उक्त दोनों लिफ्ट नहरों में खाले निर्माण का प्रावधान नहीं है, सिंचाई सुविधा फव्वारा पद्धति द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। जिसकी योजना स्वीकृत हो चुकी है। बिन्दु संख्या 2 में वर्णित नहरों में क्रम संख्या 1 से 12 व क्रम संख्या 13 बाप वितरिका कि.मी. 0.00 से 19.600, क्रम संख्या 16 अजेरी वितरिका कि.मी. 0.000 से 10.200 तक नहर में पानी प्रवाहित हो रहा है, तथा अजेरी वितरिका के कि.मी. 10.200 से 13.500 व बाप वितरिका के कि.मी.19.600 से 24.000 तक मिट्टी

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

निकालने का कार्य प्रगति पर है, क्रम संख्या 14 खीरवा वितरिका व क्रम संख्या 15 खाखूरी वितरिका में सफाई व मरम्मत कार्य प्रगति पर है। आगामी खरीफ में टेल तक पानी पहुंचा दिया जाएगा।

जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल (पोकरण लिफ्ट) की भादरिया वितरिका पर पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा शेष नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति पर है। काश्तकारों की मांग के अनुसार आगामी खरीफ में पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा ।

झुंझुनूं में नवीन सहकारी समितियों की स्थापना

190. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारिता समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किन-किन मानदण्डों के तहत व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की किन-किन ग्राम पंचायतों में नवीन सहकारी समितियां स्थापित करना सरकार के विचाराधीन है और इनकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट - 1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की किसी ग्राम पंचायत में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किसानों के हितार्थ संचालित योजनाएं

191. श्री भँवरसिंह (कोलायत): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से किसान हितार्थ योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व कौन-कौनसी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भँवरसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर जिले के किसानों को क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से अनुदानित कृषि यंत्र, बीज व कृषि कार्य से संबंधित अन्य कार्यों हेतु ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 2010 से जनवरी, 2017 तक बीकानेर व कोलायत तहसील के किस-किस किसान को क्या-क्या वितरित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा लाभकारी/संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किये जाने से समस्त किसान लाभ नहीं ले पाते हैं ? यदि हां, तो प्रचार प्रसार नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपजों की खरीद एवं कृषि आदानों यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयां आदि के विक्रय का कार्य किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। समितियों द्वारा समाचार पत्र, बैनर, पम्पलैट, सूचना पट्ट, वाल पेन्टिंग, होर्डिंग, कृषक गोष्ठियों, सेमीनार आदि के माध्यम से किसानों के मध्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। बीकानेर जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा किये गये प्रचार-प्रसार का विवरण परिशिष्ट "एक" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बाल अपचारियों के कल्याण एवं पुनर्वास की योजना

192. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की बाल/किशोर सुधार गृह में रहने वाले बाल अपचारियों के छूटने के बाद उनके कल्याण और पुनर्वास की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) गत 3 वर्षों में प्रदेश में किशोर न्याय बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2002 की अवहेलना के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सम्प्रेषण गृह व बाल/किशोर सुधार गृह में बच्चों को मनोचिकित्सक की सुविधा एवं उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? प्रदेश के सभी बाल सुधार गृह/सम्प्रेषण गृह में मनोचिकित्सक की सेवाएं एवं बच्चों को प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रदेश में किशोर न्याय बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2002 अस्तित्व में नहीं है। विभाग द्वारा पूर्व में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं वर्तमान में नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का प्रदेश में क्रियान्वयन कराया जा रहा है, गत 3 वर्षों में उक्त अधिनियम की अवहेलना का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(3) जी हां। सम्प्रेषण गृह व बाल/किशोर सुधार गृह में बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 26 में उल्लेखित स्टाफ संरचना अनुसार समस्त गृहों में परामर्शदाता की सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सुविधा है, साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 37 अनुसार बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण उनकी आयु, रुचि मनोवृत्ति व योग्यता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश के सभी बाल सुधार गृह/सम्प्रेषण गृह में परामर्शदाता की सेवाएँ उपलब्ध हैं और आवासित बच्चों को नियमित प्रशिक्षण दिये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

जमवारामगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावासों का भवन निर्माण

193. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रावास अभी तक किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां, कब से एवं क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त छात्रावासों के भवन बनाने हेतु राशि भी स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कब एवं सरकार अब कब तक उक्त छात्रावासों के लिए भवन बनाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रावास अभी तक किराये के भवन में संचालित नहीं हो रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सभी छात्रावास राजकीय भवन में संचालित किये जा रहे हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित सभी छात्रावास पूर्व से ही राजकीय भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। अत: वर्तमान में संचालित छात्रावासों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश के मदरसा बोर्ड में रिक्त पदों पर भर्तियां

194. श्री रमेश (सपोटरा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2012 एवं 2013 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं मदरसा बोर्ड में बडी संख्या में भर्तियों की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पदों पर ?

(2) उक्त विभाग एवं बोर्ड में कितने-कितने पदों पर भर्तियां कर दी गई एवं कितनी भर्तियां किन कारणों से लंबित हैं ?

(3) सरकार द्वारा जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक उक्त पदों पर भर्ती हेतु क्या प्रयास किये गये व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा जिन पदों पर भर्ती नहीं की गई उनकी फीस लौटा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) सरकार अब कब तक रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

1. 80 पद सहायक कर्मचारी
2. 6000 पद मदरसा शिक्षा सहायक
3. 3326 पद उर्दू शिक्षा सहयोगी
4. 2500 पद कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी

(2) भर्ती की स्थिति निम्नानुसार है -

1. सहायक कर्मचारियों के पद हेतु परीक्षा (साक्षात्कार) आयोजित किए गए थे (अ) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1999 के तहत चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए अपनाये गये मापदण्ड सही तौर पर नहीं अपनाये जाने एवं (ब)रिजल्ट फीडिंग का कार्य प्राईवेट संस्था द्वारा करने के कारण परिणाम घोषित करना उचित नहीं माना गया। इन 80 रिक्त पदों में से 15 पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति कर दी गई है एवं 07 पद संभाग स्तर के उपनिदेशक कार्यालय बंद होने के कारण

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

समाप्त हो गये हैं। उक्त शेष 58 रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट अ संलग्न है)।

2. मदरसा शिक्षा सहायक के 6000 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व ही 272 याचिका कर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ में रिट याचिकाऐं दायर कर दिये जाने के फलस्वरूप भर्ती प्रक्रिया लम्बित हो गयी। माननीय न्यायालयों में दायर याचिकाओं में अन्तिम निर्णय होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोके जाने का निर्णय लिया गया है।

3. मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगी 3326 पद- मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगियों के 3326 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाकर नियुक्ति दी जा चुकी है।

4. कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी 2500 पद- कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों के 2500 पदों की भर्ती (अ) आवश्यकता केवल उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होने के आधार पर उक्त श्रेणी के मदरसे काफी कम होने, (ब) सम्पूर्ण मदरसों के डाटा केप्चर का कार्य पूरा नहीं हो पाने एवं (स) 'कल्प' कार्यक्रम (Computer Aided Learning Programme) के द्वारा उर्दू शिक्षा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिलाकर कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों का कार्य सम्पादित करवाया जाने के आधार पर उक्त पदों की भर्ती को स्थगित रखा गया।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदनाम को एमटीएस में परिवर्तन कर दिया गया हैं। एमटीएस भर्ती संबंधी नियमों को अंतिम रूप दिये जाने तक भर्ती न करने की कार्मिक विभाग द्वारा सलाह के आधार पर भर्ती को लम्बित रखा गया है।

मदरसा शिक्षा सहायक पदों पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में अन्तिम निर्णय होने पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी।

कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी का कार्य उर्दू शिक्षा सहयोगियों को 'कल्प' कार्यक्रम (Computer Aided Learning Programme) के द्वारा प्रशिक्षण दिलवाकर कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों का कार्य सम्पादित करवाया जाने के आधार पर उक्त पदों की भर्ती को स्थगित रखा गया है।

(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद हेतु फीस नहीं लौटाई गई क्योंकि पूर्व में प्रक्रियाधीन भर्ती कार्यवाही को निरस्त करने के निर्णय के साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि साक्षात्कार में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से पुन: भर्ती पर आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों की विज्ञप्ति अनुसार उक्त पदों हेतु आवेदन शुल्क Not Refundable है।

मदरसा शिक्षा सहायक पदों पर भर्ती माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय होने पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(5) (अ) सहायक कर्मचारियों के पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(ब) मदरसा शिक्षा सहायक के माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं में अन्तिम निर्णय आने पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(स) उर्दू शिक्षा सहयोगी के पदों पर भर्ती की जा चुकी है।

(द) कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों के पदों पर भर्ती की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरण

195. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गत तीन वर्ष में स्वप्रेरणा से कितने प्रकरण दर्ज किये ? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आयोग द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण कब-कब किया गया ? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आयोग द्वारा उक्त प्रकरणों में किस-किस को दोषी माना एवं उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आयोग द्वारा उक्त प्रकरणों में पीड़ित बच्चों तथा उनके अभिभावकों को सहायता/ अनुदान दिलवाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गत तीन वर्षों में स्वप्रेरणा से 189 प्रकरण दर्ज किये गये। प्रकरणवार सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न हैं।

(2) आयोग द्वारा 101 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्रकरणवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) आयोग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देश एवं संबन्धित द्वारा की गयी कार्यवाही का प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) आयोग द्वारा 4 प्रकरणों में अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है तथा 1 प्रकरण में मुआवजा वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रकरणवार सूची परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के मोक्ष धामों के विकास हेतु कार्य योजना

196. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में मोक्ष धामों के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया था ? यदि हां, तो कितनी राशि का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर जिले में मोक्ष धामों का विकास करवाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे मोक्ष धामों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर के कौन-कौन से मोक्ष धामों के लागत प्रपत्र बनाये गये हैं व कितने स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2016-17 में मोक्ष धामों के विकास के लिये बजट का प्रावधान नहीं है।

(2) नगर निगम, जयपुर द्वारा स्वयं के संसाधनों से राशि रुपये 1000/- लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त जयपुर जिले की अन्य नगरीय निकायों में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मोक्ष धामों के विकास के लिये कराये गये कार्यों का राशिवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) नगर निगम, जयपुर क्षेत्र में मोक्ष धामों के लागत प्रपत्र बनाये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मोक्ष धामों के बनाये गये लागत पत्रों एवं उनकी स्वीकृति प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में मूलभूत सुविधाएं

197. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-7 में कितनी आवासीय योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा मूलभूत सुविधाएं यथा सीवरेज, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क इत्यादि पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर दी और वर्तमान में कितनी योजनाओं में उक्त सुविधाओं का अभाव है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय भूखण्डों के आवंटियों को भवन निर्माण कितनी अवधि में कराया जाना आवश्यक है और भवन निर्माण उक्त अवधि में नहीं कराने पर नियमानुसार क्या-क्या शुल्क चार्ज किया जाता है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय भूखण्डों के आवंटन पश्चात् व पूर्ण राशि प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्राधिकरण की ऐसी योजनाएं जहां आवश्यक सुविधाओं का अभाव है वहां के आवंटियों पर लगाये जाने वाले शुल्क को माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जविप्रा की जोनवार आवासीय योजनाओं में जविप्रा द्वारा यथा मूलभूत सुविधाएं सीवरेज परिशिष्ट-1, पेयजल परिशिष्ट-2, विद्युतीकरण परिशिष्ट-3, सड़क परिशिष्ट-4 एवं पार्क सुविधा परिशिष्ट-5 इत्यादि पर स्वीकृत राशि का विवरण एवं मूलभूत उपलब्ध/अनुपलब्ध का विवरण भी परिशिष्ट 1 से 5 संलग्न है।

(2) जविप्रा की योजनाओं में आवासीय भूखण्डों के आवंटियों को भवन निर्माण निर्धारित अवधि में कराया जाना आवश्यक होता है जिसमें :-

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6बी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण निर्धारित अवधि आवंटन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में कराया जाना आवश्यक है।
2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14(ए) के अन्तर्गत आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नीलामी के माध्यम से आवंटित किये गये भूखण्डों पर कब्जा पत्र जारी दिनांक से राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दिनांक 20.08.2015 के संशोधन अनुसार :-

i. 1000 वर्गमीटर तक आकार के भूखण्डों पर निर्माण अवधि तीन वर्ष तक।

ii. 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 5000 वर्गमीटर तक आकार के भूखण्डों की दशा में निर्माण अवधि कब्जा पत्र जारी दिनांक से 5 वर्ष तक।

iii. 5000 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्डों की दशा में निर्माण अवधि 7 वर्ष।

3. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(19-ए) के अन्तर्गत संस्थानिक प्रयोजनार्थ योजनाओं में संस्थाओं को आवंटित भूखण्डों में निर्माण आवंटन तिथि से 2 वर्ष की अवधि में कराया जाना आवश्यक है।

यदि उक्त निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं कराया जाता है, तो :-

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6बी) के अनुसार भवन निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में नहीं करानें पर आवंटन मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक प्रत्येक दोषमुक्त निर्माण अवधि के वास्ते जविप्रा द्वारा वसूली योग्य बनता है।
2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14(ए) के अनुसार (नीलामी द्वारा) आवंटित भूखण्डों पर उक्त निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं कराने पर वर्तमान आरक्षित दर का 1 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर वार्षिक दर से प्रत्येक दोषमुक्त निर्माण अवधि के वास्ते जविप्रा द्वारा वसूली योग्य बनता है।
3. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(19-ए) के अनुसार भवन निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में नहीं कराने पर विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक प्रत्येक दोषमुक्त निर्माण अवधि के वास्ते जविप्रा द्वारा वसूली योग्य बनता है।

नियमों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) मूलभूत सुविधाऐं/विकास कार्य प्राधिकरण की योजनाओं की बसावट की आवश्यकतानुसार/वित्तीय स्थिति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाती रही है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) ऐसी योजनाएँ जहां आवश्यक सुविधाओं का अभाव हो, के संबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 13.09.2011 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बास बदनपुरा के खसरा नं. 172 का मुआवजा

198. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के प्रावधानों की अवहेलना कर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10 में स्थित ग्राम बास बदनपुरा के खसरा नं. 172 के मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा करवाई गई है ? यदि हां, तो कब व इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ? उक्त खसरे का अवार्ड कब जारी हुआ व राशि इतने विलम्ब से जमा करवाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो न्यायालय में मुआवजे की राशि जमा कराने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त मुआवजा उक्त अधिनियम की धारा 24 (2) की अवहेलना कर न्यायालय में जमा नहीं करवाने की राय दी गई है ? यदि हां, तो भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दी गई राय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के प्रावधानों की अवहेलना कर मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा करवाई गयी है। ग्राम बदनपुरा के खसरा नं. 172 कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का वर्ष 1995 में भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनाएं, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अवार्ड घोषित कर अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि मय ब्याज दिनांक 04.03.2015 को सिविल न्यायालय में जमा कराई गयी। तत्पश्चात् यह जानकारी में आया कि ग्राम बदनपुरा के खसरा नम्बर 172 कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से सार्वजनिक निर्माण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

विभाग द्वारा वर्ष 1970 में 18 बिस्वा भूमि को अवाप्त कर संबंधित खातेदार को दिनांक 20.04.73 को भुगतान किया जा चुका है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 09.04.2015 को अवार्ड संशोधन हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 09.07.2015 द्वारा वर्ष 1995 में अवाप्त 1 बीघा 6 बिस्वा के स्थान पर 8 बिस्वा भूमि के इन्द्राज की स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार अवार्ड संशोधन होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में अवाप्त की गयी 18 बिस्वा भूमि की राशि को कम करते हुए शेष राशि के चैक सिविल न्यायालय से वापिस मंगवाने हेतु माननीय सिविल न्यायालय को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पत्र लिखा गया।

(2) यह कथन सही नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है। ग्राम बदनपुरा के खसरा नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से बाईपास रोड़ में आ रही भूमि को छोड़कर शेष भूमि का कब्जा दिनांक 08.11.2001 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया (परिशिष्ट-1)। अवाप्त भूमि का मुआवजा जमा कराने का विवरण बिन्दु संख्या-1 के अनुसार है।

(3) यह सही नहीं है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त मुआवजा उक्त अधिनियम की धारा 24(2) की अवहेलना कर न्यायालय में जमा नहीं करवाने की राय दी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के चम्बल गार्डन में टॉय ट्रेन का संचालन

199. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा के चम्बल गार्डन में बच्चों की सुविधा के लिये टॉय ट्रेन लगाई गई है ? यदि हां, तो कब एवं इस पर कितनी लागत आई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि टॉय ट्रेन लगाने से अब तक इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसका संचालन कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा के चम्बल गार्डन में बच्चों की सुविधा के लिये 2 लाख रुपये की लागत से दिनांक 17.03.2013 को बेबी ट्रेन लगाई गयी है।

(2) जी नहीं। बेबी ट्रेन दिनांक 13.07.2014 से लगातार चलायी जा रही है।

ग्राम बदरवास, मानसरोवर जयपुर में सड़क क्षेत्र से प्रभावित भू-खण्ड

200. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम बदरवास, मानसरोवर में संयुक्त गृह निर्माण समिति की आवासीय योजना राजेन्द्र प्रसाद सी व सीएस कॉलोनी एवं मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की 14, कृषि विस्तार विहार में समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत भूखण्ड आवासियों की सूची, पट्टे, कॉलोनी का नक्शा व प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन पश्चात् या मास्टर प्लान के अनुसार कुछ भूखण्ड सड़क क्षेत्र में आए हैं ? यदि हां, तो सड़कों से प्रभावित भूखण्डों व अनुमोदित नक्शे में प्रभावित भूखण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बदरवास मानसरोवर में संयुक्त गृह निर्माण समिति की आवासीय योजना राजेन्द्र प्रसाद-सी व सीएस कॉलोनी एवं मोती भवन गृ.नि.स. समिति की 14 कृषि विस्तार विहार के नाम से जविप्रा के जोन प्रकोष्ठ में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं है। बल्कि जविप्रा के जोन प्रकोष्ठ में ग्राम बदरवास मानसरोवर में स्थित संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना डा. राजेन्द्र प्रसाद नगर-सी व सीएस कॉलोनी एवं मोती भवन गृ.नि.स. समिति की योजना 14 कृषि विहार विस्तार का रिकॉर्ड पेश है। ये योजनाऐं वर्तमान में गैर अनुमोदित योजनाऐं हैं। संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना डा. राजेन्द्र प्रसाद नगर-सी की वर्ष 1994 में प्रस्तुत सदस्यता सूची परिशिष्ट "अ" एवं वर्ष 1999 में प्रस्तुत सदस्यता सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इसी सहकारी समिति की योजना डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर-सीएस की सदस्यता सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 14 कृषि विहार विस्तार की सदस्यता सूची परिशिष्ट "द" के रूप में संलग्न है।

संयुक्त गृह निर्माण समिति की आवासीय योजना डा. राजेन्द्र प्रसाद नगर-सी का मानचित्र समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त समिति की योजना डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर-सीएस कॉलोनी का मानचित्र परिशिष्ट "य" पर संलग्न है। मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना 14 कृषि विहार विस्तार का समिति मानचित्र परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(2) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना डा. राजेन्द्र

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रसाद नगर-सी व सीएस कॉलोनी एवं मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति 14 कृषि विहार विस्तार आवासीय योजना वर्तमान में गैर अनुमोदित योजनाएं हैं। अत: उक्त योजनाओं के नियमन के समय रिकॉर्ड व मौका स्थिति की जांच के उपरान्त ही मास्टर प्लान अनुसार सेक्टर सड़कों का निर्धारण किया जाकर सैक्टर सड़क में आने वाले भूखण्डों की स्थिति के संबंध में निर्धारण किया जा सकेगा। अत: वर्तमान में सड़कों से प्रभावित भूखण्डों का विवरण दिया जाना संभव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा मंदिर मण्डल में क्रय समिति का गठन

201. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नाथद्वारा मंदिर मंडल में क्रय समिति का गठन किन नियमों के तहत तथा किसके द्वारा किया गया है ? वर्तमान में कौन-कौन, कब-कबसे इसके सदस्य हैं ? क्या क्रय समिति के सदस्य मंदिर मंडल के किरायेदार/लाभार्थी /मंदिर मंडल के सप्लायर्स भी हो सकते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मन्दिर मण्डल में उपयोग में आने वाली विभिन्न सेवा सामग्री एवं अन्य आवश्यक दैनिक उपयोग के सामान क्रय करने के लिये मण्डल बैठक दि. 12.11.69 के प्रस्ताव सं. 2 के द्‌वारा एक क्रय समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् मण्डल बैठक दि. 22.2.2008 के प्रस्ताव सं. 27 के द्वारा क्रय समिति के गठन हेतु तिलकायत महाराजश्री को अधिकृत किया गया। मण्डल निर्णय की पालना में वर्ष 2008 से क्रय समिति का गठन तिलकायत महाराजश्री द्‌वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता रहा है।वर्तमान में दि. 5.3.14 से समिति के सदस्यगण की सूची संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में अवैध खनन पर कार्यवाही

202. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एम/एल नम्बर 5/01 राजस्थान सिलिका एण्ड मिनरल्स ग्राम बिचपुरिया तहसील व जिला करौली, एल/एल नं. 4/8 एहसान खान ग्राम मनोहरपुर तहसील एवं जिला करौली एवं एम/एल. नं. 3/8 ग्राम मनोहरपुरा तह. करौली आदि खानों में सिलिका सैण्ड समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त खानें कैसे चल रही हैं ?

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों से सटे वन क्षेत्र से अवैध खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध खनन की शिकायत खान एवं वन विभाग को की गयी ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। एम.एल. नम्बर 5/01 श्री जगनराम मीणा पुत्र श्री रामहेत मीणा के पक्ष में स्वीकृत है । करौली जिले में राजस्थान सिलिका एण्ड मिनरल्स के पक्ष में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है । एम.एल. सं. 5/01 निकट ग्राम बिचपुरिया तहसील व जिला करौली, एम.एल.नं. 4/08 निकट ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला करौली एवं एम.एल.नं. 3/08 निकट ग्राम मनोहरपुर तहसील एवं करौली में खनिज सिलिका सैण्ड समाप्त नहीं हुआ है । वर्तमान में इन खनन पट्टों में खनन कार्य चालू है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	एम.एल.स.	नाम पट्टाधारी	निकट ग्राम	पंजीयन तिथि	अवधि
1	5/01	जगनराम मीणा	बिचपुरिया	23.08.08	23.08.08 से 22.08.58
2	3/08	मोहम्मद रफीक	मनोहरपुर	16.09.13	16.09.13 से 15.09.63
3	4/08	अहसान खान	मनोहरपुर	16.09.13	16.09.13 से 15.09.63

(2) उक्त खनन पट्टेधारी अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य कर रहे हैं। उक्त खानों से सटे वन क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अवैध खनन हुआ है । वन विभाग द्वारा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध 6 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें से 3 प्रकरणों में संबंधित न्यायालयों में इस्तगासा दायर किया गया एवं शेष 3 प्रकरणों में मुआवजा वसूल किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(3) जी नहीं। उक्त तीनों खनन पट्टों से सटे हुये वन क्षेत्र में खान एवं वन विभाग को अवैध खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत में नियम विरुद्ध बजरी का खनन

203. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में सरकार द्वारा बजरी खनन के कितने पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? नामवार, संख्यावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बजरी खनन हेतु नियम एवं दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ठेकेदारों द्वारा बजरी खनन करते समय उक्त नियमों की पालना की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बजरी खनन एवं परिवहन का कब-कब निरीक्षण किया ? गत एक वर्ष में किये गये निरीक्षण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नियमों के विरुद्ध हो रहे बजरी खनन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हुई तो किस-किस जगह व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) खनिज अभियन्ता सोजत द्वारा गत एक वर्ष में कितने खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि बजरी खनन का कार्य अवैध रूप से मशीनरी द्वारा किया जाता है ? जिससे नदी नालों में चट्टानें निकल आई हैं व अधिक दोहन से कुओं/बावडियों का जलस्तर गिर चुका है ? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने कुएं व बावडी हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में बजरी का कोई खनन पट्टा आवंटित नहीं किया हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शासन द्वारा दिनांक 19.12.2013 को तहसील सोजत की राजस्व सीमा में आने वाली नदी, नालों, बालों में (खसरों के अनुसार) सर्वश्री शेखावत एसोसियेट्स (मंशा पत्र धारक) के पक्ष में अस्थाई कार्यानुमति जारी की गई है ।

(2) बजरी खनन हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम प्रभावशील हैं । सरकार द्वारा बजरी खनन हेतु जारी कार्यानुमति में शर्तें अंकित की गई है। एल.ओ.आई. धारक द्वारा सामान्यत: नियमों की पालना की जाती है । नियमों की पालना नहीं पाये जाने पर कार्यानुमतिधारक के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

(राज्य मंत्री, खान)

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में बजरी एवं परिवहन के संबंध में समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। गत एक वर्ष में किये गये खनन/परिवहन के संबंध में निरीक्षण की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) बजरी खनन के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट- 2 पर उपलब्ध है।

(5) खनि अभियन्ता, सोजत द्वारा पिछले एक वर्ष में खनन पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

(6) अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनिज बजरी के मंशा पत्र धारकों द्वारा बजरी खनन मशीनरी के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है। बजरी खनन से नदी नालों में चट्टानें निकलने का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है। भू जल विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सोजत के 26 आधारभूत कुओं का वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात् भू जल स्तर मापने पर वर्ष 2004 से वर्ष 2016 तक जल स्तर में 1.29 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)